प्रभात

इस अंक में .....

★ कॉमरेड्स गणपति और किशन के साथ भेंटवार्ता... 11
★ भारतीय क्रान्ति के पथ-प्रदर्शक कॉ. सीएम... 23
★ भारतीय क्रान्ति के महान नेता व शिक्षक कॉ. केसी ... 24
★ कॉ. पार्वती के साथ 'पीपुल्स मार्च' की भेंटवार्ता ... 25
★ जमीन-जांच आन्दोलन में जन कार्य - माओ... 31
★ संप्रग सरकार की जन विरोधी नीतियों पर... 34
★ दण्डकारण्य में पाशविक पुलिसिया दमन... 42
★ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव - एक विश्लेषण ... 46
★ जन प्रतिरोध एवं जन संघर्षों की रपटें... 48

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

भाकपा (माओवादी) का स्थापना-विशेषांक

वर्ष - 17 | अंक - 4 | अक्टूबर-दिसम्बर 2004 | सहयोग राशि - 10 रुपए

विशेष लेख

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का उदय

वह एक संजीदा मौका था। 21 सितम्बर 2004 की शाम, भारत के किसी घने जंगल में नई केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) के वरिष्ठ नेता कॉमरेड शोम ने वहां उपस्थित छापामार योद्धाओं, सांस्कृतिक कर्मियों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के सामने यह ऐलान किया कि भारत में एक एकीकृत सर्वहारा पार्टी – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का उदय हुआ है। भारत की क्रान्ति की दो प्रमुख धाराएं, यानी भाकपा (मा-ले) और एमसीसीआई के संगम का परिणाम ही था कि भाकपा (माओवादी) के रूप में एक महान नदी का उद्भव हो चुका है। इसके साथ ही, 1969-72 के बीच के छोटे अन्तराल को छोड़ दें तो जबकि भाकपा (मा-ले) अस्तित्व में था, देश में पहली बार एक एकीकृत सर्वहारा पार्टी बन चुकी है। भारत की जनता की महानतम क्रान्तिकारी परम्पराओं को भाकपा/माकपा संशोधनवादियों ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसके बावजूद कि अभी भी चन्द असली माओवादी क्रान्तिकारी इस नई पार्टी के बाहर रह गए हैं, भारत की दो मुख्य माओवादी धाराएं अब एक हो चुकी हैं। समूचे भारत की क्रान्तिकारी कतारों और प्रगतिशील ताकतों के साथ-साथ समूचे दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया की माओवादी ताकतों की मजबूत तमन्ना आखिरकार पूरी हो चुकी है। भारत की धरती पर छह हजार से ज्यादा क्रान्तिकारियों के खून से पली-बढ़ी एक असली कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ है। सबसे अहम, यह उन तमाम बहादुर शहीदों की आशाओं और आकांक्षाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने पहले ब्रितानी निरंकुश शासन से और उसके बाद साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद से हमारे देश को मुक्त कराने के लिए अपनी जानें कुरबान कीं।

एकताबद्ध पार्टी के संस्थापक नेता
कॉमरेड चारू मजुमदार और कॉमरेड कनाई चटर्जी

विलय की प्रक्रिया का इतिहास

दोनों पार्टियों के बीच वार्ता का सिलसिला पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से लम्बे और कई उतार-चढ़ावों वाले दौर से गुजरता रहा। इस दौरान एक काले अध्याय से भी गुजरना पड़ा। लेकिन आखिरकार यह सिलसिला कामयाबी के साथ पूरा हुआ।

इन दो पार्टियों के बीच सबसे पहली बैठक 1981 में हुई थी। तत्कालीन एमसीसी के नेता कॉमरेड कनाई चटर्जी (केसी) और भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] के तत्कालीन नेता कॉमरेड कोण्डपल्लि सीतारामैया (केएस) के बीच 12 दिनों तक बैठक हुई थी। दोनों नेताओं ने यह घोषणा की थी कि इसके बावजूद भी कि ये दोनों पार्टियां दो अलग-अलग धाराओं से जुड़ी हुई हैं, दोनों की एकता की मजबूत सम्भावनाएं हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियां एक ही रास्ते पर चल रही हैं। दोनों पार्टियों ने यह तय किया कि दस्तावेज तैयार करके बाद में एकता की ओर बढ़ा जाए। उसी समय पहले की भाकपा (मा-ले) (पार्टी यूनिटी) के साथ भी एमसीसी के अच्छे सम्बन्ध रहे थे। दोनों पार्टियों की समय-समय पर बैठकें हुआ करती थीं। 1990 के शुरुआती सालों तक ठीकठाक चले इनके रिश्तों में बाद में कड़वाहट पैदा हुई और झड़पें शुरू हुईं।

पीपुल्सवार और एमसीसी के बीच एकता की मजबूत चाहत के बावजूद अलग-अलग कारणों से यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका था। भूमिगत जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण तबियत

खराब होने से 1982 में कॉमरेड केसी शहीद हो गए। दूसरी तरफ कॉमरेड केएस गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद पीपुल्सवार की केन्द्रीय कमेटी में दो बार संकट पैदा हुआ था। दोनों ही बार पार्टी के महासचिव ही संकट के सूत्रधार थे। दो संकटों के बीच (1988-90) थोड़े समय के लिए एकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कुछ कोशिश हुई थी, पर 1992 के बाद ही गंभीर कोशिश की गई। तीन सालों तक चला बातचीत का वह सिलसिला अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उत्पन्न हुए चंद मतभेदों के चलते आखिरकार टूट गया। दोनों पार्टियों ने मतभेदों का खालुसा करते हुए बातचीत की विफलता पर संयुक्त बयान जारी किया। दोनों पार्टियों ने यह माना कि थोड़े समय के लिए बातचीत की प्रक्रिया को रोकने के बावजूद भविष्य में एकता वार्ता दोबारा चालू करेंगे। उसके बाद, खासतौर पर पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी के विलय के बाद, एमसीसी और पीपुल्सवार के बीच रिश्ते एक सीमा तक खराब हो गए।

1998 में मा-ले धारा की दो प्रमुख पार्टियां पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी के बीच विलय हो गया और एकीकृत पार्टी का गठन किया गया। लेकिन बिहार में निचले स्तर पर हालत और भी खराब हो गई। 1998 के बाद पीपुल्सवार और एमसीसी के बीच झड़पें जारी थीं और तीखी भी हो गईं। बाद में वह दौर शुरू हुआ जिसे कि अब दोनों ही पार्टियों ने भारत की क्रान्ति का "काला अध्याय" ठहराया है। दोनों तरफ काफी संख्या में कॉमरेड मारे गए।

इस स्थिति ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को जबर्दस्त नुकसान किया था। दोनों पार्टियों द्वारा अपनाए गए बदला लेने के तरीकों का कई क्रान्ति के समर्थकों ने विरोध किया। इसके बावजूद भी यह सिलसिला जारी ही रहा। क्रान्ति का समर्थन करने वाले कई बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील शख्सियतों ने दोनों पार्टियों से अपील की कि झड़पें खत्म करें। देश के विभिन्न कम्युनिस्ट ग्रुपों और पार्टियों ने सुलह की अपील की। दक्षिण एशिया की कई पार्टियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय माओवादी ताकतों ने झड़पों को रोकने की अपील की। इसी सिलसिले में एमसीसी में पुनरविचार की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी के विलय के मौके पर पीपुल्सवार ने एकतरफा ही झड़पों को रोकने का फैसला किया था, पर वह इसलिए बेअसर रहा क्योंकि उसने अपनी यह घोषणा खुलेआम नहीं की थी और न ही अपने इस फैसले से एमसीसी को अवगत कराया था। इस पूरी पृष्ठभूमि में एमसीसी ने पहलकदमी लेते हुए जनवरी 2000 में एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की। उसके जवाब में बाद में पीपुल्सवार ने भी झड़पों को रोकने का ऐलान किया। इस तरह दोनों पार्टियों के बीच नकारात्मक रिश्ते सकारात्मक रिश्तों में बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी समय, यानी मार्च 2001 में पीपुल्सवार ने अपनी 9वीं कांग्रेस आयोजित की। उसी समय एमसीसीआई में एक उल्लेखनीय दो-लाइन संघर्ष छिड़ गया। कुछ विचारधारात्मक और राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ कुछ अन्य मसलों पर एक छोटे-से ग्रुप के साथ अंदरूनी संघर्ष चला था।

आखिरकार अगस्त 2001 में दोनों पार्टियों के बीच वार्ता की प्रक्रिया फिर एक बार शुरू हो गई। इन दोनों पार्टियों के बीच दोस्ती बढ़ने का एक और प्रमुख कारण था पीपुल्सवार की कांग्रेस में लिए गए फैसले। इस कांग्रेस ने न सिर्फ पार्टी की कुछ पिछली समझदारियों में सुधार किया, बल्कि माओ विचारधारा की बजाए माओवाद को स्वीकार किया। दोनों पार्टियों के प्रतिनिधिमण्डलों ने अपनी पहली ही बैठक में गंभीर आत्मालोचना करके यह फैसला लिया कि बिहार/झारखण्ड के स्तर पर साझे कार्यक्रम लिए जाएं। लिखित आत्मालोचनाओं को बिहार-झारखण्ड में पार्टी की तमाम कतारों तक खुलेआम ले जाने से हालात और ज्यादा खुशगवार बन गए।

वर्ष 2001 के आखिर में तथा 2002 में पूरे साल बिहार-झारखण्ड में कई महत्वपूर्ण साझा कार्यक्रम लिए गए। इनमें पोटा के खिलाफ दो राज्यों में की गई तीन दिनी आर्थिक नाकेबन्दी भी शामिल है। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच वार्ता जारी रही। आखिरकार, फरवरी 2003 में सम्पन्न महत्वपूर्ण दुतरफा बैठक में यह फैसला लिया गया कि एक स्पष्ट दिशा से तथा दोनों पार्टियों के विलय के मकसद से लाइन से सम्बन्धित विचारधारात्मक व राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत शुरू की जाए। इस बैठक में दोनों पार्टियों ने 'काले अध्याय' के मामले में व्यापक व गंभीर आत्मालोचना पेश की। इसे भी पहले की तरह खुलेआम ही घोषित किया गया। दोनों पार्टियों ने यह कसम खाई कि आइंदा वर्ग-दोस्तों के साथ कभी भी झड़प नहीं करेंगे चाहे कितने तीखे मतभेद भी क्यों न उभरकर आएं। इसी बैठक में विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उसे अन्तिम स्वरूप देने की रूपरेखा बनाई गई। सबसे पहले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का दस्तावेज तैयार करने का फैसला लिया गया जो कि पार्टी की विचारधारा है। इसके अलावा पार्टी कार्यक्रम, रणनीति-कार्यनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व देशीय परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव, पार्टी संविधान, आदि दस्तावेज तैयार करने का फैसला हुआ। इन पांच दस्तावेजों को तैयार करने के काम को दोनों पार्टियों ने बांट लिया।

बाद में, दोनों पार्टियों की केन्द्रीय कमेटियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के बीच बातचीत के चार दौर चले। उसके बाद सितम्बर 2004 में आयोजित दोनों केन्द्रीय कमेटियों की साझा बैठक में सभी अहम मुद्दों और सभी दस्तावेजों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद अन्तिम समझौता हुआ। इन दस्तावेजों को पारित कर इनका लगभग 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके इन पर समूची पार्टी में बहस करने का फैसला लिया गया। बचे-खुचे कुछ छोटे-मोटे मतभेदों पर आगे चर्चा करने तथा उनका अध्ययन करने का फैसला किया गया। दो पार्टियों की साझा बैठक ने आखिर में विलय का फैसला

भाकपा (माओवादी) के गठन की घोषणा के बाद पीएलजीए का जुलूस

लिया। इसके परिणामस्वरूप एक एकीकृत केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) का गठन किया गया।

भाकपा (माओवादी) की नई केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) ने देश के मौजूदा हालात का जायज़ा लेकर देश में जनयुद्ध को आगे बढ़ाने की योजनाएं तैयार कीं। साथ ही, अभी भी पार्टी के बाहर रह गए तमाम असली माओवादियों के साथ एकता कायम करने के लिए कोशिशें शुरू करने का फैसला भी लिया। नई पार्टी ने साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद के खिलाफ जारी संघर्षों में व्यापक जनता को लामबन्द करने का फैसला लिया। देश में बढ़ रहे साम्राज्यवादी हमले और 'राजकीय' दमन के खिलाफ व्यापक जनता को गोलबन्द करने का भी फैसला लिया। नव गठित केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) ने तय किया कि साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ चलने वाले सभी आन्दोलनों के लिए व्यापक समर्थन जुटाया जाए। उसने यह फैसला भी किया कि भारत के शासक वर्गों की विस्तारवादी साजिशों, जोकि वे अपने साम्राज्यवादी आकाओं, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ कर रच रहे हैं, का पर्दाफाश करते हुए प्रतिरोध को जारी रखा जाए। नई पार्टी ने संकल्प लिया कि वे सीपीएन (माओवादी) के नेतृत्व में लड़ रही नेपाली जनता के पक्ष में ज्यादा सक्रियता से खड़े होंगे तथा अगर भारतीय विस्तारवादी और अमेरिकी साम्राज्यवादी अपने फैजी ताकत के बल बूते नेपाल में दखलंदाजी करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। नई पार्टी ने घोषणा की कि वह पेरू, फिलिप्पीन्स, तुर्की, आदि देशों में माओवादी पार्टियों की अगुवाई में जारी जनयुद्धों का समर्थन करेगी। उसने स्पष्ट किया कि साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ होने वाले तमाम संघर्षों को उसका समर्थन जारी रहेगा। नई एकीकृत पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में जारी हमले और दुराक्रमण के खिलाफ बहादुराना लड़ाई लड़ रही इराकी व अफगान जनता के पक्ष में वह दृढ़तापूर्वक खड़ी रहेगी। अलग होने के अधिकार समेत आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्षरत राष्ट्रीयताओं को नई पार्टी का समर्थन जारी रहेगा और इन आन्दोलनों पर जारी बर्बरतापूर्ण राजकीय दमन की नई पार्टी भर्त्सना करती है। नई पार्टी ने ऐलान किया कि महिलाओं को गोलबन्द करने और उन्हें संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे क्रान्ति में एक जबर्दस्त ताकत के रूप में उभर सकें। केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) ने जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जनता को गोलबन्द करने का फैसला लिया। हिन्दू फासीवादी ताकतों, जो सबसे खतरनाक हैं, का पर्दाफाश कर, अलग-थलग कर, पराजित करने के साथ-साथ तमाम तरह के अन्धराष्ट्रवादियों का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ, भाकपा (माओवादी) दिल्ली में हाल ही में सत्तारूढ़ हुए कांग्रेसी शासकों, भाकपा/माकपा तथा उनके साम्राज्यवादी आकाओं के खिलाफ जन संघर्षों को केन्द्रित करेगी।

दोनों पार्टियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वह 1960 का उथल-पुथल भरा दशक था। समूची दुनिया में अस्तव्यस्तता फैली हुई थी। वियत्नाम युद्ध में अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक छोटे-से देश के हाथों कई पराजयों का मजा चखना पड़ा। चीन में एक अनोखे प्रयोग के रूप में सामने आई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति ने नए साम्यवादी मानव के आदर्श प्रस्तुत किए। क्रान्तिकारी केन्द्र, जिसकी अगुवाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, और आधुनिक संशोधनवादी केन्द्र, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, के बीच में चले महान वितर्क ने दुनिया के मार्क्सवादियों का दो शिविरों में ध्रुवीकरण कर दिया। इस दौरान मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच विभाजन-रेखा और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से खींची गई। इसी मौके पर कई असली और मजबूत कम्युनिस्ट तथा कॉमरेड सीएम और कॉमरेड केसी जैसे विशिष्ट अग्रिम पंक्ति के नेता संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में उभर कर सामने आए। इस संघर्ष की अभिव्यक्ति 1964 में सम्पन्न माकपा की सातवीं कांग्रेस में संसदीय लाइन तथा दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन, जो परस्पर विरोधी लाइनें हैं, के बीच हुए संघर्ष में देखी जा सकती है।

उसके बाद, समूचे भूगोल को हिला देने वाली महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की घटनाओं से राजनीतिक माहौल और भी गर्माया हुआ था। कॉमरेड सीएम की अगुवाई में छिड़ने वाले महान नक्सलबाड़ी आन्दोलन का बिगुल "बसन्त का वज्रनाद" साबित हुआ, जैसा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान किया था। उसने भाकपा/माकपा मार्का संशोधनवादी नेतृत्व के घिनौने चेहरे को नंगा कर रख दिया। देश के चारों ओर और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे इलाकों में भी ये शक्तिशाली नारे गूंज उठे थे कि "चीन का रास्ता ही हमारा रास्ता है" और "माओ विचारधारा ही हमारी विचारधारा है।" इस प्रकार नक्सलबाड़ी ने सड़े-गले संशोधनवाद से गुणात्मक रूप से एक स्पष्ट विभाजन-रेखा खींचकर भारत में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा की सार्वभौमिक सचाई को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की समन्वय कमेटी का गठन करके उसके बाद भाकपा (मा-ले) के नाम से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की दोबारा स्थापना की गई। उसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को दृढ़तापूर्वक ऊंचा उठाकर उस समय के मुख्य सवालों पर सही विचारधारात्मक व राजनीतिक रुख अपनाया। दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर चलते हुए हथियारबन्द संघर्ष छेड़ दिया। भारत और दुनिया में कई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने भाकपा (मा-ले) की स्थापना को मान्यता दी। इस माहौल में बसन्त का वज्रनाद ने नक्सलबाड़ी के मैदानों पर से गरजते हुए भारत के समूचे राजनीतिक नक्शे को बदल डाला और हथियारबन्द संघर्ष को भारत की क्रान्ति के एजेन्डे पर ला दिया।

हालांकि भारत में बहसें उससे पहले ही शुरू हुई थीं। 1964 में सम्पन्न माकपा की 7वीं कांग्रेस में कॉमरेड चारू मजुमदार ने अधीकृत लाइन का विरोध करके भारत की क्रान्ति की एक नई लाइन सामने लाने की कोशिश की थी। उसके बाद, भारत की क्रान्ति के लिए एक नई क्रान्तिकारी विचारधारात्मक व राजनीतिक लाइन को विकसित करने के सिलसिले में उन्होंने संशोधनवाद व नव संशोधनवाद पर प्रहार करते हुए अपने प्रख्यात आठ दस्तावेज तैयार किए। इस दौरान उनकी नई लाइन को ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह में लागू किया गया। देश के तमाम क्रान्तिकारियों के साथ-साथ छात्रों, नौजवानों, बुद्धिजीवियों और खासतौर पर हजारों किसानों ने इसका स्वागत किया। कुछ ही समय में नक्सलबाड़ी के शोले देश भर में फैल गए। देश के अत्यधिक क्रान्तिकारी तुरन्त ही एक समन्वय कमेटी में, यानी अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की समन्वय कमेटी (एआईसीसीसीआर) में गोलबन्द हो गए। 1969 में आयोजित

नई पार्टी के उद्घोषणा-समारोह में भाग लेते पीएलजीए सैनिक

एक रैली में क्रान्तिकारी पार्टी भाकपा (मा-ले) की स्थापना की घोषणा की गई। 1970 में आयोजित पार्टी की 8वीं कांग्रेस ने भारत की क्रान्ति के लिए आमतौर पर और बुनियादी तौर पर सही क्रान्तिकारी लाइन तैयार की। 8वीं कांग्रेस को देश के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के साथ-साथ माओ त्सेतुङ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मान्यता दी थी।

उसी समय देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन में एक और क्रान्तिकारी धारा भी सामने आई। कॉमरेड्स कनाई चटर्जी, अमूल्य सेन और चंद्रशेखर दास ने कोलकाता, हावड़ा और हुग्ली में जनता के बीच काम करते हुए माकपा की 7वीं कांग्रेस की लाइन के खिलाफ बगावत का परचम बुलन्द किया। 1965 में माकपा के भीतर ही गुप्त रूप से गठित "चिन्ता" ग्रुप ने पार्टी की कतारों में क्रान्तिकारी प्रचार किया था। उन्होंने 1965/66 में छह पत्रिकाएं प्रकाशित कीं। इन पत्रिकाओं ने निम्न लिखित मुद्दों पर चर्चा छेड़ दी – (अ) भारतीय राज्य का वर्गीय चरित्र, (आ) चीन का रास्ता ही हमारा रास्ता है, (इ) नव उपनिवेशवाद और पीएल-480 की भूमिका, (ई) 7वीं कांग्रेस का कार्यक्रम, संशोधनवादी नेतृत्व का चरित्र, भारत में किसानों का सवाल, वगैरह। माकपा की अंग्रेजी और बंग्ला पत्रिकाओं ने "चिन्ता" में प्रकाशित लेखों पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया। इसके फलस्वरूप पार्टी की तमाम कतारों में एक बड़ी चर्चा शुरू हुई। 1966 में गोपनीय पत्रिका "चिन्ता" को रोककर "दक्षिण देश" के नाम से एक खुली पत्रिका शुरू कर दी गई। और इस ग्रुप को 'दक्षिण देश ग्रुप' बुलाने लगे। नक्सलबाड़ी विद्रोह के पहले ही, 1967 में कॉमरेड कनाई चटर्जी ने कॉमरेड सीएम के साथ लम्बी बातचीत की थी। उस बैठक में दोनों के बीच किसान आन्दोलन को आगे बढ़ाने के सवाल पर साझा समझदारी थी। दोनों ने भी दोस्ताना रिश्ते जारी रखने की इच्छा जताई।

लेकिन रिश्ते आगे नहीं बढ़े। 1967 से 1969 तक तत्कालीन "दक्षिण देश ग्रुप" ने कोलकाता, हावड़ा, हुग्ली, मिडनापुर, बर्धवान, बीरभूम, 24 परगना, आदि इलाकों में आन्दोलन खड़ा किया। असम और त्रिपुरा में भी थोड़ा काम किया। इन्होंने 60 के दशक के आखिरी चरण में पहले सोनारपुर और बाद में बर्धवान जिले के कंक्सा में किसान आन्दोलन खड़ा किया। उसके बाद बिहार में सम्पर्क बनाकर वहां काम शुरू किया। अक्टूबर 1969 में एमसीसी का गठन किया गया। 1969 में प्रकाशित "लाल पताका" के पहले ही अंक में कॉमरेड कनाई चटर्जी ने अपने केन्द्र के लिए बुनियादी लाइन प्रस्तुत की। उन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा की – (अ) मौजूदा युग में माओवाद (तब 'विचारधारा' कहते थे) का महत्व, (आ) मौजूदा परिस्थिति में कार्यनीतिक लाइन और कार्यनीतिक नारे, (इ) चुनावों में भाग लेने के सवाल पर सही नीति तथा यह सही विश्लेषण कि चुनाव बहिष्कार भले ही कार्यनीति से जुड़ा हुआ मामला हो पर भारत के ठोस हालात में उसे रणनीतिक महत्व है, (ई) सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध के सम्बन्ध में दीर्घकालीन जनयुद्ध, सेना का निर्माण, आधार इलाकों के निर्माण से युक्त सही लाइन, (उ) संघर्ष के स्वरूपों (खुले, गोपनीय, कानूनी, गैर-कानूनी, शान्तिपूर्ण व सशस्त्र) के बारे में सही दिशा-निर्देश, (ऊ) कार्यक्रम, कार्यनीति, किसान संघर्ष के तरीके, (ऋ) संयुक्त मोर्चा के प्रति रुख और तरीके (ए) राजनीतिक प्रचार, (ऐ) भारत में महिला का सवाल, छात्र आन्दोलन और राष्ट्रीयता के सवाल पर, तथा (ओ) नेतृत्वकारी तरीके।

भाकपा (मा-ले) और एमसीसी की ये दो धाराएं भारत के माओवादी आन्दोलन में दो प्रमुख धाराओं के रूप में विकसित हुईं। पिछले साढ़े तीन दशकों के दौरान भाकपा (मा-ले) भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] के रूप में तथा एमसीसी एमसीसीआई के रूप में बदल गईं। पहली पार्टी मुख्य रूप से दक्षिण में, खास तौर पर आन्ध्र में तथा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कार्यरत थी, जबकि दूसरी पार्टी मुख्य रूप से बिहार-झारखण्ड, उसके पड़ोसी इलाकों, उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में काम करती रही। अब जबकि ये दोनों धाराएं भाकपा (माओवादी) में विलीन हो गईं जिससे भारत की क्रान्ति की अहम ताकतें आखिरकार एक एकीकृत केन्द्र का गठन करने में कामयाब हो गईं जो देश में जारी जनयुद्ध का नेतृत्व कर सके।

दस्तावेजों की स्वीकृति : एकता की राजनीतिक व विचारधारात्मक बुनियाद

पारित पांच दस्तावेजों के साथ-साथ पहले की दो पार्टियों ने एक व्यवस्थित आत्मालोचनात्मक समीक्षा भी पेश की। उसमें दोनों ही पार्टियों ने अपनी-अपनी पिछली राजनीतिक व संगठनात्मक समीक्षाओं की खामियों का अपने-अपने इतिहासों के अलग-अलग चरणों की पृष्ठभूमि में गहराई से विश्लेषण किया। आत्मालोचनाएं स्पष्ट और

ईमानदार थीं जिन्होंने गलतियों को सुधारकर पार्टी का बोल्शिवेकीकरण करने और गैर-सर्वहारा रुझानों को त्यागने की बुनियाद तैयार की। यह सिलसिला नई एकीकृत पार्टी की राजनीतिक लाइन विकसित करने में सहायक रहा। ये राजनीतिक व संगठनात्मक समीक्षाएं और "काले अध्याय" के सम्बन्ध में गहन आत्मालोचनाएं दोनों पार्टियों के बीच एकता को ज्यादा मजबूत करने में सहायक रहीं।

बाद में, दोनों केन्द्रीय कमेटियों ने पांच बुनियादी दस्तावेजों, जोकि एकता की बुनियाद थे, को अन्तिम रूप देने के लिए व्यापक चर्चाएं जारी रखीं। आइए, इन दस्तावेजों के अहम सारतत्त्व को संक्षेप में देखें –

मा-ले-मा दस्तावेज : "मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल परचम को ऊंचा उठाए रखो" के नाम से बनाए इस दस्तावेज में यह विस्तारपूर्वक बताया गया कि कॉमरेड माओ ने किस प्रकार दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, सैन्यशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद आदि सभी क्षेत्रों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद को गुणात्मक तौर पर एक नए और तीसरे उन्नत चरण में विकसित किया। अंतरविरोध के नियम की समझदारी में उन्होंने एक छलांग हासिल की। माओ ने दिखा दिया कि अन्तरविरोध का नियम ही प्रकृति, समाज और मानव चिन्तन का निर्देशन करने वाला गति का बुनियादी नियम है। उन्होंने ज्ञान सिद्धान्त को बढ़िया विकसित करते हुए पदार्थ और चेतना के बीच के सम्बन्ध को व्यवहार और सिद्धान्त में कुशलतापूर्वक लागू किया। चीन की क्रान्ति के पहले सोवियत नमूने के रूप में प्रख्यात सार्वभौमिक सशस्त्र विद्रोह की लाइन को ही सत्ता पर कब्जा करने की आम लाइन माना जाता था। दीर्घकालीन जनयुद्ध के रूप में एक नई लाइन प्रस्तुत कर माओ ने इस समस्या को हल किया। माओ ने बताया कि अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामन्ती देशों को दो अलग-अलग चरणों से गुजरना होगा जो एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला नव जनवादी क्रान्ति का चरण है जहां से साम्यवाद (कम्युनिज्म) के अन्तिम मकसद से समाजवादी चरण में बिना किसी व्यवधान के पहुंचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि माओ ने ऐतिहासिक महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति का नेतृत्व किया जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समाजवादी समाज में पैदा हुए पूंजीवादी पंथियों के खिलाफ छेड़ी गई इस क्रान्ति ने उत्पादन की ताकतों के विकास और उत्पादन के सम्बन्धों के बीच उत्पन्न होने वाले अन्तरविरोध को द्वन्द्वात्मक ढंग से हल करने की कोशिश की। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति और सर्वहारा की अगुवाई में क्रान्ति को जारी रखना... ये दोनों पूंजीवाद की बहाली को रोकने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के शस्त्रागार में पूर्णतः एक नया योग है।

प्रकृति, समाज और मानव चिन्तन की गति के नियमों के विज्ञान के रूप में मार्क्सवाद उभरा है। मार्क्सवाद एक क्रान्तिकारी विज्ञान है जो ऐसे सन्दर्भ में सामने आया जबकि सर्वहारा ने अपने खुद के भविष्य के साथ-साथ समाज के भविष्य की रूपरेखा भी खींचने में सक्षम क्रान्तिकारी वर्ग के रूप में ऐतिहासिक परिवेश में कदम रखा। मार्क्सवाद, जो सर्वहारा की विचारधारा है, का लगातार ज्यादा से ज्यादा संश्लेषण होता आया और नए उन्नत चरणों में उसका विकास होता आया। मार्क्सवाद से मार्क्सवाद-लेनिनवाद का विकास हुआ। उसके बाद, उसमें और ज्यादा विकास हुआ और उसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का रूप धारण कर लिया। वह ज्ञान के किसी एक ठोस क्षेत्र से सम्बन्धित विज्ञान नहीं, बल्कि क्रान्ति के जरिए दुनिया को समग्र रूप से बदलने के लिए आवश्यक एक व्यापक दार्शनिक व्यवस्था, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद और सर्वहारा की रणनीति-कार्यनीति का प्रतिनिधित्व करने वाला विज्ञान है।

कार्यक्रम : भाकपा (माओवादी) ने अपने कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा कि 1947 की झूठी आजादी के बाद साम्राज्यवादियों की प्रत्यक्ष औपनिवेशिक और अर्ध सामन्ती व्यवस्था की जगह अर्ध उपनिवेशिक व अर्ध सामन्ती व्यवस्था ने ले ली जो कि परोक्ष साम्राज्यवादी शासन, शोषण और नियन्त्रण के रूप में है। उसके बाद के सालों में दलाल नौकरशाही बड़े पूंजीपति और बड़े जमींदारी शासक वर्ग पूरी वफादारी के साथ साम्राज्यवाद की सेवा करने में लगे हैं।

सीधे उपनिवेशी शासन के खत्म होने के बाद, साम्राज्यवाद ने अपने कब्जे वाले राष्ट्रों और देशों पर परोक्ष शासन, शोषण और नियन्त्रण के नए-नए स्वरूप अपनाए हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद का ज्यादा छलपूर्ण और ज्यादा कुटिल रूप है यह। इस सन्दर्भ में, हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र, यानी आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य व सांस्कृतिक क्षेत्रों में साम्राज्यवादी मुद्रा पूंजी का दबदबा और नियन्त्रण ज्यादा बढ़ रहे हैं। दरअसल, आज साम्राज्यवादी भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, यहां तक प्रशासन को भी नियंत्रित कर रहे हैं।

आज भी हमारा देश बुनियादी तौर पर किसान बहुल देश ही है। यहां की दो तिहाई आबादी ग्रामीण इलाके में ही बसी हुई है। किसानों का अत्यधिक हिस्सा बेहद शोषण और उत्पीड़न का शिकार है। वे काफी दुर्भर हालत में और बेहद गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। छितराए हुए छोटे-छोटे रकबों में होने वाली खेती, कुछेक इलाकों में आज भी प्रचलित आदिम तरीके, प्राकृतिक बदलाव – इन सभी के कारण अत्यधिक किसान और मध्यम किसानों का बड़ा हिस्सा दुभर गरीबी में छटपटा रहे हैं। देहाती इलाके पर जमींदारों, सूदखोरों, व्यापारियों और धार्मिक संस्थाओं का दबदबा जारी है। ये लुटेरे तबके ही हमारे देश में अर्ध सामन्ती उत्पादन के सम्बन्धों का मुख्य आधार हैं।

साम्राज्यवादी मुद्रा पूंजी की घुसपैठ दिन-ब-दिन बढ़ रही है और उसका शिकंजा ज्यादा कसता जा रहा है। हालांकि इसने भी कुछ पूंजीवादी उत्पादन के सम्बन्ध पेश किए, परन्तु यह पूंजीवाद काफी हद तक विकृत और अस्पष्ट है।

साम्राज्यवादी समूचे दक्षिण एशिया में भारत के आधिपत्य को मान्यता देते हुए भारतीय दलाल शासक वर्गों के विस्तारवादी आकांक्षाओं को हमेशा समर्थन देते, प्रोत्साहन देते और उत्तेजित करते आ रहे हैं। इस प्रकार वे इस सुविशाल लाभकारी बाजार पर अपने नियन्त्रण को बेरोक-टोक जारी रखे हुए हैं।

साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेकने वाले भारतीय दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के इन विस्तारवादी आकांक्षाओं, दखलंदाजी और छलपूर्ण कार्यवाहियों के चलते भारतीय विस्तारवाद दक्षिण एशिया के तमाम देशों की सुरक्षा और एकता के लिए बड़ा खतरा बन गया है। नेपाल के अन्दरूनी मामलों में भारतीय शासक वर्गों की दखलंदाजी बढ़ रही है। जन आन्दोलनों को कुचलने के लिए वहां

पर अपनी सेनाएं भेजने के लिए वे उतावले हो रहे हैं।

भारत पर साम्राज्यवादी शोषण और नियन्त्रण के लिए भारतीय दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग एक प्रमुख वाहन के तौर पर काम कर रहा है। वह अपने अस्तित्व और विकास के लिए साम्राज्यवाद पर पूरी तरह निर्भर है और वह उससे लिपटा हुआ है। सभी मोर्चों पर उसके हित साम्राज्यवादियों के हितों से घनिष्ठता से गूंथे हुए हैं। वह साम्राज्यवाद के साथ जुड़े होकर सामन्तवाद के साथ सांठगांठ करता है। पूरी तरह प्रतिक्रियावादी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी यह दलाल नौकरशाही पूंजीपति (या बड़ा पूंजीपति या सरकारी इजारेदारी पूंजीपति) वर्ग विशाल जन समुदायों को, यानी मजदूरों, किसानों और निम्न पूंजीपतियों का बेरहमी से शोषण और उत्पीड़न कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र विकास के रास्ते में यह एक बाधा है।

साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेके हुए भारतीय शासक वर्गों ने देश की "एकता" और "अखण्डता" के छलपूर्ण नारों की आड़ में देश को राष्ट्रीयताओं के कैदखाने में तब्दील किया। इसी पृष्ठभूमि में आज देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीयताएं सशस्त्र संघर्ष समेत कई रूपों में लड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। पार्टी कार्यक्रम इन राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है। कार्यक्रम आह्वान करता है कि इन आन्दोलनों को कुचलने के लिए की जा रही दुष्टतापूर्ण कोशिशों की कठोर निंदा की जाए। वह घोषणा करता है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार समेत पृथक होने के अधिकार का मजबूती से समर्थन किया जाएगा।

घिनौनी जाति-व्यवस्था, जातिवाद, खासकर ब्राह्मणवादी जातिवाद भारत की अर्ध सामन्ती व्यवस्था का विशेष लक्षण है, ऐसा कार्यक्रम ने माना है। जातिवाद मनुष्यों के आत्मसम्मान को दबा देता है। वह उन्हें हीन दृष्टि से देखता है। इसके द्वारा पैदा की गई सीढ़ीदार सामाजिक दर्जों की व्यवस्था में हर सीढ़ी पर रहने वाले अपने से नीचे रहने वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार यह जनता में फूट डालने के लिए न सिर्फ दीवारें खड़ी करता है, बल्कि उत्पीड़ित जनता की एकता के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी करता है। दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को समान अधिकारों, आरक्षण और अन्य सुविधाओं के लिए पार्टी संघर्ष करेगी। साथ ही, वह इन सवालों के प्रति शासक वर्गीय पार्टियों और सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के खोखलेपन को नंगा कर देती है। दलित सवाल उठाने के नाम पर अपने खुद के चुनावी हित साधने की कोशिश करने वाले अवसरवादी दलित नेताओं का यह पार्टी भण्डाफोड़ करती है। इसके लिए पार्टी विशेष रूप से जाति-आधारित संगठनों की स्थापना करने की बजाए खुद स्वतंत्र कार्यक्रम से लैस जन संगठनों और वर्ग संगठनों का निर्माण कर इन समस्याओं पर संघर्षों का संचालन करती है।

देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है। वे पुरुषांधता तथा परिवार, जाति-व्यवस्था, सम्पत्ति के सम्बन्ध और संस्कृति जो कि पितृसत्तात्मक संस्थाएं हैं, तथा साम्राज्यवादी शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। हाल के सालों में, खासकर साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और उपभोक्तावाद के चलते महिलाओं पर यौन प्रताड़नाएं और अत्याचार बढ़ गए। "महिला आसमान का आधा हिस्सा है।" महिलाओं में निक्षिप्त गुस्से को बाहर लाकर क्रान्ति में उन्हें एक जबर्दस्त ताकत में तब्दील किए बिना क्रान्ति में कामयाबी नामुमकिन है। इसलिए, कार्यक्रम ने स्पष्ट किया कि साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को गोलबन्द करना आवश्यक है। कार्यक्रम ने माना कि वर्ग संघर्ष के साथ-साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अधिकारों के लिए संघर्ष चलाने की जरूरत है।

भारत की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 15 प्रतिशत तक है। शासक वर्गों द्वारा उसके राज्य यंत्र के सहारे हिन्दू धार्मिक उन्माद भड़काते हुए अमल किए जा रहे भेदभाव, प्रताड़नाओं और क्रूरतापूर्ण दमन का वे सब शिकार हो रहे हैं। हिन्दू फासीवादी ताकतों के बढ़ते खतरे का पार्टी विचारधारात्मक व राजनीतिक रूप से मुकाबला करेगी, पर्दाफाश करेगी और लड़कर हरा देगी। स्थानीय स्तर पर इन ताकतों से लड़ने के लिए आवश्यक तरीके अपनाएगी। उसी समय अन्य धर्मों के धार्मिक कट्टरतावाद का भी पर्दाफाश करती रहेगी।

रणनीति-कार्यनीति : भारत की क्रान्ति की रणनीति-कार्यनीति नाम के इस दस्तावेज में भारतीय समाज के ठोस वर्ग विश्लेषण के आधार पर भारतीय समाज को अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामन्ती समाज बताया गया। इसी के अनुसार यह निर्धारित हो जाता है कि भारत की क्रान्ति दो चरणों से होकर गुजरेगी। पहले चरण में अर्ध औपनिवेशिक व अर्ध सामन्ती समाज को एक स्वतंत्र नए जनवादी समाज में बदलने का कर्तव्य रहेगा।

भारत की क्रान्ति के निशाने हैं : साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और बड़ा जमींदारी वर्ग। भारत की जनता के ऊपर इन तीन पहाड़ों का भारी बोझ लदा हुआ है। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद भारत की क्रान्ति के दुश्मन हैं। मजदूर,

एकता कॅम्यून

किसान और निम्न पूंजीपति भारत की क्रान्ति के संचालक ताकतें हैं, जबकि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ढुलमुल दोस्त के रूप में रहेगा।

इसलिए, कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत के सर्वहारा का राजनीतिक प्रतिनिधि और उसका अगुवा दस्ता है, के सामने फौरी और बुनियादी कार्यक्रम यह है कि बड़े जमींदारी और दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्गों के अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामन्ती शासन को तथा उसकी मदद करने वाले साम्राज्यवाद को हथियारबन्द संघर्ष के जरिए उखाड़ फेंककर सर्वहारा की अगुवाई में जनता की जनवादी सरकार की स्थापना की जाए। प्रतिक्रियावादी तानाशाही सरकार की जगह नई जनवादी सरकार कायम की जाए।

क्रान्ति का मौजूदा चरण नई जनवादी क्रान्ति का चरण है। इसे दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर चलकर पूरा करना होगा। जनयुद्ध को जारी रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए क्रान्ति के मौजूदा चरण में बुनियादी, प्रधान और फौरी कार्यभार यह है कि देहाती इलाकों, खासकर दूर-दराज के इलाकों (जो छापामार लड़ाई, जन सेना और आधार इलाकों के निर्माण के लिए काफी अनुकूल हों) में योजनाबद्ध तरीके से जनता को जागरूक बनाकर उसे कृषि क्रान्तिकारी छापामार युद्ध में लामबन्द करना चाहिए। जन सेना का निर्माण कर छापामार युद्ध के जरिए देहाती लाल आधार इलाकों का निर्माण करना चाहिए। इस सिलसिले में जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) आगे बढ़कर और विकसित होकर पूर्णतः विकसित जन मुक्ति सेना (पीएलए) में बदल जाएगी। छापामार इलाके आधार इलाकों में तब्दील होंगे।

ब्रितानी साम्राज्यवाद ने भारत में संसदीय व्यवस्था ऊपर से थोप दी। सबसे बड़ी बात, यहां पर बुर्जुआ क्रान्ति हुई ही नहीं। इसलिए यहां बुर्जुवाई लोकतंत्र अस्तित्व में ही नहीं आया। दरअसल, संसदीय संस्थाओं के जरिए जनता की बुनियादी समस्याओं के लिए किसी भी व्यवहारिक समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा, पिछले 55 सालों के अनुभव ने यह साबित किया है कि जिन लोगों ने चुनावों को कार्यनीतिक मामला समझते हुए उनका उपयोग करने के नाम से उनमें भाग लेने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर लोग एक अरसा बाद संसदीय व्यवस्था और संशोधनवाद की दलदल में बुरी तरह फंस गए। दरअसल, कार्यनीतिक फायदा उठाने के नाम से चुनावों में भाग लेने का मतलब हथियारबन्द संघर्ष का निर्माण कर उसे आगे बढ़ाने के कार्यभार को त्यागना ही है।

पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा को रणनीति-कार्यनीति दस्तावेज ने क्रान्ति के लिए जरूरी तीन जादुई छड़ियां बताईं। इन तीन विषयों और इन तीनों के आपसी सम्बन्धों को सही ढंग से समझने से ही भारत की क्रान्ति को पूरी तरह से सही दिशा में चला सकेंगे। इसलिए, रणनीति-कार्यनीति दस्तावेज ने जोर देकर कहा कि इन तीन हथियारों के निर्माण की अहमियत को समझना जरूरी है। साथ ही, दस्तावेज यह भी कहता है कि इन तीन हथियारों को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की सीखों के आधार पर भारत की क्रान्ति के ठोस व्यवहार में लागू करने में कुशलता हासिल करना भी जरूरी है।

नई जनवादी सरकार (राज्य) जनता की जनवादी तानाशाही के रूप में रहा करेगी। इसे सर्वहारा के नेतृत्व में मजदूर-किसान एकता की बुनियाद पर मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपति का संयुक्त मोर्चा लागू करेगा। यह सरकार अत्यधिक जनता के लिए असली जनवाद की गारन्टी देगी। साथ ही साथ, यह लुटेरों पर तानाशाही लागू करेगी जो कि अल्पसंख्यक होते हैं। पहले समाजवाद, और बाद में दुनिया भर में साम्यवाद की ओर आगे बढ़ना ही पार्टी का अन्तिम कार्यक्रम है।

राजनीतिक प्रस्ताव : यह दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रीय व देशीय परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आज दुनिया बेहद अस्थिरता, उथल-पुथल और अस्तव्यस्तता से भरी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थिति विरले ही देखने को मिली थी। बढ़ते अन्तहीन संकट के चलते दुनिया के तमाम प्रमुख अन्तरविरोधों के साथ-साथ साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित जनता और राष्ट्रीयताओं के बीच का प्रधान अन्तरविरोध तीखा हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आंतकवादी, विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद 9/11 की घटनाओं के बाद आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के नाम पर दुराक्रमणकारी युद्धों का सिलसिला जारी रखते हुए दुनिया भर में जनता पर हमले कर रहा है। इस स्थिति ने जनता को विभिन्न रूपों में विरोध संघर्ष छेड़ने पर बाध्य किया। इराकी और अफगान जनता अमेरिकी साम्राज्यवाद की अगुवाई में जारी साम्राज्यवादी दुराक्रमण के खिलाफ बहादुराना लड़ाई लड़ रही है। लगभग गतिरोध में फंसे विश्व बाजार पर, कच्चे मालों के स्त्रोतों पर तथा रणनीतिक इलाकों पर नियन्त्रण के लिए साम्राज्यवादी ताकतों के बीच जारी कुत्ता-घसीटी ने उनके आपसी अन्तरविरोध को और ज्यादा तीखा बनाया। एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के विशाल इलाके विश्व क्रान्ति के तूफानी केन्द्र बने हुए हैं। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी दुराक्रमण के खिलाफ छापामार युद्ध तेज हो रहा है। भारत, नेपाल, फिलिप्पींस, पेरू, तुर्की, आदि देशों में माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में जनयुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। साम्राज्यवादी देशों में भूमण्डलीकरण की नीतियों के खिलाफ मजदूर जुझारू ढंग से लड़ रहे हैं। कई पूंजीवादी देशों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद पर आधारित सच्ची क्रान्तिकारी पार्टियां विकसित हो रही हैं।

विश्व समाजवादी क्रान्ति में दो धाराएं – पूंजीवादी देशों में सर्वहारा क्रान्तियों और उत्पीड़ित देशों में नई जनवादी क्रान्तियों को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुगत हालात बेहद शानदार हैं, ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव बताता है। लेकिन आत्मगत शक्ति और माओवादी ताकतों की संगठित शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि इस कार्यभार को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। इस कमजोरी के चलते, दुनिया भर में, लड़ाकू जनता का एक व्यापक हिस्सा अन्धराष्ट्रवादी, संशोधनवादी, सोशल डेमोक्रट और गैर-सरकारी संगठनों के प्रभाव/नेतृत्व में है। मजदूर, किसान, आदि उत्पीड़ित जनता को इनके प्रभाव से बाहर लाकर अपने नेतृत्व में संगठित करना माओवादी पार्टियों के फौरी कार्यभारों में से एक है। इसके अलावा, असली माओवादी ताकतों की एकता भी एक फौरी कार्यभार बना रहेगा।

देश की परिस्थिति पर नजर डालें, तो दुनिया भर में जारी साम्राज्यवादी हमला भारत में भी साफ तौर पर नजर आता है। आज, खास तौर पर 1990 के बाद, उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण (एलपीजी) के बैनर तले मुद्रा पूंजी द्वारा छेड़े गए बड़े हमले की पृष्ठभूमि में शासक वर्ग पूरी तरह बेशर्म होकर साम्राज्यवादियों के आदेशों के सामने घुटने टेक कर चल रहे हैं। पीवी नरसिंहराव-मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में शुरू हुई इस प्रक्रिया ने दिल्ली में

भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के बाद तेजी पकड़ ली। विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादी भारत के तमाम राजनीतिक मामलों में पहले से ज्यादा दखल देने लगे। 11 सितम्बर की घटनाओं के बाद यह प्रक्रिया और भी तेज हुई क्योंकि इन घटनाओं ने दुनिया के हालात को एक नया मोड़ दिया। इसीलिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने भारत को एशिया में अपना नया "रणनीतिक स्तम्भ" घोषित किया। हाल ही में सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस सरकार सुधारों के कार्यक्रम को "मानवीय चेहरे" के साथ लागू करते हुए जनता को धोखे में रखने की कोशिश कर रही है। इस परिणामक्रम ने सामन्तवाद और विशाल भारतीय जनता के बीच के अन्तरविरोध समेत, जो कि प्रधान अन्तरविरोध है, सभी प्रमुख अन्तरविरोधों को और ज्यादा तीखा बनाया।

साम्राज्यवादियों के आदेशों के सामने झुककर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अमल की जा रही एलपीजी नीतियों के चलते भारत की जनता की जीवन स्थिति बदतर हो चुकी है। कारखानों की तालाबन्दी, छंटनी, वेतनों पर रोक, सामाजिक सुविधाओं में कटौती, मजदूरों को काम से हटाकर ठेके पर देना, अस्थाई (कैजुअल) मजदूरों की नियुक्ति, न्यूनतम मजदूर यूनियन अधिकारों का हनन इत्यादि कई हमलों का शिकार हो रहा है मजदूर वर्ग। अत्यधिक किसान आज भी सामन्ती शोषण के जूए तले दब रहे हैं। उन्हें दूभर हालात में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। बीज, उर्वरक, खेती के यंत्र, इत्यादि के लिए कृषि क्षेत्र को पूरी तरह साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्गों के रहमोकरम पर ही निर्भर करना पड़ रहा है। एक तरफ कृषि के कारकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है और दूसरी तरफ किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को नाम मात्र की कीमतें मिल रही हैं, जिससे तमाम गरीब किसानों और मध्यम किसानों के एक बड़े हिस्से को अपनी जमीनें जमींदारों के हवाले करनी पड़ रही हैं। शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण के चलते समाज के गरीब तबके शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। देशीय, छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योग बड़ी संख्या में बन्द पड़ रहे हैं। दलितों पर जातिवादी ताकतों के हमले दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। हाल के सालों में मुख्य रूप से साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति के नतीजतन यौन प्रताड़नाएं और अन्य किस्म के अत्याचार बढ़ गए हैं। भारतीय शासक वर्गों और उनके साम्राज्यवादी आकाओं के हितों के मुताबिक हिन्दू फासीवादी ताकतें धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों पर साम्प्रदायिकतावादी कत्लेआम मचा रही हैं। राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को कुचलने के लिए हजारों सशस्त्र बलों को भेजा जा रहा है।

आखिर में, भारत की जनता अपनी वीरतापूर्ण संघर्षों और बलिदानों की परम्परा को जारी रखते हुए लुटेरे शासक वर्गों और साम्राज्यवादी डकैतों द्वारा अमल जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जुझारू रूप से लड़ रही है। जन आन्दोलन, विशेषकर माओवादी ताकतों के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध आन्ध्र, झारखण्ड, बिहार, दण्डकारण्य और उनसे सटे हुए अन्य इलाकों में प्रगति पर है। भारत की दो माओवादी पार्टियां एमसीसीआई और भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] का विलय भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में एक बड़ी छलांग है। दक्षिण एशिया में और अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेके हुए शासक वर्गों द्वारा जारी चौतरफा हमले का मुकाबला करते हुए, आधार इलाकों की स्थापना करते हुए, पीएलजीए को पीएलए में तब्दील करने की दिशा में क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ रहा है। इस सिलसिले में, नई जनवादी क्रान्ति, समाजवाद और साम्यवाद के मकसद के लिए हजारों शहीदों ने अपनी अनमोल जानें कुरबान कीं।

संविधान : एकीकृत पार्टी ने जनवादी केन्द्रीयता के बोल्शेविक उसूलों पर दृढ़तापूर्वक निर्भर करते हुए एक नया संविधान बनाया है। इसके अनुसार पार्टी का मुख्य भाग पेशेवर क्रान्तिकारी होंगे। अंशकालिक कार्यकर्ताओं से युक्त इसका एक व्यापक ढांचा जनता में पार्टी की जड़ों को मजबूती देने में मदद करेगा। नव जनवादी क्रान्ति के चरण के दौरान पार्टी गोपनीय रहेगी। पार्टी सदस्य समाज के बेहतर व्यक्ति होंगे जो नियमबद्धता, निस्वार्थ, साहस, समर्पण की भावना, विनम्रता, मेहनती स्वभाव आदि गुणों से सम्पन्न होंगे तथा जो भारत की क्रान्ति के लक्ष्य के प्रति और समाजवाद व साम्यवाद एक प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे। सभी पार्टी सदस्य जनता के हितों को अपने खुद के हितों से परे मानते हैं। पार्टी खुद को और अपने सदस्यों को हमेशा आत्मालोचनात्मक नजरिए से परखती रहेगी तथा पार्टी में अनिवार्य रूप से घुसपैठ कर उसे नष्ट करने वाले गैर-सर्वहारा रुझानों को सुधारती रहेगी। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद पार्टी की विचारधारात्मक बुनियाद के तौर पर रहेगा। पार्टी जन सेना और संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व करेगी जो कि भारत की क्रान्ति के लिए जरूरी दो अहम हथियार हैं। पार्टी अंतर्राष्ट्रीयतावादी उसूलों पर

विलय के उद्घोषणा-समारोह में पीएलजीए के लाल योद्धा

मजबूती से खड़ी रहेगी। वह दुनिया की तमाम माओवादी ताकतों के साथ बराबर दर्जे के रिश्ते कायम करना चाहेगी। पार्टी का लक्ष्य है साम्यवाद। भारत की नई जनवादी क्रान्ति का समाजवाद में रूपान्तरण उस दिशा में पहला चरण होगा।

यह दस्तावेज आगे बताता है : "इस पूरे सिलसिले में पार्टी में स्थित तमाम साथियों को अपने दिलों में नदी के बहाव के उलटे तैर सकने की क्रान्तिकारी स्फूर्ति अवश्य भर लेनी चाहिए। संशोधनवाद की बजाए मार्क्सवाद को लागू करना, फूटों की बजाए एकता के लिए काम करना, साजिशों और षड़यंत्रों की बजाए सीधा और ईमानदार होना – इन उसूलों से मजबूती से टिके रहना चाहिए। दुश्मन के साथ हमारे अन्तरविरोधों तथा जनता के बीच के अन्तरविरोधों में फर्क को सही ढंग से समझकर उन्हें सही ढंग से हल करने की हुनरमन्दी सभी साथियों को सीखनी चाहिए। उन्हें वामपंथी और दक्षिणपंथी अवसरवादों तथा गैर-सर्वहारा रुझानों के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्हें सिद्धान्त को व्यवहार के साथ जोड़ने, जन समुदायों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करने तथा आलोचना-आत्मालोचना को लागू करने की कार्य-शैली जरूर विकसित कर लेनी चाहिए।"

संविधान पार्टी के "उद्देश्यों और लक्ष्यों" के बारे में चर्चा करता है। सदस्यता की योग्यताएं, पार्टी सदस्यों के अधिकार और जिम्मेदारियां, पार्टी के संगठनात्मक नियम, पार्टी अनुशासन, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, पार्टी कांग्रेस, केन्द्रीय कमेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां, पार्टी में अन्दरूनी बहस-मुबाहिसा का तरीका, पार्टी के कोष का विषय – इत्यादि सभी बिन्दुओं पर संविधान में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

एकता कम्यून

किसी एक छापामार इलाके में निर्मित कम्यून में लगभग डेढ़ महीने तक गहन बहस-मुबाहिसा चलता रहा। कॉमरेड्स सीएम-केसी भवन में दोनों केन्द्रीय कमेटियों की साझा बैठक और उसके बाद एकीकृत केन्द्रीय कमेटी की बैठक सम्पन्न हुईं। घने जंगल में बनाए गए इस विशाल भवन में मंच पर मार्क्सवाद के महान शिक्षक मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन और माओ की तस्वीरें और उनके नीचे कॉमरेड सीएम व कॉमरेड केसी की तस्वीरें लगाई गईं। बगल की दीवारों पर दोनों पार्टियों के कुछ महत्वपूर्ण शहीद नेताओं की तस्वीरें रखी गईं।

दोनों प्रतिनिधिमण्डलों के पहुंचने के बाद आयोजित उद्घाटन सभा में पार्टी का झण्डा फहराकर शहीद स्तम्भ पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं। इस सभा को दोनों पार्टियों के महासचिवों – एमसीसीआई के महासचिव कॉमरेड किशनजी और भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] के महासचिव कॉमरेड गणपति समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। भाषणों के बीच में कविता पाठ के साथ-साथ केन्द्रीय कमेटी सदस्यों ने कुछ गीत भी पेश किए। आखिर में स्थानीय सांस्कृतिक दस्ते ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस दस्ते ने लाल झण्डा, माओवाद और जन सेना को लेकर गीतों के साथ-साथ नृत्य प्रदर्शन भी दिया।

फिर 21 सितम्बर 2004 को, दोनों पार्टियों के विलय की घोषणा के तुरन्त बाद आयोजित एक और सभा में एकीकृत केन्द्रीय कमेटी के कुछ नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए।

एकीकृत पार्टी के नव निर्वाचित महासचिव कॉमरेड गणपति ने अपने भाषण में कहा कि दुर्भर शोषण और उत्पीड़न का शिकार 90 प्रतिशत जनता को एकजुट करने के प्रयास में यह विलय महज पहला कदम है। बाद में उन्होंने नई पार्टी के पांच दस्तावेजों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनके सारांश को देश भर में व्यापक और गहन रूप से प्रचार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हालांकि उच्च स्तर पर दोनों पार्टियों की एकता पूरी हो चुकी है लेकिन निचले स्तरों पर समूची पार्टी को एकजुट करना, पीएलजीए और पीजीए को एक एकीकृत जन सेना में बदलना तथा देश भर में जन संगठनों को एकजुट करना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। उन्होंने याद दिलाई कि इत्तेफाक से ही सही आज ही के दिन हैदराबाद में नक्सलवादी आन्दोलन को कुचलने के लिए सर्वोच्च स्तर की बैठक चल रही है। केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में नौ राज्यों के मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने समूची पार्टी का आह्वान किया कि वह दुश्मन के प्रति सतर्क रहे, आधार इलाकों के निर्माण के लिए हथियारबन्द लड़ाई तेज करे और विशाल जन समुदायों को एक भारी संयुक्त मोर्चा में एकजुट करे।

उसके बाद वरिष्ठ नेता और पहले के एमसीसीआई के महासचिव कॉमरेड किशनजी ने संक्षिप्त भाषण देते हुए कहा कि आज सिर्फ दो पार्टियां ही नहीं, बल्कि दो सेनाएं भी एकजुट हो गई हैं। एकीकृत सेना को अब से पीएलजीए कहा जाएगा। उन्होंने वहां मौजूद साथियों का आह्वान किया कि हर जगह पार्टी और पीएलजीए का निर्माण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक एक विशाल आधार इलाके का निर्माण किया जाए। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि नई केन्द्रीय कमेटी द्वारा रखे गए कार्यभारों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं।

नई केन्द्रीय कमेटी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड ब्रजेश द्वारा संचालित यह सभा सांस्कृतिक टोली द्वारा पेश किए गए प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ समाप्त हुई। औसतन 15 साल की उम्र के किशोर क्रान्तिकारियों से युक्त उस टोली का नेतृत्व एक युवा महिला कॉमरेड कर रही थीं। लाल झण्डा, माओवाद, इत्यादि राजनीतिक विषयों को लेकर कई गीत पेश किए और खासकर दोनों पार्टियों की एकता पर बनाए गए नए गीत से उन्होंने श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर दिया। करीने से अभ्यास करके प्रदर्शित उनके नृत्यों में पेशेवर हुनरमंदी और क्रान्तिकारी जोश साफ देखे जा सकते थे। एक घण्टे तक चले आदिवासी सामूहिक नृत्य-गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। एक राजनीतिक विषय पर चले इस सामूहिक नाच-गाने में सभी लोगों ने भाग लिया। काफी जोशोखरोश के साथ चले इस कार्यक्रम के दौरान लगभग छह भाषाओं में लिखी गई कविताएं सुनाई गईं। केन्द्रीय कमटी सदस्य, पीएलजीए सदस्य, कम्प्यूटर कर्मी – सभी ने कविताएं लिखीं। इलेक्ट्रिक टीम के प्रभारी रहे कॉमरेड ने अंग्रेजी में एक कविता लिखकर सुनाई। ये सभी ऐतिहासिक एकता के सिलसिले में ही रची गई थीं। वह एक दुर्लभ मौका था जिसे भुलाए भूला नहीं जा सकता।

दूर-दराज के जंगल में निर्मित वह कम्यून लगभग 150 कॉमरेडों के लिए सभी सुविधाओं से निर्मित एक छोटा-सा कस्बा लगता था। छापामार योद्धाओं ने 15 दिनों तक पसीना बहाकर 60 गुना 20 फुट के मुख्य हाल को इतनी बारीकी से बनाया गया जितनी कि शहरों में भवनों के निर्माण में लगती है। भवन के भीतर चारों ओर लाल कपड़े से सजाया गया। इसके अलावा कम्यून में आवासीय हाल,

शौचालय, रसोई, भोजनशाला, कम्प्यूटर हाल और टीवी हाल का भी निर्माण किया गया। पूरी बस्ती में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई। दस्तों में ही प्रशिक्षित एक युवा महिला डाक्टर नियमित रूप से हर शाम हरेक टेन्ट में जाकर मरीजों की हालचाल पूछा करती थीं। कुछ मौकों पर मिठाइयां और अन्य किस्म की खाने की चीजें बांटी गईं।

समूचे कम्यून में व्याप्त ईमानदारी, अनुशासन और अपनापन एक नए समाज के नमूने को प्रस्तुत कर रहे थे जो कि अस्तित्व में आने को है। सभी लोग क्रान्तिकारी समर्पण की भावना के साथ अपने-अपने कामों में लग जाते थे। सभी लोग हर पल दूसरे लोगों की मदद के लिए उत्सुकता दिखाते हुए चेहरे पर अमिट मुस्कान लेकर काम करते थे। खास तौर पर उस कम्यून में मौजूद किशोरों ने सभी को मुग्ध कर दिया। बड़े स्नेहपूर्वक और हमेशा हर्षोल्लास के साथ रहने वाले उन बच्चों में आत्मविश्वास साफ झलकता था। वे हमेशा गाते-गुनगुनाते हुए ही अपने कामों को समय पर पूरा किया करते थे। वहां अहम् नाम की चीज ही नहीं थी। सांस्कृतिक कार्यकर्ता, डॉक्टर और उनके सहायक खाने के समय में सभी को परोसा करते थे। सभी श्रम का सम्मान करते थे। डॉक्टर ने मरीजों का अच्छा खयाल रखा। उन्हें देखकर मन में एकाएक चीनी क्रान्ति के नंगे पैरों वाले डॉक्टर याद आते थे जिनका आदर्श था "जनता की सेवा करो।' दसअसल सारा कम्यून ही इस आदर्श पर काम करता था।

एमसीसीआई के कम्यून में भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] के कॉमरेड कई जत्थों में जब आते थे तो पूरा कैम्प सावधान खड़े होकर हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया था। उसके बाद सांस्कृतिक टोली एक विशेष गीत पेश कर नृत्य प्रदर्शन दिया। बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। एक जीवन्त समारोह के साथ एकता बैठक समाप्त हुई। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय गान के साथ लाल झण्डा उतारा गया। समापन समारोह में महासचिव के साथ-साथ एक अन्य कमरेड ने अक्टूबर क्रान्ति पर बात रखी, जबकि बाकी सभी भाषण वहां के आम कैडरों ने ही दिए थे जो एक उल्लेखनीय बात है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले सम्पन्न हुए विलय पर अपनी भावनाओं का इजहार किया। विशेष एरिया कमेटी सदस्यों एवं रीजिनल कमेटी सदस्यों समेत पीएलजीए के कमाण्डरों, सांस्कृतिक कर्मियों, कम्प्यूटर कर्मियों, महिला कॉमरेडों और आखिर में बाल सेना के प्रमुख ने भी भाषण दिया। उन्होंने बातों के साथ-साथ अपनी कविताएं भी पेश कीं। यहां हासिल एकता को मजबूत बनाने और भारत में जनयुद्ध को नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर सभी लोग दुगुने उत्साह के साथ कम्यून से अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के लिए निकल पड़े।

एकता कॅम्यून में शहीद स्मारक

तय किए गए मुख्य कार्यभार

केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) ने तय किया कि **देश भर में जनयुद्ध को तेज करते हुए और विकसित करते हुए नई जनवादी क्रान्ति को आगे बढ़ाना ही हमारा बुनियादी, प्रधान और फौरी कार्यभार है।** सशस्त्र कृषि क्रान्ति को आगे बढ़ाते हुए जन मुक्ति सेना और आधार इलाकों के निर्माण को उसने अपना बुनियादी और प्रधान कार्यभार बताया। सभी क्रियाकलापों का दिशा-निर्देशन इस केन्द्रीय कार्यभार पर अमल की दिशा में ही होना चाहिए। पार्टी और पीएलजीए का सफाया करने की मंशा से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे तमाम हमलों का जनयुद्ध को जारी रखते हुए पलटकर जवाब देना चाहिए। आधार इलाके के लक्ष्य से पार्टी, पीएलजीए और संयुक्त मोर्चा को मजबूत बनाना चाहिए। छापामार युद्ध को तेज करना चाहिए।

पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी गैर-सर्वहारा रुझानों के खिलाफ लड़ते हुए उसका ज्यादा बोल्शेविकीकरण करना चाहिए। नई पार्टी के बाहर रह गए तमाम असली माओवादियों को पार्टी में एकजुट करना चाहिए।

पीएलजीए को मजबूत करने के लिए व्यापक बुनियाद पर जन मिलिशिया का निर्माण करना चाहिए। सुव्यवस्थित कमान और नियन्त्रण के तहत पलटनों और कम्पनियों को उन्नत फार्मेशनों में विकसित करना चाहिए।

पार्टी को देश के लगभग 90 करोड़ विशाल जन समुदायों को साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्गों के खिलाफ गोलबन्द करना चाहिए ताकि संयुक्त मोर्चा को मजबूत किया जा सके। इस रणनीतिक संयुक्त मोर्चा के साथ-साथ कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चों का गठन भी करना चाहिए ताकि प्रमुख राजनीतिक कार्यनीतिक नारों के तहत जनता को गोलबन्द किया जा सके। ये नारे इस प्रकार हैं – **जनयुद्ध को तेज करो, आगे बढ़ाओ! जनता की राजसत्ता कायम करो! साम्राज्यवादी युद्धोन्माद के खिलाफ तथा साम्राज्यवादियों द्वारा शासित उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों के खिलाफ व्यापक जन आन्दोलन खड़ा करो! हिन्दू फासीवादियों, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, के अलावा सभी धार्मिक कट्टरतावादी ताकतों का पर्दाफाश करो, उन्हें अलग-थलग करो और हरा दो! बढ़ते राजकीय दमन का मुकाबला करो, उसे मात दो! काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करो! साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त भारतीय शासक वर्गों के विस्तारवादी मंसूबों का विरोध करो!**

आखिर में, केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यभारों के तहत, भारत की क्रान्ति को विश्व क्रान्ति का हिस्सा मानते हुए यह फैसला लिया कि दुनिया भर में, खास तौर पर दक्षिण एशिया में मौजूद सभी असली माओवादी ताकतों के साथ ज्यादा घनिष्ठता से एकजुट हुआ जाए। ★

दोनों पार्टियों का विलय और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना के अवसर पर ...

पूर्व भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] और पूर्व एमसीसीआई के महासचिव

कॉमरेड्स गणपति और किशन के साथ संयुक्त भेंटवार्ता

[दोनों पार्टियों का विलय और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उदय की ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए "पीपुल्स मार्च' पत्रिका ने पहले की इन दोनों पार्टियों के महासचिवों, जो इस प्रक्रिया के अहम सूत्रधार रहे, के साथ भेंटवार्ता की। स्थानीय समस्याओं से लेकर विगत में बिहार-झारखण्ड में हुई झड़पों, देश की समस्याओं, दुनिया के मामलों, आदि पर उनकी राय ली गई। इन दोनों कॉमरेडों ने उन तमाम बातों पर रोशनी डाली जो कि विलय के सिलसिले से जुड़ी हों। इस भेंटवार्ता में "पीपुल्स मार्च' ने इन दोनों नेताओं से भारत की क्रान्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर भी रोशनी डालने का आग्रह किया। खास तौर पर दुनिया और भारत में फिलहाल मौजूद परिस्थिति पर, मार्क्सवाद और सुधारवाद पर, माओवादी विचारधारा पर, गैर-सर्वहारा रुझानों पर, समाजवाद के भविष्य पर, विशेषकर सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की बहाली के बाद साम्यवाद को गहरा धक्का लगने की पृष्ठभूमि में समाजवाद के भविष्य पर इस भेंटवार्ता में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

– सम्पादकमण्डल]

7 नवम्बर 2004

पीपुल्स मार्च – एकता की खबर मिलते ही सहज ही क्रान्तिकारी शिवर में तथा उत्पीड़ित जन समुदायों में खुशी की लहर फैल गई। पर इसके लिए इतना लम्बा वक्त क्यों लगा? आपकी पार्टियों को अस्तित्व में आए 35 साल बीत चुके हैं। एकता प्रक्रिया को पूरा करने में दो दशकों से ज्यादा समय क्यों लगा?

गणपति – यह आपने सही कहा है कि समूचा क्रान्तिकारी शिविर और भारत की तमाम उत्पीड़ित जनता काफी खुश हैं। भारत के क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में एकीकृत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन एक नया मील का पत्थर है। देश की तमाम क्रान्तिकारी उत्पीड़ित जनता, हमारी समूची कतारें तथा दक्षिण एशिया व दुनिया की तमाम माओवादी ताकतें लम्बे समय से इस इन्तजार में थीं कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद पर आधारित एक एकीकृत माओवादी पार्टी हो। वे उसे तहेदिल चाह रही थीं। अब यह बहुप्रतीक्षित सपना साकार हो चुका है।

भारत में क्रान्ति विश्व क्रान्ति के तहत आगे बढ़ रही है। इसका लक्ष्य है दीर्घकालीन जनयुद्ध का रास्ता अपनाकर, फिलहाल मौजूद अर्ध औपनिवेशक और अर्ध सामन्ती व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नई जनवादी समाज की स्थापना करना। हमारी पार्टी मजदूर, किसान और निम्न पूंजीपति जो कि बुनियादी जन समुदाय हैं, के संघर्षों का नेतृत्व करने के साथ-साथ राष्ट्रीय पूंजीपतियों के हितों का भी समर्थन करती आ रही है जो दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग से अन्तरविरोध रखते हैं। इसके अलावा सभी किस्मों के सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, महिलाओं, दलितों, उत्पीड़ित जातियों, अल्पसंख्यकों, आदि के अधिकारों के लिए तथा उनकी मुक्ति के लिए लड़ रही है। इस प्रकार हमने उत्पीड़ित जन समुदायों का विश्वास जीत लिया। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके हर दुख-दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं तथा सभी किस्मों के उत्पीड़न और शोषण से उन्हें पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए हमारी पार्टी दृढ़ता से खड़ी है। वे सब इस विलय की खबर सुनकर सहज ही ज्यादा खुश होंगे। इस विलय से हमारी पार्टी की लड़ाकू क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी। इसकी वार करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे जनता को काफी फायदा होगा। इस लम्बे अन्तराल में अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन को भी कई फूटें और नाकामयाबियां झेलनी पड़ीं। भारत में माओवादी आन्दोलन ने थोड़ी प्रगति की। परन्तु इस महान लक्ष्य के लिए इस आन्दोलन को कई अनमोल कार्यकर्ता खोने पड़े। इसलिए, समूचा क्रान्तिकारी शिविर और समूची जनता सहज ही हमारी इस एकता का स्वागत कर रही है और इस पर बेहद खुशी का इजहार कर रही है।

अब इस सवाल का जवाब दूंगा कि इन दोनों धाराओं के विलय में इतना लम्बा वक्त क्यों लगा। हां, दोनों पार्टियों का पिछले 35 सालों से अस्तित्व में रहना और पिछले दो दशकों से एकता वार्ता का चलता रहना काफी ज्यादा समय ही है। लेकिन हमें बुनियादी तौर पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तथा उन हालात पर जिनमें इन दोनों पार्टियों का जन्म और विकास हुआ है, नजर डालनी चाहिए ताकि इसे ठीक ढंग से समझा जा सके।

नक्सलबाड़ी विद्रोह के समय तत्काल ही पार्टी का गठन करने की आवश्यकता के मामले में दोनों नेतृत्व के बीच मतभेद उभरे थे। उन मतभेदों का हल नहीं हो पाया था। इसलिए भाकपा (मा-ले) और एमसीसी क्रमशः 22 अप्रैल 1969 और 20 अक्टूबर 1969 को अलग-अलग अस्तित्व में आ गए। उसके बाद, कॉमरेड चारू मजुमदार की शहादत और आन्दोलन के पीछे कदम के बाद भाकपा (मा-ले) में अस्तव्यस्तता की स्थिति पैदा हुई। पार्टी कई गुटों में बंट गई। पार्टी में अत्यधिक लोगों का विश्वास प्राप्त नेतृत्व के अभाव से शून्य सी स्थिति निर्मित हो गई। इसके अलावा, 1976 में कॉमरेड माओ की शहादत के बाद चीन में पूंजीवादी पंथी और प्रति-क्रान्तिकारी गद्दार हुआ-डेंग गिरोह ने सत्ता पर कब्जा किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) संशोधनवादी बन गई। इस तरह दुनिया अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा नेतृत्व और क्रान्तिकारी आधार इलाके से वंचित हो गई। इसने दुनिया भर में माओवादी आन्दोलनों पर नकारात्मक असर डाला। अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में दक्षिणपंथी और संशोधनवादी रुझान फैल गए। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व और क्रान्तिकारी आधार इलाके के अभाव से भारत में क्रान्तिकारियों की एकता की समस्याएं जटिल हो गईं।

1980 तक भाकपा (मा-ले) धारा की भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

और भाकपा (मा-ले) [पार्टी यूनिटी] के साथ-साथ एमसीसी किसान आन्दोलन का निर्माण कर मजबूत हो गए। एमसीसी के साथ भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] और भाकपा (मा-ले) [पार्टी यूनिटी] के शुरू से ही अच्छे सम्बन्ध रहे। पीपुल्सवार और एमसीसी ने 1981 में हुई अपनी पहली बैठक से ही एकता वार्ता शुरू की। लेकिन नेतृत्व की निरन्तरता के अभाव से इस प्रक्रिया में काफी देरी हुई। पीपुल्सवार के नेता कॉमरेड कोण्डपल्ली सीतारामैया (केएस) की गिरफ्तारी और उसके बाद पीपुल्सवार में पैदा हुए अन्दरूनी संकट के चलते केन्द्रीय कमेटी में फूट पड़ने से एकता की प्रक्रिया में कई सालों की देरी हुई। 1980 के दशक की शुरूआत में एमसीसी के अग्रिम पंक्ति के नेता कॉमरेड्स अमूल्य सेन (एएस) और कनाई चटर्जी (केसी) की शहादत हुई जिसका नकारात्मक प्रभाव भी इस प्रक्रिया पर पड़ा था। नतीजतन एकता की प्रक्रिया और भी पीछे चली गई। हालांकि अधिकतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पार्टियों में बुनियादी तौर पर एकता थी परन्तु कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखे राजनीतिक मतभेद भी हुआ करते थे। इसके अलावा नेतृत्व में परिपक्वता की कमी के चलते भी एकता साकार नहीं हो पाई। इसके बावजूद भी, इस लम्बे अन्तराल में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विकास और विस्तार हुआ। जन छापामार सेना/जन मुक्ति छापामार सेना (पीजीए/पीएलजीए) का उदय हुआ। आधार इलाकों के निर्माण के लक्ष्य से छापामार इलाके उभर कर आए। अब दोनों ही नेतृत्वों को ज्यादा अनुभव हासिल हुआ। समस्याओं और मतभेदों को हल करने में तथा अपनी गलतियों को पहचानने में काफी परिपक्वता आई। इस तरह, एकता हासिल करने में हुई देरी का वस्तुगत और आत्मगत कारणों का विश्लेषण करते हुए हम इस अनुभव से सबक सीख लेते हैं। अब हासिल कर ली गई इस एकता को भविष्य में मजबूत किया जा सके, इसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। इन सबकों को ध्यान में रखते हुए हम उन क्रान्तिकारी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे जो अभी भी भाकपा (माओवादी) के बाहर रह गई हैं।

पीपुल्स मार्च – भारत में मा-ले आन्दोलन का फूटों का एक लम्बा इतिहास रहा है। इसकी क्या गारन्टी है कि इस एकता के बाद फूट नहीं पड़ेगी? क्या आप जनता को आश्वस्त कर सकेंगे?

गणपति – हां। अतीत में मा-ले आन्दोलन में कई फूटें पड़ी थीं। लेकिन यह सिक्के का एक ही पहलू है। बड़ी बात यह है कि क्रान्तिकारियों को एकजुट करने के प्रयास भी निरन्तरता से जारी रहे हैं। भाकपा (मा-ले) [पार्टी यूनिटी] की जड़ें तो बंगाल में थीं पर वह कई क्रान्तिकारी ग्रुपों से एकजुटता कायम करते हुए मजबूत हुई और उसका फैलाव भी हुआ। भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] की जड़ें तो आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु में थीं पर उसने उस हर राज्य में क्रान्तिकारियों के साथ एकता कायम की जहां वह काम कर रही है। एमसीसी का भी जन्म बंगाल में हुआ, पर कई राज्यों के क्रान्तिकारी ग्रुपों से एकता कायम करते हुए वह एमसीसीआई के रूप में उभरा।

अतीत को तीन चरणों में बांटा जा सकता है। 1972 में पीछे कदम के बाद मुख्य रुझान फूटों का रहा। 1980 का दशक वह दौर था जिसमें क्रान्तिकारी पार्टियों और क्रान्तिकारी आन्दोलन को मजबूत बनाना, वामपंथी और दक्षिणपंथी अवसरवादी पार्टियों का पतन तथा एकता की दिशा में कोशिशें तेज करना मुख्य रूझान था। 1990 के दशक में जनयुद्ध का विकास तथा असली क्रान्तिकारी पार्टियों और ताकतों की एकता ही मुख्य रुझान रहा। इन कोशिशों की बदौलत ही आखिरकार इस साल एकीकृत भाकपा (माओवादी) का गठन हो चुका है।

पहले दोनों पार्टियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के बीच गहरी चर्चाएं हुईं जिसके बाद दोनों पार्टियों की केन्द्रीय कमेटियों की साझा बैठक द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के बाद एकीकृत पार्टी का गठन किया गया है। गहराई से, निर्माणात्मक रूप से और बराबर के दर्जे पर हुई चर्चाओं के जरिए पांच अलग-अलग दस्तावेजों को तैयार कर उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया। वे दस्तावेज ये हैं : 1) मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल परचम को ऊंचा उठाए रखो, 2) पार्टी कार्यक्रम, 3) भारत की क्रान्ति की रणनीति-कार्यनीति, 4) अन्तर्राष्ट्रीय-देशीय परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव और 5) पार्टी संविधान।

इन दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने के अलावा हमने फैसला किया कि हमारी दोनों पार्टियों के प्यारे नेता और शिक्षक शहीद कॉमरेड सीएम और कॉमरेड केसी को एकीकृत पार्टी के संस्थापक नेता के रूप में मान्यता दी जाए और ऊंचा उठाया जाए। हमने फैसला किया कि 1960 के उथल-पुथल भरे दशक में ही, विशेषकर महान नक्सलबाड़ी विद्रोह से ही जन्मी ये दोनों पार्टियां भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के लम्बे इतिहास के क्रान्तिकारी अंश के सच्चे वारिस हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत की क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध ये दोनों पार्टियां पिछले 35 सालों से क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की दो अलग-अलग धाराएं बन कर रही थीं। साझा रूप से उठाए गए इन कदमों ने लाइन से सम्बन्धित लगभग सभी विचारधारात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर हमारी एकीकृत समझदारी स्पष्ट की है। इन दोनों पार्टियों द्वारा हासिल इस एकता के लिए उसूली आधार इनके द्वारा बनाई गई लाइन ने ही प्रदान किया। इस एकता के आधार पर ही संयुक्त केन्द्रीय कमेटी बैठक ने आखिर में यह प्रस्ताव किया कि दोनों पार्टियों का एक एकीकृत पार्टी में विलय हो जाना चाहिए।

अगर हम इतिहास में झांकते हैं, तो यह बात सच है कि पार्टी में उस समय तीखी और चिन्ताजनक फूटें पड़ी थीं और खास तौर पर 1972 में पीछे कदम के बाद वह एक चिन्ताजनक लक्षण के रूप में भी रहा था। लेकिन 1980 में भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] और भाकपा (मा-ले) [पार्टी यूनिटी] के गठन के बाद इन पार्टियों में दो फाड़ हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। दक्षिणपंथी अवसरवादी और वामपंथी दुस्साहसिकवादी पार्टियों में आई फूटों और पतन से यह साफ तौर पर भिन्न है। एमसीसी में भी कोई बड़ी फूट कभी नहीं पड़ी। चूंकि इस एकता की बुनियाद उसूली है और गहन विचार-विमर्श के बाद ही इसे हमने हासिल किया, इसलिए इसकी नींव मजबूत है।

पार्टी के भीतर मतभेद होते हैं। साथ ही, समाज में जारी वर्ग संघर्ष को प्रतिबिम्बित करते हुए पार्टी में गैर-सर्वहारा रुझान पनपते हैं। पार्टी के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता है। सभी अन्दरूनी मतभेदों को हम मा-ले-मा की बुनियाद पर हल कर लेंगे। आत्मालोचना-आलोचना के मार्क्सवादी तरीके के जरिए तथा पार्टी के भीतर संघर्षों और भूल-सुधार आन्दोलनों के जरिए गैर-सर्वहारा रुझानों को जड़ों से उखाड़ फेंक देना सम्भव हो सकेगा। यह न सिर्फ

पार्टी की मजबूत एकता की गारन्टी देगा बल्कि किसी भी किस्म की फूट पड़ने से बचाएगा। अतीत में भी हमने बुनियादी तौर पर यही तरीका अपनाकर तमाम प्रमुख अन्दरूनी समस्याओं को हल कर लिया, इतिहास इसका गवाह है।

पीपुल्स मार्च – क्या राज्य के बढ़ते दमन का मुकाबला करने की जरूरत के आधार पर आप दोनों पार्टियों की एकता कायम हुई है या इसका आधार सिद्धांतों की सच्ची एकता है?

किशन – मेरे विचार से एम.सी.सी.आई.(भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र) और सी.पी.आई.(एम–एल)(पी.डब्लु.) [भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी–लेनिनवादी)(पीपुल्सवार)] के बीच का यह विलय और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का जन्म हर दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाली घटना है। सी.पी.आई.(माओवादी) का जन्म न केवल भारत के क्रांतिकारी संघर्षों यानी, कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध व लोकयुद्ध के विकास को तथा भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में एक नई क्रांतिकारी लहर पैदा करने के काम को सुनिश्चित करेगा, बल्कि अंतर्राष्टीय कम्युनिस्ट आंदोलन में भी एक सकारात्मक व महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

उपरोक्त बातें तभी सही हो सकती हैं, जब यह नवनिर्मित पार्टी एक मजबूत राजनीतिक, विचारधारात्मक व सैद्धांतिक आधार पर अवस्थित हो। इन दोनों पार्टियों के पास विगत 35-40 वर्षों का एक लम्बा राजनीतिक, सैद्धांतिक और क्रांतिकारी संघर्षों के संचालन का व्यावहारिक अनुभव मौजूद है। बावजूद इसके ये दो अलग–अलग धाराओं (यानी, एम–एल धारा व एम.सी.सी. धारा) के रूप में अस्तित्वमान थीं। ऐसी पार्टियां नीति पर आधारित एकता स्थापित करने के बजाए केवल राज्य–आतंक का मुकाबला करने के दृष्टिकोण से विलय कर लेने जैसा ऐतिहासिक फैसला लेंगी, ऐसा सोचना शायद मनोगतवादी हो जाएगा।

अगर आप पिछले चालीस वर्षों के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पायेंगे कि (i) 1969 में कामरेड सी.एम. के नेतृत्व में गठित सी.पी.आई.(एम–एल) में तत्कालीन ''दक्षिण देश'' ग्रुप यानी, एम.सी.सी. शामिल नहीं हुई थी; और (ii) 1969 के बाद आज पैंतीस वर्ष बीत जाने के बावजूद तथा बीच में एकता–वार्ताओं के कई दौर चलने के बावजूद अंत तक पूर्णतः एकता स्थापित नहीं हो पाई थी। सवाल है, आखिर क्यों? निश्चित है कि दोनों के बीच कुछ बुनियादी मतभेद मौजूद थे।

अतः जिन राजनीतिक व व्यावहारिक मतभेदों के कारण विगत पैंतीस वर्षों से दोनों धाराएं राज्य के प्रबल आक्रमण और घेराव–दमन मुहिम का मुकाबला करते हुए अलग–अलग आगे बढ़ती रहीं, वे आज केवल राज्य–आतंक का मुकाबला करने के दृष्टिकोण पर आधारित होकर इतने महत्वपूर्ण विलय का निर्णय ले लेंगी– आप ही सोचकर देखें, ऐसा सोचना कितना सही हो सकता है।

अब मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप जानते होंगे कि 1981 से ही हमारी एम.सी.सी. के संस्थापक नेता कामरेड के.सी. की पहल पर कामरेड के.एस. के नेतृत्वाधीन तत्कालीन सी.पी.आई.(एम–एल) (पी.डब्लु.) से चली आ रही एकता–वार्ता 1995 में विफल हो गई। उसके बाद फिर 2003 की फरवरी से हम एकता–वार्ता की शुरूआत कर सके। उसी बैठक में दोनों पक्षों के बीच विभिन्न बुनियादी राजनीतिक व व्यावहारिक सवालों पर लम्बी बातचीत व वाद–विवादों के दौर से एक भारी विराम–भंग (major breakthrough) करना संभव हुआ। इस सकारात्मक नतीजे के आधार पर एकता–वार्ता को लगातार जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तथा साथ ही कुछेक बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने और उनपर आधारित होकर एकता–प्रक्रिया को पूरा करने का भी निर्णय हुआ। वे दस्तावेज थे– मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के चमकते लाल झण्डे को उंचा उठाये रखें, पार्टी कार्यक्रम, भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति, राजनीतिक प्रस्ताव (अंतर्राष्टीय परिस्थिति व घरेलू परिस्थिति) और पार्टी संविधान।

अगर हमारे इस विलय का मुख्य कारण राज्य–आतंक का मुकाबला करना होता तो दस्तावेजों को तैयार करने का निर्णय नहीं होता बल्कि निर्णय यह होता कि राज्य–आतंक का मुकाबला करने हेतु दोनों के बीच के संबंधों को कैसे और घनिष्ठ बनाया जाए तथा और भी क्या–क्या उपाय किये जाएं।

पर ऐसा नहीं हुआ। पिछले बीस महीनों के दौरान द्विपाक्षिक बातचीत के चार–चार दौर चले और इस क्रम में इन सारे दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया गया। साथ ही संबंधित तमाम बुनियादी मुद्दों पर भी विस्तृत बातचीत के जरिए एक आम सहमति कायम की गई और तभी जाकर विलय का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि बुनियादी राजनीतिक और सांगठनिक बिन्दुओं पर सहमति के आधार पर ही इस ऐतिहासिक विलय की प्रक्रिया को पूरा किया जा सका है और एक मजबूत राजनीतिक, सैद्धांतिक व सांगठनिक लाइन की बुनियाद पर ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ है।

अब आपके सवाल के अंतिम अंश पर आया जाए। आपने पूछा है– क्या इस एकता के विचारधारा पर आधारित एक सच्ची एकता कहा जा सकता है? मेरा जवाब है– कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। वह इसलिए कि विचारधारा पर आधारित सच्ची एकता को निरपेक्ष (absolute) अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। इसे सापेक्षता में देखने की जरूरत है। मतलब यह कि यह एकता बुनियादी रूप से और प्रधानतः सिद्धांत पर आधारित सच्ची एकता है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक गौण पहलू भी है यानी, इसे और भी सिद्धांत पर आधारित व सच्ची एकता बनाने के लिए संघर्ष की भी जरूरत है। यहां प्रधान पहलू है एकता और अप्रधान पहलू है संघर्ष। साथ ही द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हमें बताता है कि सिद्धांत पर आधारित सच्ची एकता को हासिल करना एक द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया के जरिए यानी, एकता–संघर्ष–एकता की प्रक्रिया के जरिए ही संभव हो सकता है। ''एक विभाजित होकर दो'' के माओवादी दृष्टिकोण से यदि हम सारे सवालों को देखें तो नकारात्मक पहलुओं को खारिज करते हुए सकारात्मक पहलुओं को मजबूत करते जाने के दौर से ही सिद्धांत पर आधारित सच्ची एकता को हासिल करने की प्रक्रिया को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है।

आपके सवाल के जवाब में अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि एक मजबूत राजनीतिक–सैद्धांतिक आधार पर खड़ा हुए बिना और एक सही मार्क्सवादी सैनिक लाइन के बिना राज्य–आतंक का मुकाबला करना कतई संभव नहीं हो सकता। अतः राजनीतिक व सैद्धांतिक रूप से मजबूत एक पार्टी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।

पीपुल्स मार्च – अबतक आप दोनों पार्टियों के बीच के संबंधों के क्षेत्र में एक बुरा अध्याय गुजरा और इस दौरान एक–दूसरे की हत्याएं

भी हुईं। ऐसे गंभीर मतभेदों को हल करते हुए आप इतनी तेजी से एकता हासिल कर लेने की ओर बढ़ने में कैसे समर्थ हुए?

किशन – सबसे बड़ी बात तो यह भी कि हम दोनों के बीच के आपसी संबंधों के क्षेत्र में जो एक बुरा अध्याय यानी, काला अध्याय बीता, उसकी सही समझ हासिल की जाती। जबतक आपसी संबंधों के इस तनावपूर्ण अध्याय को हम एक काले अध्याय के रूप में महसूस नहीं कर पाये थे, तबतक इस समस्या का हल हो पाना मुमकिन नहीं हो सका था। दूसरा, यह समझ हासिल करना भी जरूरी था कि इस काले अध्याय के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तीसरे, यह भी समझने की जरूरत थी कि हमें खुले दिल व दिमाग से आत्मालोचना करनी है और वह भी करनी है आम कार्यकर्ताओं व क्रातिकारी जनता के समक्ष।

जब हम अपनी गलतियों को खुद ही समझ लेते हैं तो कठिन से कठिन समस्या को भी हल करना मुश्किल नहीं रह जाता। तब इस अनुभूति को हासिल करने या इसके हासिल होने पर सच्ची व वास्तविक आत्मालोचना करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। काले अध्याय से संबंधित उपरोक्त समस्या को हल करने के मामले में भी यही हुआ। आज हम दोनों ने खुले दिल से और सही बिन्दुओं पर आत्मालोचनाएं की हैं तथा कर रहे हैं। हमने क्रांतिकारी कतार व जनता के समक्ष खुली व लिखित आत्मालोचना पेश की है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे।

इस प्रक्रिया के दौर से गुजरते हुए ही हम उक्त काले अध्याय को एक नये व उज्ज्वल अध्याय में बदल डालने में समर्थ हुए हैं। इसी प्रक्रिया के जरिए यानी, सही आत्मालोचना की प्रक्रिया के जरिए ही हम अंततः बुराई को एक अच्छाई में बदल डालने में समर्थ हुए हैं।

जब इस समस्या का सही हल निकाल लिया गया तो एकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ना ही था और वस्तुतः ऐसा ही हुआ भी।

आपने पूछा है– इतनी तेज गति से एकता की ओर आगे बढ़ना कैसे संभव हुआ? मैं समझता हूं, हाल के काले अध्याय को देखते हुए ऐसा प्रश्न उठना बिलकुल स्वभाविक है। पर साथ ही यह भी याद रखना होगा कि पूर्व एम.सी.सी.आई. और पूर्व सी.पी.आई.(एम–एल) (पी.डब्लु.) के बीच के लम्बे बिरादराना संबंधों में अच्छे, मजबूत और भाईचारामूलक संबंधों का पहलू ही प्रधान है जबकि काले अध्याय का पहलू गौण। अगर आप दोनों संगठनों के बीच के पिछले चौबीस वर्षों के दोस्ताना संबंधों पर, राजनीतिक सवालों और संयुक्त कार्यक्रमों पर आयोजित ढेर सारी द्विपाक्षिक बैठकों पर निगाह डालेंगे तो देखेंगे कि आज की इस एकता के पीछे एक लम्बी राजनीतिक बहस का इतिहास रहा है। अतः समग्रता में देखें तो यह अंतिम एकता काफी तेजी से हुई हो बात ऐसी नहीं है। वस्तुतः सही मार्क्सवादी–लेनिनवादी तौर–तरीकों के जरिए और काफी सरगर्म राजनीतिक बहसों के दौर से ही अंतिम एकता की इस प्रक्रिया को सफल बनाया जा सका है।

पीपुल्स मार्च – देश में और भी कुछ क्रान्तिकारी ग्रुप मौजूद हैं। उनके प्रति आपकी एकीकृत पार्टी का रवैया क्या रहेगा?

गणपति – यह सच है कि देश में और भी कुछ क्रान्तिकारी ग्रुप मौजूद हैं। इसके अलावा कई क्रान्तिकारी ताकतें ऐसी हैं जो क्रान्तिकारी शिविर के दक्षिणपंथी अवसरवादी पार्टियों में शामिल हैं। इनके अलावा कई कॉमरेड अलग से भी हैं जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हैं। लेकिन वे सब किसी समय में किसी न किसी मा-ले ग्रुप में शामिल हुआ करते थे। वे भी देश के क्रान्तिकारी शिविर का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारी एकीकृत पार्टी के बाहर मौजूद असली क्रान्तिकारी ग्रुपों, ताकतों और व्यक्तियों से एकता बनाई जाए। इसलिए इनके साथ एकता कायम करना हमारी पार्टी का एक प्रमुख संगठनात्मक कार्यभार होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस कार्यभार को उसूली तौर पर पूरा कर लिया जाए। इसके लिए हम संशोधनवाद के खिलाफ तथा क्रान्तिकारी शिविर में घर कर चुके सुधारवाद, अर्थवाद, संसदवाद, आधुनिकोत्तरवाद, वगैरह गैर-सर्वाहारा रुझानों के खिलाफ गहराई से और सघनतापूर्वक संघर्ष करेंगे। ये गलत रुझान जनता को क्रान्तिकारी रास्ते से गुमराह करते हैं। इसके लिए हम राजनीतिक व विचारधारात्मक मुद्दों तथा दाव-पेंचों पर बहस-मुबाहिसा चलाएंगे।

पीपुल्स मार्च – देश की जनता पर इस एकता का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

किशन – मैं समझता हूं कि यह एकता और सी.पी.आई.(माओवादी) का जन्म भारत के मजदूरों, किसानों व अन्यान्य मेहनतकश जनसमुदाय समेत समूची जनता पर एक अभूतपूर्व सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वस्तुस्थिति यह है कि आज तमाम गांधीवादी, वोटबाज और नकली कम्युनिस्ट पार्टियों का जनप्रेमी मुखौटा काफी हद तक उतर चुका है। जनता लम्बे दिनों से एक ऐसी पार्टी का इंतजार कर रही है जो उसके मुक्ति संघर्ष को सही नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ हो। ऐसी परिस्थिति में क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष तथा कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध के संचालन के अनुभवों से लैस सी.पी.आई.(माओवादी) का अभ्युदय जनता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जनता के बीच इस एकता का एक व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यह नई पार्टी के जन्म से संबंधित पहलुओं में से एक है। बाकी दूसरे पहलुओं के बारे में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस पार्टी की घोषणा से तमाम दुश्मन और संशोधनवादी बेहद बौखला उठेंगे। उपरोक्त दोनों बातों का घटित होना सुनिश्चित है।

पीपुल्स मार्च – अब कुछ अन्य सवाल। पिछले 35 सालों के अपने लम्बे इतिहास में आपकी दोनों पार्टियों ने क्या हासिल किया? भारत की क्रान्ति की राजनीतिक व विचारधारात्मक लाइन को विकसित करने में आपकी दोनों पार्टियों ने क्या भूमिका निभाई?

गणपति – अगर आप हमारे इतिहास में बीते 35 सालों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में और अन्य देशों में उमड़ी कई अस्तव्यवस्तताओं और नाकामयाबियों के बीचोंबीच हमने भारत की क्रान्ति के ठोस हालात में मा-ले-मा को लागू करने में काफी हद तक और बुनियादी तौर पर कामयाबी हासिल की। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।

एक सामूहिक नेतृत्व से समृद्ध इस एकीकृत पार्टी के गठन से विचारधारात्मक और राजनीतिक तौर पर परिपक्व और एक नई किस्म की पार्टी का उदय हुआ है। यह ऐसी पार्टी है जिसने दशकों तक तीखे वर्ग संघर्ष में तथा छापामार युद्ध को आगे बढ़ाने के दौरान धारदार बनकर विकसित हुई है। इस दौरान हमने भारत की क्रान्ति के ठोस हालात में पार्टी की लाइन को भी विकसित किया। इस पर सफलतापूर्वक अमल करते हुए ही हम इतने शक्तिशाली बन चुके हैं

जितने आज हैं। मौजूदा एकता के जरिए हमने भारत की क्रान्तिकारी ताकतों में अधिकतर के बीच एकता हासिल की है। अपने आप में यही एक जबर्दस्त उपलब्धि है। दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में फैली हुई हमारी पार्टी को अब अखिल भारतीय स्वरूप मिल चुका है। आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में हम उल्लेखनीय ताकत के रूप में हैं। हमारी यह एकीकृत पार्टी भारत के क्रान्तिकारियों को एकजुट करने के साथ-साथ दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों और संगठनों की समन्वय कमेटी (सी-कम्पोसा) के गठन में भाग लेकर दक्षिण एशिया में उल्लेखनीय बिरादराना सम्बन्ध स्थापित किए हैं। उसी प्रकार, हमारे सम्बन्ध विदेशों में मौजूद क्रान्तिकारी पार्टियों से, खास तौर पर दीर्घकालीन जनयुद्ध का संचालन करने वाली पार्टियों से भी हैं।

वे हमारी दोनों पार्टियां ही थीं जिन्होंने देश में पहली बार जन मुक्ति छापामार सेना का निर्माण करके छापामार इलाकों का विकास किया है। आधार इलाकों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के नजरिए से छापामार युद्ध को तेज किया है। इनमें से कुछेक छापामार इलाकों में हम क्रान्तिकारी जन राजसत्ता को भ्रूण रूप में स्थापित कर सके। दुश्मन द्वारा अमल कई "घेराव-दमन" की मुहिमों का मुकाबला करते हुए ही हमने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कई सालों से पीएलजीए धीरे-धीरे मजबूत होते हुए एक छोटी ताकत से बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। दुश्मन के खिलाफ छिटपुट लड़ाइयों से शुरू करके बड़ी-बड़ी लड़ाइयां करने की स्थिति में पहुंचना, छोटे फॉर्मेशनों से बड़े फॉर्मेशनों में विकसित होना, कम संख्या से ज्यादा संख्या में बढ़ना, कमान और कमिशन के रूप में व्यवस्थित ढांचे का विकास होना, दुश्मन से हथियार छीन लेने में उसके द्वारा हासिल जबर्दस्त क्षमता – इन सभी में इसकी झलक मिल जाती है। हालांकि आज भी पीएलजीए छोटी ही है, पर अपनी बहादुराना कार्यावहियों से तथा राज्य पुलिस बलों, विभिन्न विशेष बलों व विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों के खिलाफ निरन्तरता और सघनता से किए गए अपने कार्यनीतिक हथियारबन्द प्रत्याक्रमणों से वह जनता का आंख का तारा बन गई है। लुटेरे शासक वर्गों के दिलों में हड़कंप बन गई।

पार्टी के संकटों के दौरान चलाई गई चर्चाओं और बहस-मुबाहिसों से हमने शिक्षा ग्रहण की। पार्टी के भीतर चले इन संघर्षों ने हमें इस मामले में बेहतर समझदारी प्रदान की कि उच्च स्तर को हासिल करने और गलत लाइन को पराजित कर गलत रुझानों को सुधारने के लक्ष्य से जनवादी केन्द्रीयता की बुनियाद पर दो लाइनों के बीच संघर्ष कैसे चलाना चाहिए। दो लाइनों के बीच संघर्षों के सिलसिले में पार्टी का नेतृत्व और समूची पार्टी धारदार बन गए। एक सामूहिक नेतृत्व उभर कर सामने आया। यह हमारी उपलब्धियों में से एक है।

हमने राष्ट्रीयताओं, दलितों, अन्य उत्पीड़ित जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, इत्यादि विभिन्न उत्पीड़ित तबकों की जनता के लिए सर्वहारा के नजरिए से विशेष नीतियां बनाईं। इन समस्याओं पर हमने कई संघर्ष किए हैं।

उन इलाकों में जहां हम एक उल्लेखनीय ताकत के तौर पर हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न से सम्बन्धित सवालों को मजबूती से उठाया है। जनता ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। इनमें संगठनात्मक और विकास से सम्बन्धित कार्यवाहियां भी शामिल हैं। जहां जनता की राजसत्ता की स्थापना की जा रही है वहां हम शत्रु वर्गों की राजनीतिक हुकूमत को सीमित कर रहे हैं। इन इलाकों की जनता अपेक्षापूर्ण राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक है। वह सुसंगठित और अन्य इलाकों की तुलना में बेहतर कार्य परिस्थितियों और बेहतर जीवन परिस्थितियों में जी रही है। वह ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है। उनके शिक्षा और ज्ञान बढ़े हैं। वे अब सभी किस्मों के आधिपत्य के खिलाफ आत्मसम्मान के साथ मजबूती से खड़े रह सकेंगे। सामन्ती वर्गों और सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाले आतंक और तानाशाही से वे अब मुक्ति पा चुके हैं।

जहां तक राजनीतिक व विचारधारात्मक लाइन के विकास का सवाल है, इस एकीकृत पार्टी ने पार्टी लाइन को निश्चित रूप से समृद्ध बनाया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अतीत के समय में बनाए गए बुनियादी दस्तावेजों में दर्ज की गई बुनियादी लाइन पर दृढ़ता से टिके रहते हुए ही, उसके बाद इतने सालों में जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के दौरान हासिल समृद्ध अनुभवों पर निर्भर करते हुए और पिछले साढ़े तीन दशकों के राजनीतिक विकासक्रम को ध्यान में रखते हुए कई धारणाएं विकसित कर ली हैं। क्रान्ति के लिए आवश्यक तीन जादुई हथियार पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा के निर्माण में और दाव-पेंच तैयार करने के दौरान पैदा हुए "दक्षिण" और "वाम"पंथी दोनों गलत रुझानों के खिलाफ हमने संघर्ष किया। जन सेना, छापामार इलाके, आधार इलाके और क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा; दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन पर दृढ़ता से लगे रहना; भारत के ठोस हालात में माओवादी रणनीति को रचनात्मक रूप से लागू करते हुए भारत के ठोस हालात में संसदीय संघर्ष के स्वरूप को सिरे से नकार देना; एक गोपनीय पार्टी का निर्माण करना जिसका संगठनात्मक ढांचा गोपनीय हो और जिसका मुख्य भाग पेशेवर क्रान्तिकारी हो; क्रान्तिकारी जनदिशा पर दृढ़ता से खड़े रहकर उसे दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन से जोड़ते हुए शक्तिशाली जनान्दोलनों का निर्माण करना, इत्यादि सवालों पर इस पार्टी ने उच्च दर्जे की समझदारी हासिल की।

हमारी इस एकीकृत पार्टी ने आज अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के सामने मौजूद सर्वहारा की मार्गदर्शक विचारधारा, पूंजीवाद का आम संकट और विश्व क्रान्ति पर उसका असर, प्रधान अन्तरविरोध का सवाल, विश्व युद्ध का खतरा, मौजूदा युग के चरित्र पर समझदारी, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का महत्व और विश्व समाजवादी क्रान्ति की इन दोनों धाराओं को सम्मिलित करने की जरूरत, आखिर में, अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में संशोधनवाद का खतरा, इत्यादि राजनीतिक व विचारधारात्मक मुद्दे उठाए हैं। इस तरह इसने विश्व की मौजूदा परिस्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन से सम्बन्धित उपरोक्त मुद्दों पर समझदारी को समृद्ध बनाया है। उनके प्रति स्पष्ट सर्वहारा रवैया अपनाया है।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पहले की इन दोनों पार्टियों ने नक्सलबाड़ी की विचारधारात्मक व राजनीतिक विरासत जारी रखी। उसके तमाम सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हुए लाइन को हमने और ज्यादा विकसित किया। ठोस हालात के अनुरूप लाइन में हमने जो बदलाव किया उसकी अभिव्यक्ति हाल ही में बनाए गए मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद, पार्टी कार्यक्रम, पार्टी संविधान, रणनीति-कार्यनीति और मौजूदा परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव के दस्तावेजों में मिल जाती है।

पीपुल्स मार्च – एम.सी.सी. के 1996 के सम्मेलन के बाद से

उसकी राजनीतिक, सांगठनिक और सैनिक लाइन के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है?

किशन – अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्र व जनता का अंतरविरोध ही आज भी प्रधान व निर्णायक अंतरविरोध है। निरंतर गहरे होते और बढ़ते जा रहे साम्राज्यवादी संकट के चलते साम्राज्यवादियों का आपसी अंतरविरोध भी क्रमशः तीव्र होता जा रहा है। एशिया, अफ्रिका और लातिनी अमेरिका क्रांति के तूफानी केन्द्र बने हुए हैं। क्रांति ही आज के युग की मुख्य प्रवृत्ति है और संशोधनवाद आज के युग का मुख्य खतरा है। इन्हीं उपरोक्त कारकों के चलते अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति दिन–ब–दिन क्रांति के लिए और भी ज्यादा अनुकूल हुई है और हो रही है। 1996 के हमारे सम्मेलन ने ऐसा ही उपरोक्त निष्कर्ष निकाला था और हम इसे ही मानते रहे। इधर 2002 के नवम्बर की केन्द्रीय कमिटी की बैठक में विचार–विश्लेषण करने के बाद हमने 'रूस एक कमजोर महाशक्ति है'– अपने पूर्व के इस विश्लेषण को गलत ठहराते हुए उसे वापस लिया तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक महाशक्ति ठहराते हुए उसे दुनिया की जनता का नम्बर एक दुश्मन करार दिया।

घरेलू परिस्थिति के विश्लेषण के क्रम में हमने देखा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के वर्चस्व के अधीन विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा यहां अपना–अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ जारी है। भाजपा गठबंधन से लेकर कांग्रेस गठबंधन तक भारत की विभिन्न सरकारों द्वारा इसी के तहत राजनीतिक व आर्थिक सहित सभी नीतियां अपनाई जा रही हैं। साथ ही भारत के शासक गुटों के बीच का अंतरविरोध भी क्रमशः तीखा होता जा रहा है। सचमुच ही आज जैसी बेहद शानदार व अनुकूल क्रांतिकारी परिस्थिति इसके पहले बिरले ही दिखाई पड़ी है। इसी विश्लेषण के आधार पर हमने लाल सेना और आधार क्षेत्र के निर्माण के अपने बुनियादी, प्रधान, केन्द्रीय और फौरी कर्तव्य को तेजी से आगे बढ़ाने और रणनीतिक क्षेत्रों का चुनाव कर वहां के कामकाज को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया। इसी बीच 2000 की जनवरी में हमने अपनी केन्द्रीय कमिटी के अंदर तीखी बहस व वाद–विवादों के जरिए माओ विचारधारा को माओवाद के रूप में ग्रहण करने का तथा मार्क्सवाद की अग्रगति के इतिहास में माओवाद को तीसरा, उच्चतर व गुणात्मक विकास का एक पूर्णतः नया स्तर मानने का निर्णय लिया। इसके अलावा उतने ही तीखे अंदरूनी संघर्षों के जरिए हमने पूर्व पी.डब्लु. के साथ जारी अपनी झड़पों को एकतरफा रूप से बंद करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी मीटिंग से लिया। साथ ही साथ हमने स्तालिन के सवाल पर अपने लम्बे दिनों से चले आ रहे स्टैण्ड पर यानी, महान बहस के दौरान कामरेड माओ द्वारा उनके मूल्यांकन के स्टैण्ड पर अडिग रहने का निर्णय लिया।

2000 की जनवरी में माओ विचारधारा को माओवाद के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हमारे संगठन में इस निर्णय का विरोध करने वाले तथा फौज व आधार क्षेत्र के निर्माण के कार्य को बाधित करने वाले एक अवसरवादी व पार्टी विरोधी गुट का उदय हुआ। उसके खिलाफ जोरदार संघर्ष करने के जरिए हमने उसे नेस्तनाबूद किया। साथ ही हमने अंतर्राष्टीय स्तर पर सच्चे माओवादियों के साथ एकताबद्ध होने की पहल ली और इस क्रम में रिम (RIM) की सदस्यता भी ग्रहण की। साथ–ही–साथ राष्टीय स्तर पर भी सच्चे माओवादियों के साथ एकता स्थापित करने के काम को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसमें हमें सफलता भी मिली। इसके साथ–ही–साथ पूर्व एम.सी.सी.आई. ने हर मामले में भारी प्रगति की। केन्द्रीय कमिटी से लेकर सभी कमिटियों को संख्या और गुण के लिहाज से शक्तिशाली बनाने और एक माओवादी सैनिक लाइन व सैनिक संगठन को एक सुव्यवस्थित रूप देने की दिशा निर्धारित करने के क्षेत्र में एक भारी छलांग लगी। हमने केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन जैसे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग का गठन किया तथा 2003 की 22 अप्रील को जनमुक्ति छापामार सेना (PLGA) के विधिवत गठन की घोषणा की। हमारी इस बहादूर फौज ने पिछले कई वर्षों के दौरान कई शानदार व शौर्यपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। टेकारी, प्रेतशिला, तोपचांची, चुर्चु, चंद्रपुरा, सिमरहनी, और सारंडा की लड़ाइयां छापामार हमलों की कुछ अच्छी मिसालें हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पूर्व एम.सी.सी.आई. के 1996 के दूसरे केन्द्रीय सम्मेलन के बाद से और खासकर 2000 से हम ने पार्टी के अन्दर एक तीखे दो लाइन के संघर्ष के दौरान गलत लाइन को सिद्धांत और व्यवहार में पराजित किया है और पहले की अपेक्षा सभी मामलों में हम एक गुणत्मक छलांग लगा पाने में समर्थ हुए हैं।

पीपुल्स मार्च – आपकी दोनों पार्टियां मुख्य रूप से देश के बहुत पिछड़े जंगली इलाकों तक ही सीमित हैं। आपने इन 35 सालों में उन मैदानी और शहरी इलाकों पर ज्यादा असर क्यों नहीं डाला जहां अत्यधिक आबादी रहती है?

गणपति – आपकी यह बात सही नहीं है कि हम जंगली इलाकों तक सीमित हो गए हैं। सच तो यह है कि मैदानी और शहरी इलाकों के मुकाबले जंगली इलाकों में हमारा आन्दोलन मजबूत है। यह केन्द्रीकरण हमारी लाइन के मुताबिक ही है। भारत की क्रान्ति के विशेष लक्षणों पर निर्भर करते हुए हमने दीर्घकालीन जनयुद्ध को क्रान्ति की लाइन के रूप में अपनाया। सबसे पहले पिछड़े इलाकों में आधार इलाकों की स्थापना करके उन्हें अन्य इलाकों तक फैलाकर, आखिर में देहाती इलाकों से शहरों को घेरना इस लाइन का केन्द्रीय बिन्दु है। इसलिए, इस रणनीतिक समझदारी के मुताबिक ही हमें काम शुरू करना होगा चाहे वह जंगली इलाकों में हो या फिर मैदानों और शहरों में ही क्यों न हो। स्वाभाविक तौर पर जंगली और पर्वतीय इलाके महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आधार इलाकों की स्थापना की दृष्टि से ये रणनीतिक इलाके हैं। पर यह बात सही नहीं है कि हमने मैदानी इलाकों को नजरअन्दाज किया है। हम आन्ध्र और बिहार में मैदानी इलाकों में सामन्तवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ व्यापक संघर्ष खड़े किए। कुछ राज्यों में अभी भी हमारी पार्टी मैदानी इलाकों में काम कर रही है। दरअसल, आन्ध्र और बिहार-झारखण्ड में मैदानी इलाकों में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विकास करने की बदौलत ही हमें बहुत सारे कैडर मिलने के साथ-साथ हमारे आन्दोलन को प्रतिष्ठा भी मिली है। हमने अपनी आत्मगत ताकतों, पदार्थिक मदद और ठोस अनुभव के लिए मैदानी इलाकों पर निर्भर करते हुए ही, वहीं से शुरू करके जंगली इलाकों में मजबूत आन्दोलन खड़े किए।

इस दौरान, दुश्मन द्वारा चलाए गए क्रूरतापूर्ण फासीवादी दमन अभियानों के चलते हमने बड़ी संख्या में नेतृत्व और कैडर खो दिए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अपने दाव-पेंचों को बदलकर नए दाव-पेंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में संघर्ष और संगठन के स्वरूपों तथा काम के तौर-तरीकों में आवश्यक

बदलाव कर रहे हैं। दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर चलते हुए मैदानी इलाकों में क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्माण करने की रणनीतिक योजना के मुताबिक आगे बढ़ते हुए, हजारों शहीदों द्वारा बहाए गए खून से लाल बने अपने व्यवहार के जरिए हमने अनमोल अनुभव हासिल किए हैं। इसके साथ-साथ, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं द्वारा जारी हथियारबन्द संघर्षों के अनुभव से भी हमने सीख ली। हम अपनी क्रान्तिकारी लाइन को, यानी दीर्घकालीन जनयुद्ध की कार्यदिशा को सामने रखते हुए मैदानों, शहरों और गांवों में काम कर रहे हैं। रणनीतिक इलाकों में हम अपनी ताकतों को मजबूत बना रहे हैं। नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम, बीरभूम, आदि पहले दौर के संघर्षों के अनुभव हमारे सामने हैं। उसके बाद 1970 के दशक के आखिर से खुद हमने प्रत्यक्ष रूप से हथियारबन्द संघर्ष का काफी अनुभव हासिल किया। इस अनुभव ने खुद-ब-खुद दीर्घकालीन जनयुद्ध की कार्यदिशा को सही साबित किया। इसलिए, हमने रणनीतिक इलाकों पर जोर लगाते हुए ही मैदानों और शहरों में काम किया। रणनीतिक इलाकों में काम के साथ इस काम का तालमेल बिठाया। अगर यह नजरिया नहीं अपनाते तो हम कई अन्य मा-ले पार्टियों और ग्रुपों की तरह दक्षिणपंथी गलत रुझानों का शिकार बन जाते।

क्रान्ति किसी की व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप विकसित नहीं होती। वह भारतीय समाज के चरित्र और क्रान्ति की दशा के मुताबिक निर्धारित कुछ नियमों के आधार पर चलती है। दीर्घकालीन जनयुद्ध के आम नियमों को भारत की क्रान्ति के ठोस लक्षणों में लागू करना होगा। क्रान्ति के दौरान हमें खुद कुछ नियमों का आविष्कार कर उनके मुताबिक पूरी कुशलता के साथ इस काम को अंजाम देना होगा।

हालांकि हमने अपना काम मैदानी इलाकों में शुरू किया, पर आज हम जंगली इलाकों में मजबूत हैं। चूंकि ये इलाके आधार इलाकों का निर्माण हेतु लक्ष्यित इलाके हैं, इसलिए हम इन इलाकों में वर्ग संघर्ष को तेज करते हुए उसे फैला रहे हैं ताकि राजसत्ता पर कब्जा किया जा सके।

हम एक रणनीतिक जरूरत के तौर पर भी जंगली इलाकों पर जोर लगा रहे हैं ताकि एक मजबूत जन सेना का निर्माण किया जा सके तथा विशाल जन समुदायों को राजनीतिक रूप से गोलबन्द करके शत्रु वर्गों की राजसत्ता को उखाड़ फेंककर जनता की राजसत्ता कायम की जा सके। हम दीर्घकालीन जनयुद्ध के नियमों के मुताबिक (व्यापक तौर पर) तीन किस्मों के आन्दोलनों – जंगली, मैदानी और शहरी इलाकों के आन्दोलनों – का तालमेल कर रहे हैं।

भारत की क्रान्ति के दौरान एक विशेषता यह सामने आई कि नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम, आदि ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलनों के बाद मा-ले आन्दोलन को एक गहरा धक्का लगा और फूटों का शिकार होना पड़ा। इस विशेषता का एक और पहलू यह है कि देश में दो स्वतंत्र माओवादी धाराएं – मा-ले धारा और एमसीसी धारा का अस्तित्व में रहना और जारी रहना। इन तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद भी हमने पराजय से उबरते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन का दोबारा निर्माण किया। धीरे-धीरे देश की क्रान्तिकारी ताकतों को एकजुट किया। इस सिलसिले में हमारी दोनों माओवादी धाराओं का मिलन होना एक बेहद सकारात्मक विषय है।

इन तमाम सकारात्मक पहलुओं के बावजूद भी शहरी इलाकों में क्रान्तिकारी ताकतें अभी भी कमजोर हैं। संशोधनवादी नेतृत्व अभी भी कई इलाकों पर पकड़ बनाए हुआ है। संशोधनवाद एक खतरा बना हुआ है जिसकी पकड़ देश भर में मजदूर संघों पर है। शहरी इलाकों पर उसका प्रभाव व्यापक रूप से है। हालांकि वह देश के कुछ हिस्सों में किसानों में अपनी पकड़ खो रहा है, पर अभी भी उसका प्रभाव बरकरार है। सरकार में भी इसका अस्तित्व है और खासतौर पर तीन राज्यों में इसका प्रभाव ज्यादा है। संशोधनवादी लाल झण्डे की आड़ में पूंजीवादी विचारधारा और राजनीति का प्रचार करते हैं। सुधारवादी राजनीति अपनाते हैं। वे देश में प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के शासन के मुख्य समर्थक होते हैं। उत्पीड़ित जनता की राजनीति में संसदवाद, अर्थवाद और सुधारवाद फैलाने में संशोधनवाद एक मुख्य स्रोत बना हुआ है। मजदूर वर्ग आन्दोलनों और शहरी आन्दोलनों का निर्माण करने में यह बड़ी रुकावट बन गया है। चूंकि कुछेक इलाकों में लम्बे अरसे से संशोधनवादी राजनीति और व्यवहार का प्रभाव रहा है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए वहां ज्यादा धैर्य, दृढ़ता और रचनात्मक क्रान्तिकारी पहलकदमी की जरूरत होती है।

महानगर और शहर साम्राज्यवादियों और भारतीय शासक वर्गों के गढ़ हैं। इसके बावजूद भी हमने कुछ शहरों और महानगरों में शक्तिशाली मजदूर आन्दोलनों का निर्माण करके साम्राज्यवादियों और शासक वर्गों के दिलों में कंपकंपी पैदा की। दूसरी ओर हमने जनता पर, खास तौर पर मजदूरों, छात्रों और बुद्धिजीवियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। लेकिन उन आन्दोलनों को काफी नुकसान उठाने पड़े। आज हम शहरी इलाकों में एक कमजोर ताकत के रूप में भले ही हैं, पर हमारी मौजूदगी कई राज्यों के कई शहरों और महानगरों में है। हम मजदूर आन्दोलनों और शहरी आन्दोलनों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में विकासमान हथियारबन्द संघर्षों का प्रभाव भी शहरी इलाकों में काफी है।

आखिर में, इस विषय को खत्म करने से पहले... रणनीतिक इलाकों में आधार इलाकों का निर्माण करने के लक्ष्य से छापामार युद्ध को आगे बढ़ाने और फैलाने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ भरसक कोशिश करते हैं। भारत के विशाल मैदानी इलाकों में क्रान्तिकारी आन्दोलन को दोबारा खड़ा करने, संगठित करने तथा व्यापक बनाने के लिए हम अपने दाव-पेंचों को बेहतर बनाएंगे और विकसित करेंगे। हम जनयुद्ध को आगे बढ़ाएंगे ताकि विशाल जन समुदायों के वर्ग संघर्षों के महासागर में दुश्मन को डुबो दिया जा सके। रणनीतिक दिशा पर तथा हमारे देश में बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात पर नजर रखते हुए हम मजदूर संघर्षों और शहरी आन्दोलनों का दोबारा निर्माण करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे और फैलाएंगे।

भारत विविधताओं से भरा एक विशाल देश है जिसका सामाजिक ताना-बाना काफी जटिल है। यहां पर दुश्मन काफी मजबूत है। इसकी भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के मद्देनजर यहां साम्राज्यवादियों के कई हित हैं। इसलिए नकारात्मक पहलू ज्यादा ही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इसमें, खास तौर पर मैदानों और शहरी इलाकों में काफी समय लगेगा। हम मैदानों और शहरी इलाकों में काम करने के मामले में अपने अनुभवों से सबक सीख रहे हैं। जन सेना को विकसित करने के लिए हम रणनीतिक इलाकों में अपने काम को केन्द्रित करेंगे। हथियारबन्द क्रान्तिकारी युद्ध को तेज करते

हुए आधार इलाकों का निर्माण करेंगे। इन तीन किस्मों के इलाकों के बीच के द्वन्द्वात्मक संबंध को ध्यान में रखते हुए, रणनीतिक नजरिए से इस काम का मैदानों और शहरी इलाकों के काम से सुनियोजित ढंग से तालमेल बिठाएंगे। मैदानों और शहरी इलाकों में शक्तिशाली आन्दोलनों का निर्माण करने में हम एक जबर्दस्त बदलाव लाएंगे। इसलिए, मैं मानता हूं कि हमारा आगे बढ़ना अनिवार्य है।

पीपुल्स मार्च – देश के छापामार युद्ध के विकास पर आपकी यह एकता कैसा प्रभाव डालेगी? आप भारतीय राज्य के भारी हमलों का सामना कैसे करेंगे? आप लोगों ने आधार क्षेत्रों के निर्माण के लिए कौन–कौन से ठोस कार्यभारों को निर्धारण किया है?

किशन – हम समझते हैं कि देश में जारी गुरिल्ला युद्ध पर हमारी इस एकता का प्रत्यक्ष प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसके चलते जारी कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध एक नई प्रेरणा, नई उर्जा, नया जोश–खरोश और नये उफान के साथ समूचे देश में व्यापक, विस्तृत व तीव्र होता चला जाएगा। खासकर जब हमारे दोनों पहले के फौजी संगठन पी.जी.ए. और पी.एल.जी.ए. मिलकर नवगठित पी.एल.जी.ए. में बदल जा रहे हैं तब तो यह बात और भी निश्चित रूप से कही जा सकती है।

जहां तक भारतीय राज्य–मशीनरी द्वारा चलाए जा रहे भारी हमलों का सामना करने का सवाल है, हम समझते हैं कि हम न केवल इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसका मुकाबला करने में समर्थ होंगे बल्कि दीर्घकालीन लोकयुद्ध की रणनीति और कार्यनीति को ठोस रूप से और सृजनात्मक रूप से लागू करते हुए उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद करनें में भी समर्थ होंगे। दरअसल दीर्घकालीन लोकयुद्ध की रणनीति व कार्यनीति जिन विशिष्टताओं के आधार पर निर्धारित हुई है उनमें से एक है– दुश्मन शक्तिशाली है जबकि जनता कमजोर। पर यह दुश्मन की बरतरी और जनता की कमतरी आपेक्षिक है। हमारी पिछले कुछ वर्षों से जारी लड़ाइयों से यह सच्चाई पुष्ट होती है। हमने पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा शक्ति अर्जित की है जबकि दुश्मन की बरतरी परिमाण के लिहाज से जरूर कुछ कम हुई है। साथ ही भारत जैसे एक विशाल देश में दुश्मन के लिए सभी जगहों पर खासकर, सुदूर व विस्तृत ग्रामीण क्षेंत्रों में अपनी फौजों को तैनात कर पाना संभव नहीं है। अतः तमाम कठिनाइयों तथा सभी बाधाओं को दूर करते हुए हम भारत की राज्य–मशीनरी के खूंखार हमलों का मुकाबला करते हुए उसे चकनाचूर कर सकते हैं बशर्ते कि हम एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों को अपने कामकाज का मूलकेन्द्र बनाएं तथा दूसरी ओर शहर के मजदूरों और व्यापक मेहनकश जनता के बीच भी सघन काम करें और इन दोनों कार्यों के बीच एक सही तालमेल कायम करने का तरीका अपनाएं। साथ ही हमें सैनिक संघर्षों में लाखों–करोड़ों जनता को शामिल कर क्रांतिकारी जनआंदोलनों का संचालन करना होगा तथा इन दोनों के बीच भी एक सही समन्वय कायम करना होगा।

अतः हमारे सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम सशस्त्र संघर्ष और व्यापक जनता की जन–कार्रवाई व जनआंदोलन, दोनों के बीच सही ढंग से तालमेल बिठाते हुए उनका विकास व विस्तार करें।

आधार क्षेत्रों की स्थापना हेतु हमने निश्चित रूप से कुछ कार्यभार निर्धारित किये हैं। मसलन, हमें छापामार क्षेत्रों को छापामार आधारों के दौर से विकसित करते हुए आधार इलाकों की स्थापना की ओर ले जाना होगा। साथ ही हमें पी.एल.जी.ए. के फौजी फारमेशनों को, उनके तीनों बलों– बुनियादी (basic), मध्यवर्ती (secondary) और मुख्य (main) बलों को हर प्रकार से शक्तिशाली बनाना होगा, तीनों के बीच कमानों के जरिए सही ढंग से तालमेल कायम करना होगा और निधार्रित समय–सीमा के अन्दर फौजी फारमेशनों को कम्पनी से बटालियन के स्तर तक विकसित करना होगा। इस तरह गुण और परिमाण में उन्हें विकसित करते हुए पी.एल.जी.ए. को पी.एल.ए. में बदल डालना होगा। अगर हम इन कार्यभारों को सही तरीके से पूरा कर पाये और जनता की भारी बहुसंख्या को छापामार युद्ध सहित संघर्ष के अन्यान्य रूपों में शामिल कर पाये तो दीर्घकालीन लोकयुद्ध की एक कष्टदायक, टेढ़ी–मेढी, जटिल और लम्बी प्रक्रिया से ही सही, जीत निश्चित रूप से हमारी होगी।

पीपुल्स मार्च – अब आपके आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से संबंधित सवालों पर आया जाए। क्या कारण है कि देश में साम्राज्यवाद की बढ़ती घुसपैठ के खिलाफ आपकी पार्टी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से संघर्ष करती नहीं दिखती है? साथ ही हिन्दू फासीवाद जैसे दैत्य के खिलाफ भी संघर्ष करने पर आप बहुत कम बल देते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों?

किशन – देखिए, एक नजरिए से देखा जाए तो लगता है कि साम्राज्यवादी घुसपैठ के खिलाफ संघर्ष पर क्रांतिकारी संघर्षों का प्रभाव खासरूप से दिखाई नहीं पड़ता। कुछ हद तक यह बात सही भी है। एक तो हमारी आत्मगत शक्ति (subjective force) अभी भी जरूरत की अपेक्षा काफी कम है और उसमें भी देहाती क्षेत्रों में जो ताकत है उसकी तुलना में शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में तो वह और भी ज्यादा कम है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में मजदूर आंदोलन सहित अन्यान्य आंदोलनों का निर्माण व विकास करने की जितनी जरूरत थी, उतना हम नहीं कर पाए। अतः साम्राज्यवाद के खिलाफ भी संघर्ष को जितना तेज किया जाना चाहिए था, हम कर नहीं पाए। और साम्राज्यवाद–विरोध के नाम पर दूसरे लोग या चुनावी व संशोधनवादी पार्टियां या गैरसरकारी संगठन (NGOs) जो कुछ कर रहे हैं वह दरअसल नौटंकी और धोखाधड़ी के सिवा और कुछ नहीं है।

वस्तुतः साम्राज्यवाद का सच्चे मायने में विरोध करने का सही आधार सच्ची माओवादी पार्टी और क्रांतिकारियों के पास ही उपलब्ध है। अतः फिलहाल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष भले कुछ कमजोर है पर हम इस क्षेत्र की अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए साम्राज्यवादी घुसपैठ के खिलाफ सही दिशा पर आधारित एक जोरदार आंदोलन निर्मित कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस मामले में कुछ देर भले ही हो रही है पर हम निश्चित रूप से दुरूस्त तरीके से यह कर पाएंगे।

जहां तक हिन्दू फासीवाद के खिलाफ संघर्ष का सवाल है, इस क्षेत्र में भी नकली साम्प्रदायिकता–विरोधी शक्तियों की भरमार है। ऐसी परिस्थिति में एक ओर उनके साथ एक सुस्पष्ट विभाजन–रेखा खींचना और दूसरी ओर, एक सही हिन्दू फासीवाद विरोधी आंदोलन का निर्माण व विकास करना कतई आसान काम नहीं। दरअसल साम्प्रदायिकता या हिन्दू फासीवाद जैसी समस्या का हल वस्तुतः वर्ग संघर्ष के विकास–विस्तार के जरिए ही हो सकता है। यही कारण है कि भारत के जिन सारे क्षेत्रों में माओवादी क्रांतिकारियों का प्रभाव है

वहां साम्प्रदायिक दंगों की समस्या अपेक्षाकृत कुछ कम दिखाई पड़ती है।

अतः हम यदि मजदूर–किसान मैत्री की स्थापना पर बल देते हुए धैर्यपूर्वक अपने क्रांतिकारी जन आधार को मजबूत बना पाने में सक्षम हो पायेंगे तो साम्प्रदायिकता यानी, धार्मिक उन्माद व कट्टरता तथा हिन्दू फासीवाद के खिलाफ वास्तविक आंदोलनों का निर्माण व उसका संचालन सही ढंग से और सही दिशा के अनुसार कर पाएंगे।

इसलिए यह बात शायद उतनी सही नहीं है कि साम्प्रदायिकता की समस्या पर या हिन्दू फासीवाद विरोधी आंदोलनों पर क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव बहुत कम है। पर यह बात भी सही है कि अभी भारत में संघ गिरोह द्वारा जिस ढंग से साम्प्रदायिकतावादी ताकतों तथा दंगों को उकसाया जा रहा है उसका उचित ढंग से मुकाबला करने के लिए हमारी पहल जरूरत की तुलना में काफी कम है। हमें विश्वास है कि इस कमी को दूर करने की जो पहल हमने ली है और इसकी कुछ प्रक्रिया भी शुरू की है उसके नतीजे कुछ ही दिनों में सामने आएंगे।

पीपुल्स मार्च – भारतवर्ष में अमेरिकी/भूमंडलीकरण की नीतियों को आप किस रूप में देखते हैं?

किशन – मैं समझता हूं कि साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित खासकर, अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित भूमंडलीकरण की नीतियों का हमारे जन–जीवन व राष्ट्रीय जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इन नीतियों ने जनता के हर तबके की जीवन–स्थितियों को बुरी तरह तबाही की स्थिति में ढकेल दिया है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो अगले कुछेक वर्षों के अंदर इसके अत्यंत भयानक परिणाम सामने आयेंगे। हम मानते हैं कि देश में आगे बढ़ रहे कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध और भारी पैमाने के जुझारू जन आंदोलनों के व्यापक विकास–विस्तार के जरिए एक सच्ची जन क्रांति को सफलतापूर्वक संपन्न करके ही भूमंडलीकरण के खतरनाक प्रभाव से देश को मुक्त किया जा सकता है।

पीपुल्स मार्च – भारत राष्ट्रीयताओं, दलितों, विभिन्न जातियों, अल्पसंख्यक तबकों, भाषाई तबकों, इत्यादि से युक्त विविधताओं से भरा देश है। आप ऐसे विभिन्न शक्तियों को कैसे एकजुट करेंगे जो न सिर्फ वर्ग-उत्पीड़न, बल्कि विभिन्न रूपों के सामाजिक उत्पीड़न का भी शिकार हो रही हैं?

गणपति – भारत में मौजूद ठोस हालात में महिलाएं, दलित, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं और धार्मिक अल्पसंख्यक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक तबके हैं जिन्हें क्रान्ति का नेतृत्व करने वाली सर्वहारा पार्टी को जरूर मान्यता देनी होगी। ये तमाम तबके वर्ग-उत्पीड़न के साथ-साथ अपने-अपने और विशिष्ट किस्मों के आर्थिकेत्तर उत्पीड़न का भी शिकार हो रहे हैं। पितृसत्ता, छुआछूत, अन्य प्रकार के जातिगत उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों पर और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर हमले, इत्यादि इनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें पर्याप्त ध्यान देना होगा। साथ ही, इन समस्याओं को वर्ग दृष्टिकोण से उठाना होगा। हमें इन कार्यभारों को वर्तमान में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ जोड़ना भी चाहिए। इस दिशा में हमें इन तबकों को अन्य उत्पीड़ित जन समुदायों के साथ-साथ वर्ग संगठनों में गोलबन्द करना चाहिए। साथ ही साथ, इन तबकों को उनकी विशेष समस्याओं पर फौरी और दीर्घकालीन आधार पर व्यापक तौर पर गोलबन्द कर सके, इसके लिए हमें आवश्यक संगठनात्मक और संघर्ष के स्वरूपों को विकसित करना चाहिए। विशेष परेशानियों को दूर करने के लिए जब जरूरत हो विशाल साझा मंचों का गठन करना चाहिए।

परन्तु, इन तबकों से सम्बन्धित विशेष समस्याओं को लेकर ठोस दाव-पेंच बनाते समय हमारे ध्यान में यह बात जरूर होनी चाहिए कि उनसे हमेशा हमारी रणनीतिक लाइन को मदद मिलती रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में जारी जनयुद्ध के मातहत ही, उसके सम्बन्ध में ही उनकी विशेष समस्याओं को हल करने के लिए हमें विशेष कार्यक्रम अपनाने चाहिएं। इन तबकों को हमें यह जरूर बताना चाहिए कि उनकी सारी समस्याएं वर्गीय समस्याओं का हिस्सा ही हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वर्गीय शोषण से खुद को मुक्त करने में ही किस प्रकार उनकी अपनी समस्याओं का अन्तिम समाधान की वस्तुगत बुनियाद भी मौजूद है। इसलिए, उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद जो कि देश के विशाल उत्पीड़ित जन समुदायों का शोषण और उत्पीड़न करने वाले साझा दुश्मन हैं, के खिलाफ सर्वहारा के नेतृत्व में अन्य सभी उत्पीड़ित समुदायों के साथ एकजुट होकर लड़ने की बेहद जरूरत है।

हमें अपने व्यवहार के जरिए यह दिखा देना चाहिए कि वर्तमान जनयुद्ध और वर्ग संघर्ष किस प्रकार दिन-ब-दिन इन तबकों को ज्यादा से ज्यादा मुख्य मंच पर ला रहे हैं। हमें व्यवहार के जरिए दिखाना चाहिए कि जनयुद्ध का सिलसिला और गहराता-बढ़ता वर्ग संघर्ष इन उत्पीड़ित तबकों में अब तक छिपी हुई क्षमता, रचनात्मक ताकतों, क्रान्तिकारी पहलकदमी और काबिलियत को किस प्रकार बाहर लाते हैं। जब पार्टी नेतृत्व एक ठोस योजना बनाकर इन उत्पीड़ित तबकों को विकसित करने के लिए विशेष ध्यान देगा और चेतनापूर्वक प्रयास करेगा तभी पार्टी में उनकी प्रतिष्ठा और क्रान्तिकारी आन्दोलन में उनके स्थान में हम एक गुणात्मक बदलाव ला सकते हैं।

इस आम लाइन और नीति को आगे बढ़ाकर ही हम बुर्जुवाई संसदीय संशोधनवादी पार्टियों, सुधारवादी गैर-सरकारी संगठनों, अन्य निम्न पूंजीवादी संगठनों और देश के तथाकथित कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संगठनों से इन विशेष सामाजिक तबकों के मामले में स्पष्ट विभाजन-रेखा खींच सकते हैं। इन मामलों में सर्वहारा नीति के सहारे गलत नीतियों को समझ लेते हुए यह काम कर सकते हैं। साथ ही साथ, हमें इन सामाजिक मुद्दों की उपेक्षा करते हुए परोक्ष रूप से इन सामाजिक कुरीतियों को प्रोत्साहित करने वाले यंत्रवत् रवैये के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। पुरुषों तथा उत्पीड़ितों में से अगड़ी जाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए हमें चेतनापूर्वक काम करना चाहिए ताकि वे अपना पितृसत्तात्मक और जातिगत नजरिए को त्याग सकें। उसी प्रकार हमारा यह निरन्तर प्रयास होना चाहिए कि इन तबकों के आन्दोलनों में मौजूद विभिन्न बुर्जुवाई, संशोधनवादी और सुधारवादी रुझानों का राजनीतिक तौर पर पर्दाफाश किया जाए।

पार्टी को खुद के अन्दर मौजूद पितृसत्ता, जातिवाद, जातिगत भेदभाव, अभिजात वर्ग का दृष्टिकोण, आदि गैर-सर्वहारा मूल्यों तथा उत्पीड़ित तबकों के अधिकारों के प्रति लापरवाही के खिलाफ भी संघर्ष करना चाहिए। दूसरी तरफ कॉमरेडों को शिक्षित करते रहना चाहिए ताकि वे विभिन्न आधुनिकोत्तरवादी रुझान, बुर्जुवाई

नारीवाद, दलितवाद, संकीर्ण राष्ट्रीयवाद, आदि रुझानों से प्रभावित न हो सकें।

सर्वहारा वर्ग तभी जनता का नेतृत्व कर सकता है और तभी उन्हें इन सामाजिक कुरीतियों के प्रति एकांगी रवैए से बाहर ला सकता है जब वह सर्वहारा राजनीति और मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के प्रति अपनी वफादारी जारी रखेगा और अपनी खुद की राजनीतिक व संगठनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। तभी वह जनता को जागरूक बनाकर उन्हें सही अर्थों में क्रान्तिकारी जनवादी संघर्षों में (नई जनवादी क्रान्ति के अन्तर्गत) ला सकेगा। परन्तु यह नहीं माना जा सकता कि नई जनवादी क्रान्ति से ये सारी सामाजिक कुरीतियां मिट जाएंगी। लुटेरी सामाजिक व्यवस्था की वस्तुगत बुनियाद खत्म होने के बावजूद ऊपरी ढांचे में, जनता के विचारों में तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विश्वासों और मूल्यों में वे बनी रहेंगी।

पीपुल्स मार्च – आज शासक वर्गों के बीच की कुत्तों सी काटम–काट तेज होती जा रही है। अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने की आपकी योजना क्या है?

किशन – बात दरअसल यह है कि क्रांतिकारीगण हमेशा ही क्रांतिकारी संघर्षों को और भी तेज करने के लिए शासक गुटों के बीच के बढ़ते अंतरविरोधों का इस्तेमाल करते हैं। पर हमें याद रखना होगा कि यहां शासक गुटों के बीच जारी अंतरविरोधों के फलस्वरूप अभी तक कोई सुस्पष्ट ध्रुवीकरण नहीं हुआ है और न ही यहां यह अंतरविरोध युद्ध के स्तर पर पहुंचा है। दूसरी बात है, यहां कुर्सी के लिए शासक गुट कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं जबकि क्रांतिकारी संघर्षों का दमन करने के मामले में वेसब एकजूट हैं। हालांकि नरम या गरम, कौन–सी नीति अपनाई जाए इस सवाल पर उनके बीच कुछ अंतरविरोध भी मौजूद हैं।

इसलिए यहां क्रांति के फायदे के लिए इस अंतरविरोध का इस्तेमाल किस रूप में किया जाएगा, यह सवाल एक ऐसा सवाल है जो काफी गहराई से चिन्तन–मनन करने की मांग करता है। देश में जारी सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्षों की ठोस स्थिति और देशव्यापी पैमाने पर इसका प्रभाव, आत्मगत शक्तियों की स्थिति खासकर, पार्टी, जनसेना और क्रांतिकारी संयुक्त मार्चे की ठोस स्थिति और जनता पर इसका प्रभाव, अपने हाथ में पहलकदमी बनाए रखने का सवाल तथा पूरे देश के पैमाने पर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की हमारी क्षमता– इन तमाम पहलुओं पर गहराई से छान–बीन करने के जरिए ही हम क्रांतिकारी संघर्षों को तेज करने के लिए शासक वर्गों के बीच के अंतरविरोधों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस मामले में और एक बात कहूं। शासक वर्गों के बीच के अंतरविरोधों का इस्तेमाल करने के नाम पर शासक वर्ग की पार्टियों के साथ गठजोड़ करना अभी की परिस्थिति में मैं उचित नहीं समझता।

पीपुल्स मार्च – अब अंतर्राष्टीय सवालों पर आया जाए। मौजूदा विश्व में माओवाद का क्या महत्व है? क्या यह घटित हो रहे बड़े परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकता है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भविष्य के परिदृश्य का संकेत दे सकता है?

किशन – हमने माओवाद को आज के मार्क्सवाद–लेनिनवाद के रूप में स्वीकार किया है। मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद अपने आप में एक अखण्ड समग्र (integrated whole) है। यह एक ऐसा गतिशील विज्ञान है जिसके सहारे हम विज्ञान की सभी शाखाओं में अच्छी तरह विश्लेषण कर सकते हैं। इसके जरिए हम किसी भी वस्तु या घटना का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं और उसका सही निचोड़ निकाल सकते हैं।

हम जानते हैं कि मार्क्सवाद सिर्फ दुनिया की व्याख्या ही नहीं करता बल्कि उसके परिवर्तन के नियमों को भी निर्धारित करता है। इसी प्रकार आज विश्व में जो भी परिवर्तन हुए हैं या साम्राज्यवाद के युग के प्रारंभ से ही लेकर आज तक जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी सही–सही व्याख्या एकमात्र मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के सिद्धांत के जरिए ही संभव हुई है। भविष्य में भी ही ऐसा ही होने की उम्मीद है। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हमारे लिए हमारे कर्म का मार्गदर्शक है। यानी, नई परिस्थितियों में हुए विशाल परिवर्तनों के विश्लेषण के मामले में यह हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। पर हमारा काम उसे कठमुल्लावादी तरीके से नहीं बल्कि सृजनात्मक रूप से लागू करना है।

साथ ही वर्तमान के पृष्ठभूमि में भविष्य को भी समझ पाना केवल मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के जरिए ही संभव हो सकता है। विश्व परिस्थिति का विकास विभिन्न उतार–चढ़ावों, टेढ़े–मेढ़े रास्तों और सफलताओं व विफलताओं की प्रकिया से गुजरते हुए ही होता है। दुनिया तथा समाज–व्यवस्था की अग्रगति भी ऐसी ही प्रकिया के दौर से होती आई है, हो रही है और होती रहेगी।

अतः मैं दृढ़तापूर्वक यह मानता हूं कि आज के विश्व को समझने और उसकी समस्याओं का हल निकालने के क्षेत्र में माओवाद का एक ऐतिहासिक व अंतर्राष्ट्रीय तात्पर्य है।

पीपुल्स मार्च – दुनिया की अन्यान्य क्रांतिकारी शक्तियों के साथ अपने संबंधों का विकास करने के क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन पर इस एकता का क्या प्रभाव होगा?

किशन – हम कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयतावादी होते हैं। दुनिया के मजदूरों और उत्पीड़ित जनता एक हो– इस नारे के जरिए हमारी अंतर्राष्टीयतावादी भावना सुस्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। हम विश्वास करते हैं कि औपनिवेशिक, अर्धऔपनिवेशिक व अर्धसामंती देशों की जनता के क्रांतिकारी संघर्षों और पूंजीवादी–साम्राज्यवादी देशों के मजदूर आंदोलन के बीच एक मजबूत बिरादराना संबंध स्थापित करना विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन की अग्रगति के लिए निहायत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से दुनिया की सच्ची माओवादी पार्टियों के साथ मजबूत संबंध कायम करना हमारा एक अहम कर्तव्य है। पहले से ही पूर्व एम.सी.सी.आई. और पूर्व सी.पी.आई. (एम–एल)(पी.डब्लु.), दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, पेरू, फिलिपींस व तुर्की आदि देशों के साथ द्विपाक्षिक संबंधों को कायम रखा है और निभाती रही हैं। पूर्व एम.सी.सी.आई. तो रिम (Revolutionary Internationalist Movement) का सदस्य भी बनी थी और पूर्व की पी.डब्लु. ने भी रिम के साथ अपने संबंधों को और भी घनिष्ठ बनाने का निर्णय लिया था।

अब जबकि एक नई पार्टी– भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का जन्म हुआ है तो इस पार्टी ने भी क्रांतिकारी परम्परा का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिम सहित सभी सच्चे माओवादियों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध कायम करने का निर्णय लिया है।

भारत चूंकि एक विशाल आबादी वाला देश है, अतः भारत के दो

महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन– पूर्व की एम.सी.सी.आई और सी.पी.आई.(एम–एल) (पी.डब्लु.) के बीच की इस एकता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। आज दुनिया में कोई समाजवादी देश नहीं रह गया है। प्रतिक्रियावादियों द्वारा जब जोर–शोर से इसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि मार्क्सवाद व समाजवाद की पराजय हो गई है, तब भारत जैसे एक अरब की आबादी वाले देश में पूर्व एम.सी.सी.आई. और पी.डब्लु. के बीच के विलय के जरिए एक सच्ची मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी पार्टी का जन्म निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में नई जान फूंक देगी। इस नई पार्टी के नेतृत्व में हम भारत में जारी कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध यानी, दीर्घकालीन लोकयुद्ध को जितना ही तेज करने में सक्षम होंगे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में उतनी ही नई उर्जा का संचार होगा।

पीपुल्स मार्च् – पिछले 35 सालों से आप यह कहते चले आ रहे हैं कि विश्व की परिस्थिति क्रान्ति के लिए उत्कृष्ट है। पर विश्व में माओवादी ताकतें इतनी कमजोर क्यों हैं?

गणपति – हां, सामान्य अर्थ में वस्तुगत परिस्थिति उत्कृष्ट है। तीसरी दुनिया, या पिछड़े देश, या उत्पीड़ित देशों तथा अर्ध औपनिवेशिक व अर्ध सामन्ती देशों में वस्तुगत परिस्थिति उत्कृष्ट है। साम्राज्यवादी देशों में क्रान्तिकारी वस्तुगत परिस्थिति विकसित हो रही है। परन्तु यह अन्तरविरोध क्यों है जिसका आपने जिक्र किया? हमें इसे किस तरीके से समझ लेना चाहिए?

हमें समझना चाहिए कि वस्तुगत और आत्मगत पहलुओं के बीच एक द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध मौजूद है। यह यंत्रवत् जुड़ा हुआ आपसी सम्बन्ध हरगिज नहीं है। अगर ऐसा यन्त्रवत् सम्बन्ध रहता तो सब कुछ पहले ही निर्धारित हो चुके होते। पिछड़े देशों में क्रान्ति आ चुकी होती। लेनिन ने कहा कि क्रान्तिकारी परिस्थिति परिपक्व होने के लिए वस्तुगत और आत्मगत दोनों पहलुओं का विकास होना जरूरी है और तभी कमजोर कड़ी में क्रान्ति फूटती है। आज पिछड़े देश विश्व क्रान्ति के तूफानी केन्द्र बने हुए हैं। वहां की परिस्थिति काफी तीखी है। इनमें से किन देशों में क्रान्ति सफल होगी, यह बात कई अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है। इसके अलावा, सर्वहारा पार्टियों (माओवादी पार्टियों) का विकसित होना और मजबूत होना सिर्फ गरीबी की तीव्रता पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस देश के आम जनवादी आन्दोलन के राजनीतिक सारतत्त्व पर तथा वहां असली सर्वहारा ताकतों के विकास पर निर्भर है।

साम्राज्यवाद के उदय से पूंजीवादी व्यवस्था के संकट ने आम संकट का रूप धारण कर लिया। सामाजिक क्रान्ति के लिए वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन गई। साम्राज्यवादी युग में पूंजीवाद के आम संकट का एक मुख्य लक्षण यह है कि समूचा पूंजीवाद द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकना, भारी बेरोजगारी व मुद्रास्फीती में फंसना, विश्व युद्धों के जरिए, छद्म युद्धों के जरिए और लाखों जनता की उत्पादन की क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करते हुए उत्पादन की ताकतों को लगातार तबाह करना, एक ओर लाखों लोग दुर्भर गरीबी में छटपटा रहे हैं तो अतिरिक्त विनिमय की चीजों को तबाह करना... ये सब साम्राज्यवाद के लक्षण हैं।

पूंजीवादी व्यवस्था के आम संकट ने समाज के तमाम बुनियादी अन्तरविरोधों को एक विस्फोटक स्थिति में ला पहुंचाया – पूंजी और श्रम के बीच अन्तरविरोध, साम्राज्यवागद के खिलाफ उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं व जनता का अन्तरविरोध तथा विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों और इजारेदारी पूंजी के बीच का आपसी अन्तरविरोध। साम्राज्यवाद के उदय के साथ मौजूदा उत्पादन के सम्बन्धों के खिलाफ उत्पादन की ताकतों के संघर्ष ने एक विस्फोटक रूप धारण कर लिया। इसके परिणामस्वरूप फासीवाद, विश्व युद्ध और सामाजिक क्रान्तियों ने सिर उठाया। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक कि विश्व समाजवादी क्रान्ति विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ अन्तिम विजय हासिल नहीं करती।

दुनिया आज, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी अस्तव्यस्त, उथल-पुथल भरी और अस्थिर हो गई है जितनी कि पहले कभी नहीं थी। 1990 के दशक में पहले के पूर्वी योरोप के नौकरशाही पूंजीवादी राष्ट्र और सोवियत यूनियन तथा उसके बाद चीन के विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में पूरी तरह घुल-मिल जाने से भी विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के संकट में कोई कमी नहीं आई। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का लगातार तीव्र हो रहा यह संकट ही अस्तव्यवस्तता, उथल-पुथल और अस्थिरता का आधार है। यही मौजूदा विश्व की परिस्थिति के लक्षण बन गए हैं। 11 सितम्बर की घटनाओं के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने के नाम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद ने दुनिया भर में जनता पर लगातार दुराक्रमणकारी युद्धों और हमलों का सिलसिला छेड़ दिया। इससे जनता में विभिन्न रूपों में शक्तिशाली विरोध उभर चुका है। इस प्रकार एक नई स्थिति सामने आई है। अस्थिरता और अस्तव्यवस्तता ज्यादा तीव्र हो गई हैं।

आज साम्राज्यवाद को अभूतपूर्व रूप से विश्व व्यापी संकट का सामना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना भारी संकट यही है। तमाम बुनियादी अन्तरविरोध ज्यादा तीखे हो रहे हैं। साम्राज्यवादी दुराक्रमण, उत्पीड़न, शोषण और प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के खिलाफ क्रान्तिकारी संघर्षों, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों और विभिन्न जन आन्दोलनों की एक नई लहर उमड़ रही है। इस अनुकूल परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हमारे देश में जारी जनयुद्ध को लम्बी-लम्बी छलांगें लगाते हुए आगे बढ़ाना, नई जनवादी सरकार की स्थापना करना और उसके बाद समाजवाद की ओर आगे बढ़ना अत्यन्त आवश्यक है।

एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के विशाल इलाके विश्व क्रान्ति के तूफानी केन्द्रों के रूप में हैं। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी दुराक्रमण के खिलाफ छापामार युद्ध तीखा हो रहा है। भारत, नेपाल, फिलिप्पीन्स, पेरू और तुर्की में माओवादी पार्टियों की अगुवाई में जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है। भूमण्डलीकरण और युद्ध के मंसूबों के खिलाफ साम्राज्यवादी देशों में मजदूर तथा जनता के विशाल तबके जुझारू रूप से लड़ रहे हैं। कई पूंजीवादी देशों में माले-मा की बुनियाद पर असली क्रान्तिकारी पार्टियां पैदा हो रही हैं। ये सभी चीजें साम्राज्यवाद को कमजोर बनाती हैं।

इसके बावजूद भी, 1960 और 1970 के दशकों की तुलना में अब सर्वहारा आन्दोलन कमजोर है। दुनिया भर में संशोधनवादी रुझानों का बढ़ना तथा '60 और '70 के दशकों के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के साथ हुई गद्दारी इसके मुख्य कारण हैं। सोवियत संघ (1956) और चीन (1976) को लगे झटकों तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवादी पार्टियों में बदन जाने की पृष्ठभूमि में दुनिया भर में दक्षिणपंथी व

संशोधनवादी पार्टियां उभर कर आईं। जिन देशों में अतीत में समाजवादी व्यवस्थाएं थीं उन देशों में पूंजीवाद की बहाली तथा समाजवादी शिविर के पतन ने विश्व क्रान्ति की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इस अस्थाई पराजय की स्थिति का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादियों ने सैद्धान्तिक व राजनीतिक हमला छेड़ दिया कि अब साम्यवाद के दिन लद चुके हैं। नए रूपों में विभिन्न सिद्धान्त सामने आए। दूसरी ओर कई असली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ताकतें अस्तव्यवस्तता में और सैद्धान्तिक व राजनीतिक रूप से बड़े असमंजस की स्थिति में हैं क्योंकि एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का अभाव है। इन वजहों के चलते ही आज माओवादी ताकतें अपेक्षापूर्ण कमजोर हुई हैं। इसके अलावा समूची क्रान्तिकारी ताकतों पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम और दमनचक्र भी चलाया गया जैसे कि इंडोचीन, लातिनी अमेरिका और अब एशिया में देख रहे हैं। इससे भी इनके विकास में और बड़ी बाधा आई।

लेकिन, आज दुनिया भर में स्थितियां और भी ज्यादा भयानक बन रही हैं। असली माओवादी ताकतें फिर से एकजुट हो रही हैं। नई पार्टियां पैदा हो रही हैं। क्रान्तिकारी परिस्थिति आगे बढ़कर रहेगी। नेपाल में दीर्घकालीन जनयुद्ध अपेक्षापूर्ण तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह इस बात का एक ठोस उदाहरण है कि क्रान्तिकारी परिस्थिति उत्कृष्ट है। विभिन्न देशों में अगर माओवादी पार्टियां पैदा होती हैं और सही रणनीति के साथ ठोस दाव-पेंच अपनाती हैं तो उनका आगे बढ़ना अनिवार्य है। ऐसा करने के लिए मा-ले-मा को सही ढंग से समझ लेना चाहिए। साम्राज्यवादी युग के चरित्र को समझ लेना चाहिए। विश्व सर्वहारा और उसकी अगुवाई करने वाली पार्टियों के ऐतिहासिक कार्यभार को समझ लेना चाहिए। आत्मगत ताकतों को तैयार कर लेना चाहिए। जनता को वर्ग संघर्षों में राजनीतिक रूप से गोलबन्द करना चाहिए। क्रान्तिकारी युद्धों को विजय की ओर आगे बढ़ाना चाहिए।

पीपुल्स मार्च – आखिर में, भारत की जनता को आपकी एकीकृत पार्टी क्या संदेश देना चाहेगी?

गणपति – आखिर में, हमारी एकीकृत पार्टी भारत की जनता और विश्व की जनता का यही आह्वान करती है कि –

एकजुट हों! एकजुट हों! एकजुट हों! हमारे देश के सारे क्रान्तिकारी व जनवादी वर्गों – मजदूरों, किसानों, निम्न पूंजीपतियों, राष्ट्रीय पूंजीपतियों और अन्य तमाम उत्पीड़ित तबकों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के मातहत एकजुट हों!!

संगठित हों! संगठित हों! संगठित हों! भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के मातहत क्रान्तिकारी जन संगठनों, लाल सेना और नई राजसत्ता के अंगों में संगठित हों!!

संघर्ष करें! संघर्ष करें! संघर्ष करें! मुक्ति के लिए साम्राज्यवादी, सामन्तवादी और दलाल नौकरशाही पूंजीवादी जंज़ीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष करें! देश भर में राजनीतिक हुकूमत जीत लेने के लिए तथा बड़ी-बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए संघर्ष करें! कोई भी ताकत चाहे वह कितनी बड़ी भी क्यों न हो, जन संघर्षों को हमेशा के लिए कुचल नहीं सकेगी! क्रान्ति की जीत अनिवार्य है। यह वर्ग समाज के परिणाम का नियम है। अन्तिम हार दुश्मन की ही होगी! अन्तिम जीत उत्पीड़ित जनता की ही होगी!!

सभी देशों के सर्वहारा, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और जनता का भी हम यही आह्वान करते हैं – **एकजुट हों। संगठित हों। असली सर्वहारा पार्टियों के नेतृत्व में विश्व समाजवादी क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद तथा सभी किस्मों के प्रतिक्रियावाद के खिलाफ संघर्ष को तेज करें!!!** ★

(.... पृष्ठ 24 का शेष)

क्रमशः आगे बढ़ाते चले गए।

एक वाक्य में कहें, तो कामरेड के.सी. का क्रांतिकारी राजनीतिक जीवन 1969 में सी.पी.एम. की सातवीं कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने, पार्टी के अंदर एक गुप्त केन्द्र बनाकर पहले 'चिन्ता' और बाद में 'दक्षिण देश' का प्रकाशन करने और 1969 के 20 अक्टूबर को एम.सी.सी. के जन्म व उसके विकास से ओतप्रोत रूप से जुड़ा रहा।

कामरेड के.सी. का जीवन कम्युनिस्ट जीवन-शैली की एक जीता-जागता व महान मिसाल था। अपने पूरे जीवन को मजदूर-किसानों व मेहनतकश अवाम के लिए न्योछावर कर देने की उनकी महान भावना हमारे लिए आज भी एक उज्ज्वल उदाहरण है। सर्वहारा गुणों से भरपूर महान क्रांति-वीर कामरेड के.सी. का देहांत मात्र 49 वर्ष की ही उम्र में 18 जुलाई, 1982 को हुआ।

भारतीय क्रांति के महान नेता व शिक्षक के रूप में आज कामरेड के. सी. सर्वमान्य हैं। सचमुच ही वे सर्वहारा गुणों से लैस, क्रांतिकारी आंदोलन के एक सिद्धांतकार और मेधावी नेता थे। कामरेड के.सी. भारतवर्ष की मजदूर-किसान व मेहनतकश जनता के एक सच्चे दोस्त, सहयोद्धा व रहनुमा थे। उन्होंने जो बीज बोया था आज उसी ने पुष्पित व पल्लवित होकर एक ऐसे विशाल वट वृक्ष का रूप ले लिया है जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ★

(.... पृष्ठ 30 का शेष)

लोग तेराई इलाके के लोगों से शादी कर रहे हैं। आज पुनरविवाह पर कोई पाबन्दी नहीं है। आज माहवारी से जुड़ी अशुद्धि की भावना को छोड़ दिया गया, अब इसे सहानुभूति से देखा जाता है। अब चूंकि स्थानीय एफएम रेडियो स्टेशन बने हैं तो स्थानीय कैडरों और लोगों की रचनात्मकता को, यानी नए गीतों, कविताओं या कहानियों तथा कृषि या नस्ल में नए विकासों के बारे में प्रसारित किया जा रहा है।

पीपुल्स मार्च – अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन और महिला मुक्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है?

पार्वती – मैं समझती हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की वर्तमान स्थिति अच्छी है, खासकर वे जो मजबूत राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद पर एकजुट हो रहे हैं। जहां कहीं भी जनयुद्ध विकसित हो रहा है उसे परिपक्व अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का समर्थन मिल रहा है। महिलाओं के मुद्दों को वाजिब तौर पर महत्व दिया जा रहा है। मैं समझती हूं कि नेपाल इस तरह की बढ़िया मिसाल है। इसी प्रकार, जिन देशों में जनयुद्ध जारी है वहां की महिलाओं के अनुभव अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन को समृद्ध बना रहे हैं। इसलिए इससे दोहरा फायदा हुआ।

पीपुल्स मार्च – 'पीपुल्स मार्च' की ओर से नेपाली जनता और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को बधाई!

('पीपुल्समार्च डॉट कॉम' से साभार)

भारतीय क्रान्ति के पथ-प्रदर्शक

कामरेड चारू मजुमदार अमर रहें !

1962 का साल। भारत सरकार ने समाजवादी चीन पर आक्रमण किया, आपात् काल की घोषणा की और अंधराष्ट्रवाद को भड़काने के लिए हजारों बुद्धिजीवियों को तैनात कर दिया। उस वक्त के जाने-माने सी.पी.आई. नेताओं ने सरकार के सामने घुटने टेक दिये। उन अंधेरे दिनों में कामरेड चारू मजुमदार ने इन घिनौनी कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और जनता को अपने गुस्से का इजहार करने के लिए गोलबंद किया। उन्हें कैद कर लिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वे सिलिगुड़ी के पार्टी-कार्यालय में गये और वहाँ टंगी संशोधनवादी डांगे की तस्वीर को उतारा और जमीन पर पटक दिया। आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ नफरत का वैसा खुला इजहार उस समय वहाँ मौजूद पार्टी-सदस्य आज भी नहीं भुला पाते।

काल-क्रम में संशोधनवाद-विरोधी संघर्ष आगे बढ़ा। उन्होंने भारतवर्ष के क्रांतिकारी आंदोलन का मार्ग निर्धारित किया। नक्सलबाड़ी का किसान उभार घटित हुआ। उनके द्वारा निर्धारित विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन को व्यवहार में उतारा गया। तभी क्रांतिकारी झंडे को ऊँचा उठाये सामने आया भारत में वसन्त का वज्रनाद, घटित हुआ नकसलबाड़ी विद्रोह। हजारों की तादाद में क्रांतिकारीगण, मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी, छात्र और नौजवान नक्सलबाड़ी विद्रोह और उसके नेता कामरेड चारू मजुमदार के पीछे लामबंद हो गये।

कामरेड चारू मजुमदार वर्ग संघर्ष में भाग लेने की एक लम्बी प्रक्रिया के दौर से एक क्रांतिकारी नेता के रूप में सामने आए। जब वे स्कूली छात्र थे, तभी राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के एक निम्न पूंजीवादी संगठन - अनुशीलन ग्रुप से संबद्ध ऑल बंगाल स्टुडेन्ट एसोसियेशन के सदस्य बन गये थे। कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और बीड़ी मजदूरों को संगठित करने लगे। 1930 के दशक के अंत में वे सी.पी. आई. के सदस्य बने। वे किसानों को संगठित करने में जुट गये और 1942 में जलपाईगुड़ी जिला कमिटी के सदस्य बने। बंगाल के उस भारी अकाल के समय उन्होंने जमींदारों और जमाखोरों का अनाज दखल करने के लिए किसानों को संगठित किया। वे 1946-51 के तेभागा किसान आंदोलन के प्रमुख व चर्चित संगठकों व नेताओं में से एक थे। उन्होंने उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले के किसानों का नेतृत्व किया था। उस सशस्त्र किसान आंदोलन ने क्रांतिकारी किसान संघर्ष के कई पहलुओं को सामने ला दिया था जिसे कामरेड सी.एम. ने आत्मसात किया और बाद के वर्षों में उन्हें विकसित किया। यह तेभागा आंदोलन सरकार के बर्बर अत्याचारों द्वारा कुचल दिया गया।

उसके बाद कामरेड चारू मजुमदार दार्जिलिंग जिले के चाय बागानों के मजदूरों को संगठित करने के लिए स्थानान्तरित कर दिये गये। सी. पी.आई. में विभाजन के पश्चात वे सी.पी.आई. (एम.) में शामिल हुए। पर उन्होंने शीघ्र ही यह समझ लिया कि क्रांतिकारी लफ्फाजी की आड़ में पार्टी नव संशोधनवादी लाइन का अनुसरण कर रही है। वे 1964-65 में बीमार पड़े। उन्होंने उस समय मार्क्सवादी साहित्य और माओ की रचनाओं का अध्ययन किया। ठीक होने के बाद उन्होंने दार्जिलिंग जिले के सिलिगुड़ी सब डिविजन के किसानों के बीच अपनी गतिविधियां जारी रखीं। उन्होंने अपने अतीत के वर्ग संघर्षों के अनुभवों के आधार पर क्रांतिकारी लाइन का विकास किया। अपने लेखों में, जिन्हें आठ दस्तावेज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्रांतिकारी लाइन को प्रस्तुत किया और इस लाइन के आधार पर एक शक्तिशाली क्रांतिकारी किसान आंदोलन संगठित किया। इस प्रकार सामने आया नक्सलबाड़ी का विद्रोह जिसने भारतवर्ष के क्रांतिकारी आंदोलन में एक नये युग का सूत्रपात किया। सरकारी धमकियों की कोई परवाह किये बिना राज्य के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों द्वारा "नक्सलबाड़ी कृषक संग्राम सहायक कमिटी" गठित की गई। इसी लाइन के आधार पर उस ए.आई.सी.सी.सी.आर. के झंडे तले देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी एकताबद्ध हुए, जिसने कामरेड सी. एम. के नेतृत्व में सी.पी.आई. (एम-एल) के गठन की दिशा में अगुआई की।

कामरेड चारू मजुमदार सी.पी.आई. (एम-एल) के पहले महासचिव थे। उनके नेतृत्व में सी.पी.आई. (एम-एल) ने राजसत्ता पर कब्जा करने के लक्ष्य व दिशा से क्रांतिकारी किसान संघर्षों को संगठित किया। संघर्ष समूचे ग्रामीण भारत में फैल गया। जमीन, जीविका और आजादी की अपनी लम्बे दिनों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हजारों-हजार की तादाद में किसान समुदाय आगे बढ़ा। पार्टी ने नारा दिया - असली किसानों के हाथों में जमीन और क्रांतिकारी कमिटी के हाथों में हुकूमत। किसानों ने 'जनवाद' का नाम तो सुना था, पर उसका स्वाद उन्होंने नहीं चखा था। पार्टी ने नारा दिया - सत्ता-दखल के जरिए लोक जनवाद की स्थापना करें! जब उन्होंने जमींदारों, जमाखोरों और दूसरे शोषक वर्गों के शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठायी, सरकार उनपर टूट पड़ी। निहत्थे किसानों को सशस्त्र बलों के निर्मम व नृशंस अत्याचारों का सामना करना पड़ा। अत: पार्टी ने पहली बार नारा दिया - जनसेना का निर्माण करें, दीर्घकालीन लोकयुद्ध का रास्ता लें! कामरेड चारू मजुमदार द्वारा निर्धारित क्रांतिकारी लाइन के आधार पर जनसंघर्ष विभिन्न चढ़ाव-उतारों और टेढ़े-मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ता रहा तथा संघर्ष के नये-नये मोर्चे खुलते रहे। इस अग्रगति ने शासक वर्गों और उनकी साम्राज्यवादी ताकतों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया।

कामरेड चारू मजूमदार ने, संशोधनवाद के खिलाफ लड़ने और भारत की ठोस परिस्थितियों में एम-एल-एम को लागू करने में विचारधारात्मक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय परिवर्तन किया था। उनके ऐतिहासिक आठ दस्तावेज, ए.आई.सी.सी.सी.आर. के उनके दस्तावेज, उनके कांग्रेस के दस्तावेज, और सी.पी.आई.(एम-एल) के अधिकारिक मुखपत्र में आए उनके लेख सभी उनके राजनीतिक व वैचारिक योगदान का ही हिस्सा हैं। कामरेड सी. एम. 1972 की 16 जुलाई को कलकत्ते के एक शैल्टर से गिरफ्तार किये गये और 28 जुलाई को पुलिस-हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। यह भारतीय क्रांति के लिए एक भारी क्षति थी। उनकी शहादत के बाद सी.पी.आई. (एम-एल) की केन्द्रीय कमिटी बिखर गई। पर पी. डब्लु. और पी.यू. जैसी पार्टियों के रूप में सच्चे क्रांतिकारियों की सी.पी.आई. (एम-एल) धारा द्वारा नक्सलबाड़ी और कामरेड सी. एम. की क्रांतिकारी विरासत को जारी रखा गया। अगस्त 1998 में ये दोनों पार्टियां भी एक एकल पार्टी में एकताबद्ध हो गईं। आज यह सुनिश्चित है कि कामरेड सी. एम. द्वारा रौशन व प्रकाशमान इस महान मार्ग से उत्प्रेरित होकर देश की क्रांतिकारी जनता लोक जनवादी क्रांति के महान लाल झंडे को बुलन्द रखते हुए उनके ही द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगी। सारा भारत इस नारे से गूंज उठेगा - **नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता!** ★

भारतीय क्रांति के महान नेता व शिक्षक
कामरेड कानाई चटर्जी अमर रहें !

कामरेड कानाई चटर्जी, जिन्हें कामरेड के.सी. के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है, का जन्म 1933 में वर्तमान बांग्लादेश के बरिशाल जिले के अंतर्गत बारूईखाली गांव के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। छात्र-जीवन में ही ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते आंदोलन का एक गहरा प्रभाव उनपर पड़ा था और औपनिवेशिक शोषण व शासन के खिलाफ घृणा व क्रोध से उनका मन आंदोलित हो उठा था।

सिर्फ पन्द्रह वर्ष की उम्र में ही कलकत्ते से मैट्रिक पास करके उन्होंने पहले आशुतोष कॉलेज के साइंस विभाग में एडमिशन लिया। फिर छात्र-राजनीति में सक्रिय हो जाने की वजह से उन्होंने श्यामाप्रसाद मुखर्जी कॉलेज के कॉमर्स विभाग में अपना दुबारा एडमिशन कराया और घर से पैसा लेना बन्द कर खुद ही ट्यूशन करके वे अपनी पढ़ाई का खर्च वहन करने लगे। बाद में एम.ए. पास करने के दौरान छात्र-राजनीति व छात्र-आंदोलन में भाग लेते हुए वे अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने।

1953 में कलकत्ते के बालीगंज-कसबा-तिलजला के औद्योगिक क्षेत्र में, जहां भारी संख्या में मजदूरों की झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्तियां हैं, पार्टी-कार्य शुरू करने के क्रम में उन्होंने 'नागरिक अधिकार समिति' नामक एक जन संगठन बनाया और व्यापक मेहनतकश जनता के साथ अपने संबंधों को वे घनिष्ठ बनाने लगे। थोड़े ही दिनों के अंदर वे काफी लोकप्रिय बन गए। इलाके की मुस्लिम मेहनतकश जनता के बीच भी उनकी भारी लोकप्रियता थी क्योंकि वे उनकी समस्याओं और आंदोलनों के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़ गए थे।

1959 में कामरेड के.सी. अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की बालीगंज लोकल कमिटी के सचिव बने और इलाके के मजदूर आंदोलनों तथा श्रमजीवी जनता के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे तथा उन्हें नेतृत्व देने लगे। इस तरह कामरेड के.सी. उक्त इलाके के मजदूरों व मेहनतकश जनता के दोस्त, सहयोद्धा व नेता बन उठे।

1959 में ही पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान राय के नेतृत्व में कांग्रेसी शासन के खिलाफ अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित खाद्य आंदोलन (Food movement) में उन्होंने भाग लिया। हालांकि ऐसे किस्म के आंदोलनों यानी, खाद्य की मांग को लेकर देहातों से हजारों-हजार किसानों को शहरों में लाकर रैली आयोजित करने जैसे रूपों के बारे में उनका तीखा मतभेद था। उस आंदोलन के दरम्यान धर्मतल्ला में आयोजित विशाल रैली व जनसभा पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां व गोलियां बरसायीं जिसमें करीब 81 लोग शहीद हुए। उस क्रम में कामरेड के.सी. के पैर में भी गोली लगी थी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान यानी, भारत द्वारा चीन पर आक्रमण के दौरान कामरेड के.सी. ने इसका विरोध किया और भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार हुए। जेल में ही उन्होंने सी.पी.आई. के तत्कालीन अवसरवादी पार्टी-नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसी क्रम में ही उन्होंने कामरेड अमूल्य सेन और कामरेड चन्द्रशेखर दास के साथ मिलकर एक गुप्त केन्द्र की स्थापना की और 'चिन्ता' नामक एक गुप्त पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसका उद्देश्य था सी.पी.एम. की संशोधनवादी लाइन का भण्डाफोड़ करना और सही लाइन को सामने लाना। बाद में 1966 की शुरूआत से ही संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष को और ज्यादा जोरदार व व्यापक करने के उद्देश्य से उन्होंने 'दक्षिण देश' नामक पत्रिका निकालने का निर्णय लिया।

उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्रुश्चेव संशोधनवाद का उदय हुआ और भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा। मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच दो-लाइन के संघर्ष में तेजी आ गई। कामरेड के.सी. द्वारा पार्टी के अंदर अवसरवाद के विरूद्ध विचारधारात्मक व राजनीतिक संघर्ष को तेज कर दिया गया और अंततः सी.पी.एम. की सातवीं कांग्रेस के दस्तावेज का विरोध करते हुए उन्होंने उसे संशोधनवादी करार दिया तथा 1966 के खाद्य आंदोलन को और भी जुझारू तथा सही लक्ष्य की ओर ले जाने की जी-जान से कोशिश शुरू की। संशोधनवाद के खिलाफ उनके संघर्ष की ये शानदार मिसालें हैं।

उसी वक्त महान माओ के नेतृत्व में संचालित महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की गूंज सुनाई दी। कामरेड के.सी. ने 'विद्रोह करना न्यायसंगत है' – महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की इस शिक्षा पर अमल करते हुए पुरानी संशोधनवादी पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया।

1967 में कामरेड सी.एम. के नेतृत्व में नक्सलबाड़ी के ऐतिहासिक किसान विद्रोह की घटना घटी। चारों ओर व्यापक उथल-पुथल शुरू हुई। संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में एक नया जोश-खरोश व उभार पैदा हुआ। क्रांतिकारियों को संगठित करने हेतु को-ऑर्डिनेशन कमिटी गठित हुई। पर पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया व पद्धति पर मतभेद रहने के कारण 1969 में बनी सी.पी.आई. (एम-एल) में कामरेड के.सी. के नेतृत्वाधीन 'दक्षिण देश' ग्रुप शामिल नहीं हो सका। 1969 में 20 अक्टूबर को कामरेड के.सी. के नेतृत्व में कामरेड अमूल्य सेन व चन्द्रशेखर दास ने माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एम.सी.सी.) की स्थापना की।

इसके बाद का कामरेड के.सी. का इतिहास एम.सी.सी. के गठन, उसके विकास-विस्तार और आज की मौजूदा स्थिति तक उसके पहुंचने के इतिहास से ओत-प्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। इस दौरान कामरेड के.सी. ने भारतीय क्रांति की सही मार्गदर्शक लाइन के सूत्रीकरण और उसके विकास के क्रम में कई ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए। भारतीय क्रांति की रणनीति व कार्यनीति से संबंधित दस्तावेज और सशस्त्र कृषि क्रांति की व्यावहारिक कार्यदिशा व पद्धति और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की समस्या एवं उसके बारे में सही दृष्टिकोण तथा चुनाव के बारे में हमारे दृष्टिकोण से संबंधित उनके दस्तावेज भारतीय क्रांति की बुनियादी लाइन के निर्धारण के क्षेत्र में उनके अमूल्य व ऐतिहासिक योगदान हैं। पर वे यहीं तक रूके नहीं रहे। इन दस्तावेजों की बुनियादी लाइन को व्यवहार में ले जाने के लिए वे कमर कसकर उतर पड़े। फौज व आधार क्षेत्र की स्थापना हेतु उन्होंने ठोस रूप से रणनीतिक इलाकों का चयन किया, अनेकों प्रकार के कष्ट झेलते हुए उन्होंने वहां संगठन की नींव डाली और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के मार्ग पर संचालित कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष की शुरूआत की तथा उसे

(शेष पृष्ठ 22 पर ....)

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी सदस्या और महिला विभाग की प्रभारी

कॉमरेड पार्वती के साथ 'पीपुल्स मार्च' की भेंटवार्ता

पीपुल्स मार्च – नेपाल के जनयुद्ध में महिलाओं की भागीदारी बहुत भारी संख्या में है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। सीपीएन (माओवादी) ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की?

पार्वती – सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि नेपाल में वामपंथी आन्दोलन काफी मजबूत रहा है। इस पहलू के कारण वामपंथी, चाहे वे संशोधनवादी हों या क्रान्तिकारी, बड़ी संख्या में महिलाओं को सड़कों पर लाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि महिलाएं सड़कों पर आई थीं, परन्तु संशोधनवादियों की कानूनी लड़ाई के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकीं। साथ ही, क्रान्तिकारी पार्टी अभी तक क्रान्तिकारी सिद्धान्त को व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं कर पाई थी। इसलिए सिद्धान्त और व्यवहार में काफी दूरी थी। इसके परिणामस्वरूप हुआ यह कि महिलाएं अपनी युवा अवस्था में तो सक्रिय रहती थीं परन्तु शादी हो जाने के बाद वे या तो नेताओं की पत्नियां बन गईं या फिर विस्मृत हो गईं। इस तरह शादियां कम्युनिस्ट आन्दोलन में महिला कैडर को खोने की कीमत पर पुरुष कॉमरेड्स के लिए अच्छी निपुण पत्नियां बनाने की एक पितृसत्तात्मक वाम संस्था बन गईं। परन्तु चूंकि वाम आन्दोलन सक्रिय था इसलिए महिलाओं की नई पंक्तियां आती रहीं और निष्क्रिय होती रहीं। 1996 में जनयुद्ध की शुरूआत के साथ यह दुष्चक्र टूट गया। इसने कानूनी और महत्वहीन संघर्ष में अब तक बन्द महिलाओं के गुस्से को खोल दिया।

वस्तुगत रूप से आपको पता ही होगा कि नेपाल की मुख्य उत्पादक शक्तियों में शामिल पुरुष या तो भारतीय शहरों में या अपने ही देश के शहरी इलाकों में चले जाते हैं। जिस कारण पत्नियां बहुत कम बुनियादी सुविधाओं के साथ नेपाल के कठिन ग्रामीण इलाके में अकेले ही रहने को मजबूर हैं। नेपाल में महिलाएं खुद-ब-खुद घरों की मुखिया बन जाती हैं। वे शादीशुदा हैं परन्तु वास्तव में वे बच्चों व बूढ़े माता-पिता की देखभाल करते हुए ज्यादातर जीवन बिताती हैं। इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि महिलाएं नेपाल में किसान अर्थव्यवस्था चलाती हैं। परन्तु राजा की अगुवाई वाली सामन्ती पितृसत्ता उनकी पहचान को मानने से ही इनकार नहीं करती, बल्कि पैतृक संपत्ति पर उनके अधिकार से इनकार करके उनकी मेहनत को भी लूट रही है।

कई बार ऐसा होता है कि पत्नियों से लम्बे समय तक दूर रहने वाले पति दूसरी पत्नी भी रख लेते हैं। उनके लिए शायद ही कोई कानूनी सुरक्षा है क्योंकि ज्यादातर दूसरी शादी को माफ करते हुए हल्की सजा दी जाती है (यदि शिकायत दर्ज करवाई जाए तो)। इसलिए बहुत सा गुस्सा फटने के लिए तैयार पड़ा है जिसे जनयुद्ध भुनाने में सक्षम है। यहां तक कि उन्हें संगठित किए बिना ही वे आती हैं क्योंकि स्थिति बहुत खराब है।

और आत्मगत रूप में, हमारी पार्टी हमेशा महिला मोर्चे पर सक्रिय रही। यहां तक कि तब भी जब हमने जनयुद्ध को शुरू नहीं किया था। वास्तव में हम 1990 में काठमाण्डू में होने वाले पहली सौन्दर्य प्रतियोगिता का सबसे पहले विरोध करने वालों में थे। इसी तरह नेपाल में विभिन्न हिस्सों में बलात्कार व सभी तरह की अश्लीलता के खिलाफ लगातार विरोध किया गया था। और हम नियमित रूप से राजनीतिक वक्तव्य जारी करते हुए 8 मार्च मनाते थे। विशेषतः पंचायत तन्त्र के समय, जब सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, सभी 8 मार्च के आने का इन्तजार करते थे ताकि वे अपने राजनीतिक वक्तव्य जारी कर सकें। इस तरह यहां महिला आन्दोलन की संस्कृति थी। मैंने नेपाल में एक बहुत दिलचस्प चीज देखी है कि यहां पुरुष और महिलाओं में विभाजन उस तरह का नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में व कुछ हद तक भारत में भी देखने को मिलता है। हमारे 8 मार्च के प्रदर्शन में आप महिलाओं के साथ नारे लगाते हुए काफी पुरुषों को भी देख पाएंगे। हकीकत यह है कि जब हम सौन्दर्य प्रतियोगिता के खिलाफ गए और लड़ाई की तो पुरुष हमारे साथ थे।

जनयुद्ध से महिलाओं की जिन्दगी में सबसे रैडिकल बदलाव यह आया कि इसने महिलाओं पर कसे गए पारिवारिक शिकंजे को तोड़ दिया। इसका महिलाओं की जिन्दगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप उनकी छिपी हुई निपुणताएं व क्षमताएं सामने आ गईं। इस सबसे पुराने पारिवारिक संस्था के खिलाफ विद्रोह से कई प्रतिक्रियाएं हुईं। पहली प्रतिक्रिया थी – नया वैवाहिक तन्त्र, जो कि कार्य क्षेत्र में स्थापित प्यार रसायन व वैवाहिक गठजोड़ पर आधारित होता है। दूसरी प्रतिक्रिया थी – पुनरुत्पादन कार्य में बदलाव। पहले, सभी पति, यहां तक कि कम्युनिस्ट भी जिन्होंने न जाने कितनी बार महिला मुक्ति के लिए मुट्ठियां भींची हैं और पुरुषान्धता के खिलाफ चिल्लाया है, पुरुष विरासत को चाहते थे और इसलिए अपनी पत्नियों को लड़का पैदा करने के लिए दबाव डालते थे। पहले वे 3, 4 या ज्यादा बच्चे पैदा करवाते थे जब तक कि कोई लड़का नहीं होता था। यहां तक कि सबसे ज्यादा जागरूक महिलाओं के भी जनयुद्ध शुरू होने से पहले कम से कम दो बच्चे थे। जनयुद्ध की शुरूआत के साथ ये स्थिति एकदम बदल गई है। यह संख्या अब एक हो गई है, दो बच्चे मिलना अब दुर्लभ है। अब एक बेटे के इन्तजार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए नेपाल के संदर्भ में यह एक बड़ी छलांग है!

हमारे बहुत मजबूत क्षेत्र के आधार क्षेत्रों में हम पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने में सक्षम हैं। इसी तरह हम महिलाओं को समान प्रतिष्ठा देने में सक्षम हो गए हैं। हकीकत में कई मामलों में उन्हें प्राथमिकता भी दी गई है। इस तरह हम वह करने में सक्षम हुए हैं जो हम कहते हैं। हमने जन सत्ता में प्रतिनिधित्व के विशेषाधिकार को सुनिश्चित किया है। हमने अब कुछ महिला नमूना गांव बनाए हैं जिन्हें 'महिला नमूना गांव' कहते हैं। इनमें महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार है, वे अपने खेतों में सहकारी तरीके से काम करती हैं, सामूहिक चारा इकट्ठा करने का सिस्टम है और इनमें वे निर्माण कार्य भी करती हैं जैसे यात्रियों के लिए विश्रामगृह बनाना, छोटे उत्पादन पर सामूहिक धन निवेश करना। इस तरह ये नमूने दिखाते हैं कि हम महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर हैं।

जन अदालतों ने भी जनयुद्ध में महिलाओं का विश्वास बढ़ाने में मदद की है। इनमें आम जनता खासतौर पर उत्पीड़ित नृजातीय

(ethnic) समुदायों व दलितों को अपने उत्पीड़कों के खिलाफ जल्दी व सही न्याय मिलता है। इन जन अदालतों का आयोजन सुरक्षा देने वाली महिला मिलिशिया की तेज नजरों के सामने होता है। पहले महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए दूर जाना पड़ता था जिसका मतलब था न्याय के अन्तहीन प्रक्रिया के लिए अपनी सम्पत्ति खो देना। अब जन अदालतों में सारे ग्रामीणों के सामने उसी समय न्याय मिल जाता है।

दूसरा आकर्षण का बिन्दु जन सेना का क्षेत्र है। मिलिशिया और जन मुक्ति सेना महिलाओं के लिए आकर्षण का बिन्दु बन गए हैं। पहले महिलाओं का आन्दोलन में दाखिला ज्यादातर सांस्कृतिक क्षेत्र के माध्यम से होता था। परन्तु अब फौजी मोर्चा जनयुद्ध में महिलाओं के शामिल होने का आकर्षण बन गया है। फौजी क्षेत्र में शामिल होने की इस प्रक्रिया ने महिलाओं पर दूरगामी असर डाला है। अचानक एक पूर्णतया अनभिज्ञ व अधीन महिला एक आत्मविश्वासी स्वतंत्र लड़ाकू बन गई है। वह शहरी पढ़ी-लिखी महिला से कम स्मार्ट नहीं लगती। वह लगातार राजनीतिक व दार्शनिक रूप से आगे बढ़ रही है। जब तुम ज्यादातर समय मृत्यु व जिन्दगी से लड़ रही होती हो तब ऐसा ही होता है।

जनयुद्ध की दीर्घकालीन प्रकृति महिलाओं को न केवल सामाजिक बदलाव में लगाती है बल्कि खुद को भी बदलने में मदद करती है। नेपाल जैसे एक पूर्व पूंजीवादी समाज में जहां सम्पूर्ण राजतंत्र राजसत्ता चलाता है, साम्यवाद की यात्रा बहुत लम्बी होती है। जनयुद्ध की दीर्घकालीन प्रकृति के कारण क्रान्तिकारियों, खासतौर से महिला क्रान्तिकारियों को जिनका सांस्कृतिक स्तर पुरुष क्रान्तिकारियों के मुकाबले कम होता है, बदलाव का एक लम्बा समय मिलता है।

हमारी पार्टी महिलाओं को मूलभूत क्रान्तिकारी ताकत मानती है (सबसे पहली उत्पीड़ित और सबसे आखिर में मुक्त होने वाली) जो न केवल क्रान्ति के लिए कार्य करेगी बल्कि प्रति-क्रान्ति के खिलाफ भी लड़ेगी। इस तरह अविराम (निरन्तर) क्रान्ति का परचम थामेगी। इसलिए सीपीएन (माओवादी) की नीति जनयुद्ध में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की है।

पीपुल्स मार्च – आप फौज और महिलाओं के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कर रही थीं। यहां तक कि बुर्जुआ ने पहले और वर्तमान में कभी भी महिलाओं को फौज का हिस्सा नहीं बनने दिया। कम्युनिस्ट आन्दोलन महिलाओं को फौज में लाने का प्रयास कर रहा है। क्या आप इसे सैद्धान्तिक रूप से बता सकती हैं कि शुरूआत से ही महिलाओं के बारे में खयाल रहा है कि ये शारीरिक रूप से मांसपेशियों से कमजोर हैं। आप उन्हें एक लड़ाकू के रूप में कैसे देखती हैं?

पार्वती – यदि हम बुर्जुआ से लड़ना चाहते हैं तो हमें उसकी सबसे कमजोर बिन्दु पर वार करना चाहिए। उनका सबसे कमजोर बिन्दु है महिला। क्योंकि वह कहता है कि वह आजादी व समानता देना चाहता है परन्तु व्यवहार में हमेशा महिलाओं को दबाता है या इसे ज्यादातर रूप में देता है सार में नहीं। ऐसा नहीं है कि बुर्जुआ ने महिलाओं को फौज में नहीं लाया। परन्तु उसे रणनीतिक तौर पर नहीं लाया जैसा हमने किया है। उसने ऐसा अन्तिम प्रयास के तौर पर किया। और यह भी सिर्फ दिखावे के लिए किया। उन्हें एक प्रदर्शनी गुड़िया बनाने तक सीमित कर दिया और उन्हें एक सहायक या रिजर्व बल के रूप में ही प्रयोग किया। उन्हें कभी भी रणनीतिक बल नहीं माना। इसी प्रकार उन्हें रहन-सहन का प्रबन्ध करने में, टाइपिस्ट के बतौर, नर्स, खुफिया विभाग आदि में प्रयोग किया पर शायद ही मैदान में लड़ाकू के रूप में प्रयोग किया हो। मैं सोचती हूं, यह उनकी विचारधारा है क्योंकि सम्पूर्ण बुर्जुआ तन्त्र महिला उत्पीड़न से ही जिन्दा है। वे फौजी आपरेशन के लिए महिलाओं को लम्बे समय तक रसोई से अलग नहीं कर सकते।

अमेरिका को ही ले लें। उन्होंने महिलाओं को रखा परन्तु शायद ही कभी युद्ध क्षेत्र में भेजा। एक या दो केस में ही महिलाओं को मोर्चे पर भेजा गया। परन्तु इस प्रयोग का नतीजा यह रहा कि पुरुषों का ध्यान वास्तविक लड़ाई से हट गया। जब महिला लड़ाकू नहीं लड़ रही होती है तो उन्हें उपभोग के लिए सैक्स की वस्तु के समान देखा जाता है और जब वह लड़ रही होती है तो उसे एक कमजोर कोमल महिला के रूप में देखा जाता है जिसे खतरनाक लड़ाकू जिन्दगी से बचाना चाहिए। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में महिला लड़ाकुओं की ताकत को कम करके आंका जाता है। एक मामला प्राइवेट जेसिका लिंच नामक महिला का है जिसे इराकी मिलिशिया ने पकड़ लिया। अमेरिका ने उसका प्रचार किया कि उसकी रक्षा की कोशिश करना बड़ा ही वीरता का कार्य है।

पीपुल्स मार्च – मैं सोचता हूं कि बुर्जुआ संसार नारीवादी या महिला आन्दोलन के कारण महिलाओं को फौज में भर्ती कर रहा है। कुछ सेवाओं में, उन्हें लैंगिक दोयम दर्जे की नौकरियों में रखते हैं।

पार्वती – हां, ज्यादातर स्कैंडिनेवियन देशों में ऐसा ही हुआ है क्योंकि वहां महिला आन्दोलन बहुत मजबूत है।

पीपुल्स मार्च – आप वस्तुगत स्थिति व महिलाओं के जनयुद्ध में शामिल होने की अनिवार्यता के बारे में बता रही थीं। ऐसे समय में पार्टी की तरफ से चेतनापूर्वक प्रयास क्या रहे हैं? जैसे आपने जन संगठनों व पार्टी में महिलाओं को शामिल करने के लिए जनदिशा कैसे लागू की?

पार्वती – पहली बात यह है कि पार्टी ने हर सम्भव मौके पर महिलाओं को लामबन्द करने की कोशिश की है। नेपाल के संदर्भ में देखें तो यहां विभिन्न महिलाओं से सम्बन्धित त्यौहार हैं। जैसे तीज, इस समय महिलाएं बाहर निकलती हैं और गाने गाती हैं, नाचती हैं। एक धार्मिक अवसर होने के बावजूद महिलाएं इस अवसर पर सामन्ती संस्कृति के कारण हो रही घरेलू हिंसा, पुरुष प्रभुत्व व महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित खुद के बनाए हुए गाने गाती हैं। इस संवेदना को हमने उनसे ले लिया और हमने इस मंच को उन्हें सामन्ती कार्यवाहियों के खिलाफ राजनीतिक रूप से चेतना देने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। हर गांव व शहरी इलाकों में इस तरह की कोशिश की गई। दूसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है क्योंकि ऐसे कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के ध्यान को ज्यादा आकर्षित करते हैं क्योंकि इनमें ज्ञानबोधन खिंचाव होता है। यह उनकी जिन्दगी में घुसने का और उन्हें यह सिखाने का कि उनकी दयनीय व वंचित स्थिति का कारण मुख्यतः गरीबी है, एक तरीका है। हकीकत में, जनयुद्ध शुरू होने से पहले महिला मोर्चा ही सबसे ज्यादा सक्रिय मोर्चा था। इसने जनता में जाने का आधार तैयार किया था। जनयुद्ध शुरू होने के बाद दो मोर्चों में विकास हुआ है। आधार इलाकों में हम महिलाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि वे खुद को साक्षर बनाते हुए, छोटे स्तर के हस्त शिल्प जैसे शाल बनाने के उद्योग, सूखी खाद्य वस्तुएं बनाने की फैक्टरी, सहकारी

कृषि कार्य, पेपर बनाने के उद्योग में शामिल होते हुए खुद को और ज्यादा आर्थिक व सामाजिक उत्पादनशील बना सकें। हम विभिन्न स्तरों की जन परिषदों को चलाने में शामिल कर उन्हें अच्छा नेता बना रहे हैं। हम जन अदालतों में उन्हें शामिल कर रहे हैं। सफेद आतंक के इलाकों में हम उन्हें संगठनकर्ता के रूप में व लड़ाकू के रूप में भेज रहे हैं ताकि वे जनता को लामबन्द कर सकें व दुश्मन से जनता की रक्षा कर सकें।

शाराब के खिलाफ हम समय-समय पर अभियान चला रहे हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में बारों में काम करने वाली महिलाओं को एक सैक्सुअल औजार के रूप में प्रयोग करने के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। अभी-अभी हमारे महिला मोर्चे अखिल नेपाली महिला संगठन (क्रान्तिकारी) ने पुरानी राजसत्ता द्वारा पोषित बलात्कार, मारपीट व हत्या के खिलाफ और नेपाल में अमेरिकी दखलंदाजी के खिलाफ 8 मार्च 2004 को राष्ट्रीय स्तर के बन्द का आयोजन किया। नेपाल के महिला इतिहास में यह पहली बार हुआ कि महिला मोर्चे ने राष्ट्र स्तरीय आह्वान किया। बन्द पूरी तरह सफल रहा।

पीपुल्स मार्च – 'वर्कर' के एक अंक में नेपाल में जनदिशा अभियान पर एक लेख छपा था। वह बहुत दिलचस्प था। कृपया महिला आन्दोलन के सम्बन्ध में उस अभियान के बारे में खोलकर बताएं।

पार्वती – पार्टी ने आधार इलाकों और मजबूत क्षेत्रों में नई संस्कृति बनाने के लिए चेतनापूर्वक प्रयास किए हैं। जनयुद्ध के शुरूआत का दिन, शहीदी स्पताह, माओ का जन्मदिन जैसे नए त्यौहार मनाने शुरू किए हैं जिसमें बहुत सारे तोहफों का लेन देन किया जाता है। इन सब गतिविधियों में महिलाएं सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं क्योंकि वे मैस, रेस्तरां चलाती हैं, पार्टी द्वारा संचालित छोटे स्तर के उद्योगों में अपना सामान बनाकर बेचती हैं। यह सब इन त्यौहारों के जरिए ज्यादा जनता को जोड़ता है जिससे और ज्यादा लोगों को नए सांस्कृतिक मूल्यों पर लामबन्दी के लिए रास्ते खुलते हैं। पेड़ लगाने व कटाई में श्रम का आदान-प्रदान करने के 'परमा' तरीके जैसे समुदाय आधारित कार्य को चारा इकट्ठा करने व खेती से ईंधन इकट्ठा करने जैसे दूसरे कामों में फैलाकर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत पुरानी सांस्कृतिक गतिविधियों को नए निवेश व प्रगतिशील मूल्यों के साथ अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए रोल्पा के रुक्कम में मयूर नाच में, जो सिर्फ पुरुषों के लिए था, आज महिलाएं भी भागीदारी कर रही हैं। जनता को हथियारबन्द करने के लिए भी अभियान लिए गए हैं। हम इसे बहुत अच्छी तरह से करने में इसलिए सक्षम रहे क्योंकि हमारे मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों में मजबूत महिला मिलिशिया मौजूद है। दूर के पश्चिम इलाकों में हमने सांस्कृतिक कम्पनी भी तैयार की है जो आगे बढ़ते समय कार्यक्रम भी देती जाती है और इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक जन और फौजी छवि दी जा रही है। यह अभियान इतना लोकप्रिय हुआ है कि पुरानी राजसत्ता इस अभियान में और दूसरे मिलिशिया कार्यक्रमों में शामिल होने वालों का माओवादियों द्वारा अगवा करने व अपहरण करने का प्रचार कर रही है। हम अब यह अवधारणा विकसित कर रहे हैं कि एक सदस्य, एक परिवार; एक गांव एक संगठन। इस तरह से जन संगठनों में हमारी सदस्यता को कई गुणा बढ़ा रहे हैं। आज हमारे ज्यादातर महिला संगठन न केवल अपनी पूर्ति खुद ब खुद कर लेते हैं बल्कि उनके पास ज्यादा धन रहता है क्योंकि हमारी महिलाएं उत्पादन के कार्य में सक्रिय रहती हैं। वे फिजूल खर्च न करके अपनी बचत अच्छी तरह रिकार्ड भी रखती हैं।

हमने पुरानी राजसत्ता के सैनिकों व फौजियों के परिवारों को संगठित करने के चेतनापूर्वक प्रयास भी किए हैं। हमारी महिला मिलिशिया नियमित रूप से उनकी जरूरत के समय मदद के लिए उनसे मिलने जाती है जैसे खेती में ज्यादा काम के सीजन में उनके खेतों में खाना पहुंचाना। वे उन्हें धीरे-धीरे राजनैतिक शिक्षा देती है कि उनके पति को पुरानी राजसत्ता से नाता तोड़ लेना चाहिए व माओवादी सेना में शामिल हो जाना चाहिए। हमने बाल संगठनों में बच्चों को लामबन्द करने के चेतनापूर्वक प्रयास किए हैं ताकि आन्दोलन को निरन्तर चलाने में व जन भागीदारी के लिए जमीन तैयार की जा सके।

पीपुल्स मार्च – युगों से राजनीतिक व विचारधारात्मक शिक्षा से वंचित रहने के कारण महिलाओं में क्या समस्या दिख रही है? उसका हल करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं?

पार्वती – राजनीतिक व विचारधारात्मक शिक्षा से वंचित रहने के कारण महिलाओं में सबसे खराब प्रभाव उनके मीटिंग में खामोश रहने में नजर आता है। वे शायद ही राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी करती हैं। महिलाएं पहलकदमी लेने में हिचकिचाती हैं। पहलकदमी का प्रश्न पैतृक संपत्ति में उनके हिस्से से वंचित रहने से जुड़ा है। पुरुषों से उनके बचपन से ही नेता बनने की आशा की जाती है ताकि वे जमीन पर अपने अधिकार की सुरक्षा कर सके। क्योंकि महिलाएं सम्पत्ति से जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें नेता बनने के गुणों की जरूरत नहीं होती। नेतृत्व और राजनीतिक व विचारधारात्मक स्तर बढ़ाने की समस्या दो स्तरों पर देखी जा सकती है। 1) सांगठनिक स्तर, 2) व्यावहारिक स्तर पर। महिलाओं को नीति बनाने के काम में शामिल करते हुए उत्तरदायित्व देना चाहिए। साथ ही, उन्हें राजनीतिक व विचारधारात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए सुविधाएं भी देनी चाहिए। व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं को देर से शादी करने के लिए आन्तरिक संघर्ष करना चाहिए। अगर शादी हो भी जाती है तो उसे बच्चे पैदा करने से बचना चाहिए। या एक बच्चा पैदा करने में देरी करनी चाहिए। उन्हें अपना स्वतंत्र कार्य लेने के लिए साहस करना चाहिए चाहे इसके बदले उन्हें अपने पतियों से लम्बे समय तक दूर रहना भी पड़ जाए। यह बात को ध्यान में रखते हुए ही महिलाओं में से नेतृत्व को विकसित करने के लिए महिला विभाग का गठन किया गया ताकि वे सभी तीनों मोर्चों की नीति निर्धारित करने वाले ढांचे में पहुंच सके। ये मोर्चे पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा हैं। जन स्तर पर महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में समान हिस्सा देने से महिलाओं में घर से ही नेतृत्वकारी गुण विकसित होने का वातावरण बनेगा जिसे बाद में पार्टी राजनीतिक व विचारधारात्मक शिक्षा देकर जोड़ सकती है।

वर्तमान में महिलाओं में नेतृत्वकारी गुण फौजी मोर्चे पर सबसे ज्यादा विकसित हो रहे हैं। महिलाओं ने अपनी योग्यता को सफलतापूर्वक साबित किया है कि वे भी वीरता से जी सकती हैं, वीरता से मर सकती हैं और लड़ाकू बलों को कमाण्ड भी दे सकती हैं। पार्टी के सामने मुख्य चुनौती इन नेतृत्वकारी गुणों को राजनीतिक व विचारधारात्मक क्षेत्रों में लेकर जाए।

पीपुल्स मार्च – महिलाओं में विचारधारा व राजनीति की कमी है। आप इसको कैसे ठीक करेंगे?

पार्वती – विचारधारा व राजनीति में कमी को समझने के लिए महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण के वर्तमान स्तर को समझना महत्वपूर्ण है। हमारे महिला विभाग ने पार्टी, फौज, संयुक्त मोर्चे में काम करने वाली महिला कैडर को नौ मुख्य विषयों की एक प्रश्नावली जारी की है जो व्यावहारिक व राजनीतिक मुद्दों से सम्बन्धित हैं। हमने इन प्रश्नों के जवाब इकट्ठे कर लिए हैं जिनका विश्लेषण की प्रक्रिया जारी है। यह भी मानना चाहिए कि आमतौर पर कैडर में राजनीतिक व विचारधारात्मक स्तर पार्टी में चले आन्तरिक संघर्षों पर निर्भर करता है। यदि यह एक सही नजरिए से चलाया जाए तो यह कैडर के राजनीतिक व विचारधारात्मक विकास की तरफ जा सकता है, जिससे महिला भी इन क्षेत्रों में विकसित होगी। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास को मा-ले-मा सिद्धान्त से मिलाकर नियमित रूप से कक्षाएं लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नियमित पत्रिका, बुलिटिन, साप्ताहिक अखबार निकालकर हल कर सकते हैं। साथ ही सम-सामयिक विषय पर बातचीत के कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं। यह सब स्तर पर करते हैं। पार्टी नीति बनाने वाले ढांचे में महिलाओं को लाने की महत्ता पर बहुत सचेत हैं। हाल ही में सीपीएन (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी में महिलाओं को शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम हैं। इसी तरह महिलाओं को पोलित ब्यूरो स्तर पर भी शामिल किया गया है। सीपीएन (माओवादी) में आज केन्द्रीय कमेटी व पोलित ब्यूरो दोनों में दस प्रतिशत महिला कॉमरेड मौजूद हैं। अब गेंद महिलाओं के पाले में है कि वे विचारधारात्मक व राजनीतिक नेता के तौर पर खुद की काबिलियत को साबित करें।

पीपुल्स मार्च – नेपाल में नेतृत्व का प्रश्न नामक लेख में आपने वर्ग संघर्ष, पार्टी का आन्तरिक संघर्ष और आन्तरिक संघर्ष के बारे में लिखा है। हम वर्ग संघर्ष को तो समझ सकते हैं परन्तु पार्टी के आन्तरिक संघर्ष के बारे में व आन्तरिक संघर्ष के बारे में जानना काफी दिलचस्प होगा। इसे कृपया खोलकर बताएं।

पार्वती – यह साफ होना चाहिए कि पार्टी का अन्दरूनी संघर्ष स्वस्थ कार्यरत पार्टी में होता है। मुद्दा यह है कि हम पार्टी के अन्दर महिला क्षेत्र व लिंग सम्बन्धों में ऐसे संघर्ष को कैसे पहचाने। मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगी कि कम्युनिस्ट आन्दोलन में महिलाओं के प्रति कम्युनिस्ट दृष्टिकोण को कैसे समझा जाए। एक हिस्सा मानता है कि उनकी भागीदारी का रणनीतिक महत्व है और वे बुनियादी क्रान्तिकारी वर्ग हैं। वे महिलाओं के विशेष अधिकारों को स्वीकार कर रहे हैं और उसकी गारन्टी देना चाहते हैं। और इसलिए इन सिद्धान्तों पर आधारित होकर पार्टी के ढांचे व महिलाओं व लिंग सम्बन्धों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो कि सैद्धान्तिक रूप से तो सहमत हो सकता है परन्तु व्यावहारिक रूप में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझता है। ऐसे लोग, जो बदलाव सांगठनिक ढांचे, या महिलाओं या लैंगिक सम्बन्धों में लाना चाहते हैं वे ऊपरी, औपचारिक व सतही होते हैं। उदाहरण के लिए दोबारा शादी करवाने के मामले को लें। हर व्यक्ति इससे सहमत तो है परन्तु खास मुद्दों में मतभेद उभर आते हैं जो दृष्टिकोण के अन्तर के कारण पैदा होते हैं। शहीद के परिवार की परिभाषा के उदाहरण को लें। नेपाल में हम शहीद सप्ताह के कार्यक्रम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जिसमें हम शहीदों के परिवारों को भाषण देने के लिए बुलाते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। शहीद परिवारों के पुनरविवाह पर काफी बहस हुई कि एक बार पुनरविवाह होने पर (जो पार्टी को सूचित करके हुआ हो) क्या पति या पत्नी को शहीदी सप्ताह के कार्यक्रम पर शहीद परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो। तंग दृष्टिकोण वालों के लिए उन्हें शहीद परिवार मानना बहुत मुश्किल था।

इसी तरह महिला नेतृत्व को औपचारिक रूप से पार्टी की तरफ से थोपा गया मानने का रुझान है। ऐसे मामलों में ऊपर की अथारिटी (विशेषतः पुरुष) महिलाओं को उन संगठनों का नेतृत्व करने में कोई मदद नहीं करती। इसका नतीजा होता है कि महिलाओं को उस क्षेत्र में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए दुगुना संघर्ष करना पड़ता है। पहला तो पहचान बनाने के लिए व दूसरा नेतृत्व को कार्य रूप देने के लिए। परन्तु जो महिलाओं की भागीदारी को रणनीतिक महत्व का समझते हैं वे बहुत शुभचिन्तक रहते हैं और महिलाओं में नेतृत्वकारी गुणों के विकास के लिए इन्तजार करते हैं।

पीपुल्स मार्च – आपने आन्तरिक संघर्ष के बारे में नहीं बताया। क्या आप खुद से संघर्ष के बारे में बात कर रही हैं?

पार्वती – नहीं, खुद से संघर्ष हर व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों की तरह करना पड़ता है चाहे वो क्रान्तिकारी जिन्दगी हो या परिणामशील जिन्दगी। अब मैं आन्तरिक संघर्ष पर खासतौर पर कुछ कहना चाहूंगी, हालांकि मैंने इसका ऊपर जिक्र किया है। एक चीज तो हमें समझ लेनी चाहिए कि इस कठिन एकध्रुवीय संसार में जनयुद्ध चलाने वाली ज्यादातर पार्टियों में आमतौर पर दक्षिणपंथी रुझान है। इतना कहने पर, दक्षिणपंथी निडरता से नहीं आएंगे (क्योंकि आसानी से उनका पर्दाफाश किया जा सकता है)। इसलिए वे कठमुल्लावादी संशोधनवादी रुझान के रूप में आते हैं। क्रान्तिकारी जिन्दगी में पुनरुत्पादन (बच्चे पैदा करना) के प्रश्न को ही लें। दक्षिणपंथी कहेगा कि मैं क्रान्तिकारी जिन्दगी से छुट्टी लेना चाहता हूं क्योंकि मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूं। ऐसे भद्दे वक्तव्य कैडर का ध्यान खींचते हैं कि यह दक्षिणपंथी है और आन्दोलन से भागने के लिए बहाने तलाश रहा है। इसको कैसे छिपाया जा सकता है? कठमुल्लावादी संशोधनवादी रुझान बच्चे पैदा करने को रोमांचक बनाने में दिखलाई देता है जैसे कि यह दूसरा मोर्चा है जहां महिलाएं वर्ग संघर्ष में अपनी दिलेरी साबित कर सकती हैं। परन्तु व्यवहार में यह सारा क्रान्तिकारी रोमांच तब गलत साबित होता है (अपनी ऊष्मा खो देती है) जब बच्चे पैदा करने और पालने की व्यावहारिक समस्या तीखे वर्ग संघर्ष के दौरान कैडर की लड़ाकू जिन्दगी में बाधा पैदा करना शुरू कर देती है। इसका परिणाम यही होता है कि महिला क्रान्तिकारी आन्दोलन में पीछे रह जाती है। इस पहलू में क्रान्तिकारी कार्यनीति यही है कि बच्चे पैदा करने (पुनरुत्पादन कार्यवाही) को हतोत्साहित किया जाए और यह भी कुरबानी देने का एक दूसरा मोर्चा है जैसे कि आन्दोलन के लिए जान भी कुरबान की जाती है। यह कहते हुए भी, हम ऐसे संवेदनशील भावुक मामले में दम्पत्तियों पर जोर नहीं डाल सकते। केवल राजनैतिक चेतना व जनयुद्ध के विकास ही इस क्षेत्र में स्वैच्छिक भागीदारी करवा सकते हैं। इसलिए इस मामले को द्वंद्वात्मक रूप से संभालना चाहिए; दम्पत्ति की राजनैतिक समझ का स्तर, संगठन में उनकी स्थिति, उनके कार्य करने के स्थान की सुरक्षा आदि को देखते हुए ही उन्हें बच्चे पैदा करने, देरी से करने या न करने की सलाह देनी चाहिए।

पीपुल्स मार्च – इस समाज में पितृसत्तात्मक विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि खुद महिलाएं भी इसका शिकार हैं। ऐसे में इस

पितृसत्तात्मक विचारधारा के कारण पहलकदमी की कमी, आत्मविश्वास की कमी और अन्य हीन भावनाएं महिलाओं में रहती ही हैं। तो महिलाएं जहां पुरुष नेतृत्व को आसानी से स्वीकार करती हैं वहीं अपनी साथी महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार करने में समस्या महसूस करती हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि ऐसा आमतौर पर तो नहीं होगा।

पार्वती – हां, पितृसत्ता का प्रभाव महिलाओं में भी खुद को कम करके आंकने में और पुरुष को अधिक करके आंकने में झलकता है।

पीपुल्स मार्च – ऐसी चीजों को मैं अन्दरूनी संघर्ष मानता हूं। मेरा मतलब पितृसत्तात्मक विचारधारा जो कि हमारे अन्दर है उसके खिलाफ लड़ने से है।

पार्वती – हां, महिलाएं अक्सर खुद पितृसत्तात्मक विचारधारा का शिकार होती हैं जो कि उनके अन्दर गहरे से है। मैंने महिलाओं को देखा है जो डर जाती हैं, जब कोई महिला शोषण की बात करती है तो उस पर नारीवादी होने का ठप्पा लगाया जाता है। वे अक्सर वर्ग शोषण के नाम पर महिला शोषण की लड़ाई को दबाने की कोशिश करते हैं। ये कट्टर संशोधनवाद का दूसरा रूप है जहां पर लैंगिक शोषण, दिमागी कामकाज और निपुणता की कीमत पर सिर्फ वर्ग, शारीरिक काम और लाल बनो पर जोर दिया जाता है, बिना इन दोनों के बीच द्वंद्वात्मक रिश्ते को देखते हुए।

पीपुल्स मार्च – वर्ग शोषण की बात करना महान समझा जाता है लेकिन इसकी तुलना में महिला शोषण की बात करना घटिया समझा जाता है।

पार्वती – मेरे विचार से जब कोई महिला शोषण की बात करता है तो उसे बचाव की स्थिति में जाने जैसा नहीं महसूस करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जनयुद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं जो वर्ग संघर्ष की रक्षा करता है। वास्तव में ऐसी स्थिति में अगर हम वर्ग के सवाल पर बात रखने के नाम पर महिला शोषण पर नहीं बोले तो हम वाम संकीर्णतावाद का शिकार हो सकते हैं और खुद को महिला आन्दोलन से अलग-थलग कर लेंगे।

पीपुल्स मार्च – यह बिन्दु बहुत महत्वपूर्ण है। हम समान वर्ग पर चर्चा कर रहे हैं, हम वर्ग से बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर किसी पर नारीवादी होने का ठप्पा लगता है तो यह गलत है।

पार्वती – हां, किसी क्रान्तिकारी महिला पर अगर वह जनयुद्ध के आन्दोलन में पितृसत्तात्मक शोषण से जुड़े सवालों को उठाती है तो उस पर नारीवादी होने का ठप्पा लगाना गलत है। ऐसा लेबल लगाना तभी सही होगा जब कोई वर्ग शोषण पर मुख्य रूप से बात न करते हुए सिर्फ पितृसत्तात्मक शोषण की बात करेगा।

पीपुल्स मार्च – यह महिलाओं के विकास में भी बाधक है।

पार्वती – लिंग असंवेदनशीलता उस समय बाधक बन जाती है जब अन्दरूनी पार्टी संघर्ष कमजोर होता है, ऐसी स्थिति में महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। महिलाएं एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं, विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि अपने निम्न निजी अन्तरों के आधार पर। ओछी सांस्कृतिक मूल्यों को हतोत्साहित करने की बजाए, जो कि महिलाओं में आम तौर पर पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कैडरों और जन समुदायों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। मर्द अपनी बीवियों को अपने पक्ष में टिकाए रखने के लिए घटिया तरीके इस्तेमाल करेंगे और महिलाओं को सत्ता का प्रलोभन दिया जा सकता है ताकि उनके मर्दों को दूसरे पक्ष में लाया जा सके। शादी खुद एक औजार बन सकती है ताकि पार्टी के अन्दरूनी संघर्ष को गलत ढंग से चलाया जा सके जहां महिलाओं को विचारधारात्मक एकता की बुनियाद पर नहीं बल्कि ताकत बढ़ा लेने और सत्ता हासिल करने की बुनियाद पर कॉमरेडों को शादी करने के लिए ललचाया जा सकता है।

पीपुल्स मार्च – सिर्फ सहयोजित करने के लिए, बलपूर्वक सहयोजित करना।

पार्वती – हां।

पीपुल्स मार्च – राज्य की प्रतिक्रिया क्या है? आन्दोलन को भौतिक और सैनिक रूप से कैसे निशाना बनाया जा रहा है ताकि महिलाओं को दीर्घकालीन जनयुद्ध में शामिल होने से रोका जा सके?

पार्वती – चूंकि पुराने राज्य के लिए आन्दोलन का राजनीतिक रूप से मुकाबला करना बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए वह क्रूर तरीके अपना रहा है। वे महिलाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। शाही नेपाल सेना युवा महिलाओं को लड़ते और मुकाबला करते हुए देखकर सहन नहीं कर रही। वास्तव में वे महिलाओं को हथियार उठाते देख कर यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी मर्दानगी को क्षति हुई है क्योंकि उनकी गहरी धारणा है कि हथियार सिर्फ मर्दों के इस्तेमाल के लिए होते हैं और अपनी औरतों की हिफाजत करना उनका काम है। इसलिए शुरू में वे महिलाओं के साथ बलात्कार किया करते थे ताकि पुरुष माओवादी योद्धाओं को नामर्द साबित किया जा सके। लेकिन जंगे मैदान में उन्होंने जब देखा कि महिलाएं भी वाकई बहादुरी से लड़ रही हैं, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप अब लड़ाई में महिलाओं को भी पुरुष योद्धाओं के बराबर मार दिया जाता है (अतिरिक्त रूप से बलात्कार भी)।

शाही नेपाल सेना का नजरिया बहुत लैंगिकवादी है। यह नजरिया बलात्कार का इस्तेमाल माओवादी आन्दोलन पर कीचड़ उछालने के लिए करने के उसके तरीके में झलकता है। आत्मसमर्पित महिलाओं को वह यह कहने पर मजबूर करती है कि माओवादी पुरुषों ने उनके साथ बलात्कार किया है और उनका इस्तेमाल लैंगिक साधनों के रूप में किया है। जब कोई पुरुष माओवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसे यह स्थिति कभी नहीं झेलनी पड़ती। इस प्रकार शाही सेना बलात्कार को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि महिलाओं को माओवादी आन्दोलन से जुड़ने से आतंकित किया जा सके।

पीपुल्स मार्च – गैर सरकारी संगठनों के प्रश्न को आप किस प्रकार उठा रहे हैं? इनका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है, इससे निपटने के लिए आप नेपाल में क्या कर रहे हैं?

पार्वती – शुरू-शुरू में इन गैर सरकारी सगठनों (एनजीओ) से समस्या आई थी लेकिन अभी हमें इनसे इतनी समस्या नहीं है। हथियारबन्द जनता ने जन अदालतें लगाकर जब एक दम फैसले देने शुरू किए तबसे जनता का एनजीओ की सुधारवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं रहा। पुरानी राज्य मशीनरी के तीखे दमन ने उनके काम करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। किसी भी समस्या के प्रति उनके वर्ग गठजोड़ का जो दृष्टिकोण रहता है वह माओवादियों के सामने एक दम बेनकाब हो गया जो कि किसी भी समस्या का

समाधान करने के लिए वर्ग दृष्टिकोण अपनाते हैं।

पीपुल्स मार्च – सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं, जैसे शराब और महिलाओं की भारत में खरीद-फरोख्त और उन सभी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्हें आप कैसे ठीक करेंगे?

पार्वती – हमारे देश में एक विशेष समुदाय है जिसे 'बाड़ी समुदाय' कहा जाता है। वे मूलतः दलित वर्ग हैं, दलितों में भी वे सबसे ज्यादा उत्पीड़ित सम्प्रदाय हैं। वे सामन्ती समाज के लिए परम्परागत रूप से मनोरंजन करने वाले हैं। परन्तु अब सामन्तवाद के टूटने के साथ वे वेश्यावृत्ति में जा रहे हैं। उनमें बहुत सारे जनयुद्ध में शामिल हो गए हैं। इसी तरह काठमाण्डू घाटी के निकट कावरे जिले में तामांग समुदाय है। वे पुराने दिनों में राणाओं के लिए ऐतिहासिक रूप से वेश्वावृत्ति करते थे और अब वर्तमान में वे भारतीय बाजार में जा रहे हैं। परन्तु जनयुद्ध के फैलाव और तामांग मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बाद इस पेशे के बुरे प्रभावों के बारे में उनमें जागरूकता पैदा हुई। अब वही समुदाय जनयुद्ध के लिए अच्छे लड़ाकू दे रहा है। इन उदाहरणों से मैं कहना चाहती हूं कि जो इस पेशे में शामिल हैं वे जानते हैं कि ठीक क्या है गलत क्या है। परन्तु उन्हें इस पेशे में जबर्दस्ती धकेला गया। जनयुद्ध ने उन्हें जीने का शक्तिशाली विकल्प दिया है। हर रात खुद को मारने की बजाए उनके पास अब यह साबित करने का मौका है कि वे सामाजिक रूप से उपयोगी हैं, जिम्मेवार हैं और उन्हें भी गर्व की जिन्दगी जीते हुए गर्व से मौत का अधिकार है। जनयुद्ध की शुरूआत होने से पहले हम ऐसी समस्याओं का हल करने के प्रति शान्तिपूर्ण तरीका अपनाते थे, लेकिन वह इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। आज हम देहव्यापार कराने वालों को चिन्हित कर उन्हें सजा देने में सक्षम हैं और ऐसा पुराने राज्य की तुलना में हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। शराब सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिए हमने एक बार शराब के सेवन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन छेड़ा था, जिसने सरकार को हमारी कुछ मांगें मानने पर मजबूर किया। हमने शराब पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया लेकिन उसको नियन्त्रित करने के लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं, जैसे शराब बेचने वाले को सजा देना, जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हैं या फिर जो लोग शराब पीकर हुड़दंग मचाकर शान्ति भंग करते हैं उन्हें सजा देना।

पीपुल्स मार्च – लिंग पर आधारित भेदभाव जैसी समस्याओं को हल करने के लिए आपने क्या सांगठनिक प्रयास किए, जैसे कि आपकी पार्टी में महिलाओं का विभाग है। महिलाओं का ये सांगठनिक ढांचा कैसा है और वह किस प्रकार काम करता है?

पार्वती – हमारा महिला कामकाज दो स्तर पर है। जनता के स्तर पर हमारा अखिल नेपाली महिला संगठन (क्रान्तिकारी) है, इसकी मौजूदगी पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर है और दूसरी तरफ हमारा महिला विभाग सीधे रूप से केन्द्रीय पार्टी के तहत है। ये विभाग मूलतः महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए तीन मोर्चों पर नीति निर्धारण का काम करता है जिसमें पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा शामिल हैं। इस प्रकार यह विभाग मूलतः एक थिंक-टैंक (राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मामलों पर राय देने के लिए विशेषज्ञों का समूह -अनु.) है, यह कोई सांगठनिक ढांचा नहीं है जिसमें ऊपर से नीचे तक के स्तर होते हों और जैसा कि दूसरे मोर्चों में होता है। हालांकि जन मुक्ति सेना में महिला विभाग बनाए गए हैं, और इसी तरह पार्टी की जरूरत के हिसाब से छात्र मोर्चे पर भी ऐसा किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिला विभाग सिद्धान्त को दर्शाता है जबकि महिला मोर्चा व्यवहार को दर्शाता है। ये पार्टी और मोर्चे के बीच एक पुल का काम करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि महिला विभाग ने रणनीति और व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं पर एक प्रश्नावली जारी की थी, ताकि व्यवहार के आधार पर नीति-निर्धारण किया जा सके। इसी प्रकार यह विभाग महिलाओं की पढ़ाई सम्बन्धी पाठ्यक्रम बना रहा है और इसके साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखे गए महिला सम्बन्धी लेखों को भी इकट्ठा करके ला रहा है। ये विभाग विभिन्न स्तरों पर तीनों मोर्चों पर काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण देने में लगा हुआ है।

पीपुल्स मार्च – महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या पाठ्यक्रम है? जैसे कि सामान्य कैडर के लिए और आम जनता के लिए आमतौर पर हमारा राजनीतिक आर्थिक दर्शन होता है, इसलिए महिलाओं के लिए, मेरे विचार से उन महिलाओं के लिए जो महिला संगठन में काम कर रही हैं, पितृसत्ता की उत्पत्ति, निजी संपत्ति, जमीन के सवाल पर और ऐसे तमाम विषयों पर उनमें समझदारी होना जरूरी है इसलिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। वरना विभिन्न मंचों पर काम करने वाली सामान्य महिलाओं के लिए क्या विशिष्ट पाठ्यक्रम है?

पार्वती – हमारा एक स्कूली विभाग है जो कि दर्शन, वैज्ञानिक समाजवाद और राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे आम विषयों पर एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। इसके अलावा अलग पाठ्यक्रम महिला और शोषित राष्ट्रीयताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारी शुरू से ही यह कोशिश रही है कि राजनीतिक लाइन को महिलाओं के मुद्दों के साथ जोड़कर लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, इक्कीसवीं सदी में जनवाद के विकास के सवाल को ले लें जिसे कि हमारी केन्द्रीय कमेटी के द्वारा अपनाया गया। हमें देखना है कि कैसे ये सवाल महिलाओं की प्रतिष्ठा के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है।

पीपुल्स मार्च – महिला सवाल से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री कैसे इकट्ठी करते हैं?

पार्वती – हां, हम आपकी पार्टी द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री का अनुवाद पहले ही कर चुके हैं, इसके अलावा हम पेरू से मिले साहित्य का भी अनुवाद कर चुके हैं। और फिर भी हम और अधिक सामग्री के अनुवाद की दिशा में काम कर रहे हैं।

पीपुल्स मार्च – सांस्कृतिक संगठन की क्या भूमिका है? औपचारिक और अनौपचारिक रूप से और सांस्कृतिक स्तर पर आप चेतना को कैसे बढ़ा रहे हैं?

पार्वती – मैंने आपको बताया कि हम विशेष रूप से कुछ गांवों को महिला नमूना गांव के रूप में चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर नए सांस्कृतिक मूल्य जैसे सामूहिक रूप से बच्चों का लालन-पालन, सामूहिक रूप से चारा इकट्ठा करना, आदि शुरू किया। हमने शहीदी सप्ताह मनाने, जनयुद्ध के शुरूआत का दिन मनाने, माओ जन्म दिवस जैसे सामाजिक और राजनीतिक दिनों को मनाने की परम्परा शुरू कर एक नई संस्कृति की शुरूआत की है। हमने शादी में जाति, धर्म, नस्ल आदि बन्धनों को तोड़ दिया। आज ब्राह्मण कैडर दलितों से शादी कर रहे हैं। उसी प्रकार हिमालय के

(शेष पृष्ठ 22 पर ....)

जमीन-जांच आन्दोलन में जन कार्य

जून 1933

– माओ त्सेतुङ

जमीन-जांच आन्दोलन एक वर्ग संघर्ष है जो हिंसात्मक तरीके से और बेरहमी से चलता है। अगर हम अपने इस संघर्ष में व्यापक पैमाने पर जनता को गोलबन्द नहीं करते हैं और इसे एक जन आन्दोलन में तब्दील नहीं करते हैं तो न हम वर्ग-लाइन पर ठीक से अमल कर सकेंगे और न ही बची-खुची सामन्ती ताकतों का सफाया करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जमीन-जांच आन्दोलन के दौरान ऐसे तमाम नौकरशाहाना कामकाज के तरीके हमारे मुख्य दुश्मन होंगे जो हमें जनता से अलग-थलग करते हों। वर्ग सम्बन्ध में चर्चा, वर्गीय स्थिति को स्वीकृति देना, [सम्पत्तियों की] जब्ती, दोबारा बंटवारा करना, मजदूर संगठन और गरीब किसान संगठन पर सही नेतृत्व – इन सारे मुद्दों को जमीन-जांच आन्दोलन में जन कार्य का केन्द्र बनाना चाहिए।

1. वर्ग के बारे में बात करना (प्रचार करना)

ए) मजदूरों को नेतृत्वकारी स्थान पर रखना, गरीब किसानों पर निर्भर करना, मध्यम किसानों के साथ एकताबद्ध होना, धनी किसानों को कमजोर बनाना और जमींदारों का सफाया करना – ये सब जमीन-जांच आन्दोलन में हमारे दाव-पेंच होंगे।

बी) जमींदार, धनी किसान, मध्यम किसान, गरीब किसान और मजदूर जैसे शब्दों के अर्थों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करना जरूरी है ताकि इन दाव-पेंचों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जा सके। इस विवरण के जरिए हमें यह खुलासा करना चाहिए कि जमींदार का अर्थ सामन्ती शोषक है और धनी किसान का अर्थ अर्ध-सामन्ती शोषक है। बाद में हमें जमींदारों का सफाया करते हुए, धनी किसानों को कमजोर बनाने की नीति अपनानी चाहिए ताकि कृषि क्रान्ति के सम्पूर्ण फल मध्यम किसानों, गरीब किसानों और मजदूरों को मिल सकें।

सी) परन्तु धनी किसानों और जमींदारों में फर्क है। धनी किसान मेहनत में भाग लेते हैं, लेकिन जमींदार नहीं। इसीलिए हमारी नीति जमींदारों का सफाया करने की रहेगी, जबकि धनी किसानों को तो कमजोर करने की रहेगी। इसलिए धनी किसानों का सफाया करने की नीति गलत है। धनी किसानों की वर्गीय स्थिति को जमींदारों की स्थिति से बराबर करके नहीं देखना चाहिए।

डी) मध्यम किसानों के प्रति दाव-पेंच – धनी किसानों के साथ एकताबद्ध होना कृषि क्रान्ति का बेहद महत्वपूर्ण दाव-पेंच है। कृषि क्रान्ति की जीत या हार इस बात से प्रभावित होती है कि मध्यम किसान उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस दाव-पेंच के बारे में जनता को बारम्बार समझा देना जरूरी है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि मध्यम किसानों के हितों के उल्लंघन को किसी भी हाल में इजाजत नहीं होगी। हमें 'खुशहाल किसान' शब्द का प्रयोग करना चाहिए ताकि मध्यम किसानों के साथ एकताबद्ध हुआ जा सके और उनके हितों का उल्लंघन नहीं किया जा सके। हमें इस शब्द का प्रयोग इसलिए करना चाहिए ताकि धनी किसान और मध्यम किसान के बीच फर्क के बिन्दुओं पर मजबूती से बोल सकें। इस प्रकार खुशहाल मध्यम किसानों को दोबारा आश्वस्त करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यम किसानों के प्रति जमींदारों और धनी किसानों द्वारा अपनाई जा रही धोखेबाजी का पर्दाफाश करना चाहिए। उस प्रकार उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे जमींदारों और धनी किसानों के दुष्प्रभाव से खुद को मुक्त कर सकें और गरीब किसानों के साथ एकताबद्ध होकर जमींदारों के खिलाफ साझा संघर्ष में गोलबन्द हो सकें।

ई) जमींदारों और धनी किसानों द्वारा दिए जाने वाले तमाम छलपूर्ण नारों का जनता में व्यापक रूप से पर्दाफाश करते हुए समझा देना चाहिए। कबीलों की पिछड़ी क्षेत्रीयतावादी धारणाओं का इस्तेमाल करते हुए मध्यम व गरीब किसानों को छलने और उनमें फूट डालने के लिए जमींदारों और धनी किसानों द्वारा की जाने वाली कोशिशों के प्रति हमें सावधान रहना होगा।

एफ) हमें यह विस्तारपूर्वक बताना चाहिए कि जमीन-जांच आन्दोलन दुश्मन के "घेराव-दमन' को पराजित करने वाला एक हथियार है। क्योंकि बची-खुची सामन्ती ताकतों का जब एक बार सफाया करते हैं और जब सोवियत इलाकों में छिपे हुए दुश्मन के दलालों को उखाड़ फेंक देते हैं तो व्यापक जन समुदायों का क्रान्तिकारी उत्साह दुगुना हो जाएगा। तब लाल सेना का फैलाव, आर्थिक निर्माण, आदि कामों को जारी रखना हमें काफी आसान होगा।

जी) एक विशेष इलाके के वास्तविक हालात पर निर्भर करते हुए हमें ठोस नारे जरूर तैयार करने चाहिएं। मिसाल के तौर पर, एक पिछड़े गांव में हमें उसके पिछड़ेपन के कारण का पता लगाकर एक ठोस नारा जरूर देना चाहिए ताकि जनता को जागरूक बनाया जा सके। माना कि किसी इलाके में एक प्रतिक्रियावादी जमींदार जनता को आतंकित कर रहा है। तब जनता संघर्ष में सक्रिय भाग लेने से कतराती रहती है। ऐसे मामले में हमें उस जमींदार को गिरफ्तार करने का नारा जरूर देना चाहिए। उसी तरह, माना कि किसी और इलाके में स्थानीय सरकार के कर्मचारियों ने जनता से अलग-थलग होकर एक गंभीर गलती की जिससे जनता में असंतोष फैल गया। ऐसे मामले में हमें उनकी गलतियों को चिन्हित करते हुए जरूर प्रचार

करना चाहिए ताकि जनता को संघर्ष में उतारा जा सके।

हेच) जो ऊपर बताया गया वह प्रचार का सारांश है। अब प्रचार के तरीके के बारे में देखें, जमीन-जांच के बारे में बस्ती (township) स्तर के कैडरों (बस्ती सोवियत के प्रतिनिधियों और सभी जन संगठनों के नेताओं) तक प्रचार करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें समझा देना चाहिए। बाद में उनके जरिए जनता में प्रचार करना चाहिए। दूसरा, मजदूर संगठन और गरीब किसान संगठन के सभी सदस्यों को इस विषय के बारे में साफ तौर पर समझाना चाहिए। तीसरा, गांव में एक सभा आयोजित करके एक भाषण के जरिए इसके बारे में बताना चाहिए ताकि तमाम जनता इसे समझ सके।

आई) प्रचारकों को खास तौर पर बस्ती स्तर के सक्रिय कैडरों में से चुन लेना चाहिए। उन्हें पूरी तैयारियां करनी होंगी ताकि वे जन सभाओं में भाग लेकर भाषण दे सकें। इसके अलावा प्रचार दलों को गोलबन्द करना भी जरूरी है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें भी जनता में प्रचार के लिए भेजा जा सकता है।

जे) प्रचार के तरीके : (1) भाषण देना, (2) पोस्टर चस्पा करना, (3) नारे लिखना, (4) पर्चे बांटना, (5) नए नाटकों को प्रदर्शित करना, (6) दीवार-पत्रिकाओं में लेख लिखना, वगैरह।

2. वर्गों की जांच करना

ए) दरअसल जमीन-जांच आन्दोलन का मतलब वर्गों की जांच ही है, न कि मऊ के बाद मऊ के हिसाब से जमीन की जांच करना। जमीन की मऊ के बाद मऊ के हिसाब से जांच करने का तरीका जनता में जरूर आतंक पैदा करेगा। यह बिलकुल गलत है।

बी) वर्ग जांच का मतलब है जमींदारी और धनी किसान वर्गों की जांच करना तथा लुटेरे वर्गों की जांच करना। ऐसे लोगों की जांच करना है जो दरअसल किसान तो नहीं हैं पर किसान जैसा अभिनय करते हुए छिपे हुए हैं। इन मुट्ठी भर लोगों की जांच की जानी चाहिए, न कि मध्यम किसानों, गरीब किसानों और मजदूरों की। इसलिए हमें अपनी जांच एक घर के बाद दूसरे घर के हिसाब से नहीं चलानी चाहिए। इस तरह का तरीका जनता में आतंक पैदा करता है। यह बिलकुल गलत है।

सी) वर्ग जांच शुरू करने से पहले वर्ग की धारणा के बारे में चर्चा करने वाले एक प्रचार के चरण से हमें जरूर गुजरना चाहिए। वर्ग के बारे में खुलेआम और व्यापक चर्चा किए बिना जांच शुरू करने से जनता में आतंक फैल जाता है। यह बिलकुल गलत है।

डी) हमें मजदूर संगठन के सदस्यों, गरीब किसान संगठन के सदस्यों और अत्यधिक जनता से जरूर आग्रह करना चाहिए कि वे वर्ग की जांच में शामिल होकर अपनी जांच के नतीजों को ज्यों की त्यों रपट बनाकर गरीब किसान संगठन और जमीन-जांच कमेटी को सौंप दें। यह कहना सही नहीं होगा कि जांच में थोड़े ही लोग भाग लें क्योंकि थोड़े ही लोग जांच का काम चलाएंगे तो जनता में आतंक फैल जाएगा। यह बिलकुल गलत है।

ई) जांच का काम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि उसका एक स्पष्ट नतीजा नहीं मिल जाता। जब एक जमींदार या धनी किसान की जांच करते हैं तो उसके शोषण के तरीकों और व्यक्तिगत जीवन के बारे में तमाम ब्यौरे साफ तौर पर बता देना चाहिए। तभी उसे अपनी गलतियां मान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। जनता भी संतुष्ट हो जाती है। अगर हम जांच को असमग्र रूप से चलाकर जल्दबाजी से निष्कर्ष निकालते हैं तो बहुत सम्भव है कि हम गलतियां करें। सम्बन्धित व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं मान लेगा। जनता संतुष्ट नहीं होगी। इससे जमीन-जांच आन्दोलन बाधित होगा। मुख्य रूप से मध्यम किसानों की वर्गीय स्थिति की जांच करते समय और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। इस बात की पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए कि किसी एक भी मध्यम किसान को धनी किसान या जमींदार न ठहराया जाए।

एफ) एक परिवार की वर्ग जांच करने पर जो ब्यौरे मिल जाते हैं उन्हें "वर्गीय स्थिति की जांच के पत्र" की प्रति पर लिख लेना चाहिए। उसे सब के लिए उपलब्ध रखना चाहिए ताकि हरेक व्यक्ति उसे परखकर अपनी टिप्पणी कर सके। उसे सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी उसे जांचा-परखा जा सके। नतीजे को मौखिक रूप से बताना, मन में याद रखना, कॉपी में दो टूक शब्दों में लिख लेना – इनमें से एक भी सही तरीका नहीं है क्योंकि ये आसानी से मिट सकते हैं।

3. वर्गीय स्थिति का अनुमोदन करना

ए) वर्गीय स्थिति को स्वीकृत करने का मतलब है वर्गीय स्थिति का निर्धारण करना। चूंकि यह अमुक व्यक्ति के सम्बन्ध में जिन्दगी और मौत का फैसला है, इसलिए इस मामले में हमें बहुत-बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। अनुमोदन के लिए पेश करने से पहले प्रत्येक मामले की गहन जांच करनी चाहिए।

बी) अनुमोदन की प्रक्रिया के पहले चरण में गरीब किसान संगठन एक बैठक बुलाता है। एक आम चर्चा चलाने के बाद अत्यधिक लोग अपने हाथ उठाकर मत डालेंगे तभी गरीब किसान संगठन का अनुमोदन हुआ माना जाएगा। तब भी कोई असहमति रह गई तो उस विषय को स्थगित करके अगली बैठक में चर्चा करनी चाहिए। पहली ही बैठक में हरगिज अनुमोदन नहीं करना चाहिए।

सी) दूसरे चरण का संचालन बस्ती की जमीन-जांच कमेटी करेगी। उसे चाहिए कि वह गरीब किसान संगठन के विचारों को जरूर जांचने-परखने के बाद ही, अगर वे सही होंगे तो अनुमोदन करे। गलत होंगे तो उनमें सुधार करना चाहिए। तब भी कमेटी को कुछ संदेह रह जाते हैं तो वह जरूर फिर एक बार जांच चलानी चाहिए।

डी) तीसरे चरण में जिला जमीन विभाग भाग लेगा। अगर यह विभाग किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकता तो वह इसे जिला जमीन-जांच कमेटी के सामने बढ़ाता है। अगर वह कमेटी भी कोई निर्णय नहीं कर पाती है तो वह उसे क्सियान जमीन विभाग में ले जाती है।

ई) चौथे चरण में गांव में एक आम सभा का आयोजन करना चाहिए। सम्बन्धित व्यक्ति के गांव में ही वह सभा होनी चाहिए। उसमें तमाम जनता को उस व्यक्ति के लूटपाट और जिन्दगी के बारे में विस्तारपूर्वक बताना चाहिए। तब यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जनता उसे मान रही है या नहीं। अगर जनता मान लेती है तो उस प्रस्ताव को अनुमोदित मान सकते हैं। लेकिन जनता पर दबाव डालकर अनुमोदन हासिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जनता असंतुष्ट हो जाएगी। वह कमानवाद (commandism) हो जाएगा। इसका कड़ाई से विरोध करना चाहिए।

एफ) उपरोक्त चारों चरणों में से किसी एक को भी छूटने नहीं देना चाहिए। खास तौर पर आम सभा में अनुमोदन हासिल करने के

चरण को जरूर अपनाना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण है। कई इलाकों में जनता फैसले का अनुमोदन करे, इसके पहले ही जब्ती करने लगे हैं। यह गलत है।

जी) अगर अतीत में एक मध्यम किसान को धनी किसान के रूप में, या एक धनी किसान को जमींदार के रूप में, या एक जमींदार को धनी किसान के रूप में चिन्हित करते हुए गलत फैसला हुआ होगा तो उस पहले के निर्णय को जरूर बदलना चाहिए। आम सभा में पहले की गलती के बारे में तथा उसे सुधारने के कारणों के बारे में विस्तारपूर्वक बताना चाहिए जब तक कि जनता संतुष्ट नहीं हो जाती।

हेच) एक गलत निर्णय को बदलते समय, अगर सम्बन्धित व्यक्ति मध्यम किसान है तो उससे छीनी गई जमीन और सम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति जरूर देनी चाहिए। अगर जमीन दूसरे लोगों को बांट दी गई होगी तब भी उसे जमीन लौटा देनी चाहिए। अगर सम्बन्धित व्यक्ति धनी किसान है तो तब हमें अपने पास मौजूद चीजें लौटानी चाहिएं। अगर हमारे पास उसे देने के लिए तत्काल कोई चीज नहीं होती तो भविष्य में उसके नुकसान की भरपाई की जा सके, ऐसा रास्ता तलाशना चाहिए। जनता को जीत लेने के लिए इस तरह की मुआवजे की नीति काफी प्रभावशाली होगी। गलती को नहीं सुधारना और सुधारने की कोई कोशिश भी नहीं करते हुए यूं ही छोड़ देना गंभीर गलती है।

4. जब्ती और बंटवारा

ए) खास तौर पर गौरतलब बात यह है कि गांव में आम सभा का आयोजन कर जनता का अनुमोदन हासिल करने के बाद ही जमींदारों से जमीन और सम्पत्ति को तथा धनी किसानों से जमीन को और अतिरिक्त रूप से मौजूद भार ढोने वाले पशुओं, खेती-औजारों व मकानों को जब्त कर लेना चाहिए। ऐसे अनुमोदन के बिना जब्त कर लेना या रात के समय जब्त कर लेना पूरी तरह प्रतिबन्धित है।

बी) जमींदारों से जब्त की गई सारी सम्पत्तियों को जनता में बांट देना चाहिए। परन्तु नगदी और कीमती चीजें सरकार के वित्त विभाग को सौम्प देनी चाहिएं। संघर्ष में जनता के उत्साह को बढ़ाने के लिए यह अच्छा तरीका है।

सी) वर्गीय स्थिति का अनुमोदन करने के लिए गांव में आम सभा आयोजित करने के मौके का फायदा उठाते हुए एक अस्थाई जब्ती और बंटवारा कमेटी का भी चुनाव करना चाहिए। जब्ती फौरन करनी चाहिए। बंटवारा वहीं का वहीं कर देना चाहिए। जब्ती और बंटवारे में किसी भी किस्म की देरी नहीं होनी चाहिए। चीजों को पहले सरकार के पास जमा करके उसके बाद बंटवारे के बारे में चर्चा करने के तरीके को इजाजत नहीं देनी चाहिए।

डी) एक गांव में जब्त की गई चीजों को उसी गांव में बांट देना चाहिए। उन्हें पूरी बस्ती में बराबर नहीं बांटना चाहिए (बड़े जमींदार इसके अपवाद होंगे)।

ई) चीजों को सबसे पहले लाल सैनिकों के रिश्तेदारों, खेतिहर मजदूरों, मजदूरों तथा बेहद गरीबी से जूझ रहे अन्य लोगों में बांट देना चहिए। सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना चीजों का बराबर बंटवारा नहीं करना चाहिए।

एफ) जब्त कर लिए गए सुअरों और मुरगों को आम सभा के दौरान ही पकाकर सभी को परोसना चाहिए। उन्हें चन्द सरकारी अधिकारी ही खा लें, इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए।

जी) सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे बंटवारे में खुद के लिए चीजें न मांगकर एक आदर्श स्थापित करें। अगर किसी को किसी चीज की सचमुच जरूरत है तो आम सभा में जनता का अनुमोदन जरूर प्राप्त करना होगा। सरकारी अधिकारियों को मनचाही चीजें लेने से रोकना चाहिए।

हेच) जब्ती में मिले भार ढोने वाले पशुओं और बड़े खेती-औजारों को जनता के अनुमोदन से उन लोगों के कब्जे में रख सकते हैं जिन्हें जमीन मिल गई हो। वे खेती के पशुओं का सहकारी संगठन का गठन करके इन पशुओं और औजारों को बारी-बारी से इस्तेमाल करेंगे।

आई) जमीन जब्ती के बाद उसे बांटने में देरी गलत है। जमीन में एक हिस्सा लाल सेना और सामाजिक कल्याण के लिए सार्वजनिक जमीन के रूप में अलग निकालकर बाकी पूरी जमीन बांट देनी चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को देनी चाहिए जिन्हें पहले पर्याप्त जमीन नहीं मिली हो या बिलकुल नहीं मिली हो। उसके बाद ही, अगर जमीन बच जाती है तो गांव में सभी को बराबर बांट देनी चाहिए। पहाड़ों, जंगलों, मछलियों के तालाबों, मकानों और शौचालयों को तत्काल ही जनता में बांट देना चाहिए।

जे) चीजों को बांटने के मौके पर और उन तमाम मौकों पर जब जनता में संघर्ष के प्रति उत्साह सर्वोच्च स्तर तक बढ़ जाता है, हमें उसका फायदा उठाते हुए लाल सेना का विस्तार करना, सहकारी संगठनों को विकसित करना आदि नारे सामने लाने चाहिएं। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जनता उत्साह के साथ क्रान्तिकारी युद्ध में तथा सोवियतों के निर्माण में शामिल हो।

5. मजदूर संगठन और गरीब किसान संगठन

ए) वर्गों पर चर्चा, वर्गी की जांच, वर्गीय स्थिति का अनुमोदन, जब्ती, बंटवारा, आदि हमारे प्रमुख कार्यभारों को तभी जबर्दस्त कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं जब हम मजदूर संगठन और गरीब किसान संगठन को गोलबन्द करते हों। देहाती इलाके में वर्ग संघर्ष में मजदूर संगठन ही नेतृत्वकारी स्थान में रहेगा। उसी समय गरीब किसान संगठन उस संघर्ष का स्तम्भ बनकर रहेगा।

बी) मजदूर संगठन पर निर्भर करते हुए जमीन-जांच आन्दोलन को सही ढंग से विकसित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सदस्य गरीब किसान संगठन में शामिल होकर उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाएं।

सी) यह बहुत जरूरी है कि गरीब किसान संगठन का विस्तार किया जाए और उसे ऐसे संगठन में तब्दील किया जाए जिसमें किसानों की विशाल संख्या अपनी इच्छा से शामिल हो।

डी) गरीब किसान संगठन में छिपे हुए बुरे तत्त्वों को जरूर हटा देना चाहिए।

ई) जमीन-जांच आन्दोलन के मौके पर गरीब किसान संगठन को जिम्मेदारी के साथ सभाओं का आयोजन करना चाहिए। उसे इस आन्दोलन को अपने केन्द्रीय कार्यभार के तौर पर लेकर पूरा ध्यान बरतना होगा।

एफ) गरीब किसान संगठन के साथ मध्यम किसानों को गोलबन्द करना चाहिए। संगठन की बैठकों में उन्हें बुलाना चाहिए।

जी) जमीन-जांच आन्दोलन के दौरान ऊपर बताए गए नियमों का न तो मजदूर संगठन और न ही गरीब किसान संगठन उल्लंघन कर सकता। ✶

'प्रगतिशीलता' की आड़ में संप्रग सरकार की जन विरोधी नीतियां

समानता, सामाजिक न्याय, बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता, विदेशी मामलों में स्वतंत्र नीति – आदि-आदि बातें करते हुए, 'प्रगतिशीलता' का ढिंढ़ोरा पीटने वाली संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) सरकार ने गरीब जनता के हित में न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने का दावा किया था। उसने घोषणा की थी कि इसमें सामाजिक क्षेत्र, रोजगार गारन्टी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अत्यधिक महत्व देकर बड़े पैमाने पर पैसे आवंटित किए गए।

लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा कि संप्रग ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वादा किया था। उदाहरण के तौर पर संप्रग यह कहकर शेखी बघार रहा है कि उसने सामाजिक क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए। लेकिन यह दरअसल सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.4 प्रतिशत ही है। इसे किसी भी मंत्रालय या मद में नहीं आवंटित किया गया। दूसरी बात, सम्बन्धित राज्य सरकारों ने मौजूदा वित्तीय साल के लिए अपने-अपने खर्चों की योजनाएं तैयार कर लीं। इसलिए इस राशि को खर्च करने की सम्भावना भी नहीं है। यह जनता को धोखा देने के लिए की गई साजिश के सिवाए कुछ भी नहीं है। विश्व बैंक का दुमछल्ला मोंटेक सिंह अहलूवालिया की मुट्ठी में बन्द योजना आयोग को बिना किसी लक्ष्य के आवंटित इन 10 हजार करोड़ रुपए से जनता की जरूरतें पूरी नहीं होने वाली हैं, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

अब धर्मनिरपेक्षता पर नजर डाली जाए –

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर बताया गया कि सामाजिक शांति और व्यवस्था को भंग करने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा और हर हाल में धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत की जाएगी। लेकिन गुजरात कत्लेआम के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। दूसरी ओर हत्यारे गवाहों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम हथकण्डे अपनाते हुए खुल्लमखुल्ला घूम रहे हैं। संघ गिरोह के गुण्डों द्वारा दबाव, हत्या करने की धमकियों और रिश्वत की पेशकश के चलते बेस्ट बेकरी हत्याकाण्ड के मामले की मुख्य गवाह जाहिरा शेक ने अपना बयान बदलकर यह कह दिया कि उसकी पहले की गवाही गैर-सरकारी संगठनों के दबाव में दी गई थी। गवाहों को गवाही न देने या गलत गवाही देने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि गुजरात में आज भी ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं, लेकिन केन्द्र सरकार जाहिरा शेक जैसे गवाहों और मुसलमानों को संघ गिरोह से सुरक्षा देने का कोई कदम नहीं उठा रही है। ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने घोर टिप्पणी की है कि जाहिरा अपना बयान बार-बार बदलकर न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज भी गुजरात में मुसलमान असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

गुजरात में अब तक हिन्दू फासीवादियों के जुल्मों का शिकार हुए मुसलमानों की संख्या एक लाख से ज्यादा ही होगी। अब तक उन्हें राहत-पुनरवास नाम के वास्ते ही मिले हैं। कई लोगों को अभी तक पुनरवास की सुविधा नहीं मिल पाई है। गुजरात नरमेध के शिकार लोगों को खाना, मदद, पुनरवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इत्यादि मुहैया करवाने में संप्रग सरकार बुरी तरह विफल हुई। इसलिए संप्रग द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लिखी गई धर्मनिरपेक्षता खोखली ही है।

हालांकि संप्रग सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन हकीकत में वह "नरम हिन्दुत्व" की नीतियों पर चलते हुए अवसरवादी रुख अपना रही है जोकि हिन्दू फासीवादियों के अनुकूल और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। संप्रग की घटक पार्टियों में अधिकतर ऐसी हैं जो अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के लिए हिन्दुत्व की मदद करती हैं, हिन्दुत्व के साथ दुश्मनी नहीं मोलना चाहती हैं और हिन्दुत्व के साथ समझौता करती हैं। जहां पिछली राजग सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में एलके आड़वाणी पर दायर चार्जशीट उठवा लिया था, वहीं संप्रग सरकार ने सत्ता में आकर छह माह बीतने के बावजूद चार्जशीट दोबारा दायर नहीं करवाया।

इन छह महीनों के शासन ने यह साबित किया कि संप्रग धर्मनिरपेक्षता की रक्षा नहीं करेगा और अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के मद्देनजर हिन्दू फासीवादियों के अनुकूल ही काम करेगा। इसीलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ तमाम असली धर्मनिरपेक्षतावादियों को संप्रग सरकार की अवसरवादी नीति के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिन्दू फासीवादियों के बचने के लिए संप्रग सरकार या न्याय व्यवस्था पर निर्भर करने की बजाए अन्य उत्पीड़ित तबकों के साथ एकताबद्ध होकर जुझारू और संगठित रूप से मुकाबला करना चाहिए ताकि हिन्दू फासीवादियों को पराजित किया जा सके।

अब राष्ट्रीय रोजगार विधेयक पर नजर डाली जाए –

विभिन्न सरकारों द्वारा लगातार जारी नई आर्थिक नीतियों के चलते बेरोजगारी दिन-ब-दिन बेहिसाब बढ़ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण तथा छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगों की तालाबन्दी के कारण लाखों मजदूर अपना रोजगार गंवाकर बेरोजगार बन रहे हैं। इसी प्रकार डब्ल्यूटीओ के आदेशों के सामने घुटने टेककर साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों को कृषि क्षेत्र पर थोपने के कारण बाजार पर कृषि क्षेत्र की निर्भरता बढ़ी है। एक तरफ कृषि कारकों की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी तथा किसानों उगाई गई फसलों को समर्थन मूल्यों के अभाव से कृषि पर किए गए निवेश के वापिस न मिल पाने से कर्ज चुकाने में असमर्थ किसान आत्महत्या की शरण ले रहे हैं। जमीनें बेचकर बेरोजगार बन रहे हैं।

दूसरी ओर हथकरघा उद्योग पर नई आर्थिक नीति की मार इतनी पड़ी है कि उसके उबरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सूती के रंगों की कीमतें बेहिसाब बढ़ने और बनाए माल को सही दाम नहीं मिलने, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करने तथा मिलों में बने उत्पादों का मुकाबला कर सकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने के कारण बुनकर कई परेशानियों से त्रस्त हैं और अपना रोजगार गंवा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार अपनी संस्थाओं के जरिए बुनकरों से माल खरीद नहीं कर रही है, आगर करती भी है तो उसका भुगतान नहीं कर रही है। इस प्रकार अकेले आंध्र में 20,000 हथकरघे बन्द पड़े हैं। सरकार द्वारा लागू साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के चलते तथा भारतीय उद्योग के विकृत विकास के चलते एक ओर देहाती इलाकों में खेती-किसानी और हथकरघा उद्योग, दूसरी ओर शहरों में छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योग चौपट होते रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी आंधाधुंध बढ़ती जा रही है। अकेले आंध्रप्रदेश में पिछले छह महीनों में 1,860 किसानों ने आत्महत्या कर ली जबकि भूखमरी ने 200 बुनकरों की जानें लीं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्रमशः 419, 467 और 350 किसानों ने आत्महत्या की। अगर देश भर में देखा जाए तो यह संख्या कई गुनी ज्यादा होगी। महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस पिछले पांच सालों से

सत्ता में है, इस वर्ष अकेले विदर्भ में ही 400 कपास उगाने वाले किसानों ने खुदकुशी कर ली। भारत में 69 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करते हुए जी रही है और लगभग 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 24 प्रतिशत से भी कम है जबकि झूठी आजादी मिलते समय 61 प्रतिशत हुआ करता था। इस खराब स्थिति के लिए मौजूदा कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार समेत इसके पहले देश पर राज करने वाली तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं।

पिछले छह महीनों में बढ़ी हुई कीमतों से सबसे बुरी तरह प्रभावित लोग भी किसान ही हैं। डीज़िल, उर्वरक और कीड़ा मार दवाइयों की कीमतों में 30-40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इनकी तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतें ज्यों की त्यों हैं या गिर गईं। पेट्रोल, डीजिल और रसोई गैस के दामों में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी करके संप्रग सरकार ने गरीब व मध्यम वर्गीय जनता की कमर तोड़ दी।

इसके अलावा, किसान और बुनकर गुर्दे जैसे अपने शारीर के अंगों को भी बेचने को मजबूर हैं क्योंकि जीने का कोई जरिया नहीं रह गया जिससे वे अपने परिवारों को पाल सके। इस प्रकार वे कार्पोरेट अस्पतालों की लूटपाट का शिकार हो रहे हैं। खून की कमी, गंभीर अस्वस्थता और भूख से बेमौत मर रहे हैं।

कपास उगाने वाले किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर कपास से बनी सूती हथकरघा मजदूर को महंगे दाम पर मिल रही है। और हथकरघा मजदूरों का दिवालिया इसलिए निकल जाता है क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कपड़े को वाजिब दाम नहीं मिलता। साम्राज्यवाद, दलाल पूंजीपति और सामन्ती वर्ग एकजुट होकर भारत की जनता का ऐसा नंगा शोषण-उत्पीड़न कर रहे हैं।

दरअसल, लुटेरे वर्ग यही चाहते हैं कि लोग अपने-अपने पेशे गंवाकर बेरोजगार बन जाएं। जितने ज्यादा बेरोजगार होंगे उतने ही सस्ते में वे उनकी श्रमशक्ति की खरीद कर सकते हैं। हालांकि जनता को आन्दोलनों के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए कुछ आंसू पोंछू रोजगार कार्यक्रम अपनाते हैं। इसका हिस्सा ही है रोजगार गारन्टी विधेयक। इसके मुताबिक हरेक परिवार के एक व्यक्ति को 100 कार्य-दिवस मुहैया कराने की बात की जा रही है। लेकिन सरकार ने वास्तव में इस मद में पहले के बजट में आवंटित 9,640 करोड़ रुपए को घटाकर 4,530 करोड़ रुपए कर दिए। इससे यह समझा जा सकता है कि सरकार इस योजना के प्रति कितनी ईमानदार है। दरअसल जनता को रोजगार देने के प्रति सरकार सचमुच ही ईमानदार होती तो बेरोजगारी ही पैदा न होती!

सरकार ने एक ओर गरीब तबकों को रोजगार देने वाली योजनाओं के बारे में बढ़-चढ़ कर बोलते हुए ही दूसरी ओर कर्मचारियों की भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर 9.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत तक घटा दिया। इससे 4 करोड़ मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो इससे 12 करोड़ लोगों को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार सरकार ईपीएफ से कई करोड़ रुपए लूट रही है। दरअसल, साल भर जमा होते रहने वाले ईपीएफ पर सरकार चाहे तो 9.5 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज ही दे सकती थी, पर उसने बाजार की दर के नाम पर 8.5 प्रतिशत तक घटा दिया। इस प्रकार संप्रग सरकार मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रही है।

महिलाएं, बच्चे, आदिवासी, बिजली, पीने का पानी, कानून, न्याय, आदि कई मद्दों पर अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में संप्रग सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, उन पर छह महीनों बाद भी कोई खास प्रगति नहीं हुई। संप्रग सावरकर विवाद, भाजपा नेत्री उमाभारती की गिरफ्तारी जैसे मुद्दे, जो महत्वहीन और जनता से कोई सरोकार न रखने वाले हैं, उछालकर भाजपा से मारामारी की हद तक बढ़ा था। ऊपर से प्रधानमंत्री यह कहते हुए जनता की समस्याओं को दरकिनार कर रहे हैं कि चूंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मियाद पांच साल की है, इसलिए अभी काफी समय बचा है। इसका मतलब प्रधानमंत्री की नजर में बेरोजगारी, बीमारी, अकाल, भुखमरियां, आत्महत्याएं आदि जनता की ज्वलंत समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं हैं जिन्हें कि फौरन प्राथमिकता देकर हल किया जाए!

योजना आयोग के बारे में –

अब तक भाजपा समेत किसी भी सरकार ने योजना आयोग के सलाहकारमण्डल में साम्राज्यवादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त करने का साहस नहीं किया था। हालांकि वे उनकी नीतियों पर योजना आयोग में चर्चा करके उन पर अमल की रूपरेखा बनाया करती थीं। लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो विश्व बैंक का दुमछल्ला है, ने साम्राज्यवादियों की बढ़-चढ़कर सेवा करने की मंशा से योजना आयोग के सलाहकारमंडल में विश्व बैंक का निर्देशक, एशिया विकास बैंक (एडीबी) का प्रतिनिधि और मैककेन्सी नाम के एक विदेशी संगठन का प्रतिनिधि तीनों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जिसका कि संप्रग सरकार ने अनुमोदन किया। इससे विश्व बैंक को यह मौका मिल जाता है कि वह अपने एजेन्डे को सीधी तौर पर योजना आयोग में प्रस्तुत करके उसका अनुमोदन करवाकर लागू करवा सकेगा। इससे विश्व बैंक को न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी करने का मौका मिलेगा, बल्कि उसे वैधता भी मिल जाएगी। इन बातों से यही समझा जा सकता है कि संप्रग सरकार सभी मोर्चों के सारे दरवाजे पूरी तरह खोल रही है ताकि साम्राज्यवादी भारत की तमाम सम्पदाओं और जनता को बेरोकटोक लूट सकें।

नाम के वास्ते ही सही संशोधनवादी पार्टियों की ओर से आए विरोध की रत्ती भर भी परवाह न करने वाले अहलूवालिया इसका समर्थन करते हुए यह सवाल उठाया – "जब विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धित कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले रहे हैं तो वे इन्हीं कमेटियों में रहकर नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी राय प्रकट क्यों न कर सकते? अगर उन पर किसी को कोई मतभेद हों तो उसी बैठक में वे अपनी बात रखने के लिए आजाद होंगे न?" दरअसल ऐसे साम्राज्यवादी प्रतिनिधि योजना आयोग की कमेटियों में रहने का मतलब हमारे देश की सम्प्रभुता के लिए ही कलंक है। अब तक परदे के पीछे से भारतीय राज्य का नियंत्रण करते रहने वाले साम्राज्यवादी अब प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के जरिए कर सकेंगे। संप्रग सरकार चाहती भी यही है। पूर्व में खुद विश्व बैंक के उच्च अधिकारी रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार के दलाल चरित्र का इस प्रकार नंगा प्रदर्शन कर रहा है।

उधर आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछली तेलुगुदेशम सरकार की नाकामयाबियां गिनाते हुए कहा कि चन्द्रबाबू की अगुवाई में पिछली सरकार ने विश्व बैंक की नीतियों को लागू किया जिससे कृषि में संकट पैदा हुआ और जनता की मुसीबतों और कई किसानों की आत्महत्याओं का कारण बना। पर सच तो यह है वर्तमान सरकार भी मौजूदा संकट से उबरने के लिए विश्व बैंक से सलाहें लेने की सोच रही है!

चूंकि आन्ध्रप्रदेश में तेलुगुदेशम सरकार ने विश्व बैंक के आदेशों को हू-ब-हू लागू किया, इसीलिए वह जनता के विरोध के चलते बुरी तरह पराजित हुई। लेकिन संप्रग सरकार की पिछले छह महीनों से जारी नीतियों पर नजर डालें तो यह साफ मालूम पड़ता है कि केन्द्र में या राज्यों में सत्ता पर चाहे राजग रहे या संप्रग, सभी सरकारें साम्राज्यवादियों द्वारा निर्देशित उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण (एलपीजी) की नीतियों पर ही चला करेंगी।

संशोधनवादी पार्टियों समेत सभी संसदीय पार्टियां साम्राज्यवाद परस्त नीतियों को लागू करने में एक मत से हैं।

दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बीमा, आदि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्रों को भी साम्राज्यवादी लूट के लिए खुल्ला छोड़कर कांग्रेस सरकार ने ऐसा साहस किया जो कि भाजपा ने भी नहीं किया था। सत्तारूढ़ होते ही उसने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया। इस क्षेत्र में विदेशी पूंजीनिवेश को 40 से 49 प्रतिशत तक बढ़ाया। इसके अलावा सरकार मुम्बई और दिल्ली के हवाईअड्डों को निजी कम्पनियों को पट्टे पर देने की भी सोच रही है।

दूर संचार क्षेत्र में विदेशी पूंजी को 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढ़ाया। इसके अलावा विदेशी सट्टा पूंजी (विदेशी संस्थागत पूंजी – एफआईआई) को भारी-भरकम रियायतें घोषित कीं। ऋण के कोषों में एफआईआई पर हदबन्दी को 1 अरब डॉलरों से 1.75 अरब डॉलरों तक बढ़ा दिया। देश में एफआईआई के प्रवेश पर पहले मौजूद पाबन्दियों में ज्यादातर को वापिस लिया।

भारत में फिलहाल 4 करोड़ 30 लाख लैण्डलाइन टेलीफोन कनेक्षनधारी और 4 करोड़ मोबाइल फोन के उपभोक्ता मौजूद हैं। एक अनुमान है कि आगामी दो सालों में ये संख्याएं दुगुनी हो जाएंगी। यानी हर 8 व्यक्तियों के लिए एक फोन उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए 20 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इन जरूरतों को पूरा करने की आड़ में सरकार यह कह रही है कि दूर संचार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाएगा। इसीलिए उसने विदेशी पूंजी को 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत कर दिया। साम्राज्यवादी डकैत अपनी लूटपाट का ज्यादा बढ़ाने हेतु हरेक मौके के लिए कई सालों से मांग करते आ रहे हैं। अब कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार ने अपने पहले ही बजट में इस प्रकार उनकी सारी मुरादें पूरी कीं।

उड्डयन और दूर संचार के क्षेत्रों में निजी पूंजी की सीमा बढ़ाने तथा हवाई अड्डे निजी कम्पनियों को पट्टे पर देने से इन पर सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब देश की सुरक्षा को साम्राज्यवादियों के हाथों में रखना है। इसके अलावा इनमें कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होगी।

संप्रग सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में पोटा कानून को रद्द करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वह जनता पर यूएपीए (गैर-कानूनी क्रियाकलापों का नियंत्रण कानून) थोप रही है जो उतना ही क्रूरतम विधेयक है। यानी पोटा के सभी क्रूरतापूर्ण प्रावधानों को बरकरार रखा जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवादी संगठनों से सम्बन्धित विवरण, यह साबित होने पर कि आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद की गई, आतंकवाद के अनुकूल भाषण देने पर – इत्यादि पोटा के तमाम प्रावधानों को ज्यों की त्यों रखते हुए विधेयक तैयार किया गया। पोटा के तहत प्रतिबन्धित 32 संगठनों को यूएपीए के तहत प्रतिबन्धित किया गया। जब राजग की सरकार थी तब एमडीएमके नेता को पोटा के तहत गिरफ्तार करने पर उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कहकर बड़े पैमाने पर शोर मचाने वाली कांग्रेस अब उतना ही क्रूरतापूर्ण दूसरा कानून लागू कर रही है, भले ही उसका नाम दूसरा क्यों न हो।

पोटा को रद्द करके खुद को बड़ा जनवादी बताने वाली संप्रग सरकार ने पूर्वोत्तर के क्षेत्र में लगभग 50 सालों से लागू सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग से सघर्षरत मणिपुर जनता पर बर्बरतापूर्ण दमनचक्र चलाया। एक तरफ जनता की जनवादी आकंक्षाओं और मांगों का दमन करते हुए ही दूसरी तरफ शान्ति, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, आदि बातें करना संप्रग के दोगलेपन का साफ सबूत है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के दमन के मामले में उसके दोगलेपन को साफ देखा जा सकता है। आन्ध्रप्रदेश में पिछले कई सालों से जनता द्वारा उठाई जा रही मांग को मान लेते हुए कांग्रेस सरकार ने हाल ही में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ शांति वार्ता शुरू करके खुद को बड़ा शांतिवादी बताने की कोशिश की। लेकिन जब लाखों लोगों ने सड़कों पर आकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के पक्ष में नारे लगाना शुरू किया तो कांग्रेस ने अपने दमनकारी चेहरे को उजागर करते हुए दमनात्मक कार्यवाहियां शुरू कीं। उसने ऐसी अड़ियल शर्तें सामने लाकर वार्ता की प्रक्रिया को पटरियों से उतारने की भरसक कोशिश की कि नक्सलवादियों को हथियार त्यागकर मुख्यधारा में लौट आना चाहिए। अब तो गिरफ्तारियों और झूठी मुठभेड़ों का सिलसिला भी दोबारा शुरू किया गया। केन्द्र सरकार एक तरफ आन्ध्रप्रदेश में नक्सलवादियों के साथ शांतिवार्ता को सही ठहराते हुए ही दूसरी तरफ यह कहकर दमन में तेजी ला रही है कि वामपंथी उग्रवाद ही देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिन राज्यों में क्रान्तिकारी आन्दोलन मजबूत है, वहां सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी रहे, केन्द्र सरकार उनकी मुंहमांगी सहायता करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की योजना को अन्तिम रूप दे रही है। खास तौर पर पूर्व की पीपुल्सवार और एमसीसीआई पार्टियों का विलय और भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद तो संप्रग सरकार ने दमनकारी कार्यवाहियों में तेजी लाई है। दिल्ली, पटना, आदि शहरों में एकीकृत पार्टी के गठन के उपलक्ष्य में कुछ जनवादी संगठनों और व्यक्तियों ने सभा आयोजित करने की कोशिश की तो संप्रग सरकार ने बल प्रयोग के जरिए विफल कर दिया। इस प्रकार वह जनता के बोलने, सभा करने आदि अधिकारों का भी हनन कर रही है जो कि न्यूनतम अधिकार हैं।

संप्रग सरकार की विदेश नीति भी उसके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में घोषित नीति से मेल नहीं खाती। फिलिस्तीनी जनता की मातृभूमि के मामले में दशकों से प्रतिबद्धता की दुहाई देने वाला भारत अब इज्राएल की दुराक्रमणकारी कार्यवाहियों का विरोध नहीं कर रहा है। जब फिलिस्तीन को टुकड़ों में बांटकर कंटीले तारों और दीवारों से जमीन पर नरक में तब्दील किया जा रहा है तो संप्रग ने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। भारतीय विदेश मंत्री ने यासर अराफात के साथ मुलाकात के दौरान भी अपना सक्रिय समर्थन का इजहार नहीं किया। इसके अलावा, उसी समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने हथियारों की खरीद और संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर समझौते के लिए इज्राएल का दौरा किया।

इराक के मामले में भी कांग्रेस का दोगलापन साफ दिख रहा है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने इराक में सेनाएं भेजने के प्रस्ताव का विरोध किया था। इराक पर अमेरिका के दुराक्रमण का हीन स्वर में सही विरोध किया था। पर अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लन्दन में टोनी ब्लेइर के साथ मुलाकात के दौरान कहा, "इराक के मामले में पहले की गई बातें अतीत की हैं। अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं।" इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इराकी पुलिस को भारत प्रशिक्षण देगा और फिलहाल अमेरिका के कब्जे वाले इराक में चुनावों का समर्थन करेगा। इस प्रकार मनमोहन सिंह ने फिर एक बार खुद को साम्राज्यवादियों का वफादार सेवक साबित किया।

सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी बैठी रहे, वित्तीय सुधारों को लागू करने में सबका रवैया एक है। ये सभी पार्टियां अपने साम्राज्यवादी आकाओं की सेवा करते हुए देश को बेरोकटोक लूटने में एक-दूसरे का सहयोग करने वाली ही हैं। साम्राज्यवाद के खिलाफ सच्चा और जुझारू आन्दोलन ही इन देशद्रोहियों द्वारा जारी साम्राज्यवाद परस्त नीतियों का मजबूती से मुकाबला कर उन्हें मात दे सकता है। ★

उत्तरप्रदेश में पीएलजीए का जबर्दस्त एम्बुश

पीएसी के 17 जवानों का सफाया

21 सितम्बर 2004 को एक एकीकृत क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन की खबर सुनकर शासक वर्गों में कितनी घबराहट पैदा हुई, यह सभी को मालूम है। अब उन्हें और भी परेशान कर देने वाली खबर यह है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश में जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर नवम्बर 20 तारीख को पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने एक जबर्दस्त हमला करके पुलिस बलों का बड़े पैमाने पर सफाया करके जहां देश भर में उत्पीड़ित जनता में उत्साह का संचार किया, वहीं लुटेरे शासकों और उनके भाड़े के पुलिस बलों को झकझोरकर रख दिया। पूर्वी उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में, जो कि काफी पिछड़े इलाके माने जाते हैं, पिछले कुछ सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन जारी रहता है। यह ऐसा इलाका है जहां भूख, गरीबी, बेरोजगारी और अकाल का तांडव जारी है। खासकर आदिवासी जनता जंगल पर अधिकार गंवाकर, जमीनें गंवाकर और सिर छुपाने का जरिया गंवाकर दुर्भर हालात में जी रही है। खुद को दलित नेत्री बताने वाली मायावती, खुद को पिछड़ों का नायक बताने वाला मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री चाहे कितने ही क्यों न बदल गए हों, पर यहां के दलित, आदिवासी और अन्य गरीब तबकों और जातियों की जनता के जीवन हालात तो दिन-ब-दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्रूरतम सामन्ती शोषण एक तरफ और सरकारी अधिकारियों के जुल्म और अत्याचार दूसरी तरफ। ऊपर से सरकारों द्वारा जारी साम्राज्यवाद परस्त लुटेरी नीतियों से जनता की जिन्दगी तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है।

इस प्रकार तमाम अन्तरविरोधों के तीखे होने की पृष्ठभूमि में यहां क्रान्तिकारी आन्दोलन ने जड़ें जमा लीं। पूर्व के एमसीसीआई के नेतृत्व में इस इलाके में 1990 के दशक के आखिर में क्रान्तिकारी आन्दोलन के बीज बोए गए थे। पर बढ़ते क्रान्तिकारी आन्दोलन को जितना जल्द हो सके जड़ से खत्म करने की मंशा से दुश्मन वर्ग तीखे दमन का प्रयोग कर रहे हैं। साम्प्रदायिकतावाद और क्रूरता के लिए बदनाम पीएसी (प्रोविन्शियल आर्मड कानस्टेबुलरी) बलों ने कई दमनात्मक अभियान चलाकर कई कार्यकर्ताओं की हत्या की। उनमें से एक कत्लेआम को इस मौके पर जरूर याद करना चाहिए जो मार्च 2001 में मिर्जापुर जिले में घटित हुआ था। क्रान्तिकारियों को आश्रय देने के बहाने पीएसी ने एक गांव पर छापामारी करके 16 ग्रामीणों को पकड़कर गोली मार दी। वे सब गरीब आदिवासी और दलित ही थे। सरकार ने उसे मुठभेड़ की संज्ञा देकर गलत प्रचार किया था। 20 नवम्बर 2004 को चंदौली जिले के नौगढ़ के निकट 17 जवानों का सफाया करके पीएलजीए ने उन तमाम शहीदों की कुरबानी का सही बदला ले लिया। क्रान्तिकारी आन्दोलन के दमन के सिलसिले में एक ट्रक पर सवार होकर निकले पीएसी जवानों को पीएलजीए के लाल सैनिकों ने बारूदी सुरंग के धमाके से उड़ा दिया। इस विस्फोट में ट्रक की धज्जियां उड़ गईं। इस घटना में 17 भाड़े के जवान मारे गए जबकि कुछ अन्य घायल हैं। शत्रु बलों से पीएलजीए ने तीन एके-47, आठ एसएलआर और कुछ अन्य हथियार समेत भारी मात्रा में गोलियां जब्त कीं। उत्तरप्रदेश में पहली बार इतना बड़ा हमला करके दुश्मन सैनिकों का भारी संख्या में सफाया कर उत्पीड़ित जनता में आत्मविश्वास जगाने वाले पीएलजीए योद्धा बधाई के पात्र हैं। ★

26 जनवरी 2005 को 'दण्डकारण्य बन्द' की घोषणा

दण्डकारण्य के आन्दोलन पर केन्द्र और राज्य सरकारें चौतरफा हमला तेज करते हुए, एक तरफ झूठे सुधार और दूसरी तरफ क्रूरतापूर्ण दमनचक्र जारी रखी हुई हैं। दूसरी ओर जेओसी (संयुक्त ऑपरेशनल कमाण्ड) की अगुवाई में सीआरपीएफ बलों को उतारकर आदिवासी जनता पर दमनात्मक कार्यवाहियों में तेजी लाई जा रही है। सरकार के सभी किस्म के भाड़े के सशस्त्र बल गांवों पर अंधाधुंध छापेमारियां करते हुए बेकसूर जनता को गिरफ्तार करना, प्रताड़नाएं देना, अंधाधुंध गोलीबारियां करना, झूठी मुठभेड़ों में लोगों की हत्या करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, जनता की सम्पत्तियों में तोड़फोड़ करना – इत्यादि पाशविक तरीकों में "घेराव-दमन" की कार्यवाहियों को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पोटा के स्थान पर 'छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा विधेयक' के नाम से एक और काला कानून लाने जा रही है। हम आह्वान करते हैं कि बढ़ते शत्रु हमले और राजकीय हिंसा के खिलाफ 26 जनवरी 2005 को 'दण्डकारण्य बन्द' का पालन किया जाए। हम सभी तबकों की जनता से अपील करते हैं कि बन्द को बड़े पैमाने पर सफल बनाया जाए। हम जनता और जनवाद के प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि इस मौके पर निम्न लिखित मांगें उठाई जाएं –

1) छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा विधेयक के प्रस्ताव को वापल लिया जाए।
2) बस्तर और सरगुजा इलाकों से अर्ध सैनिक बलों को वापस भेजा जाए। केन्द्र से अतिरिक्त अर्ध सैनिक बलों को न मंगाया जाए।
3) छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकारें जेओसी से वापस आएं।
4) नक्सलवादियों के नाम से बेकसूर किसानों पर दायर सभी झूठे मामलों को वापस लिया जाए।
5) जीरमतराई, पल्ली और कोत्ताचेरुवु गांवों में नक्सलवादियों के नाम पर बेकसूर किसानों की हत्या करने वाले पुलिस वालों को सजा दी जाए।
6) गड़चिरोली जिले में जन संगठन सदस्यों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द किया जाए।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

अक्टूबर 2004

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

श्रद्धांजली

संघर्ष के रास्ते में धराशायी हुई कॉमरेड कल्पना (पोज्जे बुरका) को लाल सलाम !

पश्चिम बस्तर डिवीजन के मद्देड एरिया के ग्राम बंडारुपल्ली के एक गरीब आदिवासी दोरला परिवार में करीब बीस साल पहले कॉमरेड कल्पना का जन्म हुआ था। बरका गोत्र के उस परिवार की बड़ी लड़की थीं वह। माता-पिता ने उनका नाम पोज्जे रखा था। बचपन से ही घर के सभी कामों में सक्रियता दिखाने वाली अपनी दुबली-पतली बेटी को देखकर वे बहुत खुश हुआ करते थे। वे अपनी बेटी के भविष्य पर तरह-तरह के सपने देखा करते थे।

संघर्ष के रास्ते में शहीद हुए कॉमरेड लक्ष्मैय्या, कॉमरेड राममूर्ति, कॉमरेड बाबू जैसे कई क्रान्तिकारियों की जन्मस्थली है बंडारुपल्ली। बचपन से ही कल्पना उन शहीदों के आदर्शों से प्रेरित थीं। उन पर गीतों को वह बचपन से ही खेलते-कूदते और बैल चराते गुन-गुनाया करती थीं। वह उनके रास्ते पर चलकर उनके अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का सपना देखा करती थीं। उसकी यही इच्छा रहती थी कि बड़ी होना और पीएलजीए के दस्ते में भर्ती होना। अपने साथी बच्चों को भी वह यही बताते हुए उत्साहित किया करती थीं।

जब कल्पना बड़ी हो गईं तब केएएमएस सदस्या बन गईं। पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने महिलाओं को केएएमएस में गोलबन्द किया। पार्टी के आह्वान पर उन्होंने कई आर्थिक व राजनीतिक संघर्षों, प्रदर्शनों और रैलियों में भाग लिया। वह अपनी साथी महिलाओं को संघर्षों में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रेरित किया करती थीं। पुलिस ने एक बार उस गांव पर छापेमारी करके डीएकेएमएस सदस्यों को गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश की तो गांव की तमाम महिलाओं ने हाथों में मूसल, कुल्हाड़ी, हंसिया, आदि हथियार उठाकर पुलिस का मुकाबला करके न सिर्फ संघ के सदस्यों को छुड़ा लिया था, बल्कि पुलिस को दौड़ा दिया था। यह घटना उस गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक थी। कॉमरेड कल्पना भी इसी स्फूर्ति को दिल में भरकर काम करती थीं और अपनी साथी महिलाओं को उत्साहित करती थीं। गांव के महिला संगठन के काम में उनकी सक्रियता को देखकर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार सदस्यता दी। इस प्रकार पार्टी की क्रान्तिकारी राजनीति का हिस्सा बनकर उन्होंने खुद को और अपने जन संगठन को विकसित करने की कोशिश की। जब भी छापामार दस्ता गांव में जाता तो वह यह पूछते हुए उसके पीछे लग जाती थीं कि कब उसे भर्ती कर लेंगे। वह हमेशा पीएलजीए के दस्ते में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहती थीं।

जनवरी 2001 में कॉमरेड कल्पना पीएलजीए की सदस्या बन गईं और मद्देड स्थानीय छापामार दस्ते में सदस्या के रूप में काम शुरू किया। गांव-गांव में क्रान्तिकारी राजनीति का प्रचार-प्रसार करती थीं। दस्ते के अनुशासन का पालन करने में तथा सामूहिक कामों में वह आगे रहा करती थीं। शारीरक रूप से दुबली-पतली रहने के बावजूद भी एक छापामार के रूप में चलने और बोझ उठाने में कभी किसी से पीछे नहीं रहती थीं।

छापामार जिन्दगी में पेश आने वाली तमाम कठिनाइयों को उन्होंने क्रान्तिकारी संकल्प के साथ झेल लिया। संघर्ष में उत्पन्न चुनौतियों का उन्होंने शहीदों की कुरबानियों की प्रेरणा से सामना किया। वह अपने साथियों के हर दुख-दर्द को बांट लिया करती थीं, सभी से घुलमिल जाती थीं। अपनी राजनीतिक समझदारी को विकसित करने हेतु पढ़ाई को अनिवार्य समझते हुए उन्होंने पूरा ध्यान देकर पढ़ाई शुरू की। छोटी-छोटी किताबें और पत्रिकाएं पढ़कर अपनी राजनीतिक चेतना विकसित कर लेती थीं। दस्ते के जीवन में व्यायाम, फौजी ड्रिल आदि करने में भी वह कभी पीछे नहीं रहती थी। एक बार महिलाओं के लिए आयोजित मिलिटरी प्रशिक्षण कैम्प के दौरान हुई प्रतियोगिता में कॉमरेड कल्पना प्रथम स्थान पर रहीं। शत्रु दमन से वह नहीं डरती थीं। जो लोग दमन से डरकर आन्दोलन को छोड़कर भाग जाते हैं उनका विरोध करती थीं। वह गांवों में युवाओं को यही बताती थीं कि जनता के लिए लड़कर जान देना सर्वोत्तम विषय है। छापामार लड़ाई के दौरान हुए एम्बुशों और अन्य हमलों में उन्होंने उत्साह के साथ भाग लिया। दमन के दिनों में भी जनता को गोलबन्द करने और दुश्मन के साथ लड़ाई में नई तकनीकें सीखने के लिए वह हमेशा उत्सुक रहा करती थीं। मई 2002 में लोदेड गांव में भाड़े के पुलिस बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कॉमरेड कल्पना ने हिम्मत के साथ बन्दूक चलाई। दिसम्बर 2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के मौके पर मोदुगुपल्ली गांव के पास पुलिस पर घात लगाकर हमला करके छह जवानों का सफाया करके उनके सारे हथियार छीनने की कार्यवाही में कॉमरेड कल्पना ने भाग लिया। इस प्रकार उन्होंने छापामार युद्ध में अपने लड़ाकूपन का परिचय दिया।

वह कोवेला छापामार दस्ते में सदस्या बन गईं। इस दौरान वह पार्टी सदस्या भी बन गईं। शहीद सप्ताह के दौरान इलाके में शहीदों की यादगार में आयोजित सभाओं को सफल बनाने के सिलसिले में उनका दस्ता पूरी तरह व्यस्त था। तेज बारिश और उफनती नदियों के बावजूद दस्ते की यात्रा जारी थी। वैसे ही 2 अगस्त को जब छापामार दस्ता चिन्तावागु नदी को पार करने के प्रयास में था तब तेज बहाव के चलते वह तैर नहीं पाई और पानी में बह गईं। इस प्रकार दुर्घटनावश कॉमरेड कल्पना की शहादत हुई। आज वह हमारे बीच भौतिक रूप से तो नहीं हैं परन्तु उनके आदर्श, उत्साह और बलिदान हमें संघर्ष की प्रेरणा देते रहेंगे। आइए, शहीदों के सपनों को साकार बनाने के लिए हम वर्तमान कृषि क्रान्तिकारी छापामार युद्ध को तेज करेंगे और आधार इलाकों की स्थापना करते हुए एक खुशहाल नए जनवादी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वही अपने प्यारे शहीदों के प्रति सच्चा सम्मान होगा। ★

कॉमरेड नामदेव पोरतेटी (पूसु) को लाल सलाम !

गड़चिरोली जिले के अहेरी तहसील की लक्कामेडलु पहाड़ों की शृंखला की गोद में बसे हुए कई गांवों में से एक है गोल्लाकर्जा। शुरू से ही यह गांव क्रान्तिकारियों का मजबूत गढ़ रहा है। 1980 के दशक में क्रान्तिकारी आन्दोलन के शुरू होने के बाद जन्म लेने वाली नई पीढ़ी का था कॉमरेड नामदेव। उसका बचपन मां की लोरियों से नहीं बल्कि लड़ाई के गीत सुनते-सुनते गुजरा। पुलिसिया दमन ने उसे किलकारें भी करने नहीं दिया था। क्रान्ति की चाहत जैसे उसे घुट्टी में ही पिला दी गई थी और जवानी ने उसे लड़ने का जोश प्रदान किया। अपनी इस चाहत को पूरा करने के फौलादी इरादे के साथ यह नौजवान 7 अप्रैल 2004 से क्रान्ति में प्रत्यक्ष भागीदार बन गया। लुटेरी सरकार और उसकी रखवाली करने वाले पुलिसिया कुत्तों से उसे बेहद नफरत थी।

लोकसभा चुनावों के मौके पर चलाए गए प्रतिरोध अभियान में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। इस प्रकार उन्होंने नेतृत्वकारी कमेटियों का भरोसा जीत लिया। पार्टी जहां भी भेजे और जो भी काम दे, चाहे वह इलाका उनके लिए बिलकुल अनजान हो और काम भी बिलकुल नया ही क्यों न हो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के चल पड़ते थे। जुलाई माह में एक बार एक टीम के साथ जब वह पुलिस के जाल में फंस गए थे, उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सूझबूझ और बहादुरी का उम्दा प्रदर्शन किया। अपनी बन्दूक से ही दुश्मन को जवाब देते हुए अपने साथियों को दुश्मन के जाल से सुरक्षित निकाल दिया। इस तरह उन्होंने एक बहादुर पीएलजीए सैनिक की फौजी क्षमता का नमूना पेश किया। उन्होंने ऊपर की कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा कि उन्हें फौजी मोर्चे के काम में रखा जाए। उन्होंने अपने छोटे से क्रान्तिकारी जीवन में ही अपने व्यवहार से बचपन के यार-दोस्तों, अपनी जीवन संगिनी और रिश्तेदारों को बेहद प्रभावित किया।

25 अक्टूबर को दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई का परचम ऊंचा उठाए रखा। जब दुश्मन की गोलियों से वह बुरी तरह घायल होकर खून से लथ-पथ थे, और जब दुश्मन ने बन्दूक फेंककर आत्मसमर्पण करने को ललकार रहा था, तब भी उन्होंने जिस अदम्य शूरता का प्रदर्शन किया वह हरेक क्रान्तिकारी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने बुरी तरह घायल हालत में भी आत्मसमर्पण करने से इनकार करके हमारी पार्टी और हमारी पीएलजीए की शान में चार चांद लगा दिए। और वह तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनकी सांसें थम नहीं जातीं। दुश्मन ने उनकी लाश के पास आने से पहले गोलियों की बौछार करके अपनी कायरता का प्रदर्शन किया।

इस प्रकार गड़चिरोली के क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक उदीयमान लड़ाकू खोया। आइए, इस नौजवान पीएलजीए योद्धा को गर्व से याद करें और उनके अधूरे सपनों को साकार बनाने की कसम खाएं। ✶

मानेवारा शहीदों को लाल सलाम !

महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनावों के मौके पर प्रतिरोध अभियान चलाकर एटापल्ली इलाके में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले पीएलजीए सैनिक मानेवारा गांव के निकट इकट्ठे हुए थे ताकि दुश्मन के अगले हमले का मुकाबला करने की तैयारियां की जा सकें। ऐसे समय दुश्मन के भाड़े के बलों ने अपने एक मुखबिर से सूचना पाकर छापामारों के मुकाम का घेराव करके हमला बोल दिया। 1 नवम्बर 2004 को दुश्मन के साथ लगभग एक घण्टे तक हुई इस भीषण लड़ाई में पीएलजीए के दो बहादुर सैनिक कॉमरेड भूमन्ना (वसन्त पोरतेटी) और सरिता (लिम्मी तिम्मा) शहीद हो गए। इन दोनों शहीदों को भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी विनम्रता के साथ श्रद्धांजली पेश करती है और शोक में डूबे उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है।

पलटन-7 का सेक्षन कमाण्डर
कॉमरेड भूमन्ना (वसन्त चंद्र पोरतेटी)

1 नवम्बर को मानेवारा के निकट पुलिस के साथ वीरता से जूझते हुए कॉमरेड भूमन्ना शहीद हो गए। गड़चिरोली जिले के क्रान्तिकारी आन्दोलन में अहेरी इलाके को और खासकर जिम्मलागट्टा रेंज को एक विशेष स्थान है। उसी रेंज के कोलमरका और लक्कामेडलु पहाड़ों के बीच स्थित है लिंगमपल्ली गांव। शुरू से ही इस गांव के साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन का अच्छा सम्बन्ध रहा। कॉमरेड भूमन्ना का जन्म 25 बरस पहले इसी गांव में हुआ था। माता-पिता ने उनका नाम वसन्त रखा था। खेलने-कूदने की उम्र से ही वह क्रान्तिकारी गीतों से प्रभावित हुए थे। गरीब राजगोण्ड परिवार में जन्मे वसन्त को बुर्जुआई स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला। बचपन से ही लड़ाई ही उनकी पढ़ाई हो गई। पहले वह बाल संगठन के सदस्य बने थे और बाद में उसके अध्यक्ष बन गए। वह अपनी बाल सेना को साथ लेकर छापामार दस्ते के लिए उत्साह के साथ भेजन-पानी लाया करते थे। क्रान्ति के सपने देखते-देखते उन्होंने जवानी में कदम रखा। बन्दूक उठाकर लड़ने की इच्छा से वह गांव के सुरक्षा दस्ता के कमाण्डर बन गए। सुरक्षा दस्ता के कमाण्डर के तौर पर उन्होंने कई बार दुश्मन को हैरान-परेशान करने के लिए की गई कार्यवाहियों का नेतृत्व किया। वह डीएकेएमएस के आम सदस्य से रेंज कमेटी सदस्य बन गए। जब दुश्मन ने दमन को तेज किया और लोगों की बोल-चाल पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी, तब उन्होंने गुप्त रूप से घूमते हुए जन संगठन का काम जारी रखा। इस दौरान वह एक बार दुश्मन के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें बुरी यातनाएं दीं जिससे उनके शरीर पर कई

जख्म आए। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की मारों से पैरों और कमर में दर्द बना रहता था जो कि उन्हें आखिर तक सताता रहा। क्रान्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विश्वास को देखते हुए स्थानीय पार्टी कमेटी ने उन्हें सदस्यता देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने पुलिस की नजरों से बचते हुए कुछ समय के लिए अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और उसके बाद जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं कि वह वहां खुलकर काम नहीं सकते थे, तो भूमिगत होकर जनता में 'भूमन्ना' के नाम से काम करना शुरू किया। दस्ते में छापामार जीवन के अनुशासन को सीखते हुए अपनी शारीरक कमजोरियों से उबरने की कोशिश की। 1992 में डिवीजन में आयोजित फौजी प्रशिक्षण कैम्प में उन्होंने उत्साह के साथ भाग लिया। दमन के चलते सिकुड़ चुके आन्दोलन के इलाके का फैलाव करने के इरादे से डिवीजनल कमेटी ने सिरोंचा इलाके में दस्ता भेजने का प्रस्ताव किया। उस दस्ते के लिए आवश्यक सदस्यों के चुनाव के समय सबसे पहला नाम भूमन्ना का ही सामने आया था। हालांकि उनकी मातृभाषा गोण्डी थी, पर तेलुगु में बोलना और गीत गाना उन्हें भाता था। अहेरी और सिरोंचा इलाकों में लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने सभी का विश्वास और स्नेह हासिल किया। सभी से घुलमिल जाने वाले और सभी को हंसाते, चेहरे पर अमिट मुस्कान से सादा-सीधा दिखने वाले भूमन्ना के दिल में वर्ग दुश्मन के प्रति जैसे ज्वालामुखी रहा करती थी। जब किसी वर्ग दुश्मन को सजा देने की कार्यवाही होती तो वह चाहे संतरी ड्यूटी पर भी रहे तो आवेश के चलते चले आते थे। बाद में बैठक में संतरी ड्यूटी छोड़ आने पर अपनी गलती स्वीकार लेते थे।

कोरेपल्ली, मरिपल्ली, किष्टापुर और जिनगानुर गांवों में दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ों में उन्होंने हिम्मत के साथ भाग लिया। गोलीबारियों के दौरान वह बिना किसी हड़बड़ाहट के शूरता का प्रदर्शन करते थे जिससे साथी छापामारों को प्रेरणा मिल जाती थी। फौजी मोर्चे पर उनकी इच्छा और क्षमता को देखकर पार्टी कमेटी उन्हें पलटन में स्थानान्तरित किया। इस फैसले से कॉमरेड भूमन्ना काफी खुश हुए और जुलाई 2004 से पलटन-7 में उन्होंने सेक्षन कमाण्डर की जिम्मेदारी ली। महाराष्ट्र की 11वीं विधानसभा के चुनावों के दौरान पार्टी द्वारा लिए गए प्रतिरोध कार्यक्रम में उन्होंने उत्साह के साथ भाग लिया।

25 सितम्बर को मानेवारा के निकट कसनसूर के पुलिस वालों पर पीएलजीए ने तब हमला किया था जब वे नदी पार कर रहे थे। दुश्मन के नाकों चने चबाते हुए लगभग डेढ़ घण्टे तक चली उस कार्यवाही में कॉमरेड भूमन्ना भी थे। कोयन्दूड मतदान केन्द्र पर हमला करके उसकी सुरक्षा के लिए आए पुलिस वालों पर पीएलजीए सैनिकों ने क्लेमोर बम से हमला किया जिसमें एक पुलिस वाला मारा गया और एक घायल हो गया। इस कार्यवाही में कॉमरेड भूमन्ना ने अपनी पहलकदमी का उम्दा प्रदर्शन किया। 14 अक्टूबर को वोटिंग मशीनें ले जाते समय मंगाडंडी सड़क पर पीएलजीए ने एक अपार्चुनिटी एम्बुश किया जिसमें एक सीआरपीएफ जवान मारा गया और एक घायल हो गया। इस कार्यवाही में भी कॉमरेड भूमन्ना सेक्षन कमाण्डर के तौर पर अपनी भूमिका बखूबी निभाई।

1 नवम्बर की सुबह पलटन-7 और स्थानीय छापामार दस्ता मानेवारा पहुंचे थे। अपनी मुखबिर से यह खबर पाकर दुश्मन ने एक योजना बनाकर छापामारों के मुकाम के इर्द-गिर्द कई स्थानों पर घात लगाया। बाद में एक टुकड़ी ने सीधा मुकाम पर हमला बोल दिया। कमाण्डर से दुश्मन को रोककर रखने का आदेश पाते ही कॉमरेड भूमन्ना ने अपने सेक्षन के साथ दुश्मन से लोहा लिया। लेकिन उसी समय बगल से आए एक और दल ने उन पर तेज गोलीबारी की जिसमें उनके पैर में गोली लगी। जब उनके साथियों ने उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने यह कहकर मना किया कि इससे सभी को खतरा होगा क्योंकि दुश्मन पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने साथियों को बचाने के उद्देश्य से उन्हें अपनी बन्दूक सौंपकर पीछे हटने का आदेश दिया। वह अपनी हाथ में एक हथगोला रखे हुए थे, इरादा था मरने से पहले दुश्मन का सफाया करना है और जिन्दा हालत में दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ना। इस प्रयास में उन्होंने हथगोला का प्रयोग किया, और इसी प्रयास में हथगोला फटने से वह शहीद हो गए। इस प्रकार पीएलजीए ने एक उदीयमान युवा कमाण्डर और जांबाज़ योद्धा खोया। आइए, हम उस समतामूलक समाज की स्थापना करने का संकल्प लें जिसका सपना यह कॉमरेड देखा करता था और उसी को सच बनाने के सिलसिले में अपनी अनमोल जान कुरबान की। ★

कॉमरेड सरिता (लिम्मी तिम्मा)

गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के कसनसूर रेंज के ग्राम गड्डेर में कॉमरेड लिम्मी (28) का जन्म हुआ था। वह अपने माता-पिता की आखिरी संतान थीं। जनता में कॉमरेड सरिता के नाम से लोकप्रिय हुई कॉमरेड लिम्मी की जीवनी लिखने का मतलब 1984 से गड्डेर गांव से क्रान्तिकारी आन्दोलन के रिश्ते को याद करना ही है। 1984 में गड्डेर का नाम क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में अंकित हो गया। 1985 में सरिता के पिता जन संगठन के सदस्य बने थे। 1990 में उनके भाई जन संगठन के नेता बने थे। 1991 के दमन के दिनों में इस परिवार ने कई मुसीबतों का सामना किया। बाप-बेटे को जेल में कैद किया गया। परिवार को भीषण तंगी का सामना करना पड़ा। पर पार्टी के प्रति उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। जन संगठन की गतिविधियों को उन्होंने जारी रखा। पार्टी के साथ उस परिवार के रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हुए कॉमरेड सरिता पूर्णकालीन क्रान्तिकारी बन गईं।

पार्टी से कॉमरेड सरिता का परिचय 1995 से बढ़ता गया। दस्ते को बचाने की चेतना से खाना-पानी आदि लाते हुए गीतों के जरिए राजनीति सीखना शुरू किया। वह अपनी सहेलियों को भी गीत सिखाते हुए उन्हें गोलबन्द किया करती थीं। उनकी मेहनत की बदौलत ही 1997 में उस गांव में एक लम्बे अन्तराल के बाद क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन का दोबारा निर्माण किया गया। बाद में वह कोटिमि जनताना सरकार में सदस्या चुन ली गईं। अंशकालिक पार्टी सदस्या के तौर पर वह पार्टी का काम ही ज्यादा करती थीं।

फरवरी 2004 से उस परिवार पर दमन का एक और दौर टूट पड़ा। भाई-बहन पुलिस की नजरों से बचकर गुप्त रूप से घूमने लगे। 6 अगस्त को कसनसूर पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार करने के इरादे से उनके घर पर छापेमारी की, पर उसी दिन वह वहां से भाग आईं और दस्ते में भर्ती हो गईं। हालांकि घर पर रहते समय उसे कोई फौजी अनुभव नहीं था, पर जल्द ही इसे सीखने की कोशिश की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मौके पर प्रतिरोध के कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया।

1 नवम्बर की घटना में जब दुश्मन ने मानेवारा के पास छापामारों के मुकाम पर हमला किया तब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन का मुकाबला किया। लेकिन जब वह पीछे हट रही थीं तब उनके पेट में गोली लगी थीं। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने न अपनी किट छोड़ी और न ही अपनी बन्दूक। उन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए अपने साथियों से कहा कि वे उनकी फिक्र न करें। जिस मकसद पर भरोसा रखकर उन्होंने अपनी जिन्दगी अर्पित की, उसी मकसद के लिए उन्होंने मुस्कराते हुए अपनी जान कुरबान कर दी। कॉमरेड सरिता की कुरबानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ★

क्रान्तिकारी स्फूर्ति के साथ सम्पन्न शहीद सप्ताह

डौला इलाके में ...

28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का पार्टी का आह्वान पाकर माड़ डिवीजन के डौला इलाके में जनता ने 15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कीं। सामूहिक रूप से मेहनत करकेउन्होंने 11 जगहों पर शहीद की याद में स्मारकों का निर्माण किया। जनता की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम शहीदों को याद करते हुए उस हफ्ते में कई जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गांवों में दीवारों पर नारे लिखे, पोस्टर लगाए और पर्चे बांटे। 28 जुलाई को हर गांव में जनता ने लाल झण्डे और बैनर लेकर नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। पूरे इलाके में कुल 50 सभाएं हुईं जिनमें से 10 सभाएं ऐसी थीं जहां पर कई गांवों के लोगों को बुलाया गया। डीएकेएमएस और केएएमएस की नेतृत्वकारी कमेटियों ने इन सभाओं का संचालन किया। कुछ जगहों पर स्थानीय छापामार दस्तों ने भी इन सभाओं में भाग लिया। इस इलाके में कुल 17 हजार लोगों ने विभिन्न सभाओं में भाग लेकर शहीदों को श्रद्धांजली दी।

रावघाट इलाके में ...

उत्तर बस्तर डिवीजन के हुरताई गांव में जनता ने शहीदों की याद में एक सभा आयोजित की। डीएकेएमएस रेंज कमेटी सचिव कॉमरेड बाबूराव ने झण्डा फहराकर सभा का प्रारम्भ किया जिसके बाद जनता ने शहीदों को श्रद्धांजली पेश की। बाद में रावघाट दस्ता सदस्या कॉमरेड पार्वती ने अपनी बात रखी। स्थानीय सीएनएम (चेतना नाट्य मंच) कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस सभा में 1,600 जनता ने भाग लिया। सुरेवाही रेंज के भैसासुर गांव में शहीदों की याद में एक स्मारक निर्मित किया गया। इस गांव में 30 जुलाई को शहीद सभा आयोजित की गई। डीएकेएमएस अध्यक्ष रामू ने झण्डा फहराकर सभा का उद्घाटन किया। सीएनएम दल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस सभा में 1,500 लोगों ने भाग लिया। चूंकि इस इलाके में क्रान्तिकारी आन्दोलन का नया-नया विस्तार हुआ है, इसलिए जनता इन कार्यक्रमों से काफी प्रभावित हुई। अंजरेली गांव में आयोजित शहीद सभा में 300 लोगों ने भाग लिया। इस गांव में शहीद कॉमरेड राजू की याद में एक स्मारक का निर्माण किया गया। इस सभा को डीएकेएमएस अध्यक्ष कॉमरेड सन्तोष और केएएमएस अध्यक्ष कॉमरेड शनिवारी ने सम्बोधित किया। इन दोनों कॉमरेडों ने शहीद कॉमरेड राजू की शहादत की प्रशंसा करते हुए शहीदों के सपनों को साकार बनाने हेतु जनता का आह्वान किया। पानीडोब्री गांव में 28 जुलाई के दिन शहीद सभा आयोजित की गई। डीएकेएमएस रेंज कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड प्रदीप ने झण्डा फहराकर सभा का प्रारम्भ किया और उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया। इस सभा में 1,000 लोगों ने भाग लिया। जीरन्तराइ गांव में भी सभा का आयोजन किया गया। इस गांव के दो किसानों की पुलिस ने पिछले साल जघन्य हत्या की थी, पाठकगण को मालूम ही होगा। आसापास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस सभा में भाग लिया। शहीद बुधराम के भाई सुधराम ने झण्डा उठाकर शहीद बुधराम और सुखराम के जीवन के बारे में बताया। तमाम जनता ने पुलिस द्वारा की गई उनकी निर्मम हत्या की जमकर निंदा की। स्थानीय सीएनएम कलाकारों ने गीत गाकर जनता को उत्साहित किया। इस सभा में कुल 800 लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि ये सभी कार्यक्रम भारी बारिश के बीचोंबीच ही सम्पन्न हुए। जनता ने उफनते नदी-नाले पार करते हुए ही इन सभाओं में शिरकत की और शहीदों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजली पेश की। नई जनवादी क्रान्ति को आगे बढ़ाना ही शहीदों के प्रति सच्चा सम्मान है, इसी स्फूर्ति के साथ ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए।

काकनार इलाके में ...

उत्तर बस्तर डिवीजन के काकनार इलाके में डीएकेएमएस और केएएमएस के प्रचार दस्तों ने गांव-गांव जाकर शहीद सप्ताह का प्रचार किया। तीन जगहों पर शहीद सभाएं आयोजित की गईं। आलदंडी गांव में शहीद कॉमरेड रामदास की याद में एक स्मारक बनाया गया। इस गांव में आयोजित सभा में 20 गांवों से 650 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। सभा के शुरू होने से पहले सभी लोगों ने हाथों में तख्तियां, लाल झण्डे और बैनर पकड़कर नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। स्थानीय सीएनएम कलाकारों ने अपने पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई की। बाद में कॉमरेड जमुना ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अनगिनत शहीदों के खून से हमारा झण्डा लाल हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस झण्डे को ऊंचा उठाए रखकर संघर्ष को आगे बढ़ाना ही शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजली होगी। कॉमरेड सजोंती ने स्मारक का अनावरण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्पीड़ित जनता के हाथों में राजसत्ता आए बिना जनता की बुनियादी समस्याओं का हल कतई सम्भव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों ने इसी मकसद से लड़कर अपने प्राणों की आहूति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही सभा का समापन हुआ।

हींदहूर रेंज के किरिंगेल मेस्पी गांव में शहीद कॉमरेड सजोंती की याद में एक स्मारक का निर्माण किया गया। शहीद सजोंती इसी गांव की थीं। इस गांव में आयोजित शहीद सभा में 7 गांवों से 280 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। कॉमरेड सजोंती की मां ने झण्डा फहराकर सभा का प्रारम्भ किया। स्थानीय सीएनएम दस्ता प्रमुख कॉमरेड जानकी ने स्मारक का अनावरण किया। सजोंती की मां ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी बेटी एक नहीं है, बल्कि संघर्ष में डटे रहने वाले सभी उन्हीं के बच्चे हैं। कॉमरेड जानकी ने अपने भाषण में शहीदों की कुरबानियों की प्रशंसा की। सीएनएम कलाकारों के गीतों और नाच कार्यक्रमों के बाद शहीदों के अरमानों को पूरा करने के संकल्प के साथ सभा समाप्त हुई।

हींदहूर रेंज के कटनार गांव में जनता ने बांस के डंडों से शहीद स्मारक का निर्माण किया। उस पर लाल कागज चिपकाकर उसे सजाया। शहीद कॉमरेड्स सुखदेव, राजू और रामदास की याद में यह स्मारक एक ही दिन में बनाया गया। इस मौके पर आयोजित सभा में चार गांवों से 350 लोगों ने भाग लिया। स्थानीय सीएनएम कलाकार कॉमरेड उमेश ने स्मारक का अनावरण किया। वक्ताओं के भाषणों, गीतों और नारों से सभा कामयाबी के साथ समाप्त हुई। ★

दण्डकारण्य में पाशविक पुलिसिया दमन

गड़चिरोली डिवीजन

लोकसभा चुनावों के मौके पर पुलिस ने अहेरी इलाके में 17 गांवों से 106 लोगों को गिरफ्तार किया। जनता को जबरन पुलिस कैम्पों में सुलाना, जत्थों में पुलिस कैम्पों में हाजरी के लिए बुलाना, जेल भेजना, इत्यादि कई रूपों में दमनचक्र चलाया गया। चुनाव के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

गट्टा इलाके के 12 गांवों से 23 लोगों पर झूठे मामले दायर करके उन्हें जेल भेज दिया गया। इनमें 14 साल का एक नाबालिग लड़का भी था। झारावाडा गांव में एक दुकान चलाकर रोजी-रोटी कमाने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया।

मरिपल्ली कैम्प के दरोगा ने केस वापस लेने के बहाने उन लोगों से जिन पर पहले से मामले दायर किए गए हों, प्रत्येक व्यक्ति से 2,500 रुपए रिश्वत वसूली। चुनाव के पहले गिरफ्तार करने की धमकी देकर कई लोगों से 5-5 सौ रुपए रिश्वत वसूल ली। वर्ष 2002 के दिसम्बर माह में जनता ने मरिपल्ली कैम्प के सामने धरना दिया था। जनता की मांगें थीं – रिश्वतखोर और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और मरिपल्लि से पुलिस कैम्प हटाया जाए। इसके बावजूद भी इनके जुल्मों और अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि रोज-ब-रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये हालात जनता को अपने संघर्षों को तेज करने पर बाध्य कर रहे हैं।

रसपल्ली मेळाव – आत्मसमर्पण का नाटक

मार्च 2004 में गांव रसपल्ली में आत्मसमर्पण का मेळाव (मेला) लगा था। जिम्मलागट्टा थाना दरोगा पाटील को लगा कि अपनी काबिलियत साबित करने का यही बढ़िया मौका है। एदिरेंगा गांव के तीन भूतपूर्व जन संगठन नेताओं का आत्मसमर्पण करवाने का कार्यक्रम तैयार किया। इनमें से मडावी एल्ला और एंका नाम के भूतपूर्व जन संगठन नेता शामिल थे। इनके हाथ में तीन भरमार बन्दूकें थमाकर यह कहा गया कि वे इन्हें एसपी के हाथ में सौम्प दें। पाटील ने इसके बदले में उन्हें 7 हजार रुपए की नगद, इंदिरा आवास मकान और एक क्विन्टल बीज के धान देने का वादा किया। वे भी बेचारे मान गए। मेला के दिन मंच तैयार किया गया। एसपी राजवर्धन, एएसपी शिरीष कुमार जैन और अन्य प्रमुख मंच पर आसीन हो गए। जब माइक पर इन तीन लोगों के नाम पढ़े गए तो वे गए और अपने पास की भरमार बन्दूकें एसपी के हाथों में थमा दीं। बाद में एसपी ने उन्हें कुछ बोलने को कहा। मडावी एल्ला ने पूछा कि क्या बोलूं। जब सभी ने अपनी मन की बात कहो कहकर प्रोत्साहित किया तो उसने हिम्मत जुटाकर माइक पर बोलना शुरू किया। "मैं अपने दिल की बात कहूंगा", उसने कोया भाषा में बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसका जन संगठन से पिछले कई सालों से कोई सम्बन्ध नहीं है और वह 12-13 साल पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके खेती-बाड़ी करते हुए जी रहा था। उसने इस बात का भी खुलासा किया कि उसने जो बन्दूक एसपी के हाथ में थमा दी वह दरअसल उसकी नहीं है, बल्कि पाटील साहेब ने उसे यह दी और कहा कि एसपी के हाथ में सौम्प दे। ऐसा करने पर पैसा और मकान दिलवाने का वायदा भी पाटील साहेब ने किया, ऐसा मड़ावी ने कहा। जिन लोगों को कोया भाषा आती है उन्होंने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। पाटील स्तब्ध रह गया। एसपी ने अपने बगल में बैठे लोगों से पूछकर बात समझ ली। उसने दरोगा को गालियां दीं। सभा के बाद दरोगा ने आग उगलते हुए मड़ावी एल्ला के मुंह पर थप्पड़ मार दी। यह खबर अखबार में छप गई। इस घटना के बाद जिम्मलागट्टा थानेदार पाटील ने पहले की तरह एदिरेंगा गांव के लोगों को सताना थोड़ा कम किया।

बंडू तुमरेटी की हत्या पुलिस ने ही की !

2 जुलाई 2004 के दिन गश्त पर आई गट्टा थाने की पुलिस पर पीएलजीए के सैनिकों ने गोलीबारी की जिसमें दो पुलिस वाले मारे गए। यह घटना पूसकोठी और देवपाडी गांवों के बीच देवपाडी के करीब घटी थी। 5 जुलाई को पुलिस ने देवपाडी गांव के लोगों को गट्टा थाने में बुलाया। उन्हें यह कहते हुए प्रताड़ित किया कि उन्हीं लोगों ने नक्सलवादियों को खाना खिलाकर इस हमले में उनकी मदद की। तब बंडू मलेरिया से बुरी तरह बीमार था। हालांकि गांव वालों ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि वह सख्त बीमार है, फिर भी पुलिस ने उसे थाना बुलवा भेजा। बीमार से कांप रहे बंडू को पुलिस ने घूंसे मारे जिससे वह वहीं बेहोश गिर पड़ा। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करने से भी गांव वालों को मना करके वापिस गांव भेज दिया। इलाज न हो पाने और दवाई न मिल पाने से बंडू तुमरेटी की मौत हो गई। वह 35 वर्ष का था और अपने पीछे बीवी-बच्चों को छोड़ गया।

इस जायज जनयुद्ध में जनता के सहयोग और भागीदारी को खत्म करने के इरादे से ही पुलिस ऐसे जघन्य अत्याचार और हत्याकाण्ड मचा रही है। पर वह इस सचाई से अपनी आंख बन्द कर रखी है कि इसके बावजूद भी जनता पीछे नहीं हट रही है। वह यह बात समझने में वह असमर्थ है कि ज्यों-ज्यों दमन बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों जनता और ज्यादा जूझारू संघर्ष करने पर बाध्य हो जाएगी।

देवपाडी घटना से बौखलाए पुलिस बलों ने 15 जुलाई के दिन वहां के नजदीक मर्दकुई गांव में नक्सलवादियों के होने के सन्देह में अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें एक बैल मारा गया। इस पागलपन भरी कार्यवाही की गांव की समूची जनता ने जमकर निंदा की।

माड़ डिवीजन

छग सरकार द्वारा जनवादी अधिकारों का हनन

26 सितम्बर को बस्तर जिले के नारायणपुर शहर में 'बस्तर संघर्ष समिति' के नेतृत्व में जनता ने एक रैली निकालने के लिए सरकार से इजाजत मांगी। लेकिन जनता के जनवादी अधिकारों की घोर अवमानना करते हुए रमन सरकार ने दो दिन पहले ही नारायणपुर शहर में धारा 144 लागू करके रैली आदि पर पाबन्दी लगा दी। इसके बावजूद करीब 40 हजार जनता रैली निकालने की मंशा से एकजुट हुई और मूंजमेट्टा गांव से गड़बेंगाल गांव तक रैली निकाली। परन्तु सैकड़ों की संख्या में उतारे गए पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने गड़बेंगाल के पास बन्दूक की नोंक पर रैली को रोककर जनता को तितर-बितर कर

दिया। अगर यह रैली हुई होती तो एक ऐतिहासिक रैली हो जाती क्योंकि नारायणपुर इलाके के इतिहास में पहली बार 40 हजार लोग इकट्ठे हुए थे।

इस मौके पर जनता ने निम्न लिखित लोकतांत्रिक मांगें उठाईं –

1) 20 सितम्बर को पुलिस द्वारा मूंजमेट्टा गांव से गिरफ्तार की गई श्रीमती श्यामवती की बिना शर्त रिहा की जाए। उन पर दायर सभी झूठे मामलों को वापस लिया जाए। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेदान्त चैतन्य स्वामीजी ने एक आदिवासी बालिका के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके खिलाफ जनता को गोलबन्द करके अस्पताल के सामने धरने का नेतृत्व करना ही श्यामवती का गुनाह था। इससे बौखलाई पुलिस ने जानबूझकर इस 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को झूठे मामले में गिरफ्तार किया। साफ जाहिर है कि इस महिला की गिरफ्तारी के पीछे रामकृष्ण मिशन का हाथ भी था।

2) केन्द्र में हाल ही में सत्तारूढ़ हुई संप्रग सरकार ने पोटा कानून को रद्द कर दिया, जबकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार "छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा कानून 2004" लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। पहले से ही आदिवासी इलाकों में बढ़े हुए पुलिसिया अत्याचार इस कानून के लागू होने से और भी बढ़ जाने की सम्भावना है। पहले के टाडा और पोटा कानूनों के इतिहास पर नजर डालेंगे तो समझ में आता है कि काले कानूनों का प्रयोग करते हुए जनता के न्यूनतम विरोध के स्वरों को भी दबा दिया जाएगा। इसलिए रमन सिंह सरकार को इस नए कानून के प्रस्ताव को वापिस लेना चाहिए।

3) पुलिसिया अत्याचारों को बन्द दिया जाए और सीआरपी बलों को वापस भेजा जाए। हाल के दिनों में खास कर महिलाओं पर पुलिसिया अत्याचार काफी बढ़ चुके हैं। कोह्कमेट्टा में एक महिला और छोटेडोंगर में दो महिलाओं के साथ सीआरपी जवानों ने बलात्कार किया। महिलाओं को अपनी बन्दूकों की कुंदों से छातियों पर पीटा जा रहा है। भैरमगढ़ तहसील के धरमा गांव की निवासी बुधरी के साथ सीआरपी जवानों ने सामूहिक बलात्कार करके बाद में गोली मार कर हत्या की। पल्ली गांव के निवासी चैतू को पीट-पीटकर मार डाला। मढ़ोनार गांव में महिलाओं को रायफलों की कुंदों से छाती पर मारकर क्रूरता का प्रदर्शन किया। 22 अगस्त को मुंडापाल गांव में दो और सुलेंगा गांव में तीन लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिछले साल नारायणपुर मेले के समय पुलिस ने जुल्म का जो नंगा नाच किया था, वह समाज को स्तब्ध कर देने वाला था। रात में सोए हुए व्यापारियों को लातें मारते हुए जगाकर जबरन पैसा वसूला था। इस घटना पर अब तक न कोई जांच हुई न ही किसी दोषी के खिलाफ कार्यवाही की गई।

4) जनता के जनवादी अधिकारों को बहाल किया जाए। जनता जब-जब अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन या धरना आदि का आयोजन करना चाहती है तो पुलिस वाले धारा 144 लागू करके उन्हें रोक रहे हैं। जनता का नेतृत्व करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना, झूठे मामलों में फंसाना, उन पर हिंसाचार करना – ये सभी कार्यवाहियां जनता के जनवादी अधिकारों पर हमले का हिस्सा है। ये सब सरकार की फासीवादी नीतियों का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाली सरकारों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वे जनता की न्यूनतम जनवादी अधिकारों की कद्र क्यों नहीं करतीं।

5) पुलिस मुखबिरों की ज्यादतियों पर रोक लगाई जाए। हाल के सालों में पुलिस अधिकारियों द्वारा लागू गलत नीतियों के चलते नारायणपुर शहर में और आसपास के इलाके में पुलिस मुखबिर बड़ी संख्या में तैयार हो गए। ये लोगों पर अंधाधुंध अत्याचार, मारपीट आदि कर रहे हैं। जब चाहे तब जिसे चाहे उसे मारना इनका रोजमर्रा का काम बन गया। चोरियां, बलात्कार भी इनके रोजमर्रा के काम बन गए हैं। इन्होंने कुछ बेकसूर लोगों की हत्या करके दोष नक्सलवादियों पर मढ़ दिया। पिछले साल के मेले में इन मुखबिरों ने दिन-दहाड़े व्यापारियों पर हमले करके उन्हें लूट लिया। पुलिस थानेदार, एसडीएम और सीआरपीएफ के जवान तमाशा देखते रहे। इन मुखबिरों और गोपनीय सैनिकों के कारण शहर में अराजकता का बोलबाला हो गया है। इसलिए इन्हें काबू करके इनकी ज्यादतियों पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इन्हें मनमाने अधिकार देकर प्रोत्साहित करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

शहीद स्मारकों की तोड़फोड़ – पुलिस की पाशविकता का एक और उदाहरण

माड़ डिवीजन के डौला इलाके के वयनार गांव में जनता द्वारा निर्मित स्मारकों को पुलिस और सीआरपी बलों ने 12 जुलाई को तोड़ दिया। पांच गांवों के लोगों ने मिलकर मेहनत करके 30 फुट की ऊंचाई से इस स्मारक का निर्माण किया था। यह स्मारक पुलिस की आंखों में किरकिरा बन गया था। जनयोद्धाओं की मौत के बाद भी पुलिस को चैन नहीं मिल रही है। इसीलिए लगभग 40 पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में चुपचाप चोरों की तरह गांव पर धावा बोलकर इस काले कारनामे को अंजाम दिया।

कल्लेपाड गांव में भी पुलिस ने स्मारक को ध्वस्त करने की नाकाम कोशिश की। यहां पर सात गांवों की जनता ने तीन दिनों तक लगातार काम करके स्मारक बनाया था। दुश्मन के तमाम षड्यंत्रों को नाकाम बनाते हुए जनता ने 28 जुलाई के दिन शहीद कॉमरेड रामदास की याद में बने इस स्मारक का अनावरण करके एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में आसपास के गांवों से करीब 4,000 लोगों ने भाग लिया।

कडियानार रेंज के सुलुंगा गांव में जनता ने अपने इलाके के निवासी रहे शहीद कॉमरेड विश्वनाथ की याद में एक स्मारक बनाया। इसके निर्माण में पूरे 18 गांवों के लोगों ने लगातार 5 दिन काम किए। 29 जुलाई के दिन यहां आयोजित सभा में 18 गांवों से 2,500 लोगों ने भाग लिया। इस सभा के दौरान स्मारक का अनावरण किया गया। यह खबर पाकर छोटेडोंगर से पुलिस और सीआरपीएफ के 80 जवानों ने अगले दिन गांव पर छापेमारी करके स्मारक को तोड़ दिया। लेकिन वहां के मिलिशिया दस्ते ने थोड़े ही दूर पर पटाखे फोड़ दिए तो पुलिस वालों की सारी वीरता टांय-टांय फिस्स हो गई और कायरों की तरह जमीन पर रेंगते हुए नौ दो ग्यारह हो गए।

उत्तर बस्तर डिवीजन

पंजाब कमाण्डो बलों द्वारा शिक्षकों पर गोलीबारी

केसकाल इलाके के धनोरा गांव में चुनाव बन्दोबस्त की ड्यूटी पर आए पंजाब कमाण्डो बलों ने शाम के साढ़े सात बजे शिक्षकों पर गोलीबारी की जो उस समय मोटार सायकिलों पर गांव की तरफ

आ रहे थे। इसका कारण पूछने पर उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया कि उन्होंने नक्सली सोचा। इससे शिक्षक और तमाम ग्रामवासी गुस्से में आ गए। हालांकि खुशकिस्मती से इस गोलीबारी में किसी को कुछ नहीं हुआ, पर जनता ने अंधाधुंध गोलीबारी की इस घटना की जमकर निंदा की। अगले दिन सुबह जनता और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में गांव की स्कूल को घेर लिया जहां पंजाब कमाण्डो और पुलिस बल ठहरे हुए थे। वे तभी वहां से लौटे जब कमाण्डो जवानों ने अपनी गलती स्वीकार की और आइंदा ऐसी हरकत न करने का वादा किया।

मुरगा चोर बने पुलिस जवान

इसी इलाके के एक और गांव अर्रा में आए पुलिस वालों ने 16 अप्रैल के दिन गांव में मानों करफ्यू ही लगा दिया। उन्होंने पाबन्दी लगाई कि कोई अपने घर से बाहर न आए और कहीं भी न जाए। इनके डर से गांव वाले अपने घर-द्वार छोड़कर इधर-उधर चले गए। इस मौके के फायदा उठाकर पुलिस ने इस गांव से कुल 100 मुरगे गायब कर दिए। इसके अलावा चार किसानों की बुरी तरह पिटाई की।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

हाट बाजार बन्द –
दक्षिण बस्तर में पुलिस की नई चाल

दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा तहसील में पुलिस हाट बाजारों को बन्द करना शुरू किया। रमन सिंह सरकार भाकपा (माओवादी) का दमन करने की जी-तोड़ कोशिश करते हुए दूसरी तरफ आम जनता को बेहद परेशान कर रही है। 14वीं लोकसभा के चुनावों के समय से जून महीने तक कुल 120 आदिवासी स्त्री-पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें खूब यातनाएं देकर कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा भेज्जी, डब्बाकुंटा, एल्मागुण्डा, दरेली, पेद्दा बोडिकेल, सिलिंगेर, नागवाम, मेहता इत्यादि गांवों में लगने वाले हाट बाजारों में जाने वाले व्यापारियों को पुलिस वाले रोक रहे हैं। इन कार्यवाहियों की निंदा करते हुए कोंटा शहर में 23 गांवों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाए कि हाट बाजारों को दोबारा शुरू किया जाए। इस संघर्ष में कई व्यापारियों ने भी जनता का साथ दिया। हाट बाजार बन्द हो जाने से छोटे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता और व्यापारियों को मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष तेज करना चाहिए। सरकार जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में पानी समेत तमाम अनमोल सम्पदाओं को बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों को लुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटे और मध्यम व्यापारियों के पेट पर लात मार रही है। आदिवासियों को 'प्रत्येक परिवार को एक गाय और पच्चीस पैसे में एक किलो नमक' देने का वायदा करके गद्दी सम्भालने वाली भाजपा सरकार अब गाय-नमक देने की बात तो दूर, पहले से चलने वाले हाट बाजारों को बन्द करके उन्हें नमक-मिर्च तक के लिए भी तड़पा रही है। इस जन विरोधी और तानाशाहाना कार्यवाही की सभी तबकों की जनता ने निंदा की। ★

(.... पृष्ठ 47 का शेष)

आखिर में धमकी दी कि वोट न डालने से पुलिस उनके खिलाफ मामले दर्ज करेगी। अगर वोट डालेंगे तो वह उनके खिलाफ दायर केसों को वापस लिवाने की कोशिश करेगा। बोलेपल्ली के पास मतदान करवाकर वापिस जा रहे सीआरपी बलों पर पीएलजीए के लाल सैनिकों ने हमला किया जिसमें एक सीआरपी जवान समेत दो जवान मारे गए।

एटापल्ली इलाके में – चुनाव बहिष्कार के प्रचार के तहत देवदा रोड पर पेंट से बहिष्कार के नारे लिखे गए। रोड काम में लगे एक रोलर को छापामारों ने जला दिया। वहीं एक बैनर बांधकर एक दिखावटी बम भी रखा गया। इसे हटाने के लिए सीआरपी और कमाण्डो बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनके डर को देखकर जनता खूब हंसी।

कोयंदूड गांव में पीएलजीए छापामारों ने मतदान के समय सुबह 9 बजे सीआरपी एवं कमाण्डो बलों को अचानक घेर कर गोलीबारी शुरू की। वे एक स्कूल में ठहरे हुए थे। इस हमले में एक पुलिस वाला मारा गया और एक घायल हो गया। इससे भयभीत हो चुके पुलिस वाले मतदान कराए बिना ही वहां से नौ दो ग्यारह हो गए।

एटापल्ली इलाके के मंगडंडी गांव के निकट स्थानीय दस्ता और पलटन ने मिलकर पुलिस पर घात लगाकर हमला किया जब वह वोटिंग मशीनें लेकर आ रही थी। इसमें एक हवलदार समेत दो पुलिस वाले घायल हो गए। बाकी जवान वहां से भाग गए।

टिप्रागढ़ इलाके में भी गांव-गांव में जन संगठनों और पीएलजीए की यूनिटों ने चुनाव बहिष्कार का प्रचार व्यापक पैमाने पर चलाया। भले ही दुश्मन यह प्रचार करता हो कि जिले में 60 प्रतिशत मतदान हुआ है, पर जनता को मालूम है कि सचाई क्या है। लोगों ने अपनी आंखों से फर्जी मतदान होते हुए देखा है। कई गांवों में बन्दूक की नोंक पर जनता से वोट डलवाकर उसी को लोकतंत्र की जीत की संज्ञा दी जा रही है। इस मौके पर पीएलजीए के बलों ने जनता की सक्रिय मदद से लगभग हरेक इलाके में दुश्मन बलों पर हमले करके कुछ लोगों को हताहत किया। इन कार्यवाहियों में जन मिलिशिया ने बढ़िया योगदान किया। इन कार्यवाहियों ने जहां जनता में आत्मविश्वास बढ़ाया, वहीं दुश्मन बलों का मनोबल तोड़ दिया। कई घटनाओं के दौरान दुश्मन को सिर्फ आत्मरक्षात्मक स्थिति में ही रहने को मजबूर होना पड़ा। कई मौकों पर उसकी आधुनिक हथियारों की सम्पत्ति और संख्यात्मक बढ़त बेकार बन कर रह गई। साफ जाहिर है इन छोटी-छोटी उपलब्धियों से ही कल के दिन दुश्मन पर रणनीतिक जीत हासिल करने का रास्ता बनता जाएगा। ★

पाठकों के पत्र

'प्रभात' अंक -01/2004 एंव 02/2004 मिला। पत्रिका शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। कॉ. माओ का लेख - (I) हर क्रांति में राजसत्ता का सवाल ही बुनियादी सवाल है (II) कॉ. माओ की रचनाओं से– "देहातों की जांच पड़ताल" की प्रस्तावना (III) कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति— ज्ञानवर्धक रहा।

कॉ. गौरव से मिलने आए जर्मन प्रतिनिधिमण्डल के साथ दुर्व्यवहार दुखद लगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा कर्मियों की हड़ताल नेतृत्व गद्दारी के चलते विफल - पत्रिका ने सही बातें लिखी हैं। आंदोलन समझौता परस्त नेताओं की गद्दारी के कारण ही कई बार बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त होता है। 'प्रभात' अपने नाम की तरह ही ऊर्जावान है। 'प्रभात' को द्विमासिक करने से अच्छा होता।

जनहित में समर्पित पत्रिका को शुभकामनाओं सहित -

आपका,
लक्खु,
गंगालूर।

12/08/'04

गोल्लापल्ली में पुलिस द्वारा दो शिक्षकों और एक छात्र की जघन्य हत्या

5 नवम्बर के दिन दक्षिण बस्तर डिवीजन के गोल्लापल्ली गांव में पीएलजीए के छापामारों ने पुलिस पर क्लेमोर बम का विस्फोट किया। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट के तुरन्त बाद छापामार वहां से पीछे हट गए। बाद में पुलिस वाले भी थाने में लौट गए। लेकिन बाद में उन्होंने एक साजिश रचकर गांव में कत्लेआम मचा दिया। जब छापामारों ने विस्फोट किया था, तब वहां से थोड़े ही दूर पर स्कूली शिक्षक और छात्र क्रिकेट खेल रहे थे। धमाके की आवाज सुनते ही वे अपने कमरे में चले गए और दरवाजे बन्द कर लिए। पुलिस ने इस सन्देह में कि इन्हीं की मदद से छापामारों ने यह विस्फोट किया होगा, उनके कमरे को घेरकर बाहर आने को ललकारा। उन्होंने खिड़खियों से पुलिस को यह समझाने की कोशिश की वे शिक्षक और छात्र हैं, अतः उन्हें विस्फोट से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और बाहर न आने पर गोली चलाने की धमकी देकर बन्दूकें भर दीं। इससे वे अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे खोलकर आने के लिए तैयार हो गए। इसके पहले ही कि वे बाहर आएं, पुलिस ने सोची-समझी साजिश के तहत उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 12 वर्षीय छात्र नागेन्द्र और शिक्षाकर्मी सोडी हिडमा की मौत तत्काल ही हो गई। इसके अलावा इसमें दो और शिक्षाकर्मी मल्लाराम मरकाम और सन्तोषकुमार ठाकुर बुरी तरह घायल हो गए। कुछ देर बाद मल्लाराम ने भी दम तोड़ दिया। ये पुलिस द्वारा ठण्डे दिमाग से की गई क्रूरतापूर्ण हत्याएं हैं। लेकिन अगले दिन पुलिस ने अखबारों को जारी बयान में कहा कि उनके और नक्सलवादियों के बीच हुई गोलीबारी में नक्सलियों की गोलियां लगने से इन लोगों की मौत हुई। लेकिन गांव की जनता और घायल शिक्षक सन्तोष ने साफ तौर पर कहा कि ये पुलिस द्वारा की गई हत्याएं हैं और कि नक्सलवादियों ने गोलियां चलाईं ही नहीं।

इन जघन्य हत्याओं का बस्तर जनता ने कड़ा विरोध किया। सभी तबकों की जनता ने मांग की कि इन पर न्यायिक जांच करके दोषियों को कठोर सजा दी जाए। लेकिन सरकार ने महज मेजिस्टीरियल जांच का आदेश देकर हाथ झाड़ लिए। 16 नवम्बर को कोंटा शहर में जनता ने एक बड़ा जुलूस निकाला। इसमें छात्रों, शिक्षकों, किसानों और अन्य तमाम तबकों के लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि सरकार ने इस रैली को इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद भी लोगों ने रैली निकाली। इसमें कुल 15 हजार लोगों ने भाग लिया। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने, उनके परिवारों में एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और हत्यारे पुलिस अधिकारियों को सजा देने की मांगें उठाई गईं।

इस हत्याकाण्ड ने रमन सिंह सरकार के दमनकारी चेहरे को नंगा कर दिया। पिछले कुछ महीनों से 'नक्सलवादियों के साथ वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं' कहते हुए रमन सिंह सरकार सबसे ज्यादा जनवादी होने का ढोंग करती आ रही थी। अब इन हत्याओं से उसने अपने चेहरे पर से नकाब खुद ही हटा लिया। रमन सरकार की फासीवादी नीतियों का न सिर्फ दण्डकारण्य जनता, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ जनता जमकर विरोध कर रही है। हम जनता का आह्वान करते हैं कि एकताबद्ध जन आन्दोलनों के जरिए रमन सरकार की दमन-नीति को मात दी जाए। हम इस जघन्य हत्याकाण्ड में जान गंवाने वाले नागेन्द्र, सोडी हिडमा और मल्लाराम के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि जनयुद्ध को तेज कर हम इन हत्याओं का जरूर बदला लेंगे। ✶

फिलिप्पीन्स में नई जन सेना (एनपीए) का एम्बुश
10 सैनिकों का सफाया

फिलिप्पीन्स कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में जारी जनयुद्ध के अन्तर्गत नई जन सेना (न्यू पीपुल्स आर्मी– एनपीए) दुश्मन के बलों पर हमले करके कई कार्यनीतिक विजयें हासिल कर रही है। हालांकि सामाचार माध्यमों में इसकी खबरें बहुत कम ही आती हैं। हाल ही, नवम्बर 2004 के आखिरी सप्ताह में एनपीए के लाल योद्धाओं ने सरकारी सेना के एक दल पर हमला करके 10 सैनिकों का सफाया किया और छह अन्य सैनिकों को घायल कर दिया। सेन राफेल शहर के बुलाकान इलाके में सड़कों और पुलियों की जांच पर निकले इस सैन्य दल पर एनपीए ने घात लगाकर हमला किया। इस कार्यवाही के बाद उन्होंने दुश्मन सैनिकों के सारे हथियार भी छीन लिए। अखबारों में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यवाही में एक एनपीए छापामार की भी मृत्यु हुई है। आशा करेंगे कि साम्राज्यवादियों, विशेष कर अमेरिकी साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त प्रतिक्रियावादी सरकारी सेना के खिलाफ फिलिप्पीन्स कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एनपीए कई और कामयाबियां हासिल करे। ✶

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव

अप्रैल/मई में सम्पन्न लोकसभा चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करवाने के लिये भाजपा जहां बड़ी बेचैन और बड़ी बेसब्र हो रही थी, वहीं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार 6 माह पहले ही चुनाव की घोषणा करवा कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। भाजपा-शिवसेना गठबंधन का विश्वास था कि केन्द्र में भाजपा गठबंधन की जीत निश्चित है और उसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में भी उसकी जीत सुनिश्चित हो जायेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने भाजपा की मांग को नकार दिया। आखिर अपने समय से, याने 13 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा आयोग ने की। लेकिन इस बीच एक बड़ा बदलाव आ चुका था। भाजपा गठबंधन (राजग) लोकसभा चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो चुका था और केन्द्र में काग्रेस गठबंधन (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन - युपीए) सत्ता में आ चुका था। इस घटना ने जहां कांग्रेस में दोबारा सत्ता पाने के लिये हल्की-सी आशा की किरण पैदा की, वहीं भाजपा-शिवसेना गठबंधन में दरारें पैदा कीं।

महाराष्ट्र राज्य जिसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है और जिसके चलते सबसे बड़ा कर्जदार राज्य हो गया है, का औद्योगिक विकास में ठहराव-सा है। नतीजतन बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई है। पिछले 8 महीनों में विदर्भ में कपास की खेती करने वाले 225 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। मन्सान्टो कम्पनी के नकली बीज, नकली कीटनाशक दवायें, सिंचाई का अभाव, फसलों को समर्थन मूल्य का अभाव, बिजली की कटौती, तथा इसकी दरों में बढ़ोतरी तथा बैकों का जुल्मकारी रवैया ही किसानों की आत्महत्या का कारण बने हैं। मेलघाट में 72 बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हर साल लगभग 9 हजार बच्चों की मृत्यु कुपोषण से होती है। राज्य में नेताओं, नौकरशाहों द्वारा किये गये घोटलों ने इस राज्य को घोटालों का सिरमौर बना दिया है। गोंदिया, गड़चिरोली, भंडारा, चन्द्रपुर में एसआरपी व कमाण्डो बलों ने दमन का नंगा तांडव कर आदिवासी जनता का जीना दूभर कर दिया है। सरकार द्वारा जनता की एक भी बुनियादी समस्या को हल करने की कोई पहल नहीं की गई है।

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी अखाड़े में उतरी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा-शिवसेना, बसपा, रिपब्लिकन पार्टी और कई निर्दलिय उम्मीदवार, किसी के पास भी जन समस्याओं को हल करने के लिये कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि जन समस्याओं को हल करने के सभी पार्टियों के वायदों की पोल पिछले चुनावों के बाद खुल चुकी थी। उन पर जनता का विश्वास उठ चुका है। चुनाव से पूर्व व चुनाव के बाद गठजोड़ से ही सत्ता प्राप्त करना इनके लिये एक मात्र रास्ता बच गया है। सभी चुनावी पार्टीयां अपने उसूलों व सिद्धान्तों को छोड़कर गैर उसूली व गैर सैद्धान्तिक गठजोड़ को अपना धर्म बना चूकी हैं।

अक्टूबर 2004 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस-राकांपा गठबंधन और विपक्ष में बैठी भाजपा-शिवसेना गठबन्धन ही मुख्य रूप से आमने-सामने थे। बसपा भी इस चुनाव में सभी स्थानों में खड़े होकर गठबंधन पार्टियों की जीत को अनिश्चितता की स्थिति में ला दी थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की समस्या हल करने के लिये किसी भी पार्टी के पास कोई नीति नहीं थी। किसी भी चुनावी पार्टी के घोषणा-पत्र में जन समस्याओं को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं था। सत्तारूढ़ कांग्रेस जहां केन्द्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार की दुहाई देकर राज्य में भी कांग्रेस गठबंधन सरकार को विजय दिलाने की जनता से अपीलें कर रही थी, वहीं भाजपा की धर्मान्धता नीतियों से तंग आ चुकी जनता के सामने वही वीर सावरकार और तिरंगा प्रसंग का रोना लेकर चुनावी प्रचार में उतरी थी जबकि बसपा राज्य में 'दलितों को सत्ता' एवं 'पृथक विदर्भ' के नारे के साथ चुनावी दंगल में हिस्सेदारी कर रही थी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 288 सीटों के लिये लड़ने वाले लोगों में 200 से ज्यादा प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले थे, जिन्हें भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस नें चुनावी मैदान में उतारा था। बाहुबलियों का इस चुनाव नें कितना दबदबा रहा, यह इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है। विदर्भ के गड़चिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को सरकार ने सैन्य छावनियों में बदल दिया। ग्रामीण आदिवासी जनता से बंदूक की नोक पर वोट डलवाये गये। दसियों हजार एसआरपी, कमाण्डो, सीआरपीएफ, बार्डर सेक्युरिटी फोर्स, भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों की सशस्त्र बलों को इन आदिवासी अंचलों में दमन का नंगा नाच नाचने के लिये खुला छोड़ दिया गया था।

राजनीतिक पार्टियों व नेताओं पर विश्वास नहीं रहने से वोट नहीं डालने कै संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं को आतंकित करने के लिए 6 हजार पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 2,800 जवान, सी - 60 कमाण्डो फोर्स के 3,000 जवानों को तैनात करवाया। गड़चिरोली जिले में तीन विधान सभा क्षेत्र - सिरोंचा, आरमोरी व गड़चिरोली के तहत पूरा 712 मतदान केन्द्र हैं। इनमें से 254 केन्द्र संवेदनशील, 210 केन्द्र अति संवेदनशील घोषित करके कड़ा बंदोबस्त करवाया और इस पर भी सरकार बड़ी बेशर्मी से घोषणा कर रही थी कि 'नक्सलवादियों के चुनाव बहिष्कार के बावजूद' ग्रामीण जनता ने सामान्य से ज्यादा 73% मतदान किया है। इस प्रकार सरकार ने एक नये "लोकतंत्र" का रूप जनता के सामने रखा जो जनता की वोट डालने की विवशता के सिवाय और कुछ नहीं था।

आम जनता का चुनावी प्रक्रिया के प्रति निरुत्साह बढ़ रहा था। हर चुनाव के मौके पर यह रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के समय मतदान प्रतिशत में पिछले चुनावों की तुलना में कम देखा गया। यहां तक कि गांधीनगर (गुजरात) में मात्र 40% ही वोट पड़े। इस जगह से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ रहे थे। लखनऊ में वोटों का प्रतिशत मात्र 35 रहा, जहां से देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रकार अमेठी क्षेत्र में सिर्फ 44.5% मतदान हुआ। ऐसे माहौल में गड़चिरोली और चन्द्रपुर जिलों में 70 प्रतिशत मतदान होना अपने आप ही सन्देह के घेरे में आता है। साफ जाहिर है कि इन जिलों के संघष इलाकों में पुलिस ने लोगों से बन्दूक की नोक पर वोट डलवाया। इसके अलावा मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की धांधलियों का भी इसमें योगदान रहा। दरअसल इन इलाकों में पनप रही जनता की नई सत्ता से मिल रही चुनौती को खत्म करने की साजिश का हिस्सा था यह। दण्डकारण्य के अन्तर्गत पिछले साल के दिसम्बर माह में सम्पन्न छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों और अप्रैल में सम्पन्न लोकसभा चुनाओं के मौकों पर भी इसी प्रकार की धांधलियां की गईं थीं ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। (इसके सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरे पाठकगण 'प्रभात' के पिछले अंकों में पढ़ चुके होंगे।)

इस सबके बावजूद 288 सीटों की विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस-राकांपा केवल 145 सीटें, यानी बहुमत से केवल एक सीट ज्यादा पाकर पुन: सत्ता प्राप्त कर ली। इस मामूली अंतर की जीत जो जनता के नकारात्मक व विवशता के वोट थे, को लोकतंत्र तथा कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक बड़ी जीत के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। चुनाव पूर्व जहां बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के कारण कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने की बात की जा रही थी – लेकिन चुनाव में सबसे

ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी के रूप में राकांपा के उभरने के बाद कांग्रेस व राकांपा में मुख्यमंत्री पद कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही थी। वहीं राकांपा की राजनीतिक इच्छाएं बहुत बढ़ गईं। इसने गठबंधन दल में खरीद-फरोख्त, मोलभाव तथा "मलाईदार मंत्रालय" की चाहत ने सरकार के गठन में पूरे 12 दिन ले लिया। राकांपा ने आखिर भारी धन राशि, कमाऊ मंत्रालय तथा ज्यादा मंत्रालय के बदले में मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया। तबसे दोनों पार्टीयों में जो असंतोष उठ रहा है, वह रुक नहीं रहा है। दोनों पार्टियों के आला कमानों की धमकियां व्यर्थ जा रही हैं – यह सब सरकार के भविष्य की अनिश्चितता और अस्थिरता को ही चिन्हित कर रही हैं। जबकि राकांपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार जनता को पूरे 5 साल शासन देने की गारंटी का राग आलाप रही है।

माड़ के पहाड़ों पर स्थित बीनागुण्डा गांव में चुनाव कराने के लिए आए विभिन्न भाड़े के बलों के 60 जवानों के साथ जन मिलिशिया ने लगातार तीन दिनों तक एक लम्बी लड़ाई लड़ी। दिन और रात मिलिशिया के सैनिक अलग-अलग जत्थों में जाते थे और पुलिस वाले के मुकाम (स्कूल भवन) पर गोलीबारी कर आते थे। इस प्रकार उन्होंने पुलिस को चैन से सोने नहीं दिया। वह इतनी भयभीत हो गई थी कि आखिर बाहर से पानी लाने के लिए भी उसने हिम्मत नहीं की। स्कूल भवन के भीतर ही पेशाब-टट्टी करके न सिर्फ उसे बदहाल बना दिया, बल्कि अपनी कायरता का इजहार भी किया। इन हमलों में एक पुलिस जवान घायल हो गया। जब घायल पुलिस जवान को लेने हेलिकाप्टर आया तो छापामारों ने उस पर भी ग्रेनेड फेंका। पर इस घटना में बदकिस्मती से एक स्कूली टीचर घायल हुए थे। बाद में पीएलजीए ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया। तीन दिनों की इस लड़ाई में पुलिस ने लगभग 100 मोर्टार के गोले दागे। गोलियों की संख्या तो कुछ हजारों में होगी। गौरतलब है कि इसमें पीएलजीए को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरी कार्यवाही से यह सचाई फिर एक बार साबित हो गई कि जन विरोधी सेनाओं के पास चाहे लाख आधुनिक हथियार रहें पर वे कागजी बाघ ही हैं।

चुनाव बहिष्कार अपना कार्यक्रम

पिछले 54 साल से लोकसभा-विधानसभा के चुनाव होते आ रहे हैं। किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी ने जनता की कोई भी बुनियादी समस्या हल करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की है। सामाजिक, राजनैतिक व सरकारी दमन गरीब आदिवासी व आम जनता पर बहुत बढ़ गया है। शोषण से आम जनता का जीवन दूभर होता जा रहा है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और मंहगाई बढ़ती जा रही हैं। जनता में इस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस जनाक्रोश को दबाने के लिये सरकार टाडा व पोटा जैसे कई काले कानूनों को ला रही है। पूरे देश की जनता इन काले कानूनों के खिलाफ उठ खड़ी हो गई है। टाडा जैसे कानूनों को जन-विरोध के कारण सरकार को वापस लेना पड़ा। पोटा कानून को भी वापस लेने के लिये सरकार को मजबूर होना पड़ा। लेकिन जनता की इच्छा को ठुकराते हुये भाजपा और शिवसेना जैसी जन विरोधी पार्टियां पोटा कानून को वापस लेने का विरोध कर रही हैं। चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, साम्राज्यवादी पूंजी को देश में निवेश करने का निमंत्रण देकर देश को कंगाल बनाने में सब जुटी हुई हैं।

विदर्भ की जनता की आकंक्षा "विदर्भ राज्य" की मनोकामना का दोहन करते हुए सभी चुनावी राजनीतिक पार्टियां ठीक चुनाव के समय यह मुद्दा उठाकर और चुनाव के बाद इसे बिलकुल ही नजरंदाज कर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। चुनाव के ठीक बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में कांग्रेस-राकांपा की सरकार बनेगी, तब गड़चिरोली जिले के भाम्रागढ़ तहसिल के 5 आदिवासी गरीब, व निरपराध किसानों को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिससे आदिवासी समुदाय सक्ते में आ गया है। लेकिन सरकार को इसकी चिंता कहां है।

54 साल के चुनावी इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव के जरिये जनता की कोई बुनियादी समस्या हल होने वाली नहीं है। सही अर्थ में जनता की क्रांतिकारी जन सरकार के जरिये ही जन समस्या का हल हो सकेगा। और इसके लिये - मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान तथा समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों को चुनाव तंत्र ही नहीं बल्कि इस समूची शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े होना होगा और इसे जड़ मूल से उखाड़कर एक नये भारत का निर्माण करना होगा। एक ऐसा भारत जिसमें भूख, गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, शोषण और उत्पीड़न के लिये कोई जगह नहीं होगी !

गड़चिरोली डिवीजन में चुनाव बहिष्कार का अभियान

अहेरी इलाके में – स्थानीय छापामार दस्तों और मिलिशिया के दस्तों ने जनता में चुनाव बहिष्कार का व्यापक प्रचार किया। 16 सदस्यों के एक दल ने सिरोंचा, जिम्मलागट्टा और अहेरी इलाकों में जनता के बीच व्यापक प्रचार किया। इस इलाके में पुलिस ने बड़े पैमाने पर दमन चलाया। यहां सभी वोटबाज राजनीतिक पार्टियों ने सीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से प्रचार किया। पैसा बांटकर जनता से वोट डलवाने की कोशिश भी की। कुछ जगहों पर उन्होंने लोगों को धमकियां दीं कि वोट नहीं डालोगे तो पुलिस से पिटवाएंगे। कुछ जगहों पर जनता के साथ मारपीट भी की गई। सगुना तलांडी, दीपक आत्रम जैसे वोटबाज नेताओं ने पुलिस के साथ मिलकर जनता पर दमनचक्र चलाया।

इस इलाके में 13 अक्टूबर को कोडिसेपल्ली गांव में रात में सो रहे कमाण्डो बलों पर पीएलजीए बलों ने गोलीबारी की जिसमें एक कमाण्डो की मौत हुई एक अन्य कमाण्डो घायल हो गया।

भामरागढ़-गट्टा इलाकों में – स्थानीय पार्टी कमेटी के फैसले के मुताबिक दो स्थानीय छापामार दस्तों और मिलिशिया दस्तों ने मिलकर चुनाव बहिष्कार के कार्यक्रम में भाग लिया। दोनों इलाकों में एक-एक स्थान पर बड़ी सभाएं की गईं, जिनमें जनता को चुनावों की ढोंगबाजी के बारे में समझाया गया। लोगों को इस शोषणकारी व दमनकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर एक नई जनवादी व्यवस्था को कायम करने की जरूरत के बारे में समझाया गया। एक सभा में 13 गांवों से 650 लोगों ने भाग लिया, एक और जगह पर हुई सभा में 1,300 लोगों ने भाग लिया। सभाओं में शामिल लोगों ने चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए।

इन दोनों इलाकों में वोटबाज नेताओं का प्रचार जोरों पर ही चला। पुलिस की मदद से धर्माराव आत्रम जैसे जन विरोधी नेताओं ने जनता को धमकियां देकर वोट डालने का दबाव डाला। छोटे-छोटे गांवों में पैसा भेज दिया। वोट न डालने से पुलिस से पिटवाने और जेल में डलवाने की धमकियां दीं। इसके अलावा जनता को यह चेतावनी भी दी कि आसपास में कहीं भी कोई कार्यवाही होती है तो उसकी जिम्मेदारी जनता की होगी।

इस इलाके में स्थानीय दस्तों और 50 जन मिलिशिया सदस्यों ने मिलकर प्रतिरोधी कार्यक्रम चलाए। मर्दकुई के पास पुलिस के ऊपर हमला किया जिसमें एक पुलिस मारा गया और एक घायल है।

चामोर्षी इलाके में – इस इलाके में स्थानीय छापामार दस्ते ने जनता के बीच चुनाव बहिष्कार का प्रचार किया। व्यापक तौर पर पोस्टर, पर्चे, बैनर आदि के जरिए यह प्रचार कार्य चलाया। वोटबाज नेताओं ने पुलिस की मदद से इस इलाके में चुनाव प्रचार कार्य किया। इस इलाके में पुलिसिया दमन तेज था। बोलेपल्ली गांव आए सत्यवान महाराज ने लोगों से कई झूठे वायदे किए थे। और

(शेष पृष्ठ 44 पर ....)

संघर्ष की राह पर दण्डकारण्य जनता का आगे कदम

[पिछले एक साल के दौरान दण्डकारण्य में जनता ने कई संघर्ष किए। सरकारी दमन के खिलाफ पार्टी द्वारा अपनाए गए विरोध और प्रतिरोध के कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया। अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और कई राजनीतिक समस्याओं पर भी जनता ने संघर्ष चलाए। इसके अलावा जनता ने कई विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेकर कई नए निर्माण किए। क्रान्तिकारी आन्दोलन के रास्ते में रोड़े बने कुछ दुष्ट तत्त्वों को जनता ने दण्डित किया। लेकिन हमें रिपोर्टें समय पर न मिल पाने के कारण हम इन्हें पिछले अंकों में शामिल नहीं कर पाए थे। पिछले (जुलाई-सितम्बर 2004) अंक में हम समय की कमी के कारण कुछ रिपोर्टें प्रकाशित नहीं कर सके। इस अंक में हमें अब तक प्राप्त हुई सारी रिपोर्टें डिवीजन-वार प्रकाशित कर रहे हैं। पाठकों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम आशा करते हैं कि दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन के वर्तमान इतिहास का अध्ययन करने में ये रिपोर्टें सहायक होंगी।

– सम्पादक]

माड़ डिवीजन

पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के दमनचक्र के खिलाफ एएए

पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने आह्वान किया था कि दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा अमल दमन का विरोध करते हुए 21 से 27 सितम्बर तक विरोध सप्ताह मनाया जाए। यह आह्वान पाकर माड़ डिवीजन की जनता ने बड़े पैमाने पर सरकारी दमन का विरोध किया। नेलनार इलाके में पर्चे बांटकर जनता में प्रचार करके तीन जगहों पर सभाएं आयोजित कीं। एक जगह पर हुई सभा में चार गांवों से 250 लोगों ने भाग लिया। एक और जगह पर हुई सभा में एक गांव के 170 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। इन सभाओं को स्थानीय छापामार दस्ते के नेताओं ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने रमन सिंह सरकार की यह कहकर आलोचना की कि पहले के कांग्रेस शासन में चलाए गए दमनचक्र से कई गुना तीखा दमनचक्र अब भाजपा शासन में चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं को हल करने में बुरी तरह नाकाम हुई सरकारें अपनी लुटेरी नीतियों को बेरोकटोक लागू करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की कोशिश कर रही हैं। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि जन आन्दोलन और जनयुद्ध इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे और जनता अपराजेय है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में जबसे सीआरपी बलों ने कदम रखा तबसे दमन तीखा हो गया है। गिरफ्तारियां, यातनाएं, झूठी मुठभेड़ें और अत्याचार रोजमर्रा की बातें बन गए हैं। इस साल 10 अगस्त को नेलनार एरिया के नुलभट्टी और मोरसुल गांवों पर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों ने छापेमारी करके बच्चों और महिलाओं को भी न बख्शते हुए सभी लोगों की बुरी तरह पिटाई की। ओरछा हाट बाजार में पुलिस ने चार किसानों की पिटाई की, ऐसा वक्ताओं ने बताया। सभाओं के आखिर में जनता ने "बस्तर से सीआरपी बलों को वापस लो" का नारा लगाया।

जनता की सामूहिक मेहनत से तालाब का निर्माण

माड़ डिवीजन का डौला इलाके के कुइनार गांव में हर साल गर्मियों में लोगों और मवेशियों को पीने के पानी की बड़ी किल्लत होती थी। हालांकि यह समस्या कई सालों से थी लेकिन लुटेरी सरकार ने इसे हल करने की कोई कोशिश नहीं की थी। क्रान्तिकारी आन्दोलन के दौरान डीएकेएमएस और केएएमएस में जनता गोलबन्द हुई और तय किया कि अपनी खुद की पहलकदमी से ही इस समस्या का हल ढूंढ़ा जाए। अपने विकास का जिम्मा अपने ही हाथों में लेंगे, इस उच्च चेतना से चार पारों के लोगों ने सामूहिक रूप से मेहनत की। 60-75 लोगों ने लगातार सात दिनों तक काम करके तालाब का निर्माण पूरा किया। इस इलाके में व्याप्त तीव्र सूखे को नजर में रखते हुए स्थानीय पार्टी ने इस काम में शामिल लोगों के लिए 3 क्विन्टल चावल उपलब्ध करवाया। मुख्य रूप से यह चावल उन परिवारों में बांटा गया जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तालाब के निर्माण से न सिर्फ जनता की समस्या हल हुई, बल्कि उसे अपनी संगठित ताकत पर विश्वास बढ़ गया।

15 अगस्त को डौला की जनता ने 'काला दिवस' मनाया

माड़ डिवीजन के डौला इलाके में जन संगठनों और पार्टी ने गांव-गांव में पोस्टर लगाकर प्रचार किया कि 15 अगस्त का बहिष्कार कर काला दिवस मनाया जाए। फरसगांव, डंडवंड, इन्नर, मतुला, कल्लेपाड, मूंजमेट्टा, कापसी, वाडी, गोटाबेनूर, मढोनार, बयानार, कोंगेरा, तोयनार, सुलुंगा, कन्नारगांव, कडियानार, मडानार, कज्जुम इत्यादि गांवों में स्कूली छात्रों ने झूठी आजादी के प्रति अपना विरोध जताते हुए काले झण्डे फहरा दिए। इस मौके पर डीएकेएमएस ने कई जगहों पर सभाएं आयोजित कीं। इन सभाओं को सम्बोधित करने वाले वक्ताओं ने लोगों को समझा दिया कि 15 अगस्त को मिलने वाली आजादी असली नहीं है, झूठी है। अतः असली आजादी के लिए संघर्ष करना चाहिए, ऐसा उन्होंने लोगों का आह्वान किया। बयनार गांव में छापामार दस्ता द्वारा आयोजित एक सभा में 25 गांवों के लोगों ने भाग लिया जिनमें जन संगठन सदस्य, छात्र और अन्य तबकों के लोग शामिल थे। इस सभा को छापामार दस्ते के कमाण्डर ने सम्बोधित किया। "गोरे लुटेरों के हाथों से सामन्ती और दलाल शासक वर्गों के हाथों में सत्ता का हस्तान्तरण होना आजादी नहीं कहलाएगा। असली आजादी पाने के लिए हथियारबन्द लड़ाई ही एक मात्र रास्ता है। उस जमाने में ब्रितानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले गेंदसिंह, गुण्डाधुर जैसे वीर शहीदों की विरासत को जारी रखना चाहिए" कहकर कमाण्डर ने अपना भाषण समाप्त किया। इस सभा में कुल 3,000 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 1,000 महिलाएं शामिल थीं।

जन मिलिशिया द्वारा रेस्ट हाउज तबाह

माड़ डिवीजन के डौला इलाके में जनता पर सीआरपीएफ और पुलिस का दमन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सीआरपी वालों ने बयानार, कल्लेपाड और सुलुंगा गांवों में जनता द्वारा शहीदों की याद में निर्मित स्मारकों को तोड़ दिया। काम पर जंगल में जाने वाले किसानों के साथ मार-पीट करना, महिलाओं और बच्चों को भी न बख्शना पुलिस की आदत-सी बन गए। दमन और शहीद स्मारकों को तोड़ने के पुलिस के पाशविक कारनामों के खिलाफ डौला इलाके के डोंगुर गांव में सरकारी रेस्ट हाउज (बंगले) को तबाह किया गया। इस कार्यवाही में 40 लोगों ने भाग लिया।

गुटका और मद्यपान के खिलाफ ...

माड़ डिवीजन के डौला इलाके में डीएकेएमएस और केएएमएस की रेंज कमेटियों की अगुवाई में पूरे इलाके में शराब, ताड़ी, लंदा आदि नशीले पेयों और गुटका के सेवन के खिलाफ एक अभियान लिया गया। इनका सेवन करने से होने वाले नुकसानों के बारे में मीटिंगों के जरिए प्रचार किया गया। गांव-गांव में इस बारे में पोस्टर भी लगाए गए। छोटेडोंगर हाटबाजार में इन्हें बड़े पैमाने पर बेचते हैं।

26 गांवों से लगभग 3,000 लोगों ने हाट बाजार के दिन शराब और गुटका जब्त करके नष्ट कर दिया। एक अभियान के रूप में उभरने वाला यह आन्दोलन आसपास के सभी इलाकों में फैल गया। बेनूर हाटबाजार में 2,500, वयानार में 800, वेडमाकोट में 500 और नारायणपुर में 6,000 लोगों ने इन नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। इस संघर्ष को सभी तबकों के लोगों का समर्थन मिला। यह जन आन्दोलन अभी भी जारी है।

गांजे के खिलाफ ...

आदिवासी इलाकों में सरकार सोची-समझी साजिश के तहत ही गांजे को प्रोत्साहित कर रही है। भ्रष्ट पुलिस व राजस्व अधिकारी घूस खाकर इस धंधे को पूरा सहयोग-समर्थन दे रहे हैं। इससे बस्तर में एक बड़ा गांजा माफिया तैयार हो गया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसके खिलाफ जनता में जागरूकता लाने की दिशा में पार्टी कई सालों से कोशिश कर रही है। इसके बावजूद भी कई गांवों में मुखिया लोग और अन्य लोग चोरी-छिपे गांजा उगाकर काला धंधा कर रहे हैं। नारायणपुर के आसपास के गांवों में उगाए जाने वाले गांजे को खरीदने के लिए बिलासपुर, कांकेर इत्यादि शहरों से चोर व्यापारी आ रहे हैं। कई गोपनीय सैनिक भी इस चोर धंधे में लिप्त हैं, जिससे साफ मालूम हो जाता है कि इस धंधे के तार पुलिस के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। हाल ही में जन संगठनों ने इसके खिलाफ एक अभियान चलाने का फैसला लिया। उसके तहत रेंज कमेटियों के नेतृत्व में 8 दलों में लोग गोलबन्द हो गए। एक-एक दल में 50-70 लोग शामिल हो गए। इन सारे दलों ने चार दिनों तक लगातार अभियान चलाकर गांजे को उखाड़ दिया। 22 गांवों में लिए गए इस अभियान में कुल 12 ट्रकों का गांजा पकड़ा गया। इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसकी खेती करने वालों को ग्रामसभाओं में पेश करके कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस अभियान में नष्ट किए गए गांजे का बाजार मूल्य कई लाखों में होगा। इस संघर्ष के दौरान जनता में यह व्यापक प्रचार किया गया कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के इलाकों में गांजे की खेती न करें, उसका धंधा न करें और उसका सेवन न करें।

पृथक बस्तर राज्य की मांग के समर्थन में बन्द

पार्टी ने आह्वान दिया था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ में बस्तर के विलय के विरोध में तथा पृथक बस्तर राज्य की मांग करते हुए 'बस्तर बन्द' रखा जाए। इसके तहत माड़ डिवीजन के नेलनार इलाके में छोटेडोंगर से ओरछा जाने वाली सड़क पर जन मिलिशिया ने पोस्टर और बैनर लगाए। साथ ही, जगह-जगह पर पत्थर भी रख दिए ताकि वाहनों की आवाजाही बन्द की जा सके। इस प्रकार तीन दिनों तक वाहनों की आवाजाही बन्द रही। लेकिन तीसरे दिन पुलिस ने सड़क के किनारे से आकर स्कूली बच्चों पर गोलीबारी की जो डोंगर स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। एक और जगह में पुलिस ने जनता पर भी गोलियां चलाईं। हालांकि इन घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन छोटेडोंगर से पुलिस ने 30 स्कूली बच्चों को मानव ढाल की तरह साथ लेकर सड़क पर पोस्टर, बैनर आदि हटा दिए। इस प्रकार यह बात साबित हो जाती है कि पुलिस जनवादी तरीके से जनता द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विरोध की भी बर्दाश्त नहीं करती।

पुलिस और वन विभाग के दलाल मुखियाओं को चेतावनी

माड़ डिवीजन का धनोरा गांव ओरछा से नारायणपुर जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहां से दोनों तरफ पुलिस थाने पड़ते हैं। पुलिस अक्सर यहां आना-जाना करती रहती है। बीच में एक लम्बे अन्तराल तक छापामार दस्ते की गतिविधियां इस क्षेत्र में नहीं रही थीं। इससे वन विभाग वालों ने इस गांव में पैठ बनाकर धुरवा कृष्ण और ऊसेंडी बिसरू, जो गांव के मुखिया हैं, को अपना दुमछल्ला बना लिया है ताकि गांव में वन विभाग के क्रियाकलापों को शुरू किया जा सके। इन दोनों मुखियाओं ने गांव में न सिर्फ प्लान्टेशन लगाने में वन विभाग के अधिकारियों की मदद की, बल्कि उनके लिए दारू, मुरगा आदि जुटाने के काम भी करना शुरू किया। आसपास के गांवों के जन संगठन सदस्य जब इस पर आपत्ति जताते तो वे उन्हें डराया-धमकाया करते थे कि उनके नाम पुलिस को बता देंगे। पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों के मौके पर भी इन्होंने जनता को यह धमकी देकर वोट डालने पर बाध्य किया कि वोट नहीं डालेंगे तो वे उनका नाम पुलिस को बताएंगे। फरवरी माह

आदिवासी युवती के साथ रामकृष्ण मिशन के स्वामीजी की बलात्कार की कोशिश के खिलाफ जन आन्दोलन

जनता की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य कहकर ढिंढ़ोरा पीटने वाली रामकृष्ण मिशन की जन विरोधी कार्यवाहियां रोज-रोज नंगे रूप में सामने आ रही हैं। इस मिशन में कार्यरत तथाकथित स्वामीगण खुद को सब कुछ त्यागने वाले सन्यासी बताते हैं। इन स्वामीगण के खिलाफ पहले भी कई बार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार की कोशिश इत्यादि आरोप लगे थे। फिर भी यह संस्था ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच न करते हुए तमाम आरोपों को बेबुनियाद कहकर ठुकराते हुए दोषियों की रक्षा करती आ रही है। हाल के एक वाकिए में अगस्त 2004 में रामकृष्ण मिशन द्वारा नारायणपुर शहर में संचालित अस्पताल में इलाज के लिए गई मीना धुरवा नाम की एक आदिवासी युवती के साथ वेदान्त चैतन्य स्वामी, जो उस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, ने अभद्र व्यवहार करते हुए बलात्कार की कोशिश की। लेकिन वह युवती किसी तरह बचकर भाग गई। इस घटना की खबर मिलते ही नारायणपुर के आसपास के इलाकों में लोगों में रोष फैल गया। लगभग 4,000 लोगों ने अस्पताल के सामने धरना दिया। इसमें महिलाएं, छात्र, किसान, कर्मचारी– सभी तबकों के लोगों ने भाग लिया। गुस्साए लोगों ने स्वामी को बाहर लाकर धुनाई भी की। लेकिन इतने में वहां पहुंचे सीआरपीएफ और पुलिस वालों ने स्वामी को बचा लिया। जनता ने संस्था को और पुलिस को ज्ञापन दिया कि स्वामी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही करने की बात तो दूर, रातोंरात उसे नारायणपुर से बाहर भेज दिया गया, किसी को कानोंकान पता ही नहीं चला। जनता ने एक जुलूस निकाल कर पुरजोर मांग की कि डाक्टर स्वामी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन गिरफ्तारी की बात तो दूर, कम से कम निष्पक्ष जांच के लिए भी रामकृष्ण मिशन तैयार नहीं हुई। उलटे उसने यह कहना शुरू किया कि यह आरोप निराधार है। बाद में अस्पताल को बन्द करके यह कहते हुए दुष्प्रचार शुरू किया कि जब जनता की सेवा कर रहे स्वामीगण के खिलाफ लोग ऐसे अनाप-शनाप आरोप लगाते हैं तो इसमें काम करने कौन आएंगे। लेकिन इस अड़ियल और जन विरोधी रवैए से जनता रामकृष्ण मिशन की असलियत को अच्छी तरह समझ रही है। कट्टर हिन्दुत्व की भावनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए तथा सुधारों के जरिए यहां के क्रान्तिकारी आन्दोलन से जनता को गुमराह करने के रणनीतिक लक्ष्य से काम करने वाली यह संस्था सारांश में किस प्रकार जन विरोधी है, यह जनता अपने आंखों से देखकर भी समझ रही है। इस मामले में बलात्कार की कोशिश करने वाले डॉक्टर स्वामी को बचाने में पुलिस ने जो तत्परता और सक्रियता दिखाई इससे इस संस्था के साथ पुलिस और समूचे लुटेरे शासन तंत्र के क्या सम्बन्ध हैं, इसका भी खुलासा हो रहा है।

में नेलनार गांव में भूमकाल दिवस के मौके पर बड़ी सभा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन अभियान चलाया तो इन दोनों मुखियाओं ने उन्हें रास्ते दिखाकर मदद दी। इनके परिवारों में भी कई झगड़े हैं और गांव के अन्य लोगों से भी इनके कई झगड़े हैं। स्थानीय छापामार दस्ते ने 5 सितम्बर को इस गांव के सारे पारों के लोगों को बुलाकर इनके कारनामों पर खुली चर्चा चलाई। लोगों ने इनके गलत कारनामों की जमकर निंदा की। भरी पंचायत ने इन्हें चेतावनी दी कि अब से ये दोनों सुधर जाएं और आइंदा पुलिस की मदद करेंगे तो मौत की सजा निश्चित रूप से मिलेगी। इन्होंने पंचायत से माफी मांग ली और इसके साथ मीटिंग खत्म हुई।

गड़चिरोली डिवीजन

ट्रैक्टर द्वारा जुताई के दामों को घटाने हेतु संघर्ष

गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के गट्टा रेंज में ट्रैक्टर मालिक जमीन जोतने के लिए 250 से 300 रुपए प्रति घण्टे की दर से पैसे लेते थे। लेकिन जनता का मानना है कि यह बहुत ज्यादा है, अतः इसे घटा दिया जाए। बाद में पार्टी ने पहलकदमी लेते हुए इस इलाके की जनता और ट्रैक्टर मालिकों को बुलाकर चर्चा की। इस मीटिंग में 10 ट्रैक्टर मालिकों और 190 लोगों ने भाग लिया। इस मुद्दे पर सभी ने अपनी-अपनी बात रखी। जनता की एकजुटता के सामने ट्रैक्टर मालिक इस दर को 230 रुपए तक घटाने को राजी हो गए।

इसी मौके पर मवेशियों से जुताई की दर पर चर्चा हुई। भैंसा जोड़ी से जुताई करने पर आदमी और भैंसा को मिलाकर डेढ़ कंडी धान देना तथा बैल जोड़ी से जुताई करने पर एक कंडी धान देना तय हुआ। इसके अलावा बांडे नदी को नाव में पार कराने से प्रति व्यक्ति 10 रुपए और प्रति सायकिल 10 रुपए वसूले जाते थे, इस पर भी नाव मालिकों के साथ चर्चा हुई और प्रति व्यक्ति के लिए 5 रुपए और प्रति सायकिल के लिए 5 रुपए लेना तय हुआ। इस घटना के बाद जनता में यह विश्वास बढ़ गया कि वह अपनी संगठित ताकत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है।

लट्ठा कूप तबाह

क्रान्तिकारी आन्दोलन ने यह बहुत पहले ही प्रस्ताव कर रखा है कि जंगल में लट्ठा कूप न खोला जाए और जंगल को बर्बाद न किया जाए। लेकिन अभी भी इस प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए सरकारी वन विभाग के अधिकारी कहीं-कहीं लकड़ी कटाई करवाते हुए जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। खासतौर पर पुलिसिया दमन में हुई बढ़ोत्तरी के सहारे वे अपनी जन विरोधी गतिविधियों में तेजी ला रहे हैं। इसी तरह गड़चिरोली जिले के टिप्रागढ़ इलाके के मुरुमगांव रेंज में जन संगठनों और जनता के विरोध के बावजूद वन विभाग ने कूप चालू किए। स्थानीय जनता ने जंगल काटने से मना कर दिया तो बाहर से मजदूरों को बुलाया गया। पुलिस का समर्थन प्राप्त वन विभाग अधिकारी मनमानी करने लगे। उन्होंने लाखों रुपए की कीमत के हजारों पेड़ कटवा दिए। इससे गुस्साई जनता ने जन मिलिशिया के नेतृत्व में इन कूपों पर हमला करके लट्ठे जला दिए।

दमन के बीचोंबीच तेन्दुपत्ता मजदूरों का संघर्ष सफल

गड़चिरोली जिले के मुरुमगांव रेंज में पुलिस द्वारा अमल तीखे दमन के बीचोंबीच ही जनता ने तेन्दुपत्ता मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी की मांग करते हुए संघर्ष करके कामयाबी हासिल की। मुरुमगांव थानेदार चौहान ने इस हड़ताल को विफल करने की ठान ले रखी थी। आग उगलने वाले पुलिसिया दमन के बीचोंबीच ही 2 यूनिटों के 30 गांवों के लोगों ने ठेकेदारों को बुलाकर मांग की कि जब तक मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक वे पत्ता नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पुलिस के दबाव के चलते ठेकेदार तत्काल मजदूरी दर बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। लेकिन मजदूरों ने दृढ़ संकल्प के साथ पत्ता तोड़ना बन्द रखा। आखिरकार जनता के मजबूत इरादों के आगे झुकते हुए ठेकेदारों ने जनता की मांग के मुताबिक 148 रुपए प्रति शेकड़े तक मजदूरी दर बढ़ाई।

'गांव बन्दी' साजिश में भागीदार जन विरोधियों की पिटाई

महाराष्ट्र राज्य की सीमा में आने वाले गड़चिरोली डिवीजन में पुलिस ने अपने चौतरफा हमले के तहत 'गांव बन्दी' के नाम से एक नई चाल शुरू की, जो पाठकगण जानते ही हैं। अतीत में गांवों पर सत्ता चलाने वाले कबीलाई मुखिया और जमींदार, जिनकी परम्परागत सत्ता क्रान्तिकारी आन्दोलन के शुरू होने के बाद खत्म हो चुकी थी, मौजूदा तीखे दमन के दौर में कुछ गांवों में पुलिस के पक्ष में चले गए। कुछ दूसरे लोग भी इनके द्वारा बहलाने-फुसलाने से या डराने-धमकाने से इनके साथ हो गए। ऐसे तत्त्वों ने कुछ गांवों में जनता को दबाकर नक्सलवादियों की 'गांव बन्दी' की घोषणा की। ऐसी घोषणा करने वाले गांवों को सरकार लाखों रुपए दे रही है, यह भी इन्हें ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे तत्त्वों का पर्दाफाश करते हुए, जहां जरूरी हो सजा देते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ रहा है। इस बीच गड़चिरोली डिवीजन के कई गांवों में ऐसी कुछ ताकतों को सजा दी गई। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं।

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली इलाके के कोटिमि गांव के पास लोकसभा चुनाव के मौके पर पीएलजीए छापामारों ने पुलिस पर गोलीबारी की। उस मौके पर पुलिस ने गांव में कैम्प बिठाया था। जब गांव में कैम्प लगा हुआ था, तब एसपी ने गांव वालों को समझाइश दी कि नक्सलवादियों को गांवों में आने से रोकते हुए 'गांव बन्दी' लगा दी जाए। उसने ऐसा करने पर 2 लाख रुपए देने की पेशकश की। पहले से ही पार्टी से खफा रहे गांव का पटेल, कोटवार और अन्य मुखियागण यह सुनते ही तुरन्त तैयार हो गए। लिंगा, जोगी, झगडू, एसू नाम के दूसरे लोग भी इनके साथ मिल गए। इस प्रकार इस गांव में शुरू हुा 'गांव बन्दी' का प्रहसन। इन्होंने गांव की जनता पर दबाव डालकर उन्हें मनवाया कि गांव में नक्सलवादियों को न आने दिया जाए। उन्होंने लोगों को यह दबाव भी डाला कि 'गांव बन्दी' के बारे में किसी को कानोंकान पता नहीं चलना चाहिए और आसपास के गांवों में चाहे कहीं भी छापामार दस्ता आए तो उसे मिलने के लिए गांव का कोई भी आदमी नहीं जाए। लोगों पर यह पाबन्दी भी थोप दी कि जन संगठन में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। इन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा करने से गांव को सरकार से 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, जैसा कि एसपी ने वादा किया। यह बात सुनकर स्थानीय छापामार दस्ता सीधा गांव गया और तमाम जनता को बुलाकर बैठक ली। बैठक में जनता ने इन मुखियाओं की पोल खोल दी। गांव के पटेल और अन्य मुखिया उठ खड़े हो गए और गिड़गिड़ाने लग गए कि उन्हें माफ किया जाए। गलती हो गई कहते हुए रोना-धोना शुरू किया। दरअसल इस पटेल को पार्टी ने बहुत पहले ही समझाया था कि वह पुलिस पटेलगिरी छोड़ दे। लेकिन वह गुप्त रूप से न सिर्फ पद पर बना रहा, बल्कि पुलिस से नियमित रूप से तनख्वाह भी ले रहा था। कोटवार को पटेल का दाहिना हाथ कहा जा सकता था। गांव के लिए सरकार से मिलने वाले पैसों को यही हड़प लिया करता था। जन संगठनों ने सरकार को जमीन कर, मकान कर, इत्यादि कर न चुकाने का प्रस्ताव किया, तो इसने जनता को डरा-धमकाकर कर वसूले थे। इस मौके पर इनकी सारी जन विरोधी कार्यवाहियों पर फिर एक बार व्यापक चर्चा हुई। बाद में जनता के फैसले के अनुसार छापामारों ने इन मुखियाओं की पिटाई करके जनता का आह्वान किया कि 'गांव बन्दी' योजना को विफल बनाकर सरकार की साजिशों का पर्दाफाश

किया जाए। जनता ने जन विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करने के नारे लगाए।

टिप्रागढ़ इलाके के मुरुमगांव रेंज के कुलभट्टी गांव में सात जन विरोधी तत्त्वों ने सरकार से सांठगांठ कर 'गांव बन्दी' की। ये सातों लोग ऐसे परिवारों के सदस्य थे जो शुरू से ही जनता पर सत्ता चलाते थे और जन विरोधी थे। इसके पहले जन संगठन सदस्यों को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाने और जन संगठन वालों के नाम पुलिस को देने में इनका हाथ रहा। ये लोग शुरू से जनता के उत्पीड़क रहे। इसलिए जब सरकार ने 'गांव बन्दी' योजना ली, तो सहज ही इस गांव में ये तत्त्व आगे गए। इन्होंने यह प्रचार शुरू किया कि गांव में नक्सलवादियों को नहीं आने दिया जाए। जनता को डराते-धमकाते हुए गांव में संतरी करना भी शुरू किया। इसके बारे में सारी जानकारियां जुटाकर छापामारों ने गांव जाकर इन सभी को गिरफ्तार किया। जन अदालत में इनके सम्बन्ध में विस्तार से बात करने के बाद इनकी पिटाई की। पिटाई के बाद इनमें से एक व्यक्ति ने बाद में दम तोड़ बैठा।

जन विरोधियों को सजाएं

सावरगांव गांव में पटेल मानू मण्डावी, वन विभाग का गारद समेत कुल पांच लोग जनता के लिए सिरदर्द का कारण बने थे। गांव में छोटी-मोटी जो भी घटना होती तो वे सीधा पुलिस थाना जाकर बताया करते थे। दो बार इस गांव में छापामार दस्ता गया तो दोनों ही बार इन्होंने पुलिस को इत्तला दी थी। इस पर जानकारी जुटाकर छापामारों ने इन्हें जनता के सामने खड़ा कर दिया। जनता के सामने इनके तमाम जन विरोधी कारनामों की चर्चा करने के बाद जनता ने यह तय किया कि इनकी पिटाई कर दी जाए। पिटाई करके सुधरने का एक मौका देते हुए इन्हें छोड़ दिया गया।

कोसिमि गांव के पांच लोग जन विरोधी बनकर जन संगठन के सदस्यों को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। इससे इन जन दुश्मनों को छापामारों ने जनता के सामने लाकर जनता के फैसले के मुताबिक पिटाई की। इनमें दो लोगों को गंभीर चेतावनी दे दी गई। एक व्यक्ति को गांव निकाला कर दिया। जनता ने यह भी फैसला सुनाया कि जन संगठन सदस्यों को गिरफ्तार करवाने के जुर्म में इन लोगों से 70 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति वसूली जाए ताकि गिरफ्तार लोगों को जमानत पर छुड़वाया जा सके।

इसके अलावा टिप्रागढ़ इलाके के डुंचापुर, पिट्टेमेट्टा, मरकागांव और मिचगांव तथा एटापल्ली इलाके के कुदिरी, कोंदावाही, वांगेझरी और वाडसा गांवों के कुछ जन विरोधियों को जन अदालत में पेश करके दण्डित किया गया। ये सब पुलिस पटेल और मुखिया परिवारों के सदस्य थे। पूर्व में ये लोग जन संगठन के सामने झुककर रहा करते थे, लेकिन ज्यों ही पुलिसिया दमन बढ़ गया तो इन्होंने दोबारा सिर उठाना शुरू किया। इन्होंने अपने-अपने गांवों में जन संगठन सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाया। पिटाई के अलावा इन्हें आर्थिक रूप से जुर्माना भी लगाया गया। गिरफ्तार जन संगठन सदस्यों को छुड़वाने के लिए कानूनी चक्कर काटने का जिम्मा भी इन्हीं को दे दिया गया। जन विरोधियों के खिलाफ एक अभियान के तौर पर चले इन कार्यवाहियों की बदौलत जनता में आत्मविश्वास बढ़ गया।

जन विरोधी सरपंच तुरसीराम का सफाया

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली इलाका, ताडिगांव रेंज के बासापल्ली गांव के सरपंच तुरसीराम को छापामारों ने जनता के फैसले के मुताबिक मौत के घाट उदार दिया। वह 1993 से पार्टी के खिलाफ काम करता आ रहा था। बहुत पहले ही जनता ने उसे एक बार पंचायत में चेतावनी दी थी। लेकिन इससे उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कट्टर मुखबिर बन गया। इससे जनता ने उसकी पिटाई की। बाद में तुरसीराम ने गांव से अपना डेरा उठाकर एटापल्ली शहर में जमाया। वहीं से वह अपनी क्रान्ति-विरोधी गतिविधियां चलाने लगा था। 1993-94 के तीव्र दमन के दौर में उसने कई जन संगठन सदस्यों को पुलिस के हाथों पकड़वाया था। तब से वह एटापल्ली शहर छोड़कर कभी अपना गांव न आता था। पिछले सितम्बर माह में वह एटापल्ली इलाके के बिडारी गांव के अपने रिश्तेदार के घर आया था, जिसकी जानकारी जनता ने पीएलजीए के दस्ते को दी। छापामाारों ने फौरन ही उस मकान को घेर लिया जिसमें वह सोया हुआ था। उसके पास एक चाकू भी था लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सका क्योंकि वह गहरी नींद में था। उसे गिरफ्तार करके छापामारों ने जनता के समक्ष खड़ा कर दिया जहां उसके सारे प्रति-क्रान्तिकारी कारनामों का खुलासा किया गया। बाद में जनता और छापामारों ने मिलकर उसे वहीं मार डाला। इस प्रकार कई सालों से जनता की नजरों से बचकर घूमने वाला एक कट्टर मुखबिर का सफाया हो गया।

21 से 27 सितम्बर तक दमन विरोधी सप्ताह

गड़चिरोली डिवीजन के अहेरी इलाके में इस मौके पर पांच गांवों की जनता को बुलाकर दो स्थानों पर सभाएं आयोजित की गईं। कुरमुपल्ली, रापल्ली और हेकरा गांवों से लगभग 100 लोगों ने मिलकर एक स्थान पर सभा की। कप्पावंचा और कोडिशापल्ली गांवों के लोगों ने एक और स्थान पर सभा की। इस मौके पर वक्ताओं ने समूचे दण्डकारण्य में सरकारों द्वारा जारी दमनचक्र के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। अत्याचार, झूठे मामले, बेकसूर जनता को मुठभेड़ों के नाम पर मार डालना, लोगों को अदालतों का चक्कर कटवाकर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना, आदि रूपों में पुलिसया दमन बेहद बढ़ता जा रहा है। आखिर में वक्ताओं ने जनता का आह्वान किया कि हम सब मिलकर जनयुद्ध को तेज करके पाशविक दमन को मात दें। इस मौके पर जनता ने संकल्प लिया कि झूठी मुठभेड़ों में मारे जाने वाले लोगों के परिवारों की हर प्रकार की मदद की जाए।

नरबली देने वाले सनकू बोगामी को सजा

दण्डकारण्य में एक समय नरबली की घटनाएं बहुत होती थीं। सभ्य समाज कहलाने वाले गैर-आदिवासी आबादी वाले इलाकों में भी नरबली और टोनही के नाम पर महिलाओं की हत्या जैसी घटनाएं अभी भी सुनाई देती हैं। हालांकि यहां क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकासक्रम में नरबली की घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन अभी भी कहीं-कहीं ऐसी घटनाओं की खबरें आती ही रहती हैं। जब-जब ऐसी घटना होती है तो वहां के जन संगठन और पार्टी जन अदालतों के जरिए दोषियों को सजा दे रहे हैं, समस्या को हल कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदे रेंज के मेकावाई गांव में घटी थी। हालांकि यह गांव छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, लेकिन संगठन की दृष्टि से यह गांव गड़चिरोली डिवीजन में ही आता है। इस गांव का पटेल सनकू बोगामी जनपद सदस्य के पद पर भी है। यानी कि इसने कबीलाई शोषण जारी रखने के साथ-साथ सरकारी राजनीति को भी अपने मुट्ठी में कर रखा था। यह गांव के लोगों पर जुल्म-अत्याचार तो करता ही था, इसके अलावा गांव में रिश्तेदारी के नाते अन्य गांवों से आने वालों को गुप्त रूप से पकड़कर नरबली देना भी शुरू किया। हर साल अक्टूबर-नवम्बर महीनों में, जब फसलें काटी जाती हैं, यह किसी न किसी व्यक्ति को मारकर उसका खून खेत में छिड़क देता था। दिसम्बर 2003 में हालेटोला गांव के निवासी मसरू नरोटी को उसने तब पकड़कर

नरबली दी जब वह बांदे जा रहा था। लेकिन यह बात दो महीने बाद धीरे-धीरे बाहर आई। डीएकेएमएस के नेतृत्व को भी पता चल गया। बाद में 38 गांवों के लोगों को खबर देकर 5 मई के दिन एक बड़ी जन अदालत बुलाई गई। लगभग 600 लोगों ने इस जन अदालत में भाग लिया। अदालत में जब जनता से पूछा गया कि लोगों की जान का खतरा बने इस आदमी को क्या सजा दी जाए, तो कई लोग उठ खड़े हो गए और सनकू की जमकर पिटाई की। इसी मौके पर लोगों ने चैतू बोगा, भूमिया बोगा और टोनी बंगाली की भी पिटाई की क्योंकि वे सनकू का सहयोग किया करते थे। सनकू ने पहले से जिन-जिन लोगों की हत्या की सब स्वीकार करते हुए एक मौका देने की गुजारिश की। इस पर जनता ने चर्चा करके उसे सुधरने का आखिरी मौका देने का फैसला लिया और कुछ शर्तें रखीं – सबसे पहले वह पटेल के पद से इस्तीफा दे और जनपद सदस्य का पद भी छोड़ दे; मृत मसरू नरोटी के परिवार जनों को 40 हजार रुपए का मुआवजा दे; सरकार द्वारा तेन्दुपत्ता मजदूरों को बोनस के नाम पर दिए गए पैसा जो सनकू ने डकार लिया था, वापस कर दे; आइंदा तेन्दुपत्ता तुड़ाई सीजन में वह कोई मेट पद न ले। इस मौके पर जन संगठन के नेतृत्व ने उपस्थित लोगों के समझाया कि नरबली एक जघन्य व अमानवीय प्रथा है तथा ऐसी घटना कहीं भी हो डीएकेएमएस बर्दाश्त नहीं करेगा।

वन विभाग के अधिकारियों के जुल्मों के खिलाफ एएए

अहेरी और सिरोंचा इलाकों में जहां एक तरफ पुलिसिया दमन से गांवों में कोहराम मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वन विभाग वालों के जुल्म-अत्याचार बेहद बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों को 1980 के दशक के दिनों की यादें ताजा हो रही हैं। वन विभाग वाले जनता को कई प्रकार से परेशान कर रहे हैं। जंगल में कोई आदिवासी मिलता है तो उसे पत्थरों से मारना, कुल्हाड़ी छीनना, बैलगाड़ियों में तोड़-फोड़ करना, मकान बनाने से मकान पट्टी के नाम पर 2 हजार रुपए, हल बनाने से नांगल पट्टी के नाम से 120 रुपए, जलाऊ लकड़ी लाने से 120 रुपए, मवेशियों पर भी पट्टी वसूलना, जबरन धान वसूलना, पैसा वसूलना – अतीत के सारे शोषणकारी तरीके फिर एक बार लागू होने लगे। अहेरी इलाके के कमलापुर गांव में वन विभाग वाले अपने परिवारों के साथ डेरा जमाए हुए थे और आसपास के सारे गांवों के लोगों को परेशान कर रहे थे। 4 अप्रैल को स्थानीय छापामार दस्ते ने उन पर हमला करके वन विभाग के गारद और दफेदार समेत छह लोगों की पिटाई कर दी।

सिरोंचा तहसील में भी इनकी ज्यादतियां काफी बढ़ गई हैं। लंकासेना, पिरिमेडा और एल्ले गांवों के 13 बैलगाडियों को बैल समेत वन विभाग वालों ने जब्त करके रेंज में जमा किया। प्रत्येक बैलगाड़ी पर 2 हजार रुपए के हिसाब से पैसा वसूला। इसके अलावा मामले दर्ज करके लोगों को जेल में डाल दिया। इन कुकृत्यों को अंजाम देने में रेपनपल्ली और सिरोंचा के रेंजरों ने अगुवाई की। इनके अलावा नामदेव नाम के एक मोबाइल स्क्वाड अधिकारी अपने बलों के साथ मिलकर दिन-रात गश्त लगाते हुए जनता की नींद हराम कर रहा था। वे अहेरी इलाके के जिम्मलागट्टा गांव के निकट फरसगांव को अपना केन्द्र बना कर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। 17 अप्रैल को दो छापामार दस्तों ने मिलकर मोबाइल स्क्वाड के अधिकारी नामदेव समेत, मनोज, शंकर, मुहम्मद हुस्सेन आदि गारदों को पीटकर भगा दिया। वहां पर मौजूद वन विभाग की एक जीप में भी आग लगाई।

उपरोक्त कार्यवाहियों से वन विभाग वाले शहरों की तरफ भाग गए और जनता ने राहत की सांस ली क्योंकि उनकी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं।

जन विरोधी और पुलिस दलाल सोनसिंह का सफाया

गड़चिरोली डिवीजन के टिप्रागढ़ इलाके का गट्टेगहना गांव छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव जिले में आता है। इस गांव का पटेल सोनसिंह तुलावी शुरू से ही जन विरोधी और बदमाश था। इसने कई लोगों की जमीनें हड़प रखी थीं। कोई भी बाहर का आदमी यहां बसने आता था तो सोनसिंह उन्हें जमीन दिखा देता था। और बाद में जब वे लोग पूरी मेहनत करके जमीन को काश्त के काबिल बना देते तो सोनसिंह उन्हें किसी बहाने भगा देता और जमीन अपने कब्जे में ले लेता था। महिलाओं पर इसके अत्याचारों की कोई गिनती नहीं थी। लोगों से काम करवाकर उन्हें मजदूरी न देता था। यहां जब से क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरूआत हुई तभी से उसने स्वभावतः पुलिस की दलाली शुरू कर दी। पार्टी ने हालांकि उसे दो-तीन बार चेतावनी दी थी कि वह अपने इन काले कारनामों से बाज आ जाए। लेकिन उसने नहीं सुना। हर बात की इत्तला वह मानपुर और ग्यारापत्ती पुलिस थानों में दे दिया करता था। एक बार उसने अपने खेत में धान के ढेर को खुद ही आग लगाकर सरकार को गलत रिपोर्ट दी कि नक्सलवादियों ने उसके खेत को जला दिया। तब उसने सरकार से 2 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया। हाल ही में पुलिस इस इलाके में "झण्डा ऊंचा रहे हमारा" के नाम से एक दमनकारी अभियान चलाया था, जिसमें इसने पुलिस को रास्ते दिखाने के रूप में सहयोग किया था। यह सब देखकर स्थानीय जनता और पार्टी ने इसका सफाया करने का फैसला लिया और हाल ही में इस फैसले पर अमल किया गया।

मुखबिर चेतनसाय को सजा-ए-मौत

टिप्रागढ़ इलाके के आमाकोड्डो गांव का निवासी था चेतनसाय। यह गांव छत्तीसगढ़ के दायरे में आता है। राज परिवार का सदस्य चेतनसाय शुरू में पार्टी के साथ ठीक ही रहता था। लेकिन बीच में इसने पुलिस के साथ सम्बन्ध कायम किए और मुखबिरी शुरू की। दस्तों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करके नियमित रूप से मुरुमगांव थाने में दे दिया करता था। इस पर किसी ने भी शक नहीं किया। 2000 में एक बार इस गांव में स्थानीय छापामार दस्ता ठहरा हुआ था, तो चेतनसाय संतरी आदि का पूरा मुआयना करके थाने में जाकर रिपोर्ट दी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकाम पर धावा बोलकर अंधाधुंध गोलीबारी की। हालांकि दस्ते ने इसका मुकाबला किया और बिना किसी जानी नुकसान के वहां से हट गया था। बाद में इस गद्दारी के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया गया तो चेतनसाय का नाम सामने आया। इस गद्दार को छापामारों ने उसके गांव में ही पकड़ लिया और जनता के सामने पेश किया। जनता के साथ विचार-विमर्श के बाद उसे मार डाला।

पुलिस मुखबिर रवी भैसारे का सफाया

टिप्रागढ़ इलाके के कोटगुल पुलिस थाने के दायरे में आलोंडी गांव का निवासी था रवि भैसारे। वह कई दिनों से पुलिस के साथ हाथ मिलाया हुआ था। नियमित रूप से पुलिस की मुखबिरी कर रहा था। जन संगठन सदस्यों के नाम पुलिस को बताया करता था। वर्ष 2003 में इस इलाके में अकाल पड़ा था। तब पार्टी ने सरकारी गोदामों पर हमले करने का फैसला लिया। इसके तहत जनता ने कोटगुल के सोसायटी पर हमला करके दो मेटाडोर वाहनों में चावल उठा लाया। बाद में रवि ने यह जानकारी पुलिस को दी कि चावल कहां ले जाया गया और किन-किन लोगों ने बांट लिया। बाद में पता चला कि इसे पुलिस ने बाकायदा प्रशिक्षण भी दे रखा है। इसके सम्बन्ध में जनता से सारी जानकारियां जुटाने के बाद पीएलजीए दस्ते ने इसका सफाया करने का फैसला लिया और 12 अप्रैल को इसका खात्मा किया।

भामरागढ़ सभापति रामा बोगामी की पिटाई

रामा बोगामी गड़चिरोली डिवीजन, भामरागढ़ तहसील, गट्टा इलाके के कियेर गांव का निवासी है। वर्ष 2002 में हुए चुनावों में यह भामरागढ़ विकासखण्ड का अध्यक्ष (सभापति) चुना गया। चुनाव के पहले जनता की समस्याओं को हल करने का वायदा करने वाले रामा ने जीतने के बाद जनता के हित में कुछ नहीं किया। 2003 में भामरागढ़ इलाके में गंभीर अकाल आया था। जनता ने तेन्दु, चार फल और महुआ खाकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन रामा ने जनता की मुसीबतों पर कोई बात तक नहीं की। कोई कार्यक्रम भी नहीं उठाया। एक तरफ अकाल की समस्या थी, दूसरी तरफ पुलिसिया दमन जोरों पर जारी था। आम लोगों को पुलिस यह कहते हुए गिरफ्तार कर रही थी कि उन्होंने नक्सलवादियों को खाना खिलाया, उनकी बैठकों में भाग लिया। अकेले भामरागढ़ तहसील में ही कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी रिहाई के लिए रामा ने कुछ नहीं किया।

16 दिसम्बर 2003 को पुलिस ने नेंडवाडी के निवासी कोमटी वाचामी की हत्या की थी। इस पर जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर रामा बोगामी ने चुप्पी साध ली। बाद में रामा ने मृतक कोमटी के पिता को यह समझाइश देने की कोशिश की कि वह पुलिस के खिलाफ दायर अपना केस वापस ले और पुलिस से पैसा लेकर चुप हो जाए। रामा के इस प्रकार के जन विरोधी कदमों को देखते हुए स्थानीय पार्टी ने जनता के समक्ष इसकी चर्चा की। बाद में लोगों के विचार के अनुसार छापामारों ने इसकी पिटाई की।

जन विरोधी गोटा सैनू की पिटाई

गड़चिरोली जिला एटापल्ली तहसील के गांव गट्टा का निवासी गोटा सत्तू एक जमाने में क्रान्ति का दुश्मन था। गांव में मुखिया रहे सत्तू बाद में मुखबिर बना था और आखिरकार 1990 में उसका सफाया कर दिया गया था। इस गांव में पुलिस थाना मौजूद है। इसके सहारे सत्तू का भाई गोटा सैनू अब जन विरोधी क्रियाकलापों को अंजाम दे रहा है। यह भूतपूर्व सभापति भी है। जनता पर जुल्म करना, दूसरों की जमीनें हड़प लेना आदि इसके कारनामों से जनता तंग आ चुकी है। माटावरसे नाम के एक गांव में एक किसान की जमीन सैनू ने यह कहते हुए हड़प ली कि वह गांव उसके पुरखों का है। आदिवासी संस्कृति के खिलाफ चलते हुए इसने गांव में दुर्गादेवी, गणपति, आदि सार्वजनिक उत्सव आयोजित करते हुए इसके नाम पर बड़े पैमाने पर चंदे इकट्ठे करना शुरू किया। इसका मोटा हिस्सा खुद ही खा जाता था। इसका एक ट्रैक्टर भी है। अपने ट्रैक्टर से दूसरों की जमीन जुतवाता था और उसके बदले 300 रुपए प्रति घण्टा पैसा वसूलता था। दूसरे लोग 250 रुपए लेते हैं तो उन पर दबाव डाल कर 300 रुपए लेने पर मजबूर करता था। इसके दबदबे से डरने वाले दूसरे किसान 250 रुपए की दर से ही ट्रैक्टर से जुताई करते थे पर जमीन वाले किसानों से कहते थे कि यह बात सत्तू को न बताएं। इससे सभी डरते थे। एक बार स्थानीय पार्टी ने इसे चेतावनी दी थी लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसके गांव में पुलिस थाना जो था। बाद में स्थानीय पार्टी के फैसले के मुताबिक जन मिलिशिया और स्थानीय दस्ते ने इसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे आखिरी बार चेतावनी देकर छोड़ दिया।

सरपंच कोरके को जनता ने सबक सिखाया

अहेरी तहसील के आशा गांव का सरपंच कोरके कुडिमेत पुलिस से सम्बन्ध रखता था। जो लोग पीएलजीए दस्ते को खाना खिलाते हैं वह उनके नाम पुलिस को बताया करता था। पार्टी से बाहर आने वालों को वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करवा देता था। ऐसा करने पर इसे भी कुछ पैसा मिलता था। इसके अलावा वह पार्टी में काम करने वाले कॉमरेडों के घर जाकर उनके परिवारों को समझाइश दिया करता था कि वे अपने बच्चों को पार्टी से बाहर आने को कहें। हाल ही में उसने स्थानीय कमाण्डर कॉमरेड जया के घर जाकर उनके माता-पिता को बताया था कि वे अपनी बेटी को समर्पण के लिए राजी करवाएं। यह सब देखते हुए स्थानीय छापामार दस्ते ने इसे जनता के सामने लाकर पिटाई की। उसे यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वह आइंदा पुलिस के साथ सम्बन्ध न बनाए।

मांड्रा सरपंच की पिटाई

इसने 1998 में अहेरी इलाके के मांड्रा गांव के पास छापामार दस्ते पर पुलिस द्वारा गोलीबारी करवाई थी। लेकिन तब यह बात निर्धारित नहीं हुई थी। बाद में इसने गांव के लोगों को धमकाना, मारना, पीटना भी शुरू किया। जो भी इसके खिलाफ कुछ बोलता तो उसे वह पुलिस से पिटवाने की धमकी देता था। दस्ते को खाना खिलाने वाले लोगों के नाम और जन संगठन में शामिल लोगों के नाम इसने पुलिस को बताया था। यह सब देखते हुए स्थानीय दस्ते ने उसे जन अदालत में बुलाकर उसके सारे गुनाहों की चर्चा की। कोरके ने अपनी गलतियां कबूल कीं और दोबारा ऐसा न करने का वायदा किया। छापामारों ने उसकी पिटाई करके चेतावनी के साथ छोड़ दिया।

पुलिस मुखबिर आनन्द की पिटाई

गड़चिरोली जिला अहेरी इलाके के प्राणहिता रेंज के निम्मलागूडेम गांव का युवक था आनन्द। गांव के पटेल का लड़का था। वह शुरू से ही जन विरोधी था। लोकसभा चुनावों के मौके पर निम्मलागूडेम गांव के नजदीक छापामारों ने पुलिस वालों पर गोलीबारी की थी। इस घटना के बाद आनन्द ने गांव में यह कहना शुरू किया कि नक्सलवादियों को गांव में न आने दिया जाए। इसकी दी हुई सूचना पर पुलिस ने गुड्डिगूडेम गांव के 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। छापामार दस्ते ने दो गांवों की जनता को बुलाकर उसके सामने आनन्द के बारे में चर्चा की। जनता के फैसले के मुताबिक दस्ते ने आनन्द की पिटाई की।

उत्तर बस्तर डिवीजन

वन सुरक्षा समिति के गठन के खिलाफ ...

पाठकों को पता ही होगा कि लुटेरी सरकार जंगलों की रक्षा करने के नाम पर वन सुरक्षा समितियों का गठन कर रही है। इनका गठन विश्व बैंक के आदेशों के मुताबिक ही हो रहा है। इनके जरिए जनता के एक तबके को भ्रष्ट बनाना, जनता के बीच झगड़े पैदा करना, एक तबके को सरकार के पक्ष में कर लेना, इत्यादि बुरे मंसूबे इसके पीछे है। इसीलिए क्रान्तिकारी आन्दोलन के इलाकों में सरकारी वन सुरक्षा समितियों का जनता पूरी तरह बहिष्कार कर रही है। क्रान्तिकारी आन्दोलन ने खुद ही जंगलों के बचाव करने का जिम्मा उठाया। जन संगठनों के निर्माण के दौरान ही जनता में यह चेतना बढ़ाई जा रही है कि हमें अपने जंगलों की खुद ही रक्षा करनी चाहिए। अब जबकि दण्डकारण्य के गांव-गांव में जनता की राजसत्ता के अंगों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है, तो जंगलों के बचाव के लिए विशेष शाखा कमेटियों का निर्माण भी हो रहा है। दरअसल क्रान्तिकारी आन्दोलन के मजबूत होने के बाद सरकारी वन विभाग लगभग अप्रासंगिक हो गया है और उसका अस्तित्व भी संघर्ष इलाकों में नाम के वास्ते ही रह गया। उनकी गतिविधियां सिर्फ सड़कों पर स्थित गांवों और कस्बाई क्षेत्रों तक सीमित हैं। फिर भी वन विभाग के कुछ अधिकारी कहीं-कहीं बड़े ही गोपनीय ढंग से

अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए वन सुरक्षा समितियों का गठन कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाकिया उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट इलाके के एक गांव में पेश आया था, जिसे डीएकेएमएस ने हल किया।

नारायणपुर से वन विभाग का एक फॉरेस्टर अलपरस गांव में आया था, जिसने गांव के पटेल और सरपंच के साथ सांठगांठ कर वन सुरक्षा समिति का गठन किया। यह गठन इतने गोपनीय ढंग से किया गया कि इसकी जानकारी खुद उन लोगों को भी नहीं थी जिन्हें इसमें शामिल किया गया। इन्होंने अपने ढंग से 30 लोगों के नाम दर्ज करके वन सुरक्षा समिति के गठन की रस्म पूरी की। इनमें कई नाम तो जन संगठनों के सदस्यों के भी थे। लेकिन इस सम्बन्ध में गांव के लोगों को भनक तक नहीं मिली थी। लेकिन धीरे-धीरे इसकी जानकारी जन संगठन सदस्यों को मिल गई। संगठन ने उन तीनों से इस सम्बन्ध में पूछताछ की तो उन्होंने अपनी गलती कबूल की। फॉरेस्टर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि उसकी सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आया, इसलिए उसने सोचा था कि अगर एकाध वन सुरक्षा समिति का गठन कर सके तो उसका वेतन बढ़ सकता है और इसी लालच में उसने यह काम किया। पटेल और सरपंच ने उससे इसलिए सांठगांठ की थी कि वे भी पैसों के लालच में आ गए। इन तीनों लोगों को जनता के बीच खड़े करके कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर जनता ने ऐलान किया कि उन्हें लुटेरी सरकार द्वारा गठित वन सुरक्षा समितियों की कोई जरूरत नहीं है।

तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने जन संघर्ष

पिछले अप्रैल माह में उत्तर बस्तर डिवीजन के बारदा इलाके में डीएकेएमएस और केएएमएस के सदस्यों के 8 प्रचार दलों ने गांव-गांव में तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ा लेने के लिए संघर्ष करने का प्रचार किया। इस संघर्ष की मांगें थीं – 100 गड्डी की मजदूरी 87 रुपए दी जाए; तीन दिन में एक बार मजदूरी का भुगतान किया जाए; उलटाई-पलटाई की मजदूरी दर 70 रुपए हो; पत्ता तोड़ते समय दुर्घटनावश किसी की मृत्यु होती है तो 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भी कुछ और मांगें उठाई गईं। गांव-गांव में इस सम्बन्ध में दीवार-लेखन भी किया गया। इस मौके पर बड़ेडोंगर गांव में "तेन्तुपत्ता संघर्ष समिति" की अगुवाई में लोगों ने एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें लगभग एक हजार महिलाओं समेत 4 हजार लोगों ने भाग लिया। ये सभी करीबन 40-50 गांवों से इकट्ठे हुए थे। जुलूस के दौरान जनता ने तेन्दुपत्ता मजदूरी रेट बढ़ाने की मांग करते हुए तथा मांगें पूरी होने तक संघर्ष को जारी रखने के नारे लगाए। आखिर में लोगों ने वहां उपस्थित अधिकारियों को मांग-पत्र दिया।

बात न मानने वाले ठेकेदार को जनता ने सबक सिखाया

केसकाल इलाके की जनता ने तेन्दुपत्ता मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर संघर्ष शुरू किया था। कोंडागांव डिवीजन के काकोडी यूनिट के ठेकेदार ने जनता द्वारा मांगी गई मजदूरी दर देने को हरगिज तैयार नहीं था। काकोडी गांव कोंडागांव-नारायणपुर मुख्य सड़क पर स्थित है। जनता ने इस पर चर्चा के लिए ठेकेदार को बुलाया लेकिन ठेकेदार बातचीत के लिए भी तैयार नहीं था। उसके इस अड़ियल रवैए के पीछे यह भरोसा था कि चूंकि वह मुख्य सड़क पर रहता है इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कर सकता और पुलिस से मदद भी मिलती रहेगी। लेकिन जनता ने भी ठान ली कि इसे सही सबक सिखाया जाए। 13 जून को 35 सदस्यों के जन मिलिशिया दल ने काकोड़ी स्थित उसके फड़ पर धावा बोल दिया और उसे जलाकर राख कर दी। इसके अलावा वहां पर मौजूद ठेकेदार के वाहनों में भी आग लगा दी। लौटने से पहले उन्होंने वहां मौजूद मैनेजर को यह चेतावनी दी कि तत्काल जनता की मांगें पूरी की जाएं।

मासोड में शातिरों के खिलाफ जन अदालत

28 जुलाई के मौके पर प्रचार कार्य के अन्तर्गत बड़गांव में दीवार-लेखन करने के लिए मेंड्रा गांव से जन संगठन के दो सदस्यों को जाना था। लेकिन चूंकि इन दोनों को भी लिखना नहीं आता, इसलिए इन्होंने अपने ही गांव के चार पढ़े-लिखे लड़कों को साथ में ले लिया। इनमें दो लड़के शातिर थे। इन्होंने क्रान्तिकारी नारे लिखने की बजाए मनमाने ढंग से अनाप-शनाप बातें लिखकर उसके नीचे 'पीपुल्सवार' पार्टी का नाम डाल दिया। साथ में रहे जन संगठन सदस्यों को वह समझ में नहीं आया था। अगले दिन बड़गांव जाने वाले दूसरे लोगों ने दीवारों पर ये गलत बातें देखकर अचंभे रह गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पार्टी को दे दी। स्थानीय पार्टी कमेटी ने आसपास के गांवों से जनता को बुलाकर इन शातिरों के खिलाफ जन अदालत चलाई। इसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। इन शातिरों ने अपनी गलती मान ली और दोबारा ऐसा कभी नहीं करने की कसम खाई। इन्होंने दीवारों पर लिखी गई सारी गलत बातों को खुद ही मिटा दिया। इस घटना से यह बात फिर एक बार साबित हो जाती है कि फिल्म और टीवी के जरिए गांवों में घुसपैठ कर रही साम्राज्यवादी संस्कृति के चलते युवा वर्ग का किस प्रकार पतन हो रहा है। यह घटना इस जरूरत की ओर भी हम सभी का ध्यान खींचती है कि युवा वर्ग को ऐसे जहरीले दुष्चक्र से बाहर लाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

वन विभाग के अधिकारियों के वाहन फुंके

केसकाल इलाके के कोकोडी गांव में वन विभाग के अधिकारियों के जुल्म बढ़ गए। इस गांव में क्रान्तिकारी आन्दोलन का अभी-अभी फैलाव हुआ है। जनता इनसे तंग आ चुके हैं। जनता को जंगल से लकड़ी लाने से वंचित करना, गलत मामले दर्ज करके पैसा वसूलना, खेतों को जंगल में मिलाने की कोशिश करना, प्लान्टेशन लगाना, आम लोगों को भयभीत करना, आदि इनके रोजमर्रा के काम बन गए। इनके जुल्मों पर रोक लगाने के लिए जन मिलिशिया के सदस्यों ने 16 मई को जंगल में आए डिप्यूटी रेंजर और जंगल विभाग के अन्य कर्मचारियों को पकड़कर जनता के सामने चर्चा करके उनकी पिटाई की। बाद में उनके दो मोटार सायकिलों को भी फूंक दिया।

नकली नक्सलवादियों के खिलाफ जन अदालत

8 अगस्त को उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट इलाके में नकली नक्सलवादियों के खिलाफ जन अदालत आयोजित की गई। इसमें 1,000 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। और ये नकली नक्सलवादी इस इलाके के मेंडो एवं माडकट्टा गांवों के नौजवान थे। इनमें से कुछ पढ़े-लिखे लड़के भी थे। ये सभी लोग गरीब या मध्यम परिवारों से ही थे। साम्राज्यवादी संस्कृति से प्रभावित ये युवक नक्सलवादियों का नाम बताकर चोरियां करने लगे थे। जिन गांवों में छापामार दस्ते नहीं जाते ये वहां जाया करते थे और स्थानीय कमाण्डरों के नाम लेकर और फर्जी पत्र दिखाकर पैसा वसूला करते थे। अनुमान है कि इन लड़कों ने इस प्रकार कुल लगभग 3 लाख रुपए वसूले। आखिरकार एक दिन एक गांव की जनता ने इन्हें गिरफ्तार कर जनता को सौम्प दिया। जन अदालत में लगभग 30 गांवों के लोगों ने भाग लिया। इन 11 नकली नक्सलवादियों ने अपने सारे गुनाहों को जनता के सामने स्वीकार किया। आखिर में जन अदालत ने फैसला सुनाया

कि ये लड़के सारे पैसे उन लोगों को लौटा दें जिनके यहां से इन्होंने चोरी की थी। इसके अलावा सजा के तौर पर उन्हें उठ-बैठ करने पर बाध्य किया गया और उनसे माफीनामा लिया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने लोगों को बताया कि साम्राज्यवादी दुष्ट संस्कृति किस प्रकार युवाओं में गलत मूल्य डाल रही है और उन्हें बिना मेहनत किए अवैध तरीकों से धन कमाने की प्रेरणा दे रही है। पार्टी नेताओं ने लोगों का आह्वान किया कि ऐसी दुष्ट संस्कृति का सफाया कर जन संस्कृति का निर्माण करना चाहिए।

जबरन वोट डलवाने वाले सरपंच और वार्ड पंच को सजा

केसकाल इलाके के हाटचपाई गांव का सरपंच था कारिया गोटा। इसने पिछले साल विधानसभा चुनावों के मौके पर जनता के बीच यह अफवाह फैलाकर जबरन वोट डलवाया कि पुलिस पहुंच चुकी है। वोट डलने के बाद उसने मतदान कर्मियों को अपने गंतव्य में सुरक्षित पहुंचाया। इसी तरह तुरकी गांव के वार्ड पंच चमरू ने भी विधानसभा चुनावों के मौके पर जनता पर दबाव डालकर वोट डलवाए। जन संगठन के कार्यकर्ताओं को भी इसने दबाकर रखा था। वीजे गांव के सरपंच ने भी चुनावों के मौके पर मतदान कर्मियों और पुलिस की मदद की। इसने इस गांव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें जब्त करने वाले जन संगठन सदस्यों के नाम भी पुलिस को बता दिए। इन सभी को बाद में जन मिलिशिया दस्ते ने गिरफ्तार करके सम्बन्धित गांवों में जन अदालतों में पेश किया और जनता के फैसले के मुताबिक इनकी पिटाई कर दी। इन्हें कड़ी चेतावनी भी दी कि आइंदा ऐसी गलती करने पर खैर नहीं होगा।

जन विरोधियों को सजाएं

उरुंदाबेड़ा रेंज के कानागांव का निवासी अमर गावडे एक शातिर बदमाश था। चोरियां, महिलाओं के साथ बलात्कार, पार्टी के नाम से गलत काम करना, जो उसका विरोध करते हैं उनके नाम पुलिस को बताने की धमकियां देना, आदि इसके काम थे। हालांकि एक बार गांव के लोगों ने इसकी पिटाई की, पर इसमें कोई बदलाव नहीं आया। आखिर में स्थानीय छापामार दस्ते ने इसके खिलाफ जन अदालत चलाकर जनता के फैसले के मुताबिक इसकी जमकर पिटाई कर दी।

अंतागढ़ रेंज के सरंडी गांव का निवासी रमनसिंह साहू एक साल से पुलिस के साथ मिलकर दलाली कर रहा था। हाट बाजार के दिन पुलिस से मिलकर आसपास के गांवों के बारे में सूचना पहुंचाया करता था। जासूसी करने के लिए आने वाले पुलिस के मुखबिरों को यह अपने घर में पनाह दिया करता था। इसके अलावा दुकान में कौन क्या खरीदारी कर रहा है, दस्तों के लिए क्या-क्या सामान खरीदा जा रहा है, इत्यादि जानकारियां भी इसने पुलिस को दीं। इन सारी बातों के बारे में छापामारों ने जनता के साथ चर्चा करके जनता की सहमति से रमनसिंह की पिटाई की।

केसकाल इलाके के अर्रा गांव का निवासी सियाराम जनता को कई प्रकार से प्रताड़ित किया करता था। इसने जनता से साल के बीज खरीदे थे पर पैसा नहीं दिया। जो लोग पैसा देने की बात करते उन्हें डराया-धमकाया करता था। चुनावों के मौके पर जनता बहिष्कार के लिए तैयार हुई तो इसने जनता को डराकर मतदान करवाने की कोशिश की। जनता को पार्टी के खिलाफ उकसाया करता था। वन विभाग के अधिकारियों का पिट्ठू बनकर जनता के लिए सिरदर्द बना। इस पृष्ठभूमि में जन संगठनों के नेतृत्व में जन अदालत बुलाकर इसकी पिटाई कर दी गई। इस जन अदालत में 150 महिलाओं समेत कुल 250 लोगों ने भाग लिया।

जन मिलिशिया ने ट्रैक्टर फूंके

क्रान्तिकारी आन्दोलन के दमन के सिलसिले में दण्डकारण्य में सरकार व्यापक पैमाने पर सड़कों का निर्माण कर रही है। लेकिन पार्टी और जन संगठन सड़कों के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण के पीछ सरकार के असली मंसूबे को समझकर जनता इसका सक्रियता से विरोध कर रही है। जनता का मानना है कि यह उसके विकास के लिए नहीं, बल्कि दमन के लिए ही अपनाया जा रहा है। पिछले मार्च महीने में उत्तर बस्तर डिवीजन के उरुंदाबेड़ा रेंज के हीरागांव गांव में ठेकेदारों ने जब सड़क का काम चालू किया तो जन संगठनों ने इसका विरोध करते हुए पोस्टर लगाए। लेकिन ठेकेदारों ने इसे नजरअंदाज करते हुए काम जारी रखा तो छह गांवों से जन मिलिशिया के 50 सदस्यों ने काम की जगह पर धावा बोलकर ठेकेदार के चार ट्रैक्टर फूंक दिए। राजस्थान से आए उस ठेकेदार को वहां से भगा दिया।

लोगों को ठगकर वोट डलवाने वाले मुखियाओं को सजा

उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेड़ा इलाके में पिछले अप्रैल में लोकसभा चुनावों के दौरान हर गांव में बहिष्कार का प्रचार किया गया। लेकिन कहीं-कहीं गांवों के मुखियाओं ने बुर्जुवाई पार्टियों के नेताओं से चोरी-छिपे पैसा लेकर जनता से वोट डलवाया। कोपेनगुंडा, राजामुंडा, गोडिया, कांदाडी, आलदंडी, कैरिपदर आदि गांवों के लोगों को इन्होंने वोट डालने पर मजबूर किया। ये सब गांवों में पटेल और कबीले के प्रमुख के पद पर थे। इन्होंने जनता में यह अफवाहें फैलाईं कि वोट न डालने पर सरकार हमें मार डालेगी, हमारी जमीनें छीन लेगी, जेल में डालेगी, आदि। चुनाव खत्म होने के बाद इनकी पोल खुल गई। पता चला कि इन्हें रिश्वत के तौर पर प्रति व्यक्ति 10 रुपए मिले थे। बाद में डीएकेएमएस और केएएमएस की अगुवाई में इनके खिलाफ जन अदालत लगाई गई जिसमें 10 गांवों के लोगों ने भाग लिया। इन्होंने अपनी गलती कबूल की। जनता ने फैसला सुनाया कि इन्हें जितना पैसा वोटबाज नेताओं से प्राप्त हुआ उसके अलावा 5 हजार रुपए जुर्माना भरना चाहिए। अदालत ने तय किया इनसे वसूला गया जुर्माना जनता के सामूहिक विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। इन्होंने इस फैसले को मान लिया। इनके नाम इस प्रकार हैं – पांडू पद्दा, कोलूराम कतलामी, मंगेल गावडे, रामसिंह गावडे, धनीराम गावडे और कोरेटी गैता।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

चिंतागुप्पा का मुखबिर सोडी वारे का सफाया

दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा इलाके के चिंतागुप्पा गांव का निवासी सोडी वारे पुलिस मुखबिर बन जन संगठन सदस्यों को पुलिस के हाथों पकड़ाया करता था। इसके कारण करिगुंडा गांव के जन संगठन नेता सोडी बुधराल पुलिस के हाथों गिरफ्तार किया गया। हालांकि केएएमएस की एक सदस्या को भी इसने गिरफ्तार करवाने की कोशिश की पर वह किसी तरह बच निकली। यह पुलिस वालों के साथ ही रहा करता था। उनके साथ दारू पिया करता था। इसे सजा देने के लिए जन मिलिशिया ने बड़ी सूझबूझ के साथ चिंतागुप्पा में ही गिरफ्तार किया जहां पुलिस थाना भी था। बाद में 12 गांवों के लोगों के समक्ष जन अदालत चलाई गई जिसमें कुल 1,600 लोगों ने भाग लिया। इनके तमाम गुनाहों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद जनता ने एक मत से फैसला किया कि इसका सफाया कर दिया जाए। उसे वहीं मार डाला गया और लाश चिंतागुप्पा के पास फेंक दी गई। ★

गोपनीय सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए जन मिलिशिया ने

दण्डकारण्य में पुलिस अमला मुखबिर बनाकर उन्हें बाकायदा गोपनीय सैनिकों के नाम पर काम करवा रहा है। उन्हें नियमित रूप से वेतन भी दे रहा है। क्रान्तिकारी गतिविधियों की खबर लगाने के लिए दुश्मन मुख्य रूप से गांवों में आवारागर्दी करने वाले नौजवानों पर निर्भर करते हुए उन्हीं लोगों को गोपनीय सैनिकों के रूप में नियुक्त कर रहा है। गांवों और जंगलों में पुलिस और सीआरपी बलों की गश्त के दौरान आमतौर पर गोपनीय सैनिक ही उनके लिए रास्ते दिखाने वाले गाइड का काम करते हैं। इन्हें पैसा देकर और तरह-तरह के प्रलोभन देकर गोपनीय सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ये सब क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए एक बाधा बन चुके हैं। उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजनों में इनका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पार्टी ने यह समझते हुए कि इनका सफाया किए बगैर क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ नहीं सकता, कई एक्शन टीमें गठित करके इनका खात्मा करने का फैसला लिया। पिछले एक साल के दौरान सभी डिवीजनों में पीएलजीए की एक्शन टीमों ने जनता की सक्रिय मदद से कुछ कट्टर गोपनीय सैनिकों का सफाया कर दिया। हालांकि इन एक्शन टीमों में पीएलजीए के तीनों बलों के सैनिक शामिल थे, पर विशेष रूप से जन मिलिशिया, जोकि पीएलजीए का आधार बल है, ने इन कार्यवाहियों में सराहनीय भूमिका निभाई। एक और खास बात यह है कि लगभग इन सभी कार्यवाहियों को पुलिस थानों के इर्द-गिर्द या पुलिस वालों की नजरों के सामने ही अंजाम दिया गया।

धनोरा में दयाशंकर का सफाया

उत्तर बस्तर डिवीजन के केसकाल इलाके के धनोरा पुलिस थाने के नजदीक, पुलिस के साये में ही रहने वाले दयाशंकर को तीन सदस्यों वाली एक्शन टीम ने एक साहसिक कार्यवाही में मार डाला। दयाशंकर बारदा इलाके के अन्तर्गत कोड्यूर गांव का निवासी था। पहले वह अपने गांव में एक जमींदार और मुखिया हुआ करता था। कई लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला दयाशंकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ खड़ा हो गया था। एक बार जनता ने इसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए इसके घर पर हमला किया था। पर उस घटना के दौरान इसने एक दस्ता सदस्य और एक जन संगठन सदस्य को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। बाद में वह धनोरा में ही डेरा जमाकर पुलिस के साथ मिलजुलकर रहने लगा। आखिरकार एक्शन टीम ने इसका सफाया करके उस क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाई। इसकी मौत की खबर सुनकर कोड्यूर गांव के लोगों ने मुरगे काटकर जश्न मनाया।

पकंजूर में मंगे तुलावी का सफाया

उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेड़ा इलाके के मेंड्रा गांव के मंगे अपने बीवी-बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला को भगा ले गया था। वह पकंजूर में रहने लगा जहां पुलिस थाना मौजूद है। पकंजूर के पुलिस वालों के साथ मिलकर गांवों में आकर उसने कुछ जन संगठन सदस्यों को गिरफ्तार करवाया था। इसके अलावा हाट बाजार में जाने वाले जन संगठन सदस्यों और नेताओं को भी पहचानकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाता था। इसके पहले इसका बड़ा भाई भी पुलिस मुखबिर बना था जिसे बाद में छापामार दस्ते ने मार डाला था। फिर मंगे भी उसी के रास्ते पर चलने लगा था। पीएलजीए की एक्शन टीम ने इसका सफाया करने के लक्ष्य से 12 मई को पकंजूर कस्बे में जाकर जनता की सक्रिय मदद से पुलिस थाने के नजदीक ही उसे गोली मार दी।

अंतागढ़ में इंद्रपाल का सफाया

उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट इलाके के सालेभाट गांव का निवासी इंद्रपाल पिछले तीन सालों से गोपनीय सैनिक के रूप में काम कर रहा था। अप्रैल 2004 में पीएलजीए की एक्शन टीम ने अंतागढ़ हाट बाजार में इसका सफाया कर डाला।

दुर्गकोंदुल में बिरजू का सफाया

उत्तर बस्तर डिवीजन के वट्टमटोया का निवासी था बिरजू। इसका परिवार बाबा बिहारीदास का चेला बना भक्ति परिवार था। गांव पर इस परिवार का दबदबा चलता था। एक बार इस परिवार के जुल्मों के खिलाफ जन अदालत आयोजित करने के सिलसिले में जब छापामार दस्ता गया था, तब इन लोगों ने दस्ते पर हमला करके बन्दूक छीनने की कोशिश की थी। बाद में छापामार दस्ते के नेतृत्व में जनता ने इनके घर पर हमला करके आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई। तबसे बिरजू मुखबिर बनकर दुर्गकोंदुल थाने के बगल में ही रहने लगा था। इस इलाके की जनता के लिए यह बड़ा खतरा बना हुआ था। जो लोग हाट बाजार जाते हैं वह उन्हें किसी न किसी बहाने पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देता था। आखिरकार पीएलजीए की एक्शन टीम ने दुर्गकोंदुल के हाटबाजार में ही इसका सफाया कर दिया।

कोइलीबेड़ा की सड़क पर हल्लाल का खात्मा

हल्लाल मरदा गांव का निवासी था। इसका जीजा भी गोपनीय सैनिक था। यह पिछले चार सालों से गोपनीय सैनिक बन कर काम कर रहा था। मरदा गांव के आसपास के कई जन संगठन सदस्यों को इसने पुलिस के हाथों पकड़ा दिया था। पुलिस ने इसे एक रिवॉल्वर भी दिया था। एक दिन जब हल्लाल कोइलीबेड़ा थाने से अपना वेतन लेकर एक सवारी जीप में आ रहा था, तब तीन छापामारों की टोली ने जीप को रोक दिया। जब छापामारों ने हल्लाल को पकड़ने की कोशिश की तो वह कूदकर भाग गया। कूदने के बाद अपनी रिवॉल्वर से एक गोली भी चलाई। लेकिन बाद में उसकी रिवॉल्वर जवाब दे बैठी तो उसने दौड़ना शुरू किया। एक्शन टीम के सदस्यों ने करीब एक किलोमीटर तक उसके पीछे भागकर पकड़ लिया। उसे वहीं गोली मारकर रिवॉल्वर छीन ली।

गोपनीय सैनिक कोलिया का सफाया

माड़ डिवीजन के डौला इलाके के वेडमाकोट गांव का निवासी था कोलिया। 26 वर्षीय आदिवासी युवक कोलिया अपने गांव में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। बाद में हाईस्कूल के लिए नारायणपुर गया था, जहां वह आवारागर्दी में शामिल हो गया और पियक्कड़ भी बन गया। महिलाओं के साथ बलात्कार, उन्हें डरा-धमकाकर अपने स्वार्थ हितों को पूरा करना, गांजे का चोर धंधा करना – ये उसकी प्रवृत्ति बन गए। धीरे-धीरे वह पुलिस मुखबिर भी बन गया। 1995 से कोलिया जन संगठनों और छापामार दस्तों की गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचना दे रहा था। जब तक लोगों को इस पर शक पैदा होता तब तक वह गांव छोड़कर नारायणपुर में बस गया। 1997

से वह नारायणपुर में ही रहते हुए पुलिस और विशेष बलों को रास्ते दिखाते हुए दमनात्मक कार्यवाहियों में भाग लेने लगा। हाल के महीनों में वह कई और मुखबिर तैयार कर एक बड़ा नेटवर्क बनाने के प्रयास में था। यह सूचना मिलने के बाद जन मिलिशिया ने भी उसे उसी के ढंग से फंसाने की योजना तैयार की। उसे धोखा देने के लिए मिलिशिया सदस्यों ने जन संगठनों के सम्बन्ध में कुछ झूठी सूचनाएं देकर उसका विश्वास जीत लिया। इसी सिलसिले में 23 मई 2004 को मिलिशिया दस्ते ने कोलिया को नारायणपुर कस्बे में ही मिलकर दोस्ती करने और सूचना देने का अभिनय करके खूब दारू पिलाई। बाद में पिस्तौल से उसका सफाया कर दिया। पीएलजीए के सैनिक जब इसका सफाया कर रहे थे तब वहां से कुछ ही दूर पर बैठे पुलिस वाले गोलियों की आवाज सुनकर जान बचाने के लिए कायरों की तरह थाने में भाग गए। फिर एक घण्टे बाद बड़ी संख्या में घटनास्थल पर आए और वहां के व्यापारियों पर अपनी 'बहादुरी' का बेहूदा प्रदर्शन किया। उन्हें बेहद मारा-पीटा। इसके बाद यहां के व्यापारियों ने पुलिस के जुल्मों के खिलाफ एसपी के दफ्तर के सामने धरना दिया। काफी सूझबूझ और पहलकदमी के साथ की गई इस कार्यवाही ने इस इलाके के जनता को काफी उत्साहित किया।

गोपनीय सैनिक वत्ते को मिली कुत्ते की मौत

माड़ डिवीजन के कोह्कामेट्टा इलाके के इरकभट्टी गांव का निवासी वत्ते 1990 से पुलिस मुखबिरी कर रहा था। इसने माड़ डिवीजन में छापामारों द्वारा कैम्प किए गए स्थानों के सम्बन्ध में पुलिस को जानकारी दी थी। गांवों में जन संगठनों में शामिल कार्यकर्ताओं के नाम पुलिस को बताया था। शुरू से ही यह आवारा, लम्पट और शराबी हुआ करता था। 1993 से वत्ते को पुलिस ने गोपनीय सैनिक के तौर पर भर्ती कर लिया। शुरू में इसने नारायणपुर में काम किया था। परालकोट इलाके में मुखबिर तैयार करके एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी। गोपनीय सैनिक के अलावा यह गांजे के अवैध धंधे में भागीदार था। कई गांवों में इसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। हाल ही में पुलिस ने इसे रावघाट स्थानान्तरित किया था। वह रावघाट में रहते हुए ही अपने गांजे के धंधे के सिलसिले में नारायणपुर आना-जाना करता था। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हासिल करने के बाद जन मिलिशिया दस्ते ने 15 सितम्बर 2004 को डौला इलाके के मूंजमेट्टा गांव में इसे धर-दबोचा। बाद में इससे कड़ी पूछताछ करके मार डाला। इस प्रकार कई सालों से इस इलाके की जनता के लिए खतरा बने हुए एक कट्टर दुश्मन का अन्त हो गया और जनता ने चैन की सांस ली।

गोपनीय सैनिक तुलाराम को जनता के हाथों मौत

माड़ डिवीजन के डौला इलाके के हातपाल गांव का निवासी तुलाराम कई सालों से मुखबिर का काम कर रहा था। यह गैर-आदिवासी था। पुलिस के पैसों के लालच में मुखबिर बना तुलाराम गांवों में घूमकर संगठन की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर पुलिस को बताया करता था। इसके अलावा उसने गांवों में कुछ अन्य लोगों को भी मुखबिर बनाकर एक नेटवर्क स्थापित किया था। 1993 में इसने इन्नर गांव के जन संगठन नेता सोमधर और रायसिंह को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया था। 1990 से कोंडागांव इलाके में इसने पुलिस के एक वफादार मुखबिर के तौर पर काम करना शुरू किया था। जनता ने 1991 में एक बार इसके घर को ध्वस्त किया था। तब से इसने बेनूर में रहना शुरू किया जहां पुलिस थाना मौजूद है। तबसे पुलिस ने इसे बन्दूक भी दे दी। तुलाराम बेनूर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए, जन संगठन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाते हुए जनता के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका था। जनता कई सालों से छापामार दस्ते से इसका सफाया करने की मांग करती आ रही थी। एक बार इस पर एक टीम ने हमला किया था, पर वह बच निकल गया। आखिरकार मई 2004 में पीएलजीए की एक्शन टीम ने कोंडागांव कस्बे में हाट बाजार के बीचोंबीच उसे तब गोली मार दी जब वह एक होटल में चाय पी रहा था। कार्यवाही के बाद छापामार क्रान्तिकारी नारे लगाते हुए जनता के बीच से ही बड़ी सूझबूझ के साथ निकल गए। इस हमले ने इस इलाके के दुश्मन दलालों के दिलों में हड़कंप मचा दिया। वे अब डर से कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि कोंडागांव जैसे बड़े कस्बे भी उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। इलाके की जनता ने पीएलजीए को इस शानदार कार्यवाही के लिए बधाई दी।

गोपनीय सैनिक मासू कौडो का सफाया

उत्तर बस्तर डिवीजन के किसकोड्डो इलाके के चिंगनार गांव का निवासी था मासू। वह पहले तो छोटी-मोटी चोरियां करते हुए आवारा की तरह जीता था। एक बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसे पैसों का लालच में फंसाकर पुलिस ने अपना मुखबिर बना लिया। तब से वह कोइलीबेड़ा और केसकाल इलाकों में दस्तों की सूचना इकट्ठी करके पुलिस को पहुंचाया करता रहा था। दुकानों से सामान चोरी करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़-प्रताड़ना करना आदि इसके जैसे रोजमर्रा के काम बन गए थे। एक बार जब वह एक गांव में आया तो जन मिलिशिया ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया। बाद में जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह पिछले दो-तीन सालों से गोपनीय सैनिक के रूप में काम कर रहा था और पुलिस से नियमित पैसा ले रहा था। बाद में मिलिशिया ने उसका सफाया करके रावघाट सड़क पर उसकी लाश फेंक दी।

चपरासी के भेष में मुखबिरी करने वाले आयतू का सफाया

माड़ डिवीजन के कोह्कामेट्टा इलाके के मुरनार गांव का निवासी आयतू पुलिस के पैसों के लालच में मुखबिर बना था। शुरू में वह जन संगठनों में सक्रिय काम करने वाले लोगों के नाम पुलिस को बताया करता था। बाद में पुलिस ने उसे चपरासी के रूप में नौकरी दिलवाकर डौला इलाके के नेलवाड़ा गांव भेज दिया। वह नारायणपुर में रहते हुए नेलवाड़ा में नौकरी करने लगा। लेकिन वह स्कूल में काम पर बहुत कम जाता था, छापामार दस्तों की गतिविधियों की जानकारी जुटाने का काम ज्यादा करता था। इसने कुछ और लोगों को भी मुखबिर बनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में 7 अगस्त को वह पीएलजीए के हत्थे चढ़ गया। जनता में इसके गुनाहों के बारे में चर्चा करके बाद में मार डाला गया।

गोपनीय सैनिक भगत दखने का सफाया

टिप्रागढ़ इलाके के मानपुर पुलिस थाने के दायरे में स्थित कांदाडी गांव का निवासी था भगत। इसका परिवार से बाहर से आकर वहां बसा हुआ था। इसके पिता ने मजदूरी काम करते हुए इसे कालेज तक पढ़ाया। भगत मानपुर में पढ़ते हुए पुलिस के सम्पर्क में चला गया। पुलिस इसे गोपनीय सैनिक के रूप में भर्ती करके प्रति माह 1,000 रुपए का वेतन देने लगी थी। इसके अलावा सरकार ने इसे एक लाख रुपए का ऋण भी दिया जिससे उसने एक किराना दुकान

(शेष पृष्ठ 58 पर....)

सड़े-गले रीति-रिवाजों के खिलाफ माड़ जनता का संघर्ष

आज भी माड़ के निवासी मुख्य रूप से पेंदा (चलित) खेती पर ही निर्भर है। हलों से जोताई बहुत कम होती है यहां। हालांकि क्रान्तिकारी आन्दोलन के फलस्वरूप पिछले कुछ सालों से कई गांवों में लोगों ने हलों से जोताई सीख ली। धान की खेती भी पहले के मुकाबले अब बढ़ रही है। जनता अब यह समझने में सक्षम हो रही है कि यहां प्रचलित रूढ़िगत कबीलाई रिवाज और शादी की परम्पराएं उसके विकास में बाधा डाल रही हैं। अब जब कि ग्राम स्तर पर जनता की राजसत्ता के संगठन (जनताना सरकार) स्थापित किए जा रहे हैं, इस दिशा में जनता में ज्यादा जागरूकता आ रही है। माड़ डिवीजन के कुत्तुल, कोह्कामेट्टा और परालकोट इलाकों में डीएकेएमएस और केएएमएस के नेतृत्व में जनता कुछेक रीति-रिवाजों में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है जिन्हें वह अब सड़े-गले रीति-रिवाजों के रूप में देख रही है।

करसड़ : लगभग माड़ के हर गांव में करसड़ होता है। इसे मेला या जातरा कह सकते हैं। इसमें युवक-युवतियां सामूहिक नृत्य करते हैं। यहीं वे अपने-अपने जीवन-साथियों का चुनाव भी करते हैं। ये सभी करसड़ एक-दो महीनों तक चलते रहते हैं। इनका सीजन भी ठीक वही समय है जब बोआई होती है। इनसे खेती के काम पीछे पड़ रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के बाद जन संगठनों ने यह तय किया कि करसड़ों का आयोजन गर्मियों में ही पूरा हो जाना चाहिए ताकि खेती के कामों में कोई खलल न पड़ सके। साथ ही, पांच-छह गांवों को मिलाकर एक साथ करसड़ होना चाहिए।

सल्फी (गोरगा) : सल्फी पीना यहां के आदिवासियों में आम है। उसे उनके जीवन का हिस्सा कह सकते हैं। हर गांव में सल्फी के पेड़ होते हैं। कुछ जगहों में साल भर सल्फी का रस मिलता ही रहता है। यहां बचपन से ही इसकी आदत पड़ जाती है। इस आदत से खेती के विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है। क्योंकि कुछेक गांवों में सल्फी के पेड़ 1-2 घण्टों की दूरी पर रहती है। सुबह उठते ही सल्फी पीने के लिए निकलने वाले लोग जब तक लौट आते तब तक 10-11 बज जाते हैं। फिर शाम के तीन बजते ही सल्फी के लिए निकल पड़ते हैं और रात के 9-10 बजे लौट आते हैं। इससे इन लोगों का सारा समय इसी में बीत जाता है। जहां एक तरफ इस आदत से खेती के विकास में खलल पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नशे की हालत में झगड़े भी होते हैं। एक-एक बार लड़ाई-झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि किसी-किसी की मौत भी हो जाती है।

इन सारे नुकसानों को जनता को समझाते हुए जन संगठनों ने यह प्रचार शुरू किया कि मुख्य रूप से युवा और बच्चे सल्फी (और महुए की शराब और लंदा) पीना छोड़ दें। गांव-गांव में यह प्रचार जोरों पर है कि सबसे पहले संगठन सदस्य इस आदत को त्यागकर आदर्श बनाएं। कई गांवों में युवा और बच्चे कसम (किरिया) खा रहे हैं कि वे शराब छोड़ रहे हैं।

शादियां : यहां शादियां भी ठीक बोने के समय ही होती हैं। शादियों में ही सबसे ज्यादा खर्च होता है। सगाई (माहला) से लेकर शादी तक मांगी जाने वाली शराब का हिसाब लगाया जाए तो बहुत सारा हो जाता है। गांव में चार-पांच शादियां हों तो एक-डेढ़ महीने यूं ही गुजर जाते हैं। कन्याशुल्क के तौर पर दूल्हे के परिवार को करीबन 100-150 बोतल शराब देनी पड़ती है। इसके अलावा खर्च के नाम पर 500 से 5,000 रुपए की नगद और सुअर भी देने पड़ते हैं। इस प्रकार शादी पूरी होने तक दूल्हे का घर कंगाल हो जाता है। खर्च का ज्यादातर हिस्सा शराब पर ही जाता है। चूंकि यहां पर महुआ भी नहीं मिलता, इसलिए यहां के लोग अपने खोसरा (कोहला) धान मैदानी इलाकों में ले जाकर महुए के बदले बेच देते हैं। खाने के लिए न रहने पर भी वे अपना खोसरा धान बेचने पर मजबूर हो जाते हैं।

यह सब चर्चा करने के बाद जन संगठनों ने शादियों के रीति-रिवाजों में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया। इसमें एक – किसी गांव में एक से ज्यादा शादियां हों तो सभी शादियों को इकठ्ठे आयोजित करना चाहिए। सहज ही बूढ़ों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। लेकिन उन्हें समझाते हुए और मनवाने की कोशिश करते हुए ही जन संगठन जनता को इस फैसले को लागू करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कुत्तुल के निकट आलवेड़ा गांव में जन संगठनों ने पहलकदमी लेते हुए चार शादियां एक साथ करवाईं। इन शादियों के आयोजन में शराब का सेवन पूरी तरह बन्द रखा गया। कोड्डिलेर गांव में भी तीन शादियां एक ही दिन करवाई गईं। पहले के रिवाज के अनुसार की जाएं तो एक महीना बीत जाता।

चूंकि शादियों में शराब के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना मुश्किल है, इसलिए उस पर दस बोतलों की सीमा तय कर दी गई। सगाई के समय शराब के सेवन और लेन-देन पर पूरी तरह पाबन्दी रखी गई। जन संगठनों ने यह भी तय किया कि जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी महिला दोबारा शादी करना चाहती है तो खर्चा वसूलना नहीं चाहिए।

ये सारे फैसले जनता में एक खास बदलाव की ओर इशारा करते हैं। जन संगठन इन फैसलों पर जनदिशा के मुताबिक अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां विकसित हो रही जन संस्कृति को भी ये बदलाव प्रतिबम्बित करते हैं। निश्चित रूप से जनता की चेतना के विकास में इन बदलावों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आशा करेंगे कि इससे यहां के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कई और सकारात्मक बदलाव आएं। ★

(.... पृष्ठ 57 का शेष)

खोल दी। दुकान की आड़ में भगत चुपचाप मुखबिरी का काम करने लगा था। इसे पुलिस ने एक मोटार सायकिल भी दिलवाया। मोटर सायकिल पर गांवों में घूमते हुए क्रान्तिकारी क्रियाकलापों की खबर लेता था। कॉलेज में पढ़ते हुए भी वह लड़कियों के साथ छेड़छाड़, शराबखोरी आदि करतूतों में शामिल हुआ करता था। 16 जून को पीएलजीए की एक टीम ने एक सड़क पर घात लगाकर भगत को गिरफ्तार करके वहीं पर गोली मार दी।

एक अभियान के रूप में की गई इन कार्यवाहियों से कई गोपनीय सैनिक भयभीत हो उठे। कुछ लोग आत्मसमर्पण करने की पेशकश करते हुए छापामार दस्तों को संदेश भेज रहे हैं। अभी तक इन लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी रही थी कि शहरों में पुलिस के नजदीक रहने से उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब यह भ्रम पूरी तरह टूट गया। इन कार्यवाहियों को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जन मिलिशिया और पीएलजीए के अन्य बलों के लाल सैनिकों का और साथ ही साथ इन तमाम कार्यवाहियों में सहयोग देने वाली क्रान्तिकारी जनता का लाल अभिनन्दन करेंगे। ★

सभा – सम्मेलन

केसमोंडी रेंज डीएकेएमएस अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न

उत्तर बस्तर डिवीजन के केसमोंडी रेंज डीएकेएमएस का प्रथम अधिवेशन 16-17 सितम्बर को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। पिछले साल नवम्बर महीने में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों के मौके पर जीरमतराई गांव में पुलिस के हाथों मारे गए शहीदों के कम्यून में कॉमरेड बालसिंह हाल में यह अधिवेशन सम्पन्न हुआ। बालसिंह कोतुल गांव के डीएकेएमएस अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु बीमारी के चलते हुई थी। डीएकेएमएस अध्यक्ष भिवसिंह ने झण्डा फहराकर सभा का प्रारम्भ किया। दो साथियों को अधिवेशन के संचालन के लिए अध्यक्षमण्डल के रूप में चुन लिया गया। इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजनीतिक प्रस्ताव और घोषणा-पत्र पर चर्चा के बाद प्रतिनिधियों ने पारित किया। आखिर में तीन साथियों को रेंज कमेटी के लिए चुन लिया गया। कोलार रेंज डीएकेएमएस प्रथम अधिवेशन भी इसी प्रकार सम्पन्न हुआ। इन अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों में से ये प्रमुख थे –

1) सरकार के झूठे सुधारों का विरोध किया जाए। जनता के असली विकास के लिए कदम उठाए जाएं। 2) चारगांव-रावघाट खदानों को बन्द करके हमारी सम्पदाओं को बचा लिया जाए। बस्तर की सम्पदाओं का दोहन करने की साजिश के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित दल्ली-राजहरा-रावघाट रेल लाइन का विरोध किया जाए। 3) गैर-सरकारी संगठन एकता परिषद की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जाए। गांवों में इस संगठन की गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए। 4) पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया जाए।

नेलनार इलाके में डीएकेएमएस के ग्राम स्तर के अधिवेशन सम्पन्न

माड़ डिवीजन के नेलनार इलाके में पहली बार ग्राम स्तर पर डीएकेएमएस अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। हालांकि इस इलाके में कई साल पहले ही डीएकेएमएस का निर्माण हो चुका है, पर इस प्रकार नियमबद्ध तरीके से नीचे से अधिवेशनों का आयोजन यही पहली बार था। हरेक अधिवेशन में डीएकेएमएस के घोषणा-पत्र पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें कुछ प्रस्ताव किए गए। महिलाओं का जबरिया विवाह न करने, छोटी उम्र में सगाई न करने, शराब की बिक्री बन्द करने, करसडों के आयोजन को नियंत्रित करने, पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने आदि प्रस्ताव प्रमुख थे। यह प्रस्ताव भी किया गया कि लुटेरी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को एकजुट किया जाए। हर गांव में क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन को मजबूत बनाने के संकल्प से ये अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न हो गए।

नेलनार जनता ने चीनी क्रान्ति की वर्षगांठ मनाई

माड़ डिवीजन के नेलनार इलाके में एक स्थान पर जनता ने 1 अक्टूबर को चीनी क्रान्ति की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई। स्थानीय छापामार दस्ता द्वारा बुलाई गई इस सभा में कुल 21 गांवों की जनता ने भाग लिया। इस मौके पर स्थानीय कमाण्डर ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा – "हमारे जैसे गरीब देश रहे चीन में सर्वहारा की अगुवाई में तमाम उत्पीड़ित जनता ने दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते में लड़कर नए लोकतंत्र की स्थापना की थी। सामन्तवादी, दलाल नौकरशाही पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण को उखाड़ फेंककर जनता के लिए असली जनतंत्र ला दिया था। उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में जनता ने उस क्रान्ति को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए समाजवादी क्रान्ति को सफल बनाकर समाजवादी चीन की भी स्थापना की थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महान नेता माओ ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को एक उच्च चरण में विकसित करके विश्व की उत्पीड़ित जनता को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के नाम से एक महान सैद्धान्तिक हथियार मुहैया कराया। लेकिन माओ की मृत्यु के बाद सत्ता पर काबिज हुए आधुनिक संशोधनवादियों ने समाजवादी चीन को पूंजीवादी चीन में बदल दिया। एक समय जिन आर्थिक विषमताओं और सामाजिक बुराइयों को मिटा गया था आज वे फिर सिर उठा चुकी हैं। ये जनता को फिर एक क्रान्ति के लिए जरूर मजबूर करेंगी। आज मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा बना चुकी कई पार्टियां दुनिया के अनेक देशों में जनयुद्धों का संचालन कर रही हैं। इन तमाम क्रान्तियों के लिए 1 अक्टूबर 1949 को सम्पन्न हुई चीनी क्रान्ति आज भी प्रेरणा देती रहेगी। यह क्रान्तियों का युग है, क्रान्ति में हमारी जीत सुनिश्चित है।" कमाण्डर के भाषण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सभा का समापन किया गया।

भाकपा (माओवादी) के गठन के मौके पर माड़ डिवीजन में आमसभाएं सम्पन्न

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा-ले) [पीपुल्सवार] और भारत के माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के विलय और एकीकृत पार्टी - **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)** के उदय के उपलक्ष्य में पार्टी ने व्यापक प्रचार अभियान चलाने के फैसला लिया। इसके तहत माड़ डिवीजन में जनता को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करके 12 स्थानों पर सभाएं आयोजित की गईं। मर्रामेट्टा, उसपर, आदेर, राजवेड़ा, जुर्री, कुकडाझोर, आकाबेडा, कोह्कामेट्टा, कुत्तुल, बेरेहवेडा, नेलनार और राजपुर गांवों में ये सभाएं सम्पन्न हुईं। मर्रामेट्टा सभा में अत्यधिक संख्या में 13 हजार लोगों ने भाग लिया। इनमें से कुछ सभाओं का आयोजन बड़े पैमाने पर हुई जिनमें लोगों की उपस्थिति भारी संख्या में रही। कुछ सभाएं स्थानीय स्तर पर हुईं। इस प्रकार डिवीजन के सभी गांवों के लोगों ने किसी न किसी सभा में भाग लिया। इन सारी सभाओं में कुल 45 हजार लोगों ने भाग लिया। इन सभाओं में डिवीजन सीएनएम और स्थानीय सीएनएम के दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। सभाओं को सम्बोधित करने वाले वक्ताओं ने दो पार्टियों के विलय के महत्व, अलग-अलग पार्टियों के रूप में इन दो पार्टियों के अस्तित्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एकीकृत पार्टी के गठन के बाद परिस्थिति में आए सकारात्मक बदलाव, सामने मौजूद चुनौतियां – इन सारे मुद्दों पर रोशनी डाली। इस मौके पर लोगों ने लाल झण्डे, बैनर, प्लैकार्ड आदि लेकर जोशोखरोश के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाले। एकीकृत पार्टी द्वारा अपनाए गए नए कार्यभारों को नारों के रूप में जनता में ले जाया गया। सभी सभाएं उत्साह भरे माहौल में सम्पन्न हुईं। पीएलजीए के विभिन्न बलों ने पूरी सतर्कता बरतते हुए इन सभाओं के सुचारू और सुरक्षित संचालन में अहम भूमिका अदा की। ✶

टाडा के काले साए आज भी कायम

गड़चिरोली के पांच बेकसूर किसानों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आवाज बुलन्द करो !

हालांकि टाडा कानून को रद्द हुए दस साल गुजर चुके हैं, पर उसके काले साए आज भी गड़चिरोली के किसानों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 20 अक्टूबर को जब मुम्बई में मुख्यमंत्री की कुरसी को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच रस्साकशी जारी थी, तो दूसरी ओर नागपुर स्थित टाडा न्यायालय ने पांच बेकसूर किसानों को 18 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अपने जन विरोधी इतिहास में एक और काला पन्ना जोड़ लिया। किसी भी पार्टी ने इस कार्यवाही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। हां! आखिर उनका झगड़ा कुरसी को लेकर ही तो है, जन आन्दोलन का दमन करने में उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि एकमत हैं। दरअसल इस व्यवस्था के अलोकतांत्रिक चरित्र को समझने के लिए यह एक उदाहरण काफी है कि पहले का टाडा और उसके बाद आया पोटा दोनों के भी रद्द हो जाने के बावजूद भी उनके तहत दर्ज मामले आज भी कायम हैं। इससे यह भी समझा जा सकता है कि वर्तमान "संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन" की प्रगतिशीलता में कितनी सचाई है।

इस सजा के शिकार हुए लोगों के नाम ये हैं – किशोर लालसाय सडिमेक (हीन्देवाड़ा), चैती मूका पल्लो (मल्लेमपोड्डूर), चैतू इरपा वड्डे (इरपानार), दोगे कोरके वड्डे और कोपा नरुंगो। वास्तव में ये पांचों व्यक्ति कभी भी नक्सली नहीं रहे। हालांकि इनमें से एक व्यक्ति का छोटा भाई और दूसरे व्यक्ति का बेटा क्रान्तिकारी आन्दोलन में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और जिस मामले में इन्हें सजा सुनाई गई वह और भी ज्यादा हास्यास्पद है। इन पांच लोगों पर पुलिस का आरोप था कि 1992 में लाहिरी पुलिस थाने पर इन 'नक्सलवादियों' ने हमला किया था। दरअसल वह हमला नक्सलवादियों ने नहीं किया था, वह हमला ही नहीं था। पुलिस वाले आपस में झगड़ लिए थे जिससे उनके बीच गोलीबारी हो गई और एक पुलिस कर्मी की मृत्यु हो गई थी। सचाई यही थी। इस पर उस समय अखबारों में खबरें भी छपी थीं। ऐसे बेबुनियाद और झूठे केस में इन्हें कई सालों तक जेल में रखकर कई सालों से अदालत का चक्कर कटवाकर आर्थिक दृष्टि से बुरी तरह नष्ट किया गया। आखिर में इस प्रकार इन्हें आजीवन कारावास की सजा देना बेहद अन्याय और अमानवीय है।

दरअसल, असली हत्यारे न सिर्फ खुलेआम घूमते हैं, बल्कि विधायिका के लिए चुन लिए जा रहे हैं और सत्तारूढ़ भी हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने में कोई भी अदालत 'सक्रियता' नहीं दिखाती। हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों के बीमार होने के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कम्पनी के मालिक आंडरसन को गिरफ्तार करवाने के लिए वर्तमान न्यायव्यवस्था कोई कदम नहीं उठाती। बाबरी मसजिद को ध्वस्त करने के मामले में यहां तक चार्जशीट भी वापस ले लिए गए। असली गुनाहगार नेता और मंत्री बनकर देश पर राज कर रहे हैं। एक हर्षद मेहता, एक तेलगी, एक पीवी नरसिंहराव, एक जयललिता, एक लालू – इस प्रकार कई घोटालेबाज कानून के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और खुद की चमड़ी बचा लेते हैं। लेकिन बेकसूर लोग, आदिवासी, दलित ही चाहे वह बिहार में हो, या झारखण्ड में हो या फिर आज दण्डकारण्य के गड़चिरोली में क्यों न हो, न्यायव्यवस्था की बलि चढ़ाए जाते हैं। इस सजा के जरिए इस न्यायव्यवस्था का वर्गीय चरित्र जनता की नजरों में फिर एक बार नंगा हो गया। जनता इससे और भी अच्छी तरह समझ लेगी कि ये अदालतें लुटेरे वर्गों की हैं, इनमें गरीबों को इन्साफ नहीं मिलेगा और दरअसल गरीबों को दबाकर रखने के लिए ही ये अदालतें हैं।

ये पांचों गरीब किसान अपने बाल-बच्चों के साथ जीवन यापन करने वाले आम लोग थे। दरअसल इन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों को, मामला दर्ज करने वाले अधिकारियों को और मकदमा चलाने वाले न्यायमूर्तियों को अच्छी तरह मालूम था कि वास्तव में इस जुर्म से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था। क्रान्तिकारी आन्दोलन के दमन के सिलसिले में ही इन लोगों को यह सजा सुनाई गई है। इस सजा के जरिए वे जनता को सबक सिखाना चाह रहे हैं। क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल होने या उसका समर्थन करने पर आप सब का यही हश्र हो सकता है, यही चेतावनी वे देना चाह रहे हैं। क्रान्तिकारियों के परिवार सदस्यों को चुनकर सजा देना भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। यह मानसिक युद्ध है जो कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ सरकार द्वारा जारी चौतरफा हमले का एक हिस्सा है। यह एक चेतावनी है कि क्रान्ति में भाग लेने वाले लोगों के माता-पिता और भाई-बहन को ऐसी सजाएं दी जा सकती हैं। पर लुटेरी सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाह रही है? इससे क्या होगा समझ रही है? वह इस गलतफहमी में है कि ऐसी सजाओं के जरिए वह क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया कर सकेगी। इतिहास में अब तक की तमाम तानाशाही हुकूमतों ने इसी प्रकार का सपना देखा था। पर लुटेरे शासक यह सचाई जानबूझकर भुला देते हैं कि इतिहास में जब-जब ऐसी कोशिश हुई तब-तब उसे घोर विफलता का ही मजा चखना पड़ा।

इन पांच बेकसूर किसानों को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ तमाम जनता और जनतंत्र के समर्थकों को एकजुटता के साथ आवाज बुलन्द करनी चाहिए। यह पुरजोर मांग करनी चाहिए कि टाडा, पोटा आदि काले कानूनों के तहत दर्ज तमाम मामलों को वापस लिया जाए। इनके परिवारों को हर प्रकार की सहायता और नैतिक समर्थन देना चाहिए – यह हम सभी की जिम्मेदारी है। ★

दण्डकारण्य की जनता और जन आन्दोलनों पर जारी बर्बरतापूर्ण सरकारी दमन के खिलाफ ...

26 जनवरी को 'दण्डकारण्य बन्द' को सफल बनाओ !